राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] ग्यारहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का पचीसवां दिवस [संख्या : 15

गुरुवार;

20 मार्च, 2003

राजस्थान विधान सभा की बैठक

11.00 बजे विधान सभा भवन,

जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

अनेक माननीय सदस्य : होली की राम-राम, होली की राम-राम।

श्री अध्यक्ष : मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित हैं।

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न। श्री हरजीराम बुरड़क।

स्पिन फैडरेशन में सम्मिलित सदस्यों की हिस्सा राशि

346. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में स्पिन फैड का गठन किया गया है? यदि हां, तो कब और उक्त में कौन-कौनसी धागे की मिलें सम्मिलित हैं एवं उक्त मिलों के कितने कितने सदस्य किस-किस श्रेणी के हैं और उनकी कितनी हिस्सा राशि जमा है? मिलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य स्तर के फैडरेशन के गठन के लिए राज्य में कार्यरत सहकारी संस्थाओं का सदस्य होना आवश्यक है? यदि हां, तो कितनी सहकारी संस्थाएं किस स्तर की तथा वर्तमान में उक्त संस्था के सदस्य कौन कौनसी सहकारी संस्थाओं में कब-कब से हैं?

सहकारिता मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जी हां। स्पिन फैडरेशन का गठन मार्च, 1992 को हुआ था। स्पिन फैडरेशन में तीन मिलें यथा राजस्थान काआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, गुलाबपुरा, गंगापुर काआपरेटिव स्पिनिंग मिल लिमिटेड, गंगापुर एवं गंगानगर सहकारी कताई। मिल्स लिमिटेड, हनुमानगढ़ सम्मिलित हैं। उक्त मिलों के सदस्यों एवं वर्तमान में जमा हिस्सा राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

(श्री परसादी लाल)

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	गुलाबपुरा		गंगापुर		हनुमानगढ़	
		सदस्य संख्या	हिस्सा राशि	सदस्य संख्या	हिस्सा राशि	सदस्य संख्या	हिस्सा राशि
1.	राज्य सरकार	1	745.26	1	684.22	1	473.42
2.	सह. समितियां	1239	4.14	295	4.50	421	12.85
3.	अन्य कपास उत्पादक व्यक्तिगत सदस्य इत्यादि	7669	10.02	4643	5.05	6663	7.53
	कुल	**8909**	**759.42**	**4939**	**693.77**	**7085**	**493.80**

(2) जी हां। राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा-2 के अनुसार ''शीर्ष सोसायटी'' से ऐसी सोसायटी अभिप्रेत है जिसका प्रमुख उद्देश्य उससे सम्बद्ध अन्य सोसायटियों के कार्य संचालन के लिए सुविधाएं देना है और जिसके कार्य क्षेत्र का प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है। उक्त अधिनियम की धारा 5 (1) (ब) के अनुसार ऐसी संस्था के गठन हेतु कम से कम पांच सोसायटियों का सदस्य बनना आवश्यक है। स्पिन फैडरेशन में साधारण सदस्य सहकारी संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट ''क'' पर उपलब्ध है।

(संस्थाओं के विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, आप यह बतायेंगे कि जिन स्पिनिंग मिलों को आपने मेम्बर बनाया है, उन मिलों का आज की तारीख में अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, न वहां पर कोई संचालक मण्डल है, न कोई अलग से आपने प्रशासक बना रखा और उन मिलों को आपने इस फैडरेशन में जैसाकि आप वर्ग कर रहे हैं, उस हिसाब से इनमें विलीनीकरण कर लिया। तो इस प्रकार से विलीनीकरण के लिए एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है और प्रोविजन है तो उसके अनुसार आपने कोई कार्यवाही नहीं की। आज सब कुछ फैडरेशन ही है। यहां तक कि इनके कर्मचारियों की नियुक्ति या ट्रांसफर आप चाहे जैसे जिस यूनिट में कर देते हैं, इस प्रकार से सारा का सारा संचालन यहां से हो रहा है। रुई की खरीद हो या सूत की बिक्री हो या कर्मचारियों का किसी प्रकार का कोई मामला हो, आप फैडरेशन से कर रहे हैं। आपके

(श्री हरजीराम बुरड़क)

पास दूसरी भी सहकारी संस्थाओं के फैडरशन हैं, उनमें इसी तरह से कार्य नहीं हो रहा है। इस एक ही नाम मात्र का फैडरेशन बनाकर आपने इस संस्थाओं का एकीकरण किया है, इस संबंध में आपको क्या कहना है?

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया, फैडरेशन बनने के बाद, यह सही है कि सारा कार्य संचालन फैडरेशन के एम.डी. और सी.एम.डी. या हैडक्वार्टर के माध्यम से ही चलाया जा रहा है। फैडरेशन के गठन के बाद इनमें जो कर्मचारियों को भी इधर से उधर करने का है, जब यह फैडरेशन बन गया तो कर्मचारियों को भी इधर से उधर करना कोई नियमों के विपरीत नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा, फैडरेशन बनने के बाद, फैडरेशन के बाई-लाज हैं, उन्हीं के अनुसार फैडरेशन काम कर रहा है।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, फैडरेशन के बाई-लाज के बारे में कहा, क्या उन मिलों के बाई-लाज नहीं थे और दूसरे भी आपके फैडरेशन हैं, जैसे राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ है, उसकी सारी मार्केटिंग सोसायटी मेम्बर हैं, क्या उनमें भी आप कर रहे हैं? क्या उनके कर्मचारियों को एक दूसरे में आप लगा सकते है? आप कह रहे हैं? कि हम बाई-लाज के हिसाब से कर रहे हैं, आपने अलग से बाई-लाज बना दिये, उनके बाई-लाज का क्या होगा? उनके बाई-लाज को आप इसमें सम्मिलित नहीं कर सकते, ऐसी कोई भी काआपरेटिव कानून में व्यवस्था नहीं है और आपने इनका एकीकरण करके सारा आप यहीं से कर रहे हैं, ऐसी कहां व्यवस्था है?

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, जब फैडरेशन बन गया तो फैडरेशन के बाई-लाज और नियम ही लागू होंगे, अलग-अलग मिलों के बाई लाज और रूल्स लागू नहीं होंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या दूसरे फैडरेशन हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ है, क्या उनके बाई-लाज उन क्रय-विक्रय सहकारी समितियों पर लागू होते है (व्यवधान) अगर ऐसी कोई व्यवस्था है तो फिर आप इन दूसरों पर क्यों नहीं लागू करते? कहीं भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक उनका रजिस्ट्रेशन अलग है, उनके बाई-लाज अलग हैं। उस सीमा तक ही आपके फैडरेशन के बाई-लाज लागू होंगे जिनमें फैडरेशन की सीमा में है, उनकी कोई व्यवस्था हैं, उनके डे-टू-डे के वर्क में फैडरेशन कुछ नहीं कर सकता, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जब तक आप उन सोसायटी का रजिस्ट्रेशन खारिज नहीं करते।

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि इनका रजिस्ट्रेशन खारिज क्यों नहीं करते, मैं आपको जानकारी के लिए और हाउस की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि फैडरेशन के गठन के खिलाफ एक माननीय सदस्य ने गवर्नमेंट के यहां अपील की थी 128 में और उस अपील में फैसला माननीय तत्कालीन सहकारिता मंत्रीजी की कोर्ट से, फैडरेशन को भंग करने का फैसला हुआ और उसके खिलाफ फैडरेशन माननीय उच्च न्यायालय में गया और वहां से स्थगन आदेश होने के कारण अब इसमें, कोई भी जब तक माननीय उच्च न्यायालय का कोई फैसला नहीं आ जाये, तब तक हम इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं जैसा माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया, उसी से स्पष्ट हो गया कि यह कानून के खिलाफ था तभी तो मंत्री महोदय ने इस आदेश को निरस्त किया और अब इसको आप जानबूझकर कानून का उल्लंघन करने के लिए ही फैडरेशन ने अपील की और फैडरेशन क्या है, जब आपका वहां पर प्रशासक नहीं है, न कोई चुना हुआ फैडरेशन है, न कोई चुनी हुई स्पिनिंग मिला तो आपने ही फैसला कर दिया और आपने अपील करवा दी। यह स्पष्ट हो गया कि कानून का उल्लंघन आप कर रहे हैं, तभी तो तत्कालीन मंत्री महोदय ने यह फैसला दिया और फैडरेशन में क्या है आपके ही अधिकारी हैं, उसको आपने कह दिया कि अपील कर दो...

श्री सुरेन्द्र व्यास : ज्ञानवान मंत्री हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : न कोई वहां चुना हुआ संचालक मण्डल है, इसलिए आप जो आदेश पारित किया सरकार ने, उसकी पालना करें।

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च न्यायालय का जब तक फैसला नहीं आ जाये, स्थगन आदेश वेकेट नहीं हो जाये, तब तक इस संबंध में हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते।

श्री हरजीराम बुरड़क : स्थगन आदेश किसने लिया? कोई पब्लिक आदमी गया नहीं, कोई स्पिनिंग मिल गई नहीं, कोई सोसायटी गई नहीं, आपके अधिकारी थे, आपने अपील करवा दी और अपने आदेश पर स्टे ले लिया, यही तो मैं कह रहा हूं, आप इसको विदड्रा करवाइये और इस आदेश की तामील करवाए।

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको बताया कि फैडरेशन हमारे कोई भी सहकारी संस्था सरकार के या कोर्ट के आदेश के खिलाफ न्यायालय में जा सकती है, इस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है और यह कहना भी गलत है कि आपने निर्णय किया और आपने कोर्ट में भेज दिया। फैडरेशन स्वतंत्र इकाई है, इसलिए वह कोर्ट में गया और माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश है इसलिए इसमें फैसले के बाद ही कोई कार्यवाही हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जिस प्रकार से फैडरेशन एक स्वतंत्र इकाई है, फैडरेशन की मेम्बर सोसायटी भी स्वतंत्र इकाई हैं? क्या यह सही है कि मूल प्रश्न यह नहीं है कि फैडरेशन खतम कर दिया और उसे चालू किया जाय, वह एक अलग प्रश्न है। सवाल यह है कि, जो एम्पलाइज हैं वह मूलतया मेम्बर सोसाइटी के एम्पालाइज होते हैं। अब उनकी तमाम बर्किंग कंडीशंस कंट्रोल करती है सोसायटी, और यह आपने जो सेंट्रलाइज किये हैं, पावर्स, वह आपने गलत किया है, गैरकानूनी किया है कि फैडरेशन उसको सब कर दें। न तो फैडरेशन आपका गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, न मेम्बर सोसाइटी आपका गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और क्या यह सही है कि आपने जो एम्पलाइज हैं इस सोसायटी के, उस सोसायटी के बाई–लाज में जहां तक उनकी सर्विस कंडीशंस का सवाल है, उनके बाई–लाज प्रिवेल करेंगे, फैडरेशन के बाई–लाज प्रिवेल नहीं करेंगे। यह इस्टैब्लिश्ड लॉ है। मंत्रीजी, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो आप स्थगित कराइये। आप ऐसी बात कर रहे हैं जो कि वैधानिक रूप से आपको उसका ज्ञान नहीं है।

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय जब मैंने यह कहा कि स्पिन फैडरेशन बन गया...

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, बनता है उसमें कोई एतराज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है इसमें।

श्री परसादी लाल : उसके बाद जो इनकी समितियां थीं, जो मिलें थीं उनके उप नियम लागू नहीं होकर फैडरेशन के जो बाई–लाज हैं वहीं लागू होंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सोसाइटी के लिए बाई–लाज लागू होंगे सोसायटी के ही, मेम्बर सोसायटी के वर्किंग के लिए...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कर्मचारियों की, उनकी सेवा शर्तों का आपने कैसे उल्लंघन कर दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेम्बर सोसायटी के एम्पलाइज की सर्विस कंडीशंस के लिए उस सोसायटी के बाई–लाज लागू होंगे, फैडरेशन का कोई ताल्लुक नहीं है उससे। फैडरेशन के अपने अलग बाई–लाज हैं और फैडरेशन के फंक्शंस में आता ही नहीं है यह।

श्री परसादी लाल : फैडरेशन बनने के बाद, अध्यक्ष महोदय, सब कर्मचारी फैडरेशन के बन गये, यह बाई–लाज में भी है, आप बाई–लाज देख लीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : देख लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : देखे हुए हैं।

श्री परसादी लाल : और फैडरेशन के बाई–लाज के अनुसार सारे कर्मचारी तीनों मिलों के, वह फैडरेशन के ही कर्मचारी हैं, उनका इधर से उधर तबादला किया जा सकता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको समझाने की दृष्टि से फिर कहता हूं..

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर सांवरलाल। प्रोफेसरजी, आप पूछना शुरू करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक सवाल। आपको समझाने की दृष्टि से कहता हूं। अपेक्स बैंक और सेंट्रल काआपरेटिव बैंक, किसके बाई–लाज लागू होंगे? सेंट्रल काआपरेटिव बैंक, आप उनको यह कहते हो, एक माडल बाई–लाज, माडल बाई–लाज अपेक्स बैंक निकालता है और यह आप निर्देश देते हो अनौपचारिक, वह भी औपचारिक नहीं देते हो, अनौपचारिक देते हो कि यह बाई–लाज, उसको एडाप्ट कर लें और उस एडाप्शन के बाद अपेक्स बैंक इंटरवीन करता है अन्यथा अपेक्स बैंक के बाई–लाज अलग हैं और सेंट्रल काआपरेटिव बैंक के बाई–लाज अलग हैं। उसी एनालाजी के ऊपर फैडरेशन के बाई–लाज अलग हैं और मेम्बर सोसायटी के बाई–लाज अलग हैं और मेम्बर सोसायटी के अंदर आप इंटरवीन नहीं कर सकते।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, फैडरेशन कई हैं। पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आपने काआपरेटिव एक्ट की कौन सी धारा में इस फैडरेशन का गठन किया है। आर.सी.डी.एफ., राजस्थान डेयरी काआपरेटिव फैडरेशन, वहां पर संघों के अलग बाई–लाज, कानून लागू होते हैं और फैडरेशन के अलग होते हैं। तो उन कर्मचारियों को आप फैडरेशन में कैसे मान सकते हैं बिना किसी कानूनी समाधान किये, इसलिए मेरा जवाब दीजिये आप। काआपरेटिव डेयरी फैडरेशन में भी यही व्यवस्था लागू है क्या, और फैडरेशंस में भी यही है क्या? क्या आपने जो अलग–अलग आपकी गंगापुर, गुलाबपुरा मिल्स थीं उनके बाई–लाज को और उन संस्थाओं को भंग कर दिया क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : तनखाह कौन देता है ?

श्री भंवरलाल (हवामहल): मैं भी एक इसी से संबंधित प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब उस कर्मचारी ने सोसायटी में नौकरी की होगी तो कुछ शर्तें थी, उसने स्वीकार किया कि मुझे शर्तें मंजूर हैं। आपकी तरफ से भी थी, उसकी तरफ से भी थी, वह जो एग्रीमेंट है इस कर्मचारी और सोसायटी के बीच का, वह एग्रीमेंट खतम कैसे हो गया। आपने खतम कैसे कर दिया उसको। जब

(श्री भंवरलाल शर्मा)

तक वह राजी नहीं है कि मैं इन शर्तों पर नौकरी करने के लिए तैयार हूं तब तक उसको आप कैसे कोर्स कर सकते हैं। फिर उसकी सीनियरिटी, जूनियरिटी का क्या होगा, कैसे होगा यह। How you can do it? जब उसकी शर्तें तय थीं उनको आपने वायलेट कर दिया उसके बिना पूछे, यह सम्भंव नहीं, यह ठीक नहीं है, आप गलत कर रहे हैं। आप जवाब दीजिये। आप दे दें नहीं तो...

श्री सांवर लाल : खेत सिंहजी देंगे, इनसे नहीं बैठेगा मामला।

श्री अध्यक्ष : श्री रतन लाल।

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री का ध्यान स्पिन फैडरेशन के बारे में आकर्षित करना चाहूंगा। आपने अपने जवाब में सदस्यों की संख्या, हिस्सा राशि और जो सहकारी समितियां इसकी सदस्य हैं वह तो बता दिया लेकिन स्पिन फैडरेशन जो 7 मार्च, 1992 से बना है आज उसकी भयंकर घाटे की स्थिति है। इन तीनों मिलों में, इस फैडरेशन के बनने से पहले इनकी, खास तौर से गंगापुर जो मेरे क्षेत्र की काआपरेटिव मिल है वह भारतवर्ष में सर्वोत्तम स्थान रखती थी लेकिन आज जहां तक मेरी जानकारी है, गुलाबपुरा मिल की 18 करोड़ रुपये की घाटे की स्थिति है, गंगापुर 5 करोड़ रुपये की घाटे की स्थिति में है और हनुमानगढ़ 2 करोड़ रुपये की घाटे की स्थिति में है फैडरेशन बनने के बाद और यह घाटा बराबर बढ़ता जा रहा है और मिलें बंद होने के कगार पर है, उस स्थिति में आ गई हैं। मैं जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि क्या यह सही है कि इन तीनों सहकारी मिलों में कार्यशील पूंजी, वर्किंग केपिटल में कमी आई है और कमी आई हैं तो उसके क्या कारण हैं? मेरा दूसरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, क्या एन.सी.डी.सी. द्वारा इन मिलों के लिए कोई ऋण या अनुदान लिया गया है, यदि हां, तो कितना-कितना ऋण और कितना अनुदान और किस-किस मिल को यह स्वीकृत हुआ और कितना-कितना उन को दिया गया है? दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन सहकारिता मंत्रीजी ने 2 मई, 2002 को जो अपना फैसला दिया था जिसमें स्पिन फैड को भंग करने का जो फैसला दिया था...

श्री अध्यक्ष : चार पूरक पूछ लिये हैं। पूरक तो आप एक प्रश्न पूछिये।

डा. रतन लाल जाट : मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप लम्बा-चौड़ा भाषण दे रहे हैं।

डा. रतन लाल जाट : इन मिलों की जो घाटे की स्थिति है, इन तीनों मिलों को उबारने के लिए क्या कदम विभाग के द्वारा उठाये जा रहे हैं क्योंकि यह बंद होने की स्थिति में हैं ओर एन.सी.डी.सी. से जो ऋण मिला है उस ऋण को इन तीनों मिलों में किस प्रकार माननीय मंत्री महोदय विभाजित कर रहे हैं। यह मेरा मूल प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल डांगा।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से..

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): साहब, जवाब आ जाने दीजिये, जवाब दे दें।

डा. रतन लाल जाट : पहले जबाव तो दिलवा दीजिये, साहब।

श्री मांगीलाल डांगा : माननीय सहकारिता मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि आपने अपने उत्तर में बताया है, 2001 के अधिनियम में शीर्ष संस्था की परिभाषा को भी बतलाया। कोई भी शीर्ष संस्था या फैडरेशन जब तक उसकी जांच सहकारी संस्थाएं सदस्य न हो, उसका अस्तित्व ही कायम नहीं हो सकता इसलिए माननीय तत्कालीन मंत्रीजी ने जो यह अवैध फैडरेशन बना था उस आदेश को निरस्त करके वापस उन संस्थाओं का स्वरूप कायम करने के लिए आदेश दिया था।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): उसकी मिट्टी पलीत कर रहे हो आप।

श्री मांगीलाल डांगा : दूसरा, जहां तक अपील का प्रश्न है, यदि हम सहकारिता की स्वायत्ता में विश्वास रखते हैं तो उसकी जनरल बाडी का प्रस्ताव पारित होने पर ही कोई अपील हो सकती है। उसका एम.डी. न तो उसकी अपील कर सकता और न ऐसा निर्णय ले सकता। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्वायत्ता में हमारी सरकार विश्वास रखती है इसलिए आप घोषणा करें कि वह सहकारी संस्थाएं जिनका अस्तित्व कायम करने के लिए राज्य सरकार ने जो निर्णय किया है उस निर्णय को आप बहाल करायेंगे और जो एकतरफा अपील की है उसको आप वापस लेने के आदेश प्रसारित करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सहकारिता हित में मैं आशा रखूंगा कि माननीय मंत्री महोदय घोषणा करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): इसका जवाब आने दें पहले। इसके जवाब देने दें आप तो पहले।

डा. रतन लाल जाट: पहले जवाब तो दिलवायें साहब।

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने पूछा, किस नियम के तहत यह गठन हुआ, काआपरेटिव एक्ट

(श्री परसादी लाल मीणा)

की धारा 17 के अन्तर्गत इस स्पिन फैड का गठन हुआ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या है, इसको पढ़ दें जरा।

श्री परसादी लाल : आप पढ़ लेना, यह तो आपने बनाया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): धारा पढ़ दें एक बार। धारा पढ़ दीजिये।

श्री परसादी लाल : दूसरा यह है कि फैडरेशन के कर्मचारियों की जो बात है...

श्री मांगीलाल डांगा : अध्यक्ष महोदय, धारा 17 में तो विलीनीकरण है, गठन नहीं है। कुछ संस्थाओं के विलीनीकरण की बात आती है, गठन नहीं हो सकता किसी भी फैडरेशन का..

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, नया कानून लागू हो मया मंत्री जी। धारा 17 में अभी है क्या वर्तमान कानून में।

श्री मांगीलाल डांगा : धारा 17 में किसी सहकारी संस्था का गठन नहीं हो सकता।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): इसमें तो विलीनीकरण है, गठन नहीं है, पढ़ दीजिये एक बार।

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो भी स्पिन फैड का गठन हुआ, आपकी सरकार के समय हुआ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): इससे क्या हुआ?

डा. रतन लाल जाट : नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है।

श्री परसादी लाल : आप पूरा सुन लीजिये जवाब तो सुनिये मेरा पूरा।

श्री रतन लाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा 17 की कानून की बात है, उसमें किस सरकार में हुआ, उससे क्या फर्क पड़ गया?

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय उस गठन के खिलाफ माननीय मंत्री जी के यहां 128 में अपील की गई, माननीय मंत्रीजी का फैसला आया, फैसला आने के बाद उसको भंग करने का फैसला आपने दिया। वह सही है, गलत है, उसके खिलाफ स्पिन फैड हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट से..

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): हाई कोर्ट में आप जा नहीं सकते जब तक कि पांच प्रस्ताव पास नहीं हो तब तक नहीं जा सकते, उसका उत्तर दीजिये ना।

श्री परसादी लाल : आप पूरी बात सुनिये। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में यह मामला अभी विचाराधीन है और

(श्री परसादी लाल)

इसमें वहां से कोई भी कार्यवाही जो माननीय मंत्री महोदय के यहां से फैसला हुआ उस पर स्टे जारी कर रखा है। ज्योंही माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आयेगा, उसके अनुसार फिर अगर इसमें कहीं अनयिमितता हुई तभी तो माननीय मंत्रीजी के कोर्ट का फैसला आया। यह मैं कैसे कह सकता हूं कि आपके कोर्ट का फैसला गलत था, सही था, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में गये, हाई कोर्ट से फैसला आयेगा उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे। जहां तक इसमें घाटे का सवाल है स्पिन फैड के गठन के बाद से ही लगातार घाटा चल रहा है। यह सही बात है। इसको हमने सुधार के लिए घाटे के जो कारण हैं आपकी सरकार के समय अत्यधिक कर्मचारियों का भर्ती होना, प्राइवेट सैक्टर में लेबर जहां साठ और सत्तर में मिलती हैं वहां हमको एक सौ पचास और साठ का भुगतान करना पड़ रहा है, पुरानी मशीनरी है और जिस तरह का वहां पर पुराने प्लांट में जिस तरह का खर्चा है पुरानी मशीनरी होने के कारण, वर्तमान टैक्नालाजी जो आई है..

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): वह तो पहले भी थे...

श्री परसादी लाल : उसके अनुसार हम प्राइवेट सैक्टर का मुकबला नहीं कर पा रहे हैं, हम चाह रहे हैं इसमें सुधार के निरन्तर प्रयास करें। इस वर्ष हम, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो गत वर्ष हमारा 9 करोड़ का घाटा प्रतिवर्ष का उसको इस साल घटा कर 7 करोड़ पर लाएंगे और हम कोशिश कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): प्रश्न का उत्तर दो आप तो। प्रश्न का उत्तर दो।

डा. रतन लाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीज़ी क्या स्टेप्स ले रहे हैं? यह तो बताएं साहब। ये क्या कदम उठा रहे हैं?

श्री मांगीलाल डांगा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस फैडरेशन ने विधि का विधिक व्यक्ति का स्वरूप ही प्राप्त नहीं किया वो अपील करने का अधिकारी है क्या, माननीय मंत्री महोदय? इस प्रश्न का उत्तर दे दो।

डा. रतन लाल जाट :...(व्यवधान) ये तो बतायें कम से कम। करोड़ों रुपये के घाटे में जा रहा है...(व्यवधान)

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का जवाब इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): तो उससे क्या मतलब हुआ?

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, बड़ा प्रासंगिक सवाल है कि एम.डी. को अपील करने का अधिकार था कि नहीं? आप बताइये।

श्री अध्यक्ष : प्रो. सांवर लाल, बैठिये।

श्री परसादी लाल : सहाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि इसके लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं। हमने एन.सी.डी.सी. से अभी तीन करोड़ अस्सी लाख का लोन लिया है और हमने समय पर उनको दो करोड़ रुपये सरकार द्वारा गंगापुर स्पिनिंग मिल को दिये हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कहीं भी कार्यशील पूंजी की कमी नहीं आये और ये मिलें निरन्तर चलती रहें यह प्रयास हम करते रहेंगे।

डा. रतन लाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो एन.सी.डी.सी. से लोन लिया है यह कितना-कितना किस किस मिल को बांटा है? यह मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय, किस-किस मिल को कितना-कितना दिया है?

श्री सांवर लाल : बड़ा रेलिवेंट सवाल है कि एम.डी. को अपील करने का अधिकार था ही नहीं और अपील कर दी। आप बताइये इसके बारे में क्या व्यवस्था है?

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम (धोद)।

श्री परसादी लाल : एम.डी. को अपील करने का अधिकार है इसलिए अपील की है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ये जो फैडरेशन बनाया है...

श्री सांवर लाल : अच्छा, मंत्रीजी, ये बताइये...

श्री अध्यक्ष : प्रो. सांवर लालजी, प्लीज।

श्री अमराराम (धोद): जो तीन स्पिनिंग मिल राजस्थान में हैं उनका जो फैडरेशन बनाया है, क्या फैडरेशन इन कर्मचारियों को तनखाह देता है या यह स्पिनिंग मिल देती हैं? आप तो यह बताइये और दूसरा मेरा सवाल है कि क्या ये तीनों स्पिनिंग मिल है इनका जो घाटा है क्या फैडरेशन इसको अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है क्या?

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, फैडरेशन एक यूनिट है। तीनों मिलों को मिला कर यूनिट बनती है चाहे वेतन कहीं से भी, घाटा होगा फैडरेशन का होगा व्यक्तिगत कोई मिल का नहीं होगा।

श्री अमराराम (धोद): तनखाह कौन दे रहा है? तनखाह फैडरेशन दे रहा है क्या?

श्री परसादी लाल : मुनाफा होगा, अब यह बात में कह चुका हूं कि इसका गठन हो गया एक यूनिट है। सारे कर्मचारी फैडरेशन के कर्मचारी हैं और फैडरेशन जो निर्णय लेगा...

श्री अमराराम (धोद): तनखाह फैडरेशन दे रहा है क्या?

श्री परसादी लाल : संचालक मंडल का फैडरेशन जो निर्णय लेगा वही तीनों मिलों पर निर्णय लागू होंगे।

श्री अमराराम (धोद): और यह लायबिलिटी भी है आप पर।

श्री सांवर लाल : यह कोई जवाब नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन श्री ललित भाटी।

राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-8 के हरे वृक्षों की कटाई की अनुमति

347. **श्री ललित भाटी** (अजमेर (पूर्व)): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-8 पर जयपुर से अजमेर तक सड़क के दोनों और हरे वृक्षों को काटा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) उक्त वृक्षों को काटने की इजाजत किसके द्वारा मांगी गई?

(3) उक्त मार्ग पर कुल कितनी संख्या में हरे वृक्षों को काटे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है?

(4) क्या उक्त हरे वृक्षों की कटाई से पर्यावरणीय संतुलन को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पर्यावरण (श्रीमती बीना काक): (1) जी हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राजमार्ग संख्या-8 को चौड़ा करने के कार्य के कारण अभी जयपुर से किशनगढ़ के मध्य वृक्षों को हटाया जा रहा है।

(2) उक्त वृक्षों को काटने की इजाजत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मांगी गई।

(3) स्वीकृति के अन्तर्गत उक्त मार्ग पर 13249 वृक्षों का पातन किया जा रहा है।

(4) उक्त वृक्षों की कटाई से अपरोक्ष रूप से पर्यावरण संतुलन पर नगण्य विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जिसके लिये विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जावेगा।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया यह बताएं कि एन.एच.ए.आई. का जो प्लान इस रोड के लिए पूरा तैयार किया कि इसको चौड़ा करके सिक्स लेन के अन्दर बनाया जाना है। यह तीन लेन का अभी एग्जिस्टिंग रोड है तो विभाग से परमीशन लेते वक्त उन्होंने इसका प्लान आपके सामने, आपके अनुमोदन के लिए या आपको दिखाने के लिए रखा या नहीं रखा? या वो जब आपके पास स्वीकृति लेने के लिए आये तो आपने यह मांगने की इसकी अहमियत समझी या नहीं समझी? मैं यह इसलिए

(श्री ललित भाटी)

पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि जयपुर से दिल्ली तक भी रोड चौड़ी हुई है और उसमें जिस तरीके से रोड के बीच में 15 फीट का डिवाइडिंग जोन रखते हुए वृक्षों को बचाने की कोशिश की गयी और वृक्ष बचे हुए हैं। आप देखिये साढ़े तेरह हजार पेड़ों को काटा जा रहा है। तो क्या जो प्लान की बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो एन.एच.ए.आई. ने आपको प्लान दिया स्वीकृति लेने के वक्त में उसमें आपने कहीं इसकी जहमत उठायी कि इन वृक्षों को बचाने के लिए कोई कवायद की जाए? एक तो इसका जवाब दें आप।

दूसरा जो ये पेड़ काटे जा रहे हैं इन पेड़ों को काटने की आपने इजाजत एन.एच.ए.आई. को दी है। अब इसकी लकड़ी का डिस्पोजल कौन कर रहा है? वो लोग इसका ऑक्शन करेंगे या कौन करेंगे? उससे विभाग को कितनी आय होनी है? यह आप मेरे को बतला दीजिये।

तीसरा आप बतायें कि जो क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की बात आप कर रहे हैं, इस क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए आपने किसको तो जिम्मेदार बनाया और उनको इस बात के लिए आपने अनिवार्य रूप में पाबंद किया या नहीं किया कि वो चार साल तलक उनका पालन-पोषण भी करे। क्योंकि जब तक पेड़, कोई भी वृक्षारोपण अपन करते हैं, 10 फीट की हाइट जब तक न लें तब तलक उसके जीवित रहने की गुंजाइश बहुत कम रहती है तो आपने इतनी बड़ी संख्या में ये तो सिर्फ अभी अजमेर तलक की स्थिति है। यह आगे जाना है पूरा अहमदाबाद तलका राजस्थान के लाखों की संख्या के अंदर पेड़ों का विनाश होगा तो विभाग ने इस दिशा में कोई ठोस नीति बनायी है, कोई निर्णय लिया है? यह आप सदन को बताएं।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने तीन सवाल किये हैं। एक तो उसका जस्टिफिकेशन कि पेड़ काटे गये उसका क्या जस्टिफिकेशन था, तो बाकायदा इसको स्टडी किया गया माननीय सदस्य, बढ़ती हुई आबादी, ट्रेफिक जाम्स और एक्सीडेंट्स को देखते हुए यह बहुत आवश्यक हो गया था और वन विभाग का यह जिम्मा है कि डवलपमेंट और जो पर्यावरणीय बेलेंस है उसको बेलेंस किस तरह से बनाकर रखा जाये, उसके लिए बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गाइड लाइंस भी इश्यू हुई थीं। एक तो यह थी कि मिनिमम हमने करीब 14 हजार पेड़ों की जैसे स्वीकृति मांगी है तो उन्होंने यह कहा कि आप मिनिमम कितने काट सकते हैं उतने ही काटियेगा। इसका मतलब जेहन में उनके भी और हमारे भी यह है कि कम से कम पेड़ काटे जाएं। तो करीब 14 हजार 665 पेड़ों के काटने की स्वीकृति के बाद करीब 13 हजार पेड़ों को हम काट रहे हैं और

(श्रीमती बीना काक)

बाकायदा विभाग के द्वारा यह देखा गया कि जहां बिलकुल जरूरी है, नेसेसरी है वहीं के पेड़ काटे जाएंगे और यह माननीय सदस्य में आपको बताना चाहती हूं कि चार लेन बन रहा है, छह नहीं।

दूसरा आपका यह सवाल था कि इसको कौन देख रहा है तो जो पेड़ काटे गये हैं पहले भी काटे गये थे। इस बार 9310 के करीब पेड़ काटे गये हैं। और इसको जो वन विभाग का स्टेट ट्रेडिंग महकमा है वो देख रहा है। करीब 11975 पेड़ कटने थे, 13 मार्च तक 9310 पेड़ काट लिये गये हैं और इनसे जो लकड़ी स्टेट ट्रेडिंग को मिली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 55,370.4 क्विंटल ये तो फ्यूल वुड है और टिम्बर है करीब 14,375.30 क्विंटल, करीब 70 हजार क्विंटल लकड़ी है, और इसको हमारे तीन डिपोज में रखा गया था दूदू, भांकरोटा और नरसिंहपुरा। और हर महीने की 4 और 2 तारीख को ओपन आक्शन के जरिये नीलामी होती है जिनकी नेशनल लेवल के न्यूज पेपर्स और स्टेट लेवल के न्यूज पेपर्स में बाकायदा इसकी विज्ञप्ति जारी होती है। तीसरा आपका सवाल था कि इससे कितनी आय विभाग को हुई है तो अभी तक जो पेड़ काटे गये हैं और जो ऑक्शंस हुई हैं उससे 28.5 लाख विभाग को मिल चुके हैं। आपके तीनों सवाल मेरे ख्याल से...

श्री ललित भाटी : नहीं, एक का अभी रह गया है। मैंने जो आपसे पूछा कि क्या उन्होंने आपको इस रोड का प्लान दिखाया था? मैं अभी भी यह कह रहा हूं कि एक तरफ से अध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ के पेड़ कट रहे हैं। एक तरफ का कहीं से भी नया बनना था एक तरफ से कहीं से भी उसको लिया जा सकता था। क्या विभाग ने यह कोशिश की उनसे प्लान देख कर कि दोनों तरफ से पेड़ों की यह कतार आप जो कह रहे हैं कि कटाई जो हो रही है इसको रोका जा सकता था? मैं कह रहा हूं कि उसके बारे में आपने कोई जवाब नहीं दिया कि आपने उनका प्लान देखा या नहीं देखा? क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए आप चार साल तक की जिम्मेदारी किसी की तय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इसके बारे में आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। यह दोनों जवाब भी दे दीजिये।

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद आप सुन नहीं पाये मैंने कहा था कि बाकायदा प्लान को देखा गया था और उसके बाद ही यह तय किया गया था कि मिनिमम पेड़ काटे जाएं। मिनिमम के साथ-साथ और जहां अत्यंत आवश्यक हो वहीं काटे जाएं तो बाकायदा इन प्रस्तावों को स्टडी किया गया था उसके उपरांत ही काटे गये थे। और जो क्षतिपूर्ति जो वृक्षारोपण होगा, जितने पेड़ काटे जाएंगे उनके दुगुने पेड़ लगाये जाएंगे और मैं

(श्रीमती बीना काक)

आपको इसका विश्वास दिलाती हूं कि बाकायदा पेड़ लगेंगे डीग्रेडेड फोरेस्ट जयपुर जिले में और अजमेर जिले में जो इसके तहत आते हैं। बाकायदा डी.एफ.ओ. से प्रस्ताव मांगे जाएंगे कि कहां–कहां लगाए जाएं।

श्री ललित भाटी : नहीं मंत्री महोदया, मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि दोनों तरफ से रोड की वाइडनिंग हो रही है। आप इस बात से पूरे तरीके से संतुष्ट होवें कि कहीं भी एक तरफ से इसकी वाइडनिंग करके नये सिरे से पूरी रोड नहीं बनायी जा सकती थी। मतलब दोनों तरफ से ही वाइडनिंग करते हुए और रोड की कटाई होनी थी, मतलब कहीं भी आपको यह नहीं लगा या आपने जो यहां से शुरूआत के अन्दर जो प्रभावशाली लोगों के फामर्स आ रहे हैं। उनकी जमीने बचाने के लिये आपने कहीं से आड़ा–टेढ़ा करते हुए फिर उसको लेकर आ गये, इस बात को आप स्पष्ट कीजिए। एक तरफ से आप चाहे राइट से चल सकते थे चाहे लेफ्ट से चल सकते थे, एक तरफ से नई रोड बनाते हुए एक तरफ से सारे पेड़ों को बचाया जा सकता था। आपने 14600 पेड़ों के लिये इजाजत मांगी, आप कह रहे हैं कि हमने कम से कम पेड़ काटे, 95 परसेंट पेड़ तो कट रहे हैं। 13249 पेड़ों को काटने की बात की जा रही है और जस्टीफिकेशन मंत्री महोदया दे रही है साढ़े 14 हजार की मांग की जिसमें से हमने 13 हजार ही कटने दिये। बहुत बड़ी सैविंग डिपाटमेंट ने कर ली।

श्री अध्यक्ष : फोर लेन सड़क बनेगी।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं सड़क के विरोध में नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : अगर चार लेन की सड़क बनेगी तो सीधी सी बात है पेड़ तो कटेंगे।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ से लेते हुए इसको बचाया जा सकता था। आज वनों का प्रतिशत राजस्थान में बहुत कम है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, रोड के दोनों तरफ 10–10 फीट में पेड़ लगे हुए हैं। फोर लेन एक छोड़ कर, 10 फीट छोड़ कर दूसरी पूरी दो लाइन बनायी जाती तो एक भी पेड़ नहीं कटता।

श्री ललित भाटी : जयपुर से दिल्ली के बीच में इस तरीके से वनों को बचाया गया है।

श्री अमराराम (धोद): तीन लाइन के दोनों तरफ 10–10 फीट में पेड़ है अगर बीच में 10 फीट की जगह छोड़कर दो लेन अगर नैक्स्ट बनाते तो इतने हजार पेड़ों में से एक भी नहीं कटता। मेरा मंत्री

(श्री अमराराम)

महोदय आपसे निवेदन है कि कम से कम किशनगढ़ से आगे जो फोर लेन बनायी जाये इसको 10 फीट छोड़कर बनाया जाये तो एक भी पेड़ नहीं कटेगा।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, जयपुर से दिल्ली के बीच इस तरीके से वनों को बचाया गया है।

श्रीमती शांति पहाड़िया (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहती हूं कि रोड के पेड़ कटें लेकिन हर जगह के पेड़ क्यों काटे जाते हैं? आपको मालूम है कि इससे मानसून आता है और हम कितने भयंकर अकाल से जूझ रहे हैं। पेड़ों के बगैर मानसून कैसे आयेगा। फिर कहते हैं कैसे बदलेगी इसलिए पेड़ लगाये जाएं और 2-4 साल पेड़ काटना बंद करे, परमानेंट ही बंद हो जाये तो बहुत ही मेहरबानी होवे लेकिन पेड़ नहीं काटे जायें। यही नहीं कि रोड के काटो, ठीक है रोड होयेगी तो कटेगा। लेकिन आप जानते हैं कि कहीं से भी, खेतों में से काटे जा रहे हैं, पहाड़ों में से काटे जा रहे हैं, ऐसे टेढ़े-मेढ़े रास्तों में से काटे जा रहे हैं और इतनी लकड़ी कट कट कर यहां पर आ रही है। पहले तो इधर आती थी अब पता नहीं, मैं तो भरतपुर की तरफ जाती हूं तो उधर कुछ जाती हुई नजर आती है, जाने कहां जा रही हैं यह लकड़ियां। इसलिए मंत्रीजी इसका मेरे को बतायें कि पेड़ कटना बंद होंगे कि नहीं।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाह रहा हूं कि अजमेर तक तो आपने इतने पेड़ों को कटा दिया लेकिन इससे आगे जो यह सड़क बनने जा रही है, जो बात मैंने आपसे कही है क्या आप वापस इसको रिव्यू करेंगे कि हम किसी भी एक तरफ के वृक्षों को बचा सकें। और विभाग द्वारा आपने क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की बात की है, मुझे कहते हुए अफसोस है कि विभाग द्वारा जो वृक्षारोपण अब तक हुए है उनकी रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है, मंत्री महोदया। क्या अपन इन वृक्षों को सिर्फ दुगुनी संख्या में लगाने की औपचारिकता पूरी करके इतिश्री कर लेंगे? आप डिपार्टमेंट में भी एक कम्पलशन तो कीजिए, यह राइडर तो लगाइए, उनको पाबंद कीजिए कि उनकी जीवितता का प्रतिशत आप बाद में देखेंगे तब जाकर हम राजस्थान में वनों को बचा पायेंगे। नहीं तो इतने बड़े पुराने वृक्षों को इस तरीके से हम विकास के नाम पर काटें, मैं सोचता हूं कि यह एक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। मंत्री महोदय आप जवाब दें।

श्रीमती शांति पहाड़िया : मंत्रीजी इसका जवाब दें कि यह पेड़ कटना बंद होयेंगे कि नहीं क्योंकि हमको आगे पानी का संकट खड़ा हो जायेगा। बारिश नहीं

(श्रीमती शांति पहाड़िया)

होगी तो न कुएं में पानी रहेगा, न हैण्ड पम्प में और न ही आपके ट्यूब वैल में पानी आयेगा। जब तक पानी बरसेगा नहीं तब तक मानव जिंदा नहीं रह सकता।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : पहले आंटी का जवाब दो आप।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, यह जो अजमेर तक आपने कटवा दिये लेकिन एन.एच. आगे राजस्थान में है उसमें अगर 10-15 फीट की जगह छोड़कर फोर लेन आप दूसरी बनाते हैं तो दोनों तरफ के पेड़ बच जायेंगे। एक तरफ के पेड़ इस फोर लेन के बीच में आ जायेंगे और दूसरी तरफ लगाने से निश्चित रूप से पूरे के पूरे पेड़ बच सकते हैं। कम से कम किशनगढ़ से आगे एन.एच. 8 में तो इसको परिवर्तन कर दीजिए।

श्री रतनाराम चौधरी : इससे दोनों किसानों की बराबर जमीन जायेगी।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : पहले आप हमारी आंटी का जवाब दो।

श्रीमती बीना काक : अध्यक्ष महोदय, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। लेकिन मैं उनको आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहती हूं कि वन विभाग संवेदनशील है और बाकायदा फिर विश्वास के साथ कह रही हूं उन्हीं पेड़ों का पतन किया गया है जो तकनीकी रूप से जरूरी थे। बीच में पेड़ लगाने का पता नहीं लाइट्स रात को आती है वह कितना फिजिबल होगा, यह मेरा देखना नहीं है। लेकिन आपको विश्वास दिलाती हूं कि बाकायदा स्टडी करके, आइंदा भी किया गया है और आइंदा भी करेंगे। और जैसा कि, भरतपुर से आने वाली माननीय सदस्या को मैं कहना चाहूंगी कि कोई चिंता नहीं करे। उनके पास अगर कोई शिकायत हो तो मुझे बताये, मैं पूरी कार्यवाही करूंगी। कोई ट्रेक्टर, ट्रोली पकड़ी जाये उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होगी।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : यह बताएं कि लकड़ियां आ कहां से रही है और जा कहां रही है?

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, यह जो नये पेड़ लगाये जायेंगे इनकी जिम्मेदारी वन विभाग को दी गई है क्या?

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से इतना सा आग्रह करना चाहता हूं पिछले 6 माह से लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, जयपुर से अजमेर के बीच में, किशनगढ़ के बीच में पिछले 6 माह से लगातार पेड़ कट रहे हैं और अच्छा काम हो रहा है। विभाग भी संवेदनशील है। मंत्री

(श्री बाबूलाल नागर)

महोदया, आपसे इतना मैं जानना चाह रहा हूं कि 5-6 माह से लगातार पेड़ कट रहे हैं आपने कोई न कोई प्लान बनाकर, प्रोजेक्ट बनाकर, विभाग का मन बनाकर यह परमिशन दी होगी। आपने क्या पेड़ लगाने का काम शुरू कर दिया और शुरू नहीं किया तो आप कब तक पेड़ लगाने का काम शुरू कर देंगे, इतना सा मेहरबानी करके बता दें।

श्रीमती बीना काक : सड़क बन रही है उसके बाद पेड़ लगायेंगे।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, सड़क की एक निश्चित दूरी तय है कि इतनी दूर तक यहां तक सड़क बनेगी। माप-जोख पूरी हो चुकी है। सारा रास्ता तैयार हो चुका है लेकिन पेड़ लगाने की आपके पास जो जगह है, मैं समझता हूं कि उसमें सड़क तो आपके कहीं बाधा आ ही नहीं रही है। पूरी जगह उसमें बच रही है। मेरा इतना सा आग्रह है कि इतनी भयंकर हालत है, पूरा का पूरा पर्यावरण इतना दूषित हो चुका है, आदमी निकल नहीं सकता है। तो ऐसे पेड़ जो जल्दी बड़े हो जायें, कृपया जल्दी ही इसको शुरू करा दें, यह मेरा आपसे आग्रह हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, 348.

श्री दुर्गाप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, एक बात और पूछनी थी।

श्री अध्यक्ष : दुर्गाप्रसादजी, क्या है?

श्री दुर्गाप्रसाद (गंगापुर): लकड़ी से संबंधित मामला है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि दौसा से जयपुर की तरफ सैकड़ों बैल गाड़िया, ऊंट गाड़ियां, ट्रेक्टर रोज लकड़ी के आते हैं तो क्या यह आपकी परमिशन से आ रहे हैं? सैकड़ों गाड़ियां आती हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): बड़े आदमियों के लिये कोई नहीं बोलता था, वह बेचारे गरीब लकड़ी लेकर आते हैं उनके लिये सबके पेट में दर्द हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : दुर्गाप्रसादजी, बैठिए। मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। 348 स्थगित।

श्री दुर्गाप्रसाद : लकड़ी कहां से आ रही है, वह भी जंगलों से ही आ रही होगी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : बड़े-बड़े सरमायादारों के फार्म हाउस से आती है। उनके बारे में कोई नहीं बोलेगा। एक गरीब एक बैल गाड़ी लकड़ी लेकर आता है तो इनके पेट में दर्द होता हैं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, किसानों के खेतों में खराब पेड़ समझकर हम पेड़ काटकर लाते हैं, ऐसे

(एक माननीय सदस्य)

थोड़े ही काटकर लाते हैं कोई। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, लकड़ी की बात हो रही है, गरीब आदमी की और अमीर आदमी की बात नहीं है। आपका मतलब यह है कि गरीब आदमी चोरी भी कर सकता है, गरीब आदमी जेब भी काट सकता है, यह क्या मतलब हुआ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सड़क बन रही है, अच्छा काम हो रहा है।

श्री मदन दिलावर : वह गाड़ी लेकर आ रहा है, बबूल की लकड़ी ला रहा है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सड़क बन रही है, अच्छा काम हो रहा है तो पेड़ क्यों काट दिये, सड़क बनेगी तो पेड़ तो कटेंगे ही।

श्री दुर्गाप्रसाद : सड़क की बात नहीं है इस वक्त जो बैल गाड़ियां, ऊंट गाड़ियां जो आ रही है...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : रोज के 100–50 आदमी मर रहे हैं इससे तो अच्छा है ना कि 100–200 पेड़ कट जाए।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री सिंघवी साहब, बैठिए प्लीज।

वन संरक्षण अधिनियम के प्रभावी होने के बाद आबंटित खानें

348. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रभाव में आने के बाद सरकार द्वारा वन क्षेत्रों में खानों का आबंटन किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या उक्त आबंटित खानें नियम विरुद्ध है? यदि हां, तो उक्त खानों के आबंटन में कौन कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

(3) क्या सरकार उक्त खानों को निरस्त कर नये सिरे से नियमानुसार आबंटित करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : कन्हैया लालजी, आपका प्रश्न स्थगित कर दिया।

श्री कन्हैया लाल : अध्यक्ष महोदय, स्थगित करने का क्या कारण हो गया इसमें? ऐसी कोई बात नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री कन्हैया लाल : जवाब भी आ गया, उसका जवाब तैयार हो गया, अध्यक्ष महोदय, फिर तो स्थगित करना ही नहीं चाहिये था।

श्री अध्यक्ष : मिनिस्टर तो बैठे हुए हैं, उन्होंने पोस्टपोन करवाया है, जानकारी हम कलक्ट नहीं कर सके। नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री माहिर आजाद।

विधान सभा क्षेत्र चूरू/बानसूर में मुख्य मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत लाभान्वित बेरोजगार

349. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू), **श्री रोहिताश्व** (बानसूर): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मुख्य मंत्री रोजगार योजना कब प्रारम्भ की गई? वर्ष 2000-01 से 2002-03 में उक्त योजना अन्तर्गत कितने बेरोजगारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था और कितने वास्तविक रूप से लाभान्वित हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1999 से जनवरी, 2003 तक कितने बेरोजगारों ने रोजगार केन्द्रों पर पंजीकरण करवाया और कितनों को रोजगार मिला? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) मुख्य मंत्री रोजगार योजना अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बानसूर व चूरू में कितना लक्ष्य था और कितने बेरोजगारों को वास्तविक रूप से उक्त योजना अन्तर्गत लाभान्वित किया गया?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या-349 का मैं कह चुका हूं अभी वह स्थगित है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी से जब कोई सवाल सदन में पूछते हैं...

श्री अध्यक्ष : हां, मुख्य मंत्रीजी से ही पूछना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार नहीं है, 7 बार मुख्यमंत्री के नाम से तारांकित सवाल इस सदन में लगे और सातों बार यह पोस्टपोन हुए। अक्ष्यक्ष महोदय, आप मुलाहिजा फरमाएं, सवाल है क्या। मुख्य मंत्री की रोजगार योजना के बारे में मैंने पूछा है।

श्री अध्यक्ष : राजेन्द्रजी, आपने यह प्रश्न लगाया था उस वक्त भी आपको यह सूचित कर दिया था...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसमें कोई लम्बी चौड़ी जानकारी नहीं है, यह थोथी घोषणएं जो सरकार करती है उनका पर्दाफाश जब करते हैं तो यह सवाल स्थगित करवा देते हैं।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी का प्रश्न नहीं है यह तो स्वायत्त शासन मंत्रीजी का है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसमें मुख्य मंत्री सचिवालय लिखा है।

श्री अध्यक्ष : इसमें लिखने से कुछ नहीं होता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे को जवाब चाहिये। मैं तो निवेदन यह कर रहा था...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न स्वायत्त शासन विभाग का है। आप बैठिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 350.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप सवाल की आत्मा तो पढ़ें इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, जो सरकार को लम्बा समय लगे। सरकार जवाब देना नहीं चाहती। सरकार थोथी घोषणाएं करती हैं। मुख्य मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत एक करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करने वाली सरकार ने जब हजार का आंकड़ा पूरा नहीं किया तो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और सवाल पूछते हैं तो... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हम कहां जाएं, किस जगह जाएं?

श्री अध्यक्ष : राजेन्द्रजी, बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, पर हम कहां पर जाएं? सदन में सवाल पूछें...(व्यवधान) सरकार से थोथी घोषणाओं के बारे में सवाल करें और हमारे पास साधन क्या है? अध्यक्ष महोदय, आप फरमाएं कि हम कहां जाएं? आपकी आज्ञा मानेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): अध्यक्ष महोदय, इसमें यह हो सकता है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): प्रश्न संख्या 350.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): अध्यक्ष महोदय स्थगित कर दिया। दुबारा इसको कब लगा देंगे? इस सत्र में लग जाएगा यह तय कर दीजिए।

श्री बनवारी लाल बैरवा (उप मुख्य मंत्री): यह सही है कि पिंक सिटी प्रेस क्लब के पास नारायण निवास होटल...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आज्ञा तो फरमाइये कि इसी सत्र में लग जाएगा। इसी सत्र में।

श्री अध्यक्ष : यह मैं नहीं कह सकता।

श्री बनवारी लाल बैरवा : के परिसर में निजी बसों की पार्किंग की जाकर उनका संचालन किया जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आसन शिरोधार्य है, आप निर्देश दें (व्यवधान) आप इसमें निर्देश दें। मतलब क्या है अध्यक्ष महोदय, हम क्या सवाल करें?

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, 348 इसी सत्र में लगना था।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस. बी. सिविल याचिका संख्या 1460/2001 में पारित निर्णय दिनांक 4.4.2001 द्वारा...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय...

श्री बनवारी लाल बैरवा : नारायण निवास परिसर में वैध अनुज्ञापत्र प्राप्त निजी बसों की...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, पहले वाला प्रश्न (व्यवधान) यह तो आगे का है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पुकार लिया, अब वह बोल रहे हैं। विपक्ष के नेता, आप बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान से जुड़ा हुआ मामला है। (व्यवधान) राजस्थान के गरीबों के साथ जुड़ा हुआ मामला है।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): बेरोजगारों का मामला है, उसे पोस्टपोन कर दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गरीबों के साथ जुड़ा हुआ मामला है।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न में राजेन्द्रजी का भतीजा है इसलिए पोस्टपोन... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : तय कर दीजिए।

एक माननीय सदस्य : आप क्या बोलना चाहते हैं, इसमें कह दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : स्वायत्त शासन मंत्री जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू): क्वेश्चन में राजेन्द्रजी का भतीजा है इसलिए हल्ला करवाया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : स्वायत्त शासन मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री बनवारी लाल बैरवा : नैक्स्ट क्वेश्चन हो गया है।

श्री हीरासिंह चौहान : यह सरकार कितना ही परेशान कर ले...(व्यवधान) यह बेरोजगारों से जुड़ा हुआ सवाल है और राज्य में लाखों नौजवान पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। सरकार ने जो भी घोषणाएं की उसकी पालना क्यों नहीं करती है?

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर): सरकार थोथी घोषणाएं करने की मास्टर है।

श्री हीरासिंह चौहान : थोथी घोषणाएं क्यों करते हैं? करते हैं तो उसकी पालना करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यही तो सवाल है।

श्री हीरासिंह चौहान : सवाल लग जाता...(व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : जवाब देने में दिक्कत आती है।

श्री हीरासिंह चौहान : जवाब कहां के मांगेंगे?

एक माननीय सदस्य : एक लाख लोगों को हमने रोजगार दिया...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)**:** एक करोड़ का कहा है दिल्ली में...(व्यवधान) दिल्ली में एक करोड़ का कहा है।

एक माननीय सदस्य : दिल्ली का नहीं पूछ रहे, राजस्थान का पूछ रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : राजस्थान विधान सभा का...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब देना चाहिए।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर)**:** सरकार ने घोषणा की थी...(व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : यह सही है पिंक सिटी प्रेस क्लब के पास नारायण निवास...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू)**:** अध्यक्ष महोदय, अगले वाले क्वेश्चन में इनका कोई इंवाल्वमेंट है इसलिए नहीं आने देना चाहते।

श्री सांवर लाल (भिनाय)**:** यह तो व्यवस्था कराइये इसी सत्र के अन्दर यह सवाल लग जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, लगभग पिछले चार सत्र हो गए...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक)**:** अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता किस परम्परा को डाल रहे हैं? उप मुख्य मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं और आप इंटरवीन कर रहे हैं। इन लोगों के साथ...(व्यवधान) यह कोई बात हुई?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या जवाब...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब दिलाइये ना।

श्री बनवारी लाल बैरवा : कृपया सुनिए।

डा. महेश जोशी : आसन की व्यवस्था हो चुकी है, आसन की व्यवस्था को चैलेंज नहीं किया जा सकता।

श्री धर्मपाल चौधरी : आसन से कह रहे हैं, आपसे नहीं कह रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : आसन से परमिशन ले रहे हैं (व्यवधान) हम आसन से प्रोटेक्शन चाहते हैं।

डा. महेश जोशी : आसन ने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री हीरासिंह चौहान : हम आसन से ही...(व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय ने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया, मैं जवाब दे रहा हूं, कृपया सुनिए।

श्री हीरासिंह चौहान : आसन शिरोधार्य है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : उप मुख्य सचेतकजी, बिठाइये उनको...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं बैठ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता खड़े है, आप डिप्टी स्पीकर रहे हुए हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : बोलूं नहीं क्या?

श्री अध्यक्ष : बोलो, लेकिन बोलने की कोई सीमा होती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, हम तो आसन से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है सरकार से जो सूचना आई हैं उसमें एक महीने का समय मांगा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : राजेन्द्रजी कह रहे हैं जब सरकार...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जब सरकार से ऐसा कोई सवाल पूछा जिसमें हमें कुछ चीजें जनता के बीच लाने की थीं... (व्यवधान) लगभग यह चौथा सत्र है और आप उन सब प्रश्नों को उठाकर देखिए जिनको आपने स्थगित कर दिया है, वे सब के सब रसातल में चले गए हैं। स्थगित का मतलब इतना होता है कि अगर आज इसका जवाब नहीं आ सकता तो दो दिन बाद आ सकता है, चार दिन बाद आ सकता है, वह तो हुआ स्थगित प्रश्न। स्थगित के माध्यम से हम दफन कर दें यह लोकतंत्र की व्यवस्था से बिलकुल अनुचित है। हम तो कम से कम आप से इतना विश्वास रखते हैं कि आप जैसा संजीदा, इतने वर्षों का अनुभव, वर्षों से कुर्सी पर बिराजमान है, हम जिस मंशा से प्रश्न पूछते हैं, उस मंशा का उत्तर जरुर आना चाहिए। मैं आपसे फिर विनम्र निवेदन करूं, यह केवल इसी प्रश्न का सवाल नहीं है, अब तक जितने प्रश्न स्थगित हुए इस विधान सभा में, उनकी सारी लिस्ट को उठाकर देखिए। जिसमें भी हमने सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए, जो भी प्रश्न लगाए, यह कहकर स्थगित करवाया कि इसका जवाब नहीं है। और बाद में वह दफन हो गया। हमें तो आपसे यही उम्मीद है इस प्रश्न को इसी सत्र में लगा देंगे इसकी व्यवस्था कर दें, हम आपकी बात मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): सरकार कहे फिर।

श्री अध्यक्ष : लेकिन मैं राज्य सरकार से बात करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सरकार बैठी है ना सामने।

श्री अध्यक्ष : मैं यह कहूंगा भी, इस सैशन में इसका उत्तर दे।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी): अध्यक्ष महोदय, 348 जो क्वेश्चन है इसका भी इसी सत्र में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 349 पोस्टपोन है तो 348 आपका अपने आप स्थगित हो गया। कन्हैया लालजी।

श्री कन्हैया लाल : इसी में आ जाएगा ना, इसी सत्र में यह भी आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

नारायण सिंह सर्किल जयपुर से संचालित निजी बसें

350. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जयपुर पिंक सिटी प्रेस क्लब के नजदीक स्थित नारायण निवास से निजी बसों का संचालन हो रहा है? यदि हां, तो उक्त को रोकने के हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या नारायण निवास से निजी बसों के संचालन को रोकने हेतु पथ परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक, परिवहन आयुक्त यातायात तथा अन्य उच्च अधिकारियों सहित माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी कोई निर्देश दिये थे? यदि हां, तो क्या और कब तथा उक्त निर्देशों पर क्या कार्यवाही हुई?

(3) क्या सरकार पथ परिवहन निगम की आय बढ़ाने हेतु निजी वाहनों के अवैध संचालन को रोकने हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

यातायात मंत्री (श्री बनवारी लाल बैरवा): (1) जी हां। यह सही है कि पिंक सिटी प्रेस क्लब के पास नारायण निवास होटल के परिसर में निजी बसों की पार्किंग की जाकर उनका संचालन किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल याचिका संख्या 1460/2001 में पारित निर्णय दिनांक 4.4.2001 द्वारा नारायण निवास परिसर में वैध अनुज्ञापत्र प्राप्त निजी बसों की पार्किंग में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु निर्देश दिये हैं। नारायण निवास परिसर के बाहर से निजी बसों का संचालन नहीं हो रहा है। यदा-कदा बाहर से संचालन पाये जाने पर ऐसे वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा नारायण निवास से निजी बसों के संचालन रोकने हेतु परिवहन आयुक्त को लिखा गया था। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा पूर्व में ही चैकिंग करवा कर नारायण सिंह तिराहे पर स्थित अवैध निजी बस स्टैण्ड को हटवा दिया गया था। विभाग की उक्त कार्यवाही के पश्चात् निजी वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहन नारायण निवास होटल परिसर में खड़े कर वाहन संचालित करना शुरू कर दिया गया। जब निजी वाहनों को वहां से हटाने की कार्यवाही की गई तो नारायण निवास के स्वामी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर वैध अनुज्ञापत्र प्राप्त निजी वाहनों की पार्किंग में हस्तक्षेप नहीं करने के आदेश प्राप्त कर लिये। माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा माननीय विधायक के पत्र पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये, जिसकी पालना एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पालना में समय-समय पर ऐसे वाहनों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण प्रश्न के खण्ड–1 में वर्णित परिशिष्ट "क" के अनुसार है।

(3) जी हां। पथ परिवहन निगम की आय बढ़ाने हेतु निजी वाहनों के अवैध संचालन को रोकने के लिए हर माह एक सप्ताह का पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जाता है जिसके लिए जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स द्वारा तिथियां निर्धारित की जाती है। विभाग द्वारा इस संबंध में वर्ष 2002-2003 में माह जनवरी 2003 तक अवैध रूप से संचालित पाये गये 29,370 वाहनों के चालान बनाये गये जिनसे 764 लाख 82 हजार रुपये की राशि वसूल की गई।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने मेरे प्रश्न के खण्ड-1 के उत्तर में यह कहा है कि वहां से अवैध बसों का संचालन बाहर से नहीं हो रहा, अन्दर से हो रहा है। यह अन्दर और बाहर की कहानी कब खतम होगी? बसों का संचालन हो रहा है यह तो आप स्वीकार कर रहे हैं। बाहर आप जिस दिन जाते हैं, आपके अधिकारी जाते हैं, उस रोज वह अन्दर से करने लग जाते हैं। और यह जो उत्तर आपके लोगों ने अधिकारियों ने दिया है, अध्यक्ष महोदय, अगर आप कहे तो मेरे पास 40 फोटोग्राफ हैं, नारायण निवास के बाहर बसें खड़ी हुई हैं 4-4 बसें, सवारियां बैठ रही हैं, उतर रही हैं। यह फोटोग्राफ आप कहे तो मैं टेबल कर सकता हूं, पहली चीज।

दूसरी चीज, माननीय अध्यक्ष महोदय,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आपने जिस होई कोर्ट के फैसले का यहां एग्जाम्पल दिया है आपने उसका पैराग्राफ एक पढ़ा है और उसमें लिखा है कि नारायण निवास के मालिक ने वहां बसों की पार्किंग के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं करें, यह न्यायालय से आदेश प्राप्त कर लिए।

मैं पार्किंग की बात नहीं कर रहा। पार्किंग और आपरेशन में फर्क नहीं है क्या? मैं पार्किंग की बात नहीं कर रहा। पार्किंग भले ही हो। मैं बात कर रहा हूं आपरेशन हो रहा है, अवैध संचालन हो रहा है और इस न्यायालय के आदेश का पैरा सैकण्ड, अगर आपके पास नहीं हो तो मैं पढ़कर सुना देता हूं। इसमें उन्होंने लिखा है कि " Hewever, the respondents are free to inspect, seize and challan such vehicles which are not haying the valid permits."

इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए? आपको न्यायालय साफ कह रहा है कि आप ऐसे वाहनों को जिनके पास परमिट नहीं है या लाइसेंस नहीं है आप उनको चैक भी कर सकते हैं, आप उनका चालान भी कर सकते हैं और आप उनको सीज भी कर सकते हैं। फिर आप यहां न्यायालय की आड़ ले करके....और इस अवैध संचालन को नहीं रोकना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है? दूसरा सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो नारायण सिंह सर्किल है, आपने आदेश निकाल रखा है कि रोडवेज के किसी भी बस स्टैण्ड से एक किलोमीटर की परिधि में कोई दूसरा निजी वाहनों का संचालन नहीं कर सकता है। यह पिंक सिटी प्रेस क्लब और नारायण सिंह सर्किल से नारायण निवास की दूरी तो सौ मीटर है और यहां आप अवैध संचालन मान रहे हो और उसको रोकने के लिये, मेरा सवाल यह है कि आपको रोडवेज के एम.डी., रोडवेज के चेयरमैन, आपके यातायात के आयुक्त और मुख्य मंत्रीजी जो प्रशासनिक प्रमुख हैं उन सबके लिखने के बाद भी आपने यह बंद नहीं किया। मान लो, हाई कोर्ट ने उनको वहां पार्किंग के लिये आदेश भी दे दिया तो क्या यह 2001 के हाई कोर्ट के इस निर्णय से राजस्थान पथ परिवहन निगम को इससे फायदा हुआ या इसके हितों को नुकसान हुआ? अगर इसके हितों को नुकसान हुआ तो आप इसके खिलाफ अपील में क्यों नहीं गये। जरा इसके मुझे कारण बताएं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, अवैध संचालन का तात्पर्य है कि परमिट का नहीं होना, टैक्स पैड नहीं होना...(व्यवधान) मेरी बात सुन ले, बात तो सुन लें आप। आपने प्रश्न किया है, माननीय सदस्य, तो जवाब तो सुने आप।

अब यह 4 कारण हैं जिनके अन्दर यह मानते हैं कि यह अवैध संचालन हो

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

रहा है। माननीय सदस्य ने स्वयं ने पढ़कर सुनाया कि हाई कोर्ट के आदेश हैं और उस आदेश के तहत हम लोग उसका चालान भी कर रहे हैं, चैकिंग भी कर रहे हैं, देखभाल भी कर रहे हैं। 2001 में, जैसा मैंने निवेदन किया कि 24 बसें तो जब्त की गयीं, वहां पर 361 चालान भी किये गये। 2002 में 9 बसें जब्त की गयीं, 360 चालान किये गये। 2003 में 2 बसें जब्त की गयीं और 16 चालान किये गये। ऐसा नहीं है कि उसके अन्दर हम कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इनके पास अनुज्ञा पत्र है लिहाजा...

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा यह सवाल है ही नहीं, यह तो आपने मुझे लिखित में दे दिया। मैं तो यह पूछ रहा हूं कि पार्किंग की छूट है, वहां आपरेशन हो रहा है उसको रोकने के लिये...(व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : उसी का कर रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : उस के लिये क्या कर रहे हैं। वहां से पूरे एम.पी. के लिये बसें जाती हैं, यू.पी. की सारी डीलक्स बसें वहां से जाती हैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : उन्हीं के खिलाफ चालान कर रह हैं।

श्री सांवर लाल : आप जयपुर में कुछ नहीं कर सकते हैं तो और जगह क्या हो रहा होगा, उप मुख्य मंत्रीजी?

मोहम्मद माहिर आजाद : और आपने 24 बसें सीज कीं। आपका विभाग खुद यह मानता है कि एक बस पर 10 हजार रुपया बचता है बस संचालन करने वाले को। 24 बस का मतलब, आप 2 करोड़ 40 लाख रुपये, आपने अब तक इतनी बसें पकड़ी हैं, करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। आपने इसमें क्या कार्यवाही की?

श्री बनवारी लाल बैरवा : मैंने निवेदन किया कि जो अवैध कार्यवाही हो रही है उसके खिलाफ ही तो बसें जब्त की हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अच्छा, आपने क्या कार्यवाही की? आप हाई कोर्ट में गये? आप हाई कोर्ट में अपील में गये...(व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी के पत्र के साथ, आपके सारे अधिकारियों ने, यातायात आयुक्त लिख रहे हैं, एम.डी. लिख रहे हैं...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू) : आप तो यह बताइये कि आपने क्या कार्यवाही की अब तक?

श्री अमराराम (धोद): सिन्धी कैम्प के मेन गेट के सामने बसें खड़ी हैं।

श्री सांवर लाल : आपका इरादा क्या है, उप मुख्य मंत्रीजी, यह बताइये, आपका इरादा वहां से हटाने का है कि नहीं? और सवारी रोडवेज के वहां पर जाकर प्राइवेट बस में बैठती है। सारी सवारियां

(श्री सांवर लाल)

प्राइवेट बसों में सस्ती रेट पर जाने के लिये बैठती हैं, वहां इसका लाइसेंस है क्या उनके पास?

श्री अमराराम (धोद) : हजारों बसें चलती हैं और आपने 24 को सीज कर लिया...(व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक्सप्रेस...(व्यवधान) जो संचालन हो रहा है उनके खिलाफ हमारी जोइंट चैकिंग होती है जिसमें पुलिस भी है, हमारा परिवहन विभाग भी है। यह मिलकर के चैकिंग करते हैं और चैकिंग के अन्दर जो बसें, अवैध संचालन करते हैं उनको पकड़ा जाता है।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, जयपुर में यह हालत है तो और राजस्थान में क्या करवा रहे होंगे, उप मुख्यमंत्रीजी।

मोहम्मद माहिर आजाद : यातायात विभाग के अधिकारियों, आपके विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है। यह जो चल रहा है निजी...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : रोज चैकिंग करवाई जाए। रोज बसें भरकर जाती हैं, हर 15 मिनट में बसें जाती हैं, आप क्या बात कर रहे हैं?

श्री बनवारी लाल बैरवा : हमारी तरफ से कार्यवाही की जा रही है और की जाती रहेगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह जो 15 निजी...(व्यवधान) आप चैकिंग की बात करते हैं, आपके अधिकारी जाकर के कह देते हैं उस रोज बसें अन्दर चली जाती हैं। एक तरफ आप रोडवेज को रोजाना +++ कि रोडवेज घाटे में जा रही है...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हर 15 मिनट में जाती हैं, क्या चैंकिग करवा रहे हैं आप? आपके रोडवेज की बसें खाली जाती हैं, सब उनके बैठ-बैठ कर जाते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, वहां पर नारायण सिंह सर्किल के रोडवेज के बस स्टैण्ड पर उसके आदमी आवाज लगाते हैं।

श्री यशवंत सिंह (रामू): आपके अधिकारी पैसे खा रहे हैं इसमें 5 सौ रुपये प्रति बस के लेते हैं और 200 के आपके अधिकारी...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह जानना चाहता हूं कि आप इस अवैध संचालन को बंद करने का इरादा रखते हैं कि नहीं रखते हैं रोडवेज के हित में और रखते हैं तो आप इसके लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं। अब तक आपने क्या कार्यवाही की?

श्री बनवारी लाल बैरवा : मेरा निवेदन यह है कि.. जो आदेश हाई कोर्ट ने दिया था, जो आदेश हाई कोर्ट से जारी किया है...(व्यवधान)

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सवाल सिर्फ इतना सा है कि अवैध संचालन हो रहा है, यह आपने खुद ने मान लिया। इस अवैध संचालन की बात आपने खुद ने मान ली...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इसको रोकना चाहते हैं कि नहीं रोकना चाहते हैं, यह बता दें आप तो।

श्री बनवारी लाल बैरवा : जो आदेश हाई कोर्ट ने जारी किया है उसके लिये हम दुबारा हाई कोर्ट में जा रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अब तक क्यों नहीं गये, आप 3 साल में क्यों नहीं गये, 3 साल में क्यों नहीं गये?

श्री बनवारी लाल बैरवा : हमारी जानकारी में आया है...(व्यवधान) बसों के खिलाफ चालान किये हैं, बसों को जब्त किया है उनके वाहन सीज किये हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने खुद ने माना है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपकी जानकारी घर देने आयेगा कोई आपके...

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, हाई–कोर्ट का फैसला तो क्लीयर है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : हम उसके खिलाफ कार्यवाही बराबर कर रहे हैं।

श्री अमराराम : अध्यक्ष महोदय, हजारों लोग तो मौत के घाट उतार दिये। यह जो अवैध संचालन न केवल नारायण सिंह सर्किल से, बल्कि जयपुर के सिन्धी कैंप के चारों और हजारों बसों का जो अवैध संचालन है, न केवल अवैध संचालन है बल्कि सालाना हजारों लोगों को बेमौत मौत के घाट उतारती हैं, हमेशा, जब भी अवैध संचालन की बसें एक्सीडेंट होती हैं, 15–20 निर्दोष लोग मौत को प्राप्त हो जाते हैं। आपके नारायण सिंह सर्किल ही नहीं, सिन्धी कैम्प के चौ–तरफा बसें खड़ी रहती हैं। सुबह से लेकर शाम तक पहले रात में चलती थीं, अब तो धड़ल्ले से दिन में चलती हैं और सरकार की शह से चलती हैं। क्या आप इसको रोकने का इरादा रखते हैं।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है। मंत्री महोदय, आपने खुद ने माना है कि अवैध बसों का संचालन हो रहा है। रोडवेज बस स्टेण्ड से सवारियां से जाकर के बैठाती हैं। हाई कोर्ट के फैसले की आप आड़ ले रहे हैं। हाई कोर्ट में अपील करने की क्या जरुरत है। इसका सैकण्ड पैराग्राफ माहिर साहब ने पढ़कर सुनाया।

श्री यशवंत सिंह (रामू): आपके अधिकारी पैसे खा रहे हैं इसमें अभी सुधर जाओ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप, बैठिये, बैठिये।

श्री सांवर लाल : अनधिकृत, अगर ये सवारी ले जा करके...(व्यवधान) यह

(श्री सांवरलाल)

जयपुर के अन्दर हो रहा है, नारायण सिंह सर्किल के ऊपर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, आप बैठिये। आप यह बिना अनुमति के खड़े हो गये। श्री कनकमल कटारा।

श्री कनकमल कटारा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मैंने यही निवेदन किया है कि जो अवैध संचालन हो रहा है उन बसों को जब्त किया जा रहा है और उनका चालान किया जा रहा है और उनसे जुर्माना वसूल किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, आप। श्री कनकमल कटारा।

श्री कनकमल कटारा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर से मुम्बई के लिये सरकारी बस चलती थी अब उस सरकारी बस को बंद करके 3 प्राइवेट बसें निजी चलती हैं। और गुजरात से हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मजदूर लोग आते हैं तो होली और दिवाली के ऊपर इनसे हजार–हजार, 5–5 सौ रुपये, प्राइवेट बस मालिकों द्वारा वसूल किये जाते हैं। सरकारी बस को बंद कर दिया गया है और अवैध वाहन चलते हैं। क्या आप उनको बंद करेंगे और जो सरकारी बस चलती थी, उदयपुर से मुम्बई के लिये, उसको वापस चालू करेंगे? किस कारण से बंद की गयी, क्यों बंद की गयी, इसका भी आप जवाब दें।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मेरे को तो आप इतना बता दें कि रोडवेज को इस अवैध संचालन से अब तक कितना नुकसान हुआ, और क्या आप इस अवैध संचालन को रोकने के लिये कोई कारगर कार्यवाही कर रहे हैं तो वह बताइये कि कब तक करेंगे, मेन बात यह बता दें आप तो।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बात का सवाल है कि जब तक रोडवेज को उससे कितना नुकसान हुआ है, जब तक यह तमाम फिगर्स नहीं हों तब तक यह नहीं कहा जा सकता है। (व्यवधान) पहले बात सुन लें, तो जो भी अवैध संचालन मिलता है उस बस को जब्त किया जाता है, उसके खिलाफ चालान भी किया जाता है और जुर्माना भी वसूल किया जाता है। और सख्ती बरतेंगे इसके अन्दर ताकि... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह बंद करेंगे नहीं करेंगे, हमारा तो एक ही सवाल है। यह वैध संचालन कब तक बंद हो जाएगा, यह बताओ आप तो हमको। यह अवैध संचालन अन्दर से हो रहा है, बाहर से हो रहा है, यहां आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हो।

श्री अमराराम : जयपुर में जो अवैध संचालन हो रहा है...(व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : और सख्ती बरतेंगे इसके खिलाफ।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपकी मंशा है क्या अवैध संचालन बंद करने की?

श्री सांवर लाल : तत्काल प्रभाव से इसको बंद करवाएं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो यह बताएं, आपने अब तक इसमें जो पत्र-व्यवहार हुआ उसमें क्या कार्यवाही हुई?

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जो अवैध रूप से ट्रेवल एजेंसियों के बोर्ड लगे हुए हैं, जयपुर में सिन्धी कैम्प के चौ-तरफा ट्रेवल एजेंसियों के बोर्ड लगे हुए हैं, जहां रोज बुकिंग होती है अवैध रूप से...(व्यवधान) वह अवैध बसें ही नहीं, ट्रेवल एजेंसियां बनाकर के सिन्धी कैम्प के चौ-तरफा बोर्ड लगा रखे हैं, कर्मचारी लगा रखे हैं और वह रोज..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप के रोडवेज के कर्मचारी कहते हैं वहां चले जाओ, टिकट ले लो, यह क्या बात हुई?

श्री बनवारी लाल बैरवा : यह बात सही नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : सही है, बिलकुल सही है।

श्री यशवंत सिंह (रामू): यह बात सत्य है, 5 सौ रुपये बस लेते हैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : हम और सख्ती करेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप इसको रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, कैसे रोकेंगे। बताएं तो सही आप कार्य योजना।

श्री बनवारी लाल बैरवा : बिलकुल रोकेंगे, बिलकुल रोकेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा इंटरेस्ट तो राज्य हित में यह है कि आप अवैध संचालन को रोकरने का इरादा रखते हैं क्या? रखते हैं तो आप इसके लिये क्या कदम उठा रहे हैं। यह बताइये कि यह अवैध संचालन कब बंद कर देंगे। जब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अवैध संचालन हो रहा है तो फ़िर इसको रोक क्यों नहीं रहे हैं आप?

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से 3 चैकिंग होती है, 3 तरीके की...(व्यवधान) एक मिनट, सुनिये साहब। (व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू): आपके अधिकारी इसमें पैसे खा रहे हैं, आप समझिये थोड़ा-बहुत, कुछ...(व्यवधान) आप समझिये, सारे के सारे एक बस से 500 रुपये लिये जाते हैं, जिसमें से 200 आपके अधिकारी खा जाते हैं...

श्री बनवारी लाल बैरवा : एक आर.एफ.एस., एक डी.एफ.एस.,

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

एक...(व्यवधान) यह 3 हमारी स्क्वाड चैकिंग करती हैं और उसके अन्दर जो भी अवैध संचालन हमको मिलात है उसके खिलाफ हम कार्यवाही करते हैं। और जैसा माननीय सदस्य फरमा रहे हैं...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू): आप सवाल को घुमा-फिरा क्यों रहे हैं, आप तो यह बताएं कि बंद करेंगे कि नहीं करेंगे।

श्री बनवारी लाल बैरवा : और भी सख्ती करेंगे। हम और भी सख्ती करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): माननीय मंत्री महोदय, यह बताइये कि आपने इसको रोकने के लिए बसे जब्त कर लीं। चालान पेश कर दिये, जुर्माना कर दिया फिर भी आपसे रुक नहीं रही है न यह तो आप (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): फिर भी आपसे रुक नहीं रही तो क्या करने वाले हैं, यह बताइये आप।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरजी, प्रश्न-काल समाप्त।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सारी कार्यवाही कर ली आपने, करली थी जो?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न-काल समाप्त।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : कैसे रोकेंगे आप इनको?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सारी कार्यवाही कर ली आपने, करनी थी जो?

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर में सीवर लाइन के निर्माण में जनसहभागिता राशि

522. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर की कतिपय कालोनियों में सीवर की ब्रांच लाइन डालने हेतु नगर निगम द्वारा निविदा खोलने की तिथि 3 फरवरी, 2003 तय की गयी थी? यदि हां, तो निविदा किस एजेंसी/ठेकेदार के नाम खुली और उक्त को कब तक कार्यादेश जारी कर दिया जावेगा?

(2) क्या उक्त कार्यादेश के तहत निगम द्वारा डाली जाने वाली सीवर ब्रांच लाइन के लिए उपभोक्ताओं से जनसहभागिता राशि ली जावेगी? यदि हां, तो कितनी?

उत्तर

(1) जी हां। संवेदकों द्वारा बहिष्कार किये जाने के कारण उक्त निविदा को खोलने की आगामी तारीख 29.03.2003 तय की गई है।

(2) जी नही।

नगरपालिका क्षेत्र प्रतापगढ़ में समस्या समाधान शिविर में कियोस्क आबंटन

523. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने नगरपालिका क्षेत्र प्रतापगढ़ में समस्या समाधान के लिये वर्ष 2002 में समस्या समाधान शिविर आयोजित किये थे?

(2) क्या उक्त शिविरों में उक्त पालिका क्षेत्र में कियोस्क भी आबंटित किये गये हैं? यदि हां, तो कितने?

(3) उक्त अवधि में उक्त शिविरों में लम्बित प्रकरणों में से कितने प्रकरणों का समाधान किया गया?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नही।

(3) समस्या समाधान शिविरों में 110 लम्बित प्रकरणों में से 90 प्रकरणों का समाधान किया गया।

यांत्रिक बूचड़ खाने हेतु आबंटित राशि

524. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार पाड़ा व्यवसाय को वैधानिक मान्यता प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यांत्रिक बूचड़ खाने के लिए राशि भी स्वीकृत हुई है? यदि हां, तो उक्त बूचड़ खाना कब तक बनकर तैयार हो जायेगा?

(3) क्या राज्य में बहुत अधिक संख्या में मानव आधारित बूचड़ खाने संचालित हो रहे हैं? यदि हां, तो कितने?

(4) क्या सरकार मानव आधारित बूचड़ खानों को बन्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। बूचड़खाना बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। मानव आधारित बूचड़खानों को बन्द कर यांत्रिक बूचड़ बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नगरपालिकाओं में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण

525. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(डा. किरोड़ी लाल)

(1) वर्ष 1995 से किस-किस नगरपालिका में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं? नगरपालिका वार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि निदेशक ने दिनांक 28.5.1999 के द्वारा सभी नगर पालिकाओं को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने के निर्देश दिये थे? यदि हां, तो उक्त आदेशों की पालना क्यों नहीं की गई?

(4) क्या सरकार उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

उत्तर

(1) वर्ष 1995 से जिस-जिस नगरपालिका में जितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्यरत है, सूची संलग्न है।

(2) प्रकरण विचाराधीन है।

(3) जी हां। निर्धारित समयावधि तक नियमन कार्यवाही की गयी।

(4) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

नगरपालिका जैसलमेर में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियमितिकरण

526. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय किया गया है?

(2) क्या उक्त आदेश स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू है?

(3) क्या यह सही है कि नगरपालिका जैसलमेर में दिनांक 31.12.1995 से पूर्व के ग्यारह कर्मचारी आज भी दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं?

(4) क्या सरकार उक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सफाई कर्मचारियों के अलावा अन्य के सम्बन्ध में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। नौ कर्मचारी वर्तमान में दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं।

(4) न्यायालयों के निर्णय पश्चात् ही समुचित कार्यवाही की जावेगी।

जयपुर शहर स्थित आबंटित कियोस्कों का स्थानान्तरण

527. **श्री अशोक** (खण्डर): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मुख्य मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत जयपुर शहर में कितने कियोस्कों का निर्माण किया गया है?

(2) उक्त कियोस्कों में से कितने कियोस्क आबंटित किये गये?

(3) क्या आबंटित कियोस्कधारियों ने कियोस्क स्थानान्तरित करने हेतु निवेदन किया है? यदि हां, तो किस-किस ने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त कियोस्कों में से किस किस को कियोस्क स्थानान्तरित कर दी गई तथा किस-किस को नहीं की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त कियोस्क स्थानान्तरित नहीं करने के क्या कारण रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) वर्तमान में कितनी निर्मित कियोस्क रिक्त हैं? स्थान वार रिक्त कियोस्कों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्य मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत जयपुर शहर में 2901 कियोस्कों का निर्माण किया गया है।

(2) समस्त निर्मित कियोस्क आबंटित किये जा चुके है।

(3) जी हां। आबंटित कियोस्कधारियों में से कुछ आबंटियों ने कियोस्क स्थानान्तरण करने हेतु निवेदन किया है। ऐसे सभी आबंटियों के प्रार्थना पत्र जिनमें दिये गये विकल्पानुसार कियोस्क उपलब्ध है, का निस्तारण तदनुरूप किया जाता है। सूची संख्या 1 व 2 संलग्न है।

(4) प्रार्थना पत्र पर स्थानान्तरित कियोस्क की सूची परिशिष्ट "1" संलग्न है तथा वांछित स्थल पर कियोस्क उपलबध नहीं होने की वजह से लंबित प्रार्थना पत्रों की सूची परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(5) ऐसे प्रार्थना पत्र जिन पर स्थानान्तरण नहीं किया जा सका है, के लम्बित रहने का कारण वांछित स्थलों पर कियोस्क उपलब्ध न होना हैं।

(6) यद्यपि पूर्व में समस्त निर्मित कियोस्क आबंटित किये जा चुके है, किन्तु विभिन्न कारणों से पूर्व आबंटन निरस्त होने से 444 कियोस्क रिक्त है। सूची संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र किशनपोल (जयपुर) में करवाये गये विकास कार्य

528. **श्री अशोक** (खण्डार): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अशोक)

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में मार्च, 1999 से जनवरी, 2003 तक जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से विकास कार्य किस किस कालोनी में कराये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2003-04 में कौन-कौन से विकास कार्य कितनी-कितनी राशि के कराये जाने प्रस्तावित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्राधिकरण द्वारा विधान सभा किशनपोल क्षेत्र में मार्च 1999 से जनवरी 2003 तक कराये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2003-2004 में जविप्रा द्वारा प्रस्तावित कार्यों की सूची परिशिष्ट "ब" पर व नगर निगम जयपुर द्वारा प्रस्तावित कार्यों की सूची परिशिष्ट "स" पर है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सिवाय चक भूमि का उद्योगों हेतु रूपान्तरण की दरें

529. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उद्योग लगाने हेतु सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा सिवाय चक की भूमि का रूपान्तरण 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क वसूल करके किया जाता है? क्या शहरी क्षेत्र में खातेदारी की भूमि का उसी उद्योग के निमित्त रूपान्तरण किये जाने का शुल्क नगर सुधार न्यास द्वारा 90 से 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर वसूला जाता है? यदि हां, तो यह दोहरा मानदण्ड कहां तक उचित है?

(2) क्या सरकार जिला कलक्टर द्वारा रूपान्तरण की राशि और नगर सुधार न्यास द्वारा वसूली जाने वाली रूपान्तरण की राशि को समान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिवाय चक भूमि का रूपान्तरण न किया जाकर आबंटन किया जाता है। जबकि न्यासों द्वारा खातेदारी भूमि का रूपान्तरण किया जाता है। इस लिये दरे उचित है।

(2) जी नहीं। जिला कलक्टर द्वारा सिवाय चक भूमि का आबंटन किया जाता है, जबकि न्यास द्वारा कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण/नियमन किया जाता है। इसलिये दर समान किया जाना सम्भव नहीं है।

नगरपालिका क्षेत्र फुलेरा (जयपुर) द्वारा भू-खण्ड आबंटन में अनियमितता

530. श्री नानूराम ककरालिया (फुलेरा): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका फुलेरा, जिला जयपुर द्वारा वर्ष 1996 में कतिपय व्यक्तियों को भू-खण्ड आबंटित किये गये थे? यदि हां, तो किन-किन कर्मियों को कितने-कितने क्षेत्रफल के? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2002 से फरवरी, 2003 में किस-किस व्यक्ति को आबंटित भू खण्ड किस कारण से निरस्त किये गये? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त निरस्त किये गये भू-खण्डों की राशि सरकार द्वारा जमा करली गई थी? यदि हां, तो उक्त राशि वापस क्यों नहीं लौटायी गई? उक्त के लिये कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार उक्त राशि वापस लौटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि निरस्त किये गये भू-खण्डों को रिक्त करवाकर अधिकारियों द्वारा अपने निजी व्यक्तियों को पुनः आबंटित कर दिये गये हैं? यदि हां, तो पुनः आबंटित व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि निरस्त किये गये भू-खण्डों पर कुछ व्यक्तियों द्वारा निर्माण करा लिया गया है? यदि हां, तो किसके द्वारा?

(6) उक्त निर्माण को रुकवाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वर्ष 2002 से फरवरी 2003 में किसी भी व्यक्ति के आबंटित भूखण्ड को निरस्त नही किया गया है।

(3) भाग संख्या 2 के उत्तर के पश्चात इस भाग के उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(6) इसका प्रत्युत्तर उपरोक्त जवाब में निहित है।

विधान सभा क्षेत्र किशनपोल (जयपुर) के वार्ड नम्बर-41 की गलियों में निर्माण कार्य

531. श्री यशवंत सिंह (रामू) (नदबई): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के वार्ड नम्बर 41 में बाबा हरिशचन्द्र मार्ग की सड़क गत

(श्री यशवंत सिंह (रामू)

15 वर्षों से आज तक पूर्ण रूप से नहीं बनी है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त मुख्य सड़क पर पेवर रोड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त वार्ड में गन्दी गलियों को पक्का किया जा रहा है? यदि हां, तो अब तक कितनी तथा कहां-कहां की गलियों को पक्का किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त वार्ड में जो गन्दी गलियां पक्की की जा रही हैं उनको पत्थर के चौके के बजाय सीमेंटेड किया जा रहा है जो कि बहते पानी पर रुकना सम्भव नहीं है? क्या सरकार उक्त कार्य को पत्थर के चौकों से पक्का कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार मित्र ज्ञान विद्यालय के पीछे मकान नम्बर 1452-53 एवं 1548, 1555 के बीच की गन्दी गली को पक्का कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। निगम की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पेवर सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

(2) जी हां। उक्त वार्ड की चार गन्दी गलियों को पक्का किया गया है। जिनका विवरण परिशिष्ट ''बी'' संलग्न है।

(3) यह सही है कि उक्त वार्ड में जो गंदी गलियां पक्की की जा रही है, उनको पत्थर के चौकों के बजाए सीमेंट कंकरीट द्वारा पक्का किया जा रहा है। इसलिए अब पत्थर के चौकों से उक्त कार्य को पुनः करवाया जाना सम्भव नहीं है।

(4) जी हां। निगम की वित्तीय स्थिति के अनुरूप अगले वित्त वर्ष में कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

ग्राम खटवाड़ा, (जयपुर) में विकास कार्य

532. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के आसपास के ग्रामों को सैटेलाइट टाउन में विकसित करने की योजना जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई है? क्या ग्राम खटवाड़ा, तहसील सांगानेर को भी उक्त में शामिल किया गया है? यदि नहीं, तो शहर के पास होने के बावजूद उक्त

(श्री भंवरलाल शर्मा)

ग्राम को शामिल न करने के क्या कारण हैं?

(2) उक्त ग्राम के विकास के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने अब तक कितनी राशि व्यय की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार जयपुर रीजन के ग्राम चौमूं, बगरू, बस्सी, शिवदासपुरा व चन्दलाई, अचरोल व जमवारामगढ़ को सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार सैटेलाइट टाउन विकसित करने के प्रस्ताव, इन ग्रामों की स्थिति, मुख्य शहर से सम्पर्क दूरी, जनसंख्या, इनकी वृद्धि दर, सामाजिक, आर्थिक सुदृढ़ता व भविष्य में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए बनाये गये हैं। ग्राम खटवाड़ा मास्टर विकास योजना 2011 में नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के पश्चिम में (दूरी 6.5 किलोमीटर), अजमेर रोड के दक्षिण में (दूरी 4.5 किलोमीटर), मुहाना रोड के उत्तर में (दूरी वाया नेवटा 7.5 किलोमीटर) पर स्थित है। ग्राम खटवाड़ा की जनसंख्या 1991 जनगणना के अनुसार 1034 थी। अतः इस ग्राम के सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित करने की क्षमता रखने में समय लगने की सम्भावना है। भविष्य में यह ग्राम नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में सम्मिलित होने की सम्भावना अधिक है। अतः मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार यह ग्राम ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है।

(2) ग्राम खटवाड़ा तहसील सांगानेर में आन्तरिक विकास कार्यों के लिए रुपये 19.90 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई है, जिसमें लगभग रुपये 16.86 लाख विकास कार्यों (सड़क व नाली) पर व्यय किये जा चुके हैं तथा कार्य प्रगति पर हैं।

जयपुर नगर निगम में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी/मस्टररोल पर कार्यरत कर्मियों का समायोजन

533. श्री कन्हैया लाल (बस्सी): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर निगम में वर्ष 1999 से 2002 तक कर्मचारियों की नई नियुक्तियां/ समायोजन किया गया है? यदि हां, तो किस-किस कर्मचारी को कौनसी शाखा में किस-किस पद पर किन आदेशों के तहत नियुक्ति/ पदस्थापन किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मचारियों में से जयपुर नगर निगम गठित होने के पश्चात् या पूर्व से दैनिक वेतन/

(श्री कन्हैया लाल)

मस्टररोल पर कार्यरत थे? यदि हां, तो कौन-कौन तथा उक्त को कब-कब कार्यालय आदेशों द्वारा नियुक्ति दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि जयपुर नगर निगम में वर्ष 1999 से 2002 तक कर्मचारियों का समायोजन किया गया है। किस-किस कर्मचारी को कौन-कौन सी शाखा में किस-किस पद पर किन आदेशों के तहत पदस्थापन किया गया है, विवरण संलग्न है।

(2) जी हां। स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 12/मांगे/डीएलबी/89/4629-4853 दिनांक 08.05.1989 के अनुसार नियमित वेतन श्रृंखला दी गई। इन कर्मचारियों के नाम व आदेश इत्यादि का विवरण संलग्न सूची में क्रमांक 30 से 37 पर अंकित है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

नाग तलाई नाले पर सूरजपोल अनाज मण्डी (जयपुर) से जल महल क्षेत्र तक अतिक्रमण

534. श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के नाग तलाई नाले के पास सूरजपोल अनाज मण्डी से जल महल तक उसके दोनों ओर अतिक्रमण हो रहे हैं? क्या सरकार उक्त अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ओर नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त नाले में दोनों ओर के अतिक्रमणकारियों ने गटर लाइन छोड़ रखी है? क्या उक्त से प्रदूषण फैल रहा है? उक्त को रोकने के सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही करली जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर नगर निगम उक्त अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है। इसकी कार्यवाही प्रक्रिया चालू हैं। इसलिये निश्चित समयावधि दिये जाने की स्थिति नहीं बनती है।

(2) जी हां। उक्त नाले के दोनों ओर बसे 26 व्यक्तियों ने नाले में गटर लाइने छोड़ रखी है जिनके खिलाफ न्यायालय में चालान किये गये हैं।

प्रदूषण के खतरे से मना नही किया जा सकता। इसके लिये कीटनाशक दवाइयों का समय-समय पर छिड़काव किया जाता है।

नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा विकसित पार्कों में निर्माण कार्य

535. श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री ललित भाटी)

(1) नगर सुधार न्यास अजमेर की किन–किन आवासीय, बहुउद्देशीय, वाणिज्यिक योजनाओं में उद्यानों एवं पब्लिक पार्कों का कितनी भूमि पर निर्माण किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त उद्यान/पार्कों के निर्माण पर न्यास द्वारा कितनी–कितनी राशि व्यय की गई तथा उस पर कौन–कौनसे पेड़, कितनी संख्या में लगे हुए हैं तथा किन–किन पार्कों में घास लगाई गई है और उक्त पर कितनी राशि कब–कब व्यय की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) न्यास द्वारा इनकी देखभाल के लिए प्रभारी एवं सहायक कौन–कौन हैं तथा इनकी योग्यता क्या है?

(4) क्या उक्त उद्योनों/पार्कों में अन्य कोई निर्मित इमारत कमरे, जन सुविधाएं हैं? यदि हां, तो कहां–कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त पार्कों में कमरे या हाल बनाने के लिए किसके द्वारा स्वीकृति ली गयी तथा कब स्वीकृति प्रदान की गई? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त पार्कों में ऐसें निर्माण नियमानुकूल है?

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास की आवासीय, बहुउद्देशीय, वाणिज्यिक योजनाओं में निर्माण कराये गये उद्यानों एवं पब्लिक पार्कों की सूची मय क्षेत्रफल परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त उद्यान व पार्कों के निर्माण पर न्यास द्वारा व्यय की गई राशि परिशिष्ट–1 की कालम संख्या 5 में दर्शाइ गई है। उक्त उद्यानों में लगे पेड़ों का प्रकार व संख्या परिशिष्ट–1 के कालम संख्या 6 व 7 पर दर्शाइ गई है। उक्त पार्कों में से जिन–जिन पार्कों में घास लगाई गई तथा उन पर कब व कितनी राशि व्यय की गई का विवरण परिशिष्ट–1 के कालम संख्या 8, 9 व 10 में दर्शाया गया है।

(3) उक्त पार्कों/उद्यानों की देखभाल के प्रभारी सम्बन्धित क्षेत्र के कनिष्ठ अभियन्ता है तथा उनके सहायक न्यास में कार्यरत कर्मगार है। कनिष्ठ अभियन्ता की न्यूनतम योग्यता सिविल अभियान्त्रिकी में डिप्लोमा है। कर्मगार के लिये कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं है।

(4) जी हां। उक्त पार्कों/उद्यानों में से कुछ में इमारत, कमरे, जन सुविधाएं निर्मित है। यें इमारत, कमरे व जन सुविधाएं जिन जिन पार्कों में निर्मित है का विवरण परिशिष्ट–2 पर उलब्ध है।

(5) पार्कों में कमरे या हाल बनाने के लिये स्वीकृतिकर्ता व स्वीकृति का वर्ष परिशिष्ट संख्या 2 के कालम संख्या 3 व 4 में दर्शाया गया है। स्वीकृति की सत्य प्रति संलग्न है।

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

(6) पार्कों में ऐसे निर्माण करवाने अथवा न करवाने के सम्बन्ध में नियम मौन है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर विकास प्राधिकरण की निर्माण कार्यों हेतु संविदा दर

536. श्री राम प्रताप (हनुमानगढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए वार्षिक दर संविदा आमंत्रित करता है? क्या उक्त में समय अवधि एवं कार्यों की अनुमानित लागत लिखी होती है? यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 में पेवर द्वारा सड़क निर्माण के लिए कितनी-कितनी अनुमानित लागत की दर संविदाएं किन-किन संवेदकों को आबंटित की गई?

(2) उक्त अनुमानत संविदा दर को नियमों के अनुसार कितना घटाया बढ़ाया जा सकता है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1999-2000 में पेवर द्वारा सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत दर संविदाओं की अनुमानित लागत के विरुद्ध किन-किन संवेदकों से कितनी-कितनी राशि का कार्य कराया गया?

(4) क्या पेवर द्वारा सड़क निर्माण की स्वीकृत दर संविदा की अनुमानित लागत से नियमों के अनुसार ही कार्य करवाया गया अथवा अनुमानित लागत से बिना नियमों के ही कई गुणा राशि का कार्य करवा लिया गया? क्या नियमों के अधिक राशि का कार्य करवाने पर किसी दोषी अभियन्ता विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो किस स्तर के अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। एक प्रकृति के कार्यों हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दर संविदा आमंत्रित की जाती है। दर संविदा में समय अवधि एवं कार्यों की अनुमानित लागत अंकित होती है। वर्ष 1999-2000 में एक वर्ष के लिये एक ही फर्म मैसर्स वी. पी. मोदी को रुपये 64,30,375.00 की दर संविदा आबंटित की गई।

(2) संविदा की दर को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। दर संविदा के निविदा प्रपत्र की शर्तों (शर्त संख्या 20) के अनुसार दर संविदा की अनुमानित मात्रा से किसी भी स्तर तक बढ़ व घट जाती है। दर संविदा की शर्त परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(3) वर्ष 1999-2000 में पेवर द्वारा सड़क निर्माण मैसर्स वी. पी. मोदी से रुपये 37949850.00 का कार्य करवाया गया।

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

(4) दर संविदा की शर्त संख्या 20 के अनुसार उपरोक्त वर्णित राशि का कार्य करवाया गया। इस की सक्षम स्वीकृति वर्क्स समिति की 88वीं व 89वीं बैठक द्वारा की गई। इसमें किसी प्रकार नियमों के विरुद्ध कार्य नहीं करवाया गया।

(संविदा शर्तों की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगर नियोजक के रिक्त पदों पर नियुक्ति

537. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में टाउन प्लानर के कितने–कितने पद कहां–कहां पर स्वीकृत हैं?

(2) उक्त पद कहां–कहां पर तथा कब–कब से रिक्त हैं?

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार नगरपालिकाओं/नगर परिषदों/नगर निगम तथा विकास प्राधिकरणों में टाउन प्लानर के नये पद सृजित करने का विचार रखती है?

यदि हां, तो कब तक और कहां–कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) उक्त सूची में अंकित है।

(3) हां। उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। विभागीय पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण होते ही उक्त रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही कर दी जावेगी। सहायक नगर नियोजक के पदों को भरने हेतु वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

(4)वर्तमान में वित्त विभाग का नये पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध होने के कारण टाउन प्लानर नये पद सृजन करने का कोई विचार नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

काला फोटो स्टूडियो के सामने किशनपोल बाजार, जयपुर में स्थित खुला नाला

538. श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित किशनपोल बाजार काला फोटो स्टूडियो के सामने अजमेरी गेट के पहले 7–8 दुकानें जो समानान्तर अवस्था में बनी/हुई निर्मित नहीं हैं? यदि हां, तो

(श्री रामनारायण विश्नोई)

क्या सरकार जयपुर के सौन्दर्य की दृष्टि से उक्त दुकानों को समानान्तर करने हेतु दुकानों को ऊंची करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दुकानों के सामने बना नाला ऊपर से खुला हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले को पाटने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि जयपुर किशनपोल बाजार काला फोटो स्टूडियों के सामने अजमेरी गेट के पहले 7-8 दुकाने समानन्तर अवस्था में निर्मित नहीं है, परन्तु ये दुकानें निगम की सम्पत्ति नहीं होने के कारण इनको ऊंचा करवाया जाना सम्भव नहीं है।

(2) जी हां। नाले को ढकने का प्रस्ताव निगम में विचाराधीन है।

आसीन्द (भीलवाड़ा) में बीसलपुर बांध से पेयजल आपूर्ति

539. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) में पेयजल की भयंकर समस्या है?

(2) क्या उक्त क्षेत्र की खारी नदी का पानी बहकर बीसलपुर बांध में जाता है?

(3) क्या सरकार उक्त तहसील क्षेत्र से पेयजल समस्या के निदान हेतु बीसलपुर बांध से पानी देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) आसीन्द तहसील के कुल 203 राजस्व ग्राम (1991 जनगणना) निम्न प्रकार पेयजल योजनाओं से लाभान्वित है–

क्षेत्रीय योजना से	37
पम्प व टैंक	7
पाइप्ड	13
हैण्ड पम्प	146
योग	**203**

क्षेत्रीय योजना के 3 गांवों में सेवास्तर क्षेत्रीय योजना से शून्य है परन्तु वहां पर्याप्त संख्या में हैण्ड पम्प कार्यरत है। पम्प व टैंक तथा पाइप्ड योजनाओं में सेवा स्तर 10 से 20 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन है एवं अतिरिक्त हैण्ड पम्प भी पर्याप्त संख्या में कार्यरत है। हैण्ड पम्प योजनाओं में 134 गांवों में विभागीय मानदण्ड के अनुसार पर्याप्त हैण्ड पम्प है शेष 10 गांवों में सेवा स्तर मानदण्ड के सन्दर्भ में 33 से 83 प्रतिशत है। बची दो हैण्ड पम्प

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

योजनाओं में वर्तमान सेवा स्तर शून्य है, परन्तु स्थानीय अन्य कुओं में जल उपलब्ध है। इन दोनों गांवों में मार्च 2003 में नया हैण्ड पम्प बनवाना लक्षित है। ग्रीष्म 2003 में आवश्यकतानुसार पेयजल परिवहन का प्रावधान स्वीकृत है।

(2) जी हां। लेकिन खारी नदी पर दांतड़ा गांव स्थित खारी बांध बना हुआ है जो अधिकतम बहाव मात्रा को रोकता है।

(3) जी नहीं। बांध बनाते समय जल उपयोगिता निर्धारण में उक्त तहसील शामिल नहीं थी।

जिला बाड़मेर/जैसलमेर की राजीव गांधी पाठशालाओं हेतु स्वीकृत हैण्ड पम्प

540. श्री अमीन खान (शिव): क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला बाड़मेर व जैसलमेर की राजीव गांधी पाठशालाओं में हैण्ड पम्प या अन्य योजना से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कितने स्थान चयनित किए हैं और उक्त में से कितने स्वीकृत किए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजीव गांधी पाठशालाओं में हैण्ड पम्प एवं अन्य योजनाओं से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जिला बाड़मेर में 487 स्कूलें एवं जिला जैसलमेर में 208 स्कूलें चयनित की गई जिनमें से क्रमशः 422 व 208 स्कूलों के लिए स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है जिनकी सूची प्रपत्र-'अ' व 'ब' पर जिलेवार संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र किशनपोल, की स्वीकृत पेयजल योजनाएं

541. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में मार्च, 1999 से जनवरी, 2003 तक सरकार द्वारा किन-किन कालोनियों में पानी की लाइन डाली गई व किन-किन कालोनियों में हैण्ड पम्प/ट्यूब वैल लगाये गये तथा किस-किस स्थान पर पानी की टंकियां और ओवर हैंड टैंक का निर्माण किया गया? कालोनीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2003-04 में उक्त विधान सभा क्षेत्र हेतु पेयजल सम्बन्धित कौन-कौन सी योजनाएं प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित सूचना परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) वांछित सूचना परिशिष्ट–'ब' पर संलग्न है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में निर्मित ट्यूबवैलों द्वारा जलापूर्ति

542. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में विधायक/सांसद कोटे से कितने ट्यूबवैल कहां–कहां पर बनाये गये हैं? उक्त ट्यूबवैलों में से वर्तमान में कितने ट्यूबवैल चालू हालत में तथा कितने अभी तक बनने के बाद में भी चालू नहीं हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त नव निर्मित ट्यूबवैलों को चालू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में विधायक/सांसद कोटे से 19 नलकूपों का निर्माण कराया गया। सांसद कोटे से एक नलकूप ग्राम बिग्गा के लिए कार्यकारी एजेंसी जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा निर्मित किया गया जिसको चालू कर उपयोग में लिया जा रहा है।

विधायक कोटे से उक्त अवधि में 18 नलकूपों का निर्माण कार्यकारी एजेंसी पंचायत समिति सुजानगढ़ द्वारा किया गया। इन नलकूपों में से 9 नलकूपों को चालू कर उपयोग में लिया जा रहा है। 2 नलकूपों के लिए योजना स्वीकृत हो गई है तथा इनका चालू करने का कार्य प्रगति पर है। शेष नलकूपों को मानदण्ड प्राथमिकता तथा आवश्यकता बिन्दुओं पर आकलन के पश्चात धन संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार चालू करने बाबत स्वीकृति व क्रियान्वयन सम्भव होगा। पूर्ण विवरण परिशिष्ट–'अ' पर दर्शाया गया है।

(2) उपरोक्तानुसार

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

बीसलपुर योजना के द्वितीय चरण का प्रारूपण

543. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या बीसलपुर योजना फेज द्वितीय के कार्य हेतु योजना तैयार कर ली गई है? यदि हां, तो उक्त में किन–किन कार्यों को सम्मिलित किया गया है और उक्त पर कितना व्यय अपेक्षित है?

(2) उक्त द्वितीय चरण का कार्य कब तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है?

(श्री ललित भाटी)

(3) उक्त द्वितीय चरण पर अनुमानित व्यय होने वाली राशि का प्रावधान कैसे किया गया है?

उत्तर

(1) जी हां। बीसलपुर योजना के फेस द्वितीय हेतु योजना का प्राथमिक प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसमें थाडोली पम्पिंग स्टेशन से माखुपुरा एस.आर. 7 तक मुख्य राइजिंग मैन, ब्यावर, किशनगढ़, अजमेर, केकड़ी एवं सरवाड़ में वितरण पाइप लाइन, विद्युत कार्य, पम्पिंग स्टेशन, निर्माण हेतु सिविल कार्य, पम्पिंग स्टेशन में लगाए जाने वाले विद्युत एवं यांत्रिकी उपकरण, टेलीमेट्री, जल संग्रहण हेतु जलाशय, जल शोधन सयन्त्र के कार्य मुख्य-मुख्य रूप से सम्मिलित किए गए है। इन कार्यों पर प्राथमिक आकलन के अनुसार 523.87 करोड़ रुपये व्यय होने की सम्भावना है।

(2) उक्त योजना धन संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृत व कियान्वयन की जानी है।

(3) उपरोक्तानुसार

मेंहदीपुर बालाजी खोहड़ा हेतु स्वीकृत हैण्ड पम्प

544. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2002 में सांसद कोष से मेंहदीपुर बालाजी का खोहड़ा के अन्दर एक हैण्ड पम्प के निर्माण हेतु राशि स्वीकृत हुई थी? यदि हां, तो कितनी एवं कार्यकारी एजेंसी कौन थी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य की सांसद कोष से स्वीकृति जारी होने के बाद भी कार्य नहीं कराया गया? यदि हां, तो उक्त के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) उक्त कार्य को नहीं करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। स्वीकृति आदेश दिनांक 30.3.2002 के अनुसार स्वीकृत राशि 0.45 लाख रुपये व कार्यकारी एजेंसी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग थी।

(2) जी हां। एक अन्य हैण्ड पम्प (मेहन्दीपुर बालाजी पहाड़ वाले बाबा के पास) का निर्माण फरवरी, 2003 में विभागीय मशीन से करवाया गया था जो कि बोल्डर स्ट्राटा के कारण कोलेप्स होने से असफल रहा। सन्दर्भित प्रस्तावित कार्य स्थल इसके समीप होने व एक जैसा स्ट्राटा होने के कारण असफलता अवश्यभावी लग रही थी। व्यर्थ व्यय नहीं हो, के कारण इस हैण्ड पम्प का निर्माण नहीं किया गया। अत: कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) प्रश्न के भाग 2 के उत्तर के अनुसार। जिला ग्रामीण विकास अधिकरण द्वारा उक्त स्वीकृति आदेश को निरस्त किया जा चुका है।

गोयनका/जसरासर (चूरू) के क्षतिग्रस्त जलाशय

545. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र चूरू में जनवरी, 2002 से जनवरी, 2003 तक सरकार द्वारा संचालित कितने मोटर पम्प जले और खराब हुए मोटर पम्प दो दुरुस्त करवाने में कितनी राशि व्यय की गई?

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र स्थित गोयनका जलाशय एवं जसरासर उच्च जलाशय अचानक ध्वस्त हो गये? यदि हां, तो कब और ध्वस्त जलाशय को ठीक करवाने के लिये सरकार ने कितनी राशि कब स्वीकृत की?

(3) चूरू शहर में पूनिया कालोनी में उच्च जलाशय कब निर्मित हुआ? क्या उक्त को मुख्य स्रोत से जोड़ दिया गया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चूरू में जनवरी, 2002 से जनवरी, 2003 तक विभाग द्वारा संचालित स्रोतों के सन्दर्भ में 285 पम्पिंग सैट खराब हुए एवं उनको दुरुस्त करवाने में रुपये 17.45 लाख व्यय हुए।

(2) चूरू विधान सभा क्षेत्र में शहर चूरू के गोयनका जोन स्थित स्वच्छ जलाशय गिरा नहीं बल्कि डोम का एक भाग दिनांक 10.1.2003 को टूट कर गिरा, जिसकी मरम्मत हेतु रुपये 0.66 लाख की योजना 25.2.2003 को स्वीकृत की जा चुकी है। ग्राम जसरासर स्थित उच्च जलाशय वर्ष 1999-2000 में ध्वस्त हुआ। जसरासर में गिरे हुए उच्च जलाशय के स्थान पर गांव रामदेवरा (जसरासर से 1.5 कि.मी. दूर) में पी.एम.सी. (चूरू-बिसाऊ) योजनान्तर्गत नई टंकी का निर्माण कराया जा रहा है।

(3) चूरू शहर में पूनिया कालोनी के पास स्थित उच्च जलाशय वर्ष 1999-2000 में निर्मित हुआ। उक्त उच्च जलाशय को मुख्य स्रोत से माह जनवरी, 2003 में जोड़ दिया गया है।

ग्राम रायथल व रामपुरा (जयपुर) की क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाएं

546. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रायथल, जिला जयपुर में एक उच्च जलाशय का निर्माण करवाया गया था? यदि

(श्री हेमन्त कुमार)

हां, तो कब, किस योजना के तहत एवं किसके द्वारा और उक्त पर कितनी राशि व्यय हुई?

(2) क्या यह सही है कि उक्त टंकी से ग्राम में जलापूर्ति हेतु पाइप लाइन डाली गई है? क्या उक्त पाइप लाइन में ठेकेदार द्वारा घटिया स्तर का पाइप काम में लिया गया है? क्या सरकार ने उक्त की जांच करवाई है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि घटिया पाइपों के कारण उक्त लाइन जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है? क्या उक्त कारण से टंकी से पेयजल आपूर्ति बन्द कर दी गई है? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण की जांच करवाई जायेगी?

(4) क्या सरकार उक्त टंकी से पेयजल आपूर्ति वापस शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सांभरलेक, पंयायत डूंगरी खुर्द के ग्राम रामपुरा (जयपुर) में लगाये गये सभी हैण्ड पम्प नाकारा हो गये हैं? यदि हां, तो कब से?

(6) क्या उक्त ग्राम में पेयजल आपूर्ति हेतु कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो कौनसी और नहीं, तो उक्त गांव में कब तक पेयजल आपूर्ति की नई योजना बनाई जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम रायथल जिला जयपुर में एक उच्च जलाशय का निर्माण सैक्टर रिफार्म योजना के अन्तर्गत ग्राम स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति रायथल जयपुर के द्वारा माह दिसम्बर, 2002 में कराया गया था जिस पर रुपये 6.40 लाख का व्यय किया गया था।

(2) नलकूप से टंकी तक तथा टंकी से ग्राम में पाइप लाइन डाली गई है। ग्राम स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा मापदण्ड के अनुसार पाइप लाइन का कार्य कराया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) वर्तमान में उक्त टंकी के माध्यम से ही पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

(5) जी नहीं। ग्राम (आबादी 796 जनगणना 1991) में स्थापित 11 हैण्ड पम्पों में से 6 चालू है एक परित्यक्त है तथा शेष 4 हैण्ड पम्प वर्तमान में सूखे हैं।

(6) जी नहीं। आबादी के अनुसार ग्राम में हैण्ड पम्प पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

भीलूड़ा (डूंगरपुर) में पेयजल आपूर्ति

547. श्री कनकमल कटारा (सागवाड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कनकमल कटारा)

(1) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर में भीलूडा गांव के फलातेड़ में पेयजल हेतु सांसद (राज्य सभा) मद से राशि की व्यवस्था की गई है? उक्त व्यवस्था हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है और उक्त कार्य कब पूर्ण करना था तथा कब पूर्ण किया गया? वर्तमान में पेयजल की क्या व्यवस्था है?

(2) क्या भीलूडा से फलातेड़ में टंकी निर्मित करा दी एवं मौहल्लों में पाइप लाइन बिछा देने के बाद सरकार पेयजल आपूर्ति में अक्षम रही है? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम में वर्तमान में पेयजल आपूर्ति की कोई योजना है?

(3) अब पेयजल समस्या का समाधान कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। सांसद (राज्य सभा) मद से योजना की प्रशासनिक स्वीकृति जनवरी, 2000 में 8 लाख रुपयें अनुमानित लागत पर हुई। तकनीकी स्वीकृति मार्च, 2000 में हुई। कार्य पूर्ण होने के लक्ष्य फरवरी, 2001 के सन्दर्भ में योजना पर कार्य अक्टूबर, 2001 में पूर्ण हुए।

वर्तमान में भीलूड़ा योजना के जल स्त्रोतों में पानी की आवक कम होने (स्त्रोत गांव के लिए भी अपर्याप्त) से योजना से सेवा स्तर मात्र 3 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इस क्षेत्र में वर्तमान में 1 हैण्ड पम्प चालू व 3 हैण्ड पम्प सीजनल (रुक रुक कर चलने वाले) है। लगभग 1 किलो मीटर दूरी पर माही नदी है जिसमें वर्तमान में पानी उपलब्ध है।

(2) समस्या के समाधान हेतु 3.72 लाख रुपये अनुमानित लागत पर योजना मार्च, 2003 के प्रथम सप्ताह में स्वीकृत कर दी गई है। इस योजना में एक नये खुले कुए (माही नदी किनारे) व पाइप तथा इसे चालू करने का प्रावधान लिया गया है।

(3) इस योजना को ग्रीष्म 2003 में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

जिला जालौर में विधायक कोष से निर्मित सार्वजनिक टांके

548. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर में विधायक कोष से पेयजल हेतु जी.एल.आर. (सार्वजनिक टांके) बनाये गये हैं? यदि हां, तो प्रत्येक क्षेत्र में कहां-कहां बनाये?

(2) क्या उक्त सभी टांकों को पाइप लाइन से जोड़ दिया है? यदि हां, तो कौन-कौन, कहां-कहां स्थित है और नहीं, तो कब तक पाइप लाइन से जोड़ दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जिला जालौर के अन्तर्गत वर्ष 1999–2000 से अब तक विधान सभा वार कुल 161 जी.एल.आर विधायक कोष से स्वीकृत हुए है। इनमें से 158 जी.एल.आर बनाये जा चुके है। विधान सभा वार स्वीकृत एवं वर्षवार बनाये जी.एल.आर. का विवरण संलग्न प्रपत्र–'अ' अनुसार है।

(2) जिला जालौर के अन्तर्गत विधायक कोष से कुल 158 जी.एल.आर. बनाये गये है उनमें से 147 जी.एल.आर. अब तक जोड़े जा चुके है। शेष रहे 11 में से 5 जी.एल.आर. जालौर विधान सभा क्षेत्र के, 3 जी.एल.आर. भीनमाल विधान सभा क्षेत्र के एवं 3 जी.एल.आर. साचौर विधान सभा क्षेत्र के जोड़े जाने है। इन्हें माह जून, 2003 तक जोड़ा जाना लक्षित है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला अलवर में मार्बल खनन कार्य हेतु लम्बित प्रकरण

549. श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी (लक्ष्मणगढ़): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अलवर में खनन कार्य हेतु कितनी पत्रावलियां अब तक प्रस्तुत की गई तथा उक्त में से कितनी पत्रावलियों पर पट्टे जारी किये जा चुके हैं और अब तक कितनी पत्रावलियां लम्बित हैं?

(2) उक्त लंबित पत्रावलियों में मार्बल के खनन हेतु कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त लंबित पत्रावलियों पर खनन कार्य हेतु पट्टे देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला अलवर में खनन कार्य हेतु वर्ष 1973 से अब तक खनन कार्य हेतु कुल 10042 पत्रावलियां प्रस्तुत की गई। उक्त में से 3137 पत्रावलियों पर खनन पट्टे जारी किये गये है। एवं वर्तमान में 1077 पत्रावलियां लम्बित चल रही है।

(2) उक्त लम्बित पत्रावलियों में मार्बल के खनन हेतु 150 पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र हेतु 26 व्यक्तियों ने आवेदन किया है। सूची परिशिष्ट-"अ" व "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। जो आवेदन पत्र नियमानुसार पूर्ण है एवं स्वीकृति योग्य है उन पर शीघ्र से शीघ्र खनन पट्टे देने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नई खनिज नीति में खातेदारी भूमि में खनन

550. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ने कोई नई खनिज नीति बनाई है? यदि हां, तो उक्त के प्रारूप की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नई खनिज नीति में खातेदारी की भूमि में खनन का अधिकार खातेदार भू-स्वामी को है?

(3) राज्य में कितने ऐसे खातेदार भू-स्वामी हैं जो अपनी खातेदारी की भूमि में खनन कार्य कर रहे हैं?

(4) क्या अभी हाल में कोई नया निर्माण/धार्मिक स्थल का होने से खनन कार्य से रोका जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार ने वर्ष 1994 में खनिज नीति बनाई। इसके अतिरिक्त खनिज मार्बल एवं ग्रेनाइट के लिये अलग से मार्बल नीति, 2002 व ग्रेनाइट नीति, 2002 बनाई, जिसकी प्रतियां साथ में प्रस्तुत है।

(2) जी हां। नई खनिज नीति, मार्बल नीति एवं ग्रेनाइट नीति में खातेदारी की भूमि में खातेदार को या खातेदार की सहमति पर खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है।

(3) राज्य में 748 खातेदार भूस्वामी है जो अपनी खातेदारी की भूमि में खनन कार्य कर रहे हैं।

(4) जी हां। जहां भी धार्मिक स्थल के पास खनन कार्य से धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने की सम्भावना होती है वहां खनन कार्य रुकवाया जाता है। जयपुर वृत के अन्तर्गत स्थान गलता मंदिर तहसील एवं जिला सवाईमाधोपुर के पास स्थित खनिज चिनाई पत्थर हेतु स्वीकृत 7 पट्टाधारियों द्वारा बिना अनुमति के ब्लास्टिंग कर खनन कार्य करने व अन्य दोषों की पालना नहीं करने के दोष पर नियमानुसार पट्टाधारियों को चेतना पत्र जारी किये गये, जिनकी पालना समयावधि में नहीं करने के कारण 3 खनन पट्टे खण्डित किये जाकर क्षेत्र का कब्जा लिया गया। 3 खनन पट्टों को खण्डित करने की कार्यवाही की जा रही है व 1 खनन पट्टे के मामले में दोष के निवारण की जांच की जा रही है।

(मिनरल पालिसी की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

खनन पट्टा स्वीकृति से पूर्व वन क्षेत्र बाबत प्रमाण पत्र

551. श्री नन्दलाल बंशीलाल (दौसा): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या खनिज नियमों में कोई भी खनन पट्टा स्वीकृत करने से पूर्व गैर वन भूमि में वन विभाग में स्टेट्स सर्टिफिकेट

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

लेने का नियमों में प्रावधान है? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या राज्य में कोई भी खनन पट्टा स्वीकृत करने से पूर्व वन विभाग से भूमि के वन क्षेत्र में नहीं होने बाबत प्रमाण-पत्र लिया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। गैर-वन भूमि में वन विभाग से खनिज नीति, 1994 के क्लाज 4(3) के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने का प्रावधान है।

(2) जी हां। वन विभाग से भूमि के वन क्षेत्र में नहीं होने बाबत विभागीय नीति के अनुसार प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करने के लिए खनन पट्टा स्वीकृति करने से पूर्व प्राप्त किया जाता है। जिससे कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा इसके तहत समय-समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना न हो तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के प्रावधान की पालना की जा सके।

प्रश्न संख्या-552
(स्थगित)

महिला थाना उदयपुर में दर्ज प्रकरण संख्या-1/2002

553. **श्री अशोक तंवर** (फागी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 4 जनवरी, 2002 को महिला थाना, उदयपुर में दहेज हत्या सम्बन्धी प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर 1/2002 दर्ज हुई थी?

(2) क्या दिनांक 27 फरवरी, 2002 को उक्त प्रकरण सी.आई.डी. (सी.बी.) जयपुर में स्थानान्तरित हुआ एवं मुलजिमों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाया जाकर उक्त केस अक्टूबर, 2002 में मुलजिमों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु महिला थाना, उदयपुर भेजा गया? यदि हां, तो सी.आई.डी. (सी.बी.) रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उदयपुर की पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब?

(5) क्या उक्त चालान पेश करने हेतु उक्त सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए हैं? एक वर्ष से अधिक समय के पश्चात् भी अब तक मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं करने के कारण हैं?

(6) उक्त केस में मुलजिम कभी भी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो न्यायालय में चालान कब तक पेश कर दिया जयेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(गृह मंत्री)

(2) जी हां। यह सही है कि उक्त प्रकरण को पत्र क्रमांक 874-79 दिनांक 24.9.2002 से मुलजिमान के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को भेजा गया था। सी.आई.डी. (सी.बी.) के उक्त पत्र की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(3) उदयपुर पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्योंकि श्री संजय लक्षकार द्वारा माननीय गृह मंत्री को प्रस्तुत परिवाद के बिन्दुओं पर न्यायहित में गहराई से पुनः अनुसंधान किया जा रहा है।

(4) जी नहीं। प्रकरण में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है।

(5) इस प्रकार के मामलों में चालान पेश करने के लिए धारा 468 जा.फो. में कोई समय सीमा नियत नहीं है। प्रकरण में अनुसंधान जारी रहने के कारण आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(6) उक्त प्रकरण में शीघ्रातिशीघ्र अनुसंधान पूर्ण कर निर्णय लिया जायेगा।

(पत्र की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टौंक में दर्ज प्रकरण संख्या-31/2003

554. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 31/2003 पी.सी. एक्ट, 1988 के तहत चौकी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक में दर्ज हुई है? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रिपोर्ट में कौन-कौन अभियुक्त बनाये गये हैं?

(3) क्या सरकार दोषी पक्षकारों को उक्त धाराओं के तहत गिरफ्तार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(2) उक्त रिपोर्ट में निम्न अभियुक्त है:-

1. श्री घीसू सिंह तत्कालीन तहसीलदार टोडारायसिंह जिला-टोंक।
2. श्री सीताराम जोशी तत्कालीन सरपंच, ग्रा.पं. खरेडा तहसील टोडारायसिंह, टोंक।
3. श्री शिवराज सिंह पुत्र नारायण सिंह भू.पू. सरपंच ग्राम पं. गोंदिया तह. टोडारायसिंह, टोंक।

(3) प्रकरण अन्वेषणाधीन है।

(प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

थाना खेड़ली (अलवर) में पुलिस निरीक्षक का पदस्थापन

555. श्री रमेश खींची (कठूमर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पुलिस थाना खेड़ली (अलवर) कब से स्थापित है?

(2) क्या यह सही है कि पुलिस थाना खेड़ली सीमावर्ती जिला व प्रदेश से लगा हुआ है?

(3) क्या यह भी सही है कि प्रतिवर्ष उक्त थाने में मुकदमों की संख्या में वृद्धि हो रही है?

(4) क्या मुकदमों की संख्या व अपराधों को देखते हुए उक्त में पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या कम है?

(5) क्या सरकार उक्त थाने में कर्मचारी/अधिकारियों के पदों की संख्या में वृद्धि करने का विचार रखती है?

(6) क्या उक्त थाने में निरीक्षक पद स्वीकृत कर पदस्थापित किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पुलिस थाना खेड़ली जिला अलवर वर्ष 1952 से स्थापित है।

(2) यह सही है कि पुलिस थाना खेड़ली का क्षेत्र जिला दौसा व जिला भरतपुर से लगा हुआ है।

(3) यह सही नहीं है कि प्रति वर्ष इस थाने में दर्ज मुकदमों की संख्या में वृद्धि हो रही है। पुलिस थाना खेड़ली में वर्ष 1998 में 379, वर्ष 1999 में 321, वर्ष 2000 में 405, वर्ष 2001 में 359 एवं वर्ष 2002 में 333 अभियोग पंजीबद्ध हुये है।

(4) दर्ज मुकदमों की संख्या व अपराधों को देखते हुए पुलिस थाना खेड़ली पर पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है।

(5) पुलिस थाना खेड़ली पर अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या अथवा पदों को बढ़ाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(6) पुलिस थाना खेड़ली पर वर्तमान में पुलिस निरीक्षक लगाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उक्त थाने पर वर्ष 2002 में 333 अभियोग पंजीबद्ध हुये है, जबकि 360 से अधिक अभियोग पंजीबद्ध होने पर निरीक्षक पद लगाये जाने का प्रावधान है।

थाना सदर सीकर में दर्ज प्रकरण संख्या-24/99

556. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना सदर सीकर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-24/99 एक व्यक्ति की फरारी किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 25 जनवरी, 1999 को दर्ज कराई गई थी? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री हेमन्त कुमार)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अपहरण सर्वश्री गणेशराम, जवाहरराम, मेवाराम, रामनाथ, रिछपाल, डूंगाराम, नन्शाराम, श्योपाल, बल्लाराम, शिवभगवान, ओमाराम, भगवानाराम, सूरजभान निवासी चन्दपुरा, जिला सीकर ने किया था? यदि हां, तो क्या उक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि अपहरण करने के समय श्री नागरमल नीमड़ी के बालाजी के स्थान पर पूजा अर्चना करने गया था?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अपहरण की सूचना देने के बाद भी थाना प्रभारी सदर सीकर उक्त अपराधियों से मिलीभगत करके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति के अपहरणकर्ता नामजद होने के बाद भी पुलिस की मिलीभगत के कारण खुले घूम रहे हैं और रिपोर्ट दर्ज कराने वाले व्यक्ति श्री पन्नाराम को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और कई बार मारपीट भी कर चुके हैं? क्या सरकार उक्त की रोकथाम कराने की व्यवस्था कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि उक्त अपराधी अब श्री पन्नाराम को अपने पुख्ता मकान में घुसने भी नहीं दे रहे हैं और इनके मकान की लोहे की चद्दर व अन्य सामान चोर कर ले गये है? क्या सरकार अब भी श्री पन्नाराम को उसके मकान में निवास किये जाने में बाधा नहीं पहुंचाने हेतु उक्त अपराधियों को पाबन्द करने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(7) क्या सरकार अब उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने का विचार रखती है? यदि हो, तो कब तक?

(8) क्या सरकार श्री पन्नाराम को अपने मकान में रहने की व्यवस्था कराने हेतु उक्त अपराधियों को पाबन्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। क्योंकि तफतीश में लिये गये बयान गवाहान में नागरमल को गांव में डेढ़ साल पूर्व देखना बताते है। घटना के समय उसका गांव में नहीं होना पाया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। अपितु दिनांक 20.1.1999 को पन्नाराम ने नागरमल की गुम होने की रिपोर्ट पेश की थी जिस पर गुमशुदगी रिपोर्ट अंकित की गई थी।

(5) जी नहीं।

(गृह मंत्री)

(6) जी नहीं।

(7) जी हां। प्रकरण का अनुसंधान श्री श्यामसिंह, सहायक उप निरीक्षक, थाना सदर सीकर द्वारा किया जा रहा है जो शीघ्र पूर्ण कर लिया जावेगा।

(8) जी नहीं। श्री पन्नाराम अपनी ढाणी में अपने मकान में ही रह रहे हैं। निवास में बाधा पहुंचाने पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिये कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

ग्राम चूली (सिरोही) में स्थाई चौकी की स्थापना

557. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार सिरोही जिले के पालड़ी (एम) थानान्तर्गत चूली ग्राम में स्थाई चौकी खोलने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त गांव में असामाजिक तत्वों के अत्याचार को लेकर लम्बे समय से यह मांग की जाती रही है? उक्त गांव में कितने परिवार पीड़ित होकर गांव से पलायन कर गये?

उत्तर

(1) जी नहीं। सीमित वित्तीय संसाधनों एवं प्रदेश में भीषण अकाल की स्थिति होने के कारण सिरोही जिले के पालड़ी (एम) थानान्तर्गत चूली ग्राम में स्थाई चौकी खोलना सम्भव नहीं है।

(2) यह सही नहीं है कि ग्राम चूली में असामाजिक तत्वों के अत्याचार को लेकर लम्बे समय से स्थाई पुलिस चौकी खोलने की मांग की जाती रही है। सर्वप्रथम दिनांक 16.02.2003 को मुकदमा नं. 13/2003 धारा 307, 341, 323 भा.द.स. पुलिस थाना पालड़ी एम में दर्ज होने के उपरान्त रेबारी समाज व ग्राम चूली के सरपंच द्वारा ग्राम चूली में स्थाई पुलिस चौकी खोलने की मांग की गई।

ग्राम चूली से 29 परिवार अन्यत्र पलायन कर चुके हैं।

व्यापार मण्डलों को लकड़ी बेचान से राजकोष में हानि

558. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विभाग व्यापार मण्डलों में बेची जाने वाली विदोहित लकड़ी के लिए सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में जलाऊ लकड़ी के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह केवल 200 क्विंटल तक की बिक्री का उपनियम 52 में प्रावधान है? क्या विभाग के व्यापार मण्डलों द्वारा आम जनता की आवश्यकता के लिए बनाए गये प्रावधानों का अनुचित लाभ लेकर प्रति व्यक्ति के स्थान पर क्रेता फर्मों को प्रति वर्ष लाखों क्विंटल लकड़ी

(श्री देवीसिंह भाटी)

का फुटकर विक्रय नियम विरुद्ध करके राज्य सरकार को करोड़ों रुपये की हानि पहुंचा रहे हैं?

(2) उक्त अनियमितता कब से हो रही है एवं अब कितनी मात्रा में लकड़ी की फुटकर बिक्री किस–किस फर्मों को की गई और इस प्रकार राज्य सरकार को कितने राजस्व की अब तक हानि हो चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अपने बनाये गये नियमों का उल्लंघन कर राजकोष को हानि पहुंचाने वाले उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राजकीय व्यापार योजना की लेखा सहिता के नियम 52 में इस आशय का प्रावधान है। राज्यादेश दिनांक 25.7.1997 के द्वारा राज्य सरकार ने उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल को लकड़ी के नीलाम या फुटकर निर्धारित दर पर निष्पादन की पूर्ण शक्तियां प्रदत्त की है। अत्यधिक मात्रा में विदोहित जलाऊ लकड़ी का व्यावहारिक निष्पादन किया गया है जिससे राज्य सरकार को कोई हानि नही हुयी है।

(2) प्रश्न के भाग संख्या एक में दर्शाये अनुसार राज्य सरकार को लकड़ी के विक्रय से राजस्व की किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है।

(3) हानि नहीं हुई है। अत: प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

दीगोद उप खण्ड अधिकारी कार्यालय हेतु भवन

559. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद): क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या जिला कलक्टर, कोटा द्वारा क्षेत्रीय विकास आयुक्त कोटा को नया एस.डी.ओ. कार्यालय दीगोद हेतु खाली भवनों में से एक भवन देने हेतु पत्र दिया गय था? यदि हां, तो कब?

(2) उक्त पत्र पर आयुक्त द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या उक्त कार्यालय हेतु भवन देने से सम्पत्ति का दुरुपयोग होगा? यदि नहीं, तो अब तक क्यों नही दी गई?

(4) अब दीगोद कार्यालय हेतु भवन की सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला कलक्टर, कोटा का पत्रांक सामान्य/2002/6077 दिनांक 29.5.2002 क्षेत्रीय विकास आयुक्त, कोटा को दिनांक 3.6.2002 को प्राप्त हुआ।

(2) जिला कलक्टर, कोटा के पत्र

(राज्य मंत्री, सिंचित क्षेत्रीय विकास)

के अनुसार चाहे गये भवन रिक्त नहीं होने के कारण जिला कलक्टर, कोटा को सहायक अभियन्ता दांई नहर उपखण्ड, सीएडी दीगोद एवं उपखण्ड अधिकारी से मौके पर जाकर रिर्पोट तैयार करवा कर सहायक अभियन्ता के माध्यम से प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया है।

(3) जी नहीं। कार्यालय भवन देने से सम्पत्ति का दुरुपयोग नहीं होगा। जिला कलक्टर, कोटा से वैकल्पिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण भवन अभी तक नहीं दिया जा सका है।

(4) एस.डी.ओ. कार्यालय हेतु भवन देने का सिंचित क्षेत्र विकास विभाग का कार्य नहीं है।

प्रश्न संख्या-560
(स्थगित)

जिला भीलवाड़ा में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार

561. डा. रतन लाल जाट (सरांड़ा): क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला भीलवाड़ा में वर्तमान में कितने शिक्षित बेरोजगार नियोजन कार्यालय में पंजीकृत हैं?

(2) क्या उक्त जिले में उक्त पंजीकृत व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रयत्न समय-समय पर किये गये हैं? यदि हां, तो साक्षात्कार के बाद कितने लोगों को रोजगार मिला है?

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा में 31 दिसम्बर, 2002 तक 8460 शिक्षित बेरोजगार नियोजन कार्यालय भीलवाड़ा से पंजीकृत है।

(2) जी हां। उक्त जिले में उक्त पंजीकृत व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 331 बेरोजगारों का सम्प्रेषण विभिन्न नियोजकों को किया गया। साक्षात्कार के बाद 16 शिक्षित लोगों को रोजगार मिला है।

असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों हेतु प्रस्तावित योजना

562. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार की असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की भलाई के लिए कोई कार्य योजना है? यदि हां, तो क्या-क्या और उनसे उनको क्या-क्या लाभ होगा तथा नहीं, तो उक्त सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है?

(2) क्या उक्त श्रमिकों के कल्याण के लिये भविष्य में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या तथा उक्त का लाभ उक्त श्रमिकों को कब तक व किस प्रकार से मिलेगा?

उत्तर

(1) जी हां। असंगठित निर्माण श्रमिकों के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत नियम बनाये जा रहे है। इन नियम के तहत श्रमिकों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:

1. सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए बेहतर प्रावधान होंगे।
2. श्रमिकों के कल्याणर्थ कल्याण निधि रखी जावेगी। जिसमें श्रमिकों के दुर्घटना लाभ, पेंशन, मातृत्व लाभ, श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति, भवन निर्माण एवं भवन क्रय हेतु ऋण की सुविधा, मृत्यु होने पर श्रमिक के परिजनों को सहायता, उपकरण हेतु सहायता एवं विवाह आदि समारोह पर आर्थिक सहायता के प्रावधान होंगे।

(2) उपरोक्तानुसार नियम प्रभावी होने के पश्चात् ही लाभ प्राप्त हो सकेगा। अन्य कार्यों में संलग्न असंगठित श्रमिकों के लिए भी कल्याणकारी योजना बनाने पर विचार किया जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में विद्युत तारों से क्षति

563. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के राजनोता तथा पंचपहाड़ी क्षेत्र में कई खम्भों के बीच विद्युत तार ढीले हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि इन्हें खींचे जाने हेतु कई बार ध्यान आकर्षित किया गया है? यदि हां, तो कब तक तार खींच दिए जावेंगे और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त ढीले तारों से कई जानवर बिजली से मृत्युग्रस्त हुए हैं?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के अन्तर्गत ग्राम राजनोता तथा पंचपहाड़ी क्षेत्र में 11 के.वी. लाइन के 11 खम्भों व एल.टी. लाइन के 33 खम्भों के तार ढीले पाये गये हैं।

(2) उक्त क्षेत्र में 11 के.वी. के 11 खम्भों के तार ठीक किए जा चुके हैं तथा एल.टी. लाइनों के ढीले तारों को भी ठीक करने की कार्यवाही की जा रही है एवं यह कार्य माह अप्रैल, 2003 के अन्त तक पूर्ण कर दिया जायेगा।

(3) ढीले तारों की वजह से जानवरों की मृत्यु होने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

मालाखेड़ा (अलवर) में स्वीकृत ग्रिड सब स्टेशन

564. श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी (लक्ष्मणगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के मालाखेड़ा गांव में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत है? यदि हां, तो अब तक उसे चालू क्यों नहीं करवाया गया? उक्त में क्या तकनीकी समस्या है और अब इसे कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि जिस भूमि पर उक्त ग्रिड सब स्टेशन लगाया जाना है उसका सम्बन्धित को अवार्ड दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उक्त सब-स्टेशन हेतु उपयुक्त भूमि का चयन कर लिया गया है तथा भूमि को अवाप्त करने की कार्यवाही प्रगति पर है। भूमि का कब्जा प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

(2) जिला स्तर पर भूमि के अवार्ड की प्रक्रिया जारी है।

विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ (चूरू) में स्वीकृत ग्रिड सब स्टेशन

565. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यही बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के कितने-कितने 33/11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन कब स्वीकृत हुए?

(2) क्या सरकार उक्त स्वीकृत सब स्टेशनों का निर्माण कराकर चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में उक्त विधान सभा क्षेत्र में नये ग्रिड सब स्टेशन और स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहा-कहां पर और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में वर्ष 1998-99 से 2002-03 तक दस 33/11 के.वी. सब-स्टेशन स्वीकृत किये गये हैं, जिनकी मय स्वीकृति दिनांक सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त 10 सब-स्टेशनों में से 6 सब-स्टेशन का कार्य पूर्ण कर चालू कर दिये हैं तथा शेष रहे चार सब स्टेशनों का निर्माण सामान की उपलब्धतानुसार वर्ष 2003-04 में करना प्रस्तावित है।

(3) जी नहीं। पूर्व में स्वीकृत सब स्टेशनों के अतिरिक्त वर्तमान में नये 33/11 के.वी. सब-स्टेशनों की तकनीकी दृष्टि से आवश्यकता नहीं है किन्तु उक्त विधानसभा क्षेत्र हेतु इस वित्तीय वर्ष में तेहनदेसर में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत है तथा इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

जिला नागौर में विद्युत दरों की वृद्धि से राजस्व प्राप्ति

566. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर के विद्युत उपभोक्ताओं से मार्च, 1999 से मार्च, 2000 तक कितना राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित था और उक्त के विरुद्ध कितना राजस्व प्राप्त किया गया? सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त जिले में मार्च, 2001 से मार्च, 2002 तक कितना राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित था और उक्त के विरुद्ध कितना राजस्व प्राप्त किया गया?

(3) गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत दरों में वृद्धि कब–कब तथा कितनी–कितनी की गई?

(4) क्या यह सही है कि विद्युत दरों में बढ़ोतरी के बावजूद राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला नागौर के अन्तर्गत विद्युत उपभोक्ताओं से माह मार्च, 1999 से मार्च, 2000 तक निर्धारित लक्ष्यों के पेटे राजस्व प्राप्ति का विवरण निम्नप्रकार है:

निर्धारित लक्ष्य (लाखों में)	राजस्व प्राप्ति (लाखों में)
14962.57	10775.72

(2) उक्त जिले में माह मार्च, 2001 से मार्च, 2002 तक निर्धारित लक्ष्यों के पेटे राजस्व प्राप्ति का विवरण निम्नप्रकार है:

निर्धारित लक्ष्य (लाखों में)	राजस्व प्राप्ति (लाखों में)
15664.65	16135.73

(3) गत तीन वर्षों में विभिन्न श्रेणियों की विद्युत दरों में समय-समय पर की गई वृद्धि का विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(4) जी नहीं। निगम गठन अर्थात दिनांक 19.07.2000 के बाद दिनांक 01.04.2001 को विद्युत दरों में वृद्धि की गई है तथा उसके बाद माह मार्च, 2001 से मार्च, 2002 तक नागौर जिले में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

पंचायत समिति गढ़ी (बांसवाड़ा) में प्रस्तावित पशु चिकित्सालय

567. श्री रमेश चन्द पण्ड्या (बांसवाड़ा): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति गढ़ी (बांसवाड़ा) में कितने पशु चिकित्सालय व उपकेन्द्र संचालित हैं?

(श्री रमेश चन्द पण्ड्या)

(2) उक्त पंचायत समिति के प्रस्तावित उपकेन्द्र को स्वीकृत करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

(1) पंचायत समिति गढ़ी (बांसवाड़ा) में 9 पशु चिकित्सालय एवं 13 उपकेन्द्र कार्यरत हैं।

(2) सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वर्तमान वर्ष में पंचायत समिति गढ़ी में कोई नवीन उपकेन्द्र नहीं खोला जा रहा है।

पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत खींचन (जोधपुर) द्वारा नियम विरुद्ध भू-आबंटन

568. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा अपने आदेश क्रमांक एफ. 3/एजे/5/जांच/जोधपुर/90, दिनांक 3.2.1994 के जरिये ग्राम पंचायत खींचन, पंचायत समिति फलौदी, जिला जोधपुर के तत्कालीन सरपंच श्री सुरेश जैन द्वारा अनियमित भू-आबंटन एवं भूमि विक्रय करके जारी किये गये पचास पट्टों को निरस्त करने का आदेश दिया था एवं जिला कलक्टर जोधपुर को भी उक्त आदेश की प्रति मय उक्त पट्टों की सूची भेजकर पट्टों को निरस्त करने की कार्यवाही करने का आदेश भी दे दिया था? यदि हां, तो क्या कलक्टर जोधपुर द्वारा या मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् या विकास अधिकारी पंचायत समिति फलौदी द्वारा उक्त पट्टों को निरस्त कराने के लिये कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार अब भी इस प्रकार अनियमित रूप से लाखों रुपये की आबादी भूमि की तत्कालीन सरपंच द्वारा आबंटन की फर्जी व नियम विरुद्ध कार्यवाही करके खुर्दबुर्द करने के विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही करके सैकड़ों आवासहीन गरीब परिवारों को उक्त भूमि का आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत खींचन पंचायत समिति फलौदी के सरपंच श्री सुरेश जैन द्वारा अनियमित भूमि आबंटन एवं भूमि विक्रय के सम्बन्ध में इस विभाग के आदेश दिनांक 3.2.1994 द्वारा परिनिर्णय लेखबद्ध करने के साथ-साथ उक्त सरपंच द्वारा जारी पट्टों को निरस्त करने के आदेश जारी किये गये थे, परन्तु उक्त आदेश के विरुद्ध पूर्व सरपंच द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट प्रस्तुत करने पर निर्णय

(पंचायती राज मंत्री)

2.3.1998 द्वारा विभाग के उक्त आदेश दिनांक 3.2.1994 को निरस्त कर दिया गया तथा उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध अपील नहीं करने का निर्णय लिये जाने के कारण निगरानियां प्रस्तुत नहीं की जा सकीं।

(2) जी हां। नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जिला पाली में चयनित परिवार के आश्रितों को सहायता

569. श्री केसाराम चौधरी(खारची): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बी.पी.एल. परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर उसको पारिवारिक सहायता योजना के तहत 10,000/– की सहायता सरकार द्वारा ही जाती है?

(2) जिला पाली में ऐसे कितने परिवारों को सरकार द्वारा सहायता दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या श्री जीवाराम पुत्र श्री नेमाजी चौधरी गुडा कल्याण सिंह पंचायत समिति बाली बी.पी.एल. परिवार का सदस्य था और उसकी मृत्यु हो गई? यदि हां, तो क्या उसे पारिवारिक सहायता योजना के तहत सहायता दी गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उसे सहायता देने के विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत चयनित बी.पी.एल. परिवार के 18 से 64 वर्ष की आयु के परिवार के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु होने की दशा में वर्ष 1998 से आश्रित को रुपये 10000/– की एक मुश्त नगद सहायता राशि सरकार द्वारा दिये जाने का प्रावधान है।

(2) जिला पाली की पंचायत समितियों द्वारा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में अब तक निम्नानुसार परिवारों को सहायता राशि दी गई:

क्र. सं.	पंचायत समिति	लाभान्वित परिवार की संख्या
1.	सोजत	252
2.	रानी	85
3.	देसूरी	48
4.	मारवाड ज.	196
5.	रोहट	185
6.	बाली	173
7.	समेरपुर	90
8.	रायपुर	146
9.	जैतारण	243
10.	पाली	170
	योग	**1588**

(3) जी हां। यह सही है कि श्री

(पंचायती राज मंत्री)

जीवाराम पुत्र नेमाजी चौधरी, गुडा कल्याण सिंह पंचायत समिति बाली बी.पी.एल. परिवार का सदस्य था।

स्वर्गीय श्री जीवाराम के परिवार को इस योजना के तहत सहायता राशि बजट के अभाव के कारण नहीं दी गई।

भारत सरकार से योजनान्तर्गत बजट प्राप्त होने पर सहायता राशि शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करवा दी जावेगी।

पंचायत गिरी (पाली) का कार्यवाही सरपंच निर्वाचन प्रकरण

570. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरपंच का पद रिक्त होने के बाद आरक्षित वर्ग महिला अनुसूचित जाति मय ओ.बी.सी. वर्ग के वार्ड पंच या उप सरपंच को उसी पंचायत के पंचों द्वारा बहुमत से उसी वर्ग के पंच को कार्यवाहक सरपंच चुनने का प्रावधान है?

(2) क्या राज्य सरकार को बिना पंचों के बहुमत के कार्यवाहक सरपंच मनोनीत करने का अधिकार है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पाली जिले की पंचायत समिति रायपुर की ग्राम पंचायत गिरी के सरपंच की मृत्यु बाद उक्त ग्राम पंचायत के सभी पंचगण ने अनुसूचित जाति के पंच को सर्वसम्मति से कार्यवाहक सरपंच बनाने के लिए विकास अधिकारी रायपुर तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाली को निवेदन किया था? यदि हां, तो पंचों के उक्त निर्णय व निवेदन पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि पंचायत के उक्त निर्णय/प्रस्ताव के बावजूद भी राज्य सरकार ने कार्यवाहक सरपंच मनोनीत कर दिया यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विभागीय परिपत्र दिनांक 21/3/2002 के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि यदि अध्यक्ष का पद किसी श्रेणी के लिये आरक्षित नहीं है तो कार्यभार पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष की एवं यदि पद आरक्षित श्रेणी में है तो आरक्षित श्रेणी के सदस्य को कार्यभार सौंपा जावेगा। यदि आरक्षित श्रेणी के सदस्य एक से अधिक है तो फैसला बहुमत के आधार पर लिया जावेगा एवं निर्धारित 6 माह की अवधि में उक्त पद हेतु चुनाव कराने की कार्यवाही की जावेगी। इस व्यवस्था में संशोधन करते हुए दिनांक 12.7.2002 को परिपत्र जारी करते हुए यह व्यवस्था रखी गई कि आरक्षित श्रेणी का पद रिक्त होने पर यदि उपाध्यक्ष आरक्षित श्रेणी से नहीं है तो कार्यभार आरक्षित श्रेणी के सदस्य

(पंचायती राज मंत्री)

में से किसी एक को राज्य सरकार द्वारा मनोनयन किया जावेगा। वर्तमान में परिपत्र दिनांक 10.3.2003 के द्वारा यह व्यवस्था रखी गई है कि आरक्षित श्रेणी के सरपंच का पद रिक्त होने की स्थिति में समान श्रेणी का उपाध्यक्ष न होने पर कार्यभार आरक्षित श्रेणी के सदस्य को बहुमत के आधार पर किया जावेगा।

(2) पूर्व में था जिसे समाप्त कर दिया है। पत्र दिनांक 10.3.2003 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) विकास अधिकारी, रायपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 24.2.2003 के आवेदन पत्र की प्रति उन्हें प्राप्त हुई एवं यही प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाली को दिनांक 28.2.2003 एवं दिनांक 3.3.2003 को प्राप्त हुई। आवेदन पत्र की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) ज़ी हां। परिपत्र क्रमांक 1464 दिनांक 12.7.2002 में सरपंच पद पर वार्ड पंच का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किये जाने का प्रावधान किये जाने के कारण ग्राम पंचायत गिरी में कार्यवाहक सरपंच का मनोनयन किया गया है जिस पर परिपत्र क्रमांक 10.3.2003 के अनुसार पुन: विचार किया जा रहा है।

(पत्र की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत तीतरिया (जयपुर) में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

571. श्री नन्दलाल बंशीलाल (दौसा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत तीतरिया, तहसील चाकसू जिला जयपुर के निवासियों ने माननीय मुख्य मंत्री को दिनांक 13.6.2001 एवं 27.8.2002 को पूर्व सरपंच श्री रामनारायण चौधरी एवं वर्तमान सरपंच श्रीमती दाखा देवी के विरुद्ध अपने कार्यकाल में किये गये भ्रष्टाचार की शिकायत की थी? यदि हां, तो उक्त पर सरकार ने अब तक इनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो अब तक कार्यवाही क्यों नही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्राम तीतरिया, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में एक उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्या विकास अधिकारी पंचायत समिति चाकसू की मिलीभगत से कार्य को पूर्ण किये बिना ही राशि का भुगतान सरपंच ने कर दिया है तथा अपूर्ण कार्य को पूर्ण बता दिया गया है? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी चाकसू ने पत्र संख्या 596-

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

613 दिनांक 30.3.2001 द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय तीतरिया में टी.एफ.सी. योजना के अन्तर्गत एक कमरा निर्माण हेतु 75,000/–रुपये की राशि स्वीकृत की थी? यदि हां, तो क्या उक्त निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय के निर्माण कार्य की राशि को ग्राम पंचायत तीतरिया के सरपंच व सचिव द्वारा प्रस्ताव नम्बर 22 व 33 में हेराफेरी कर बैठक बाद में ग्राम भोज्याड़ा में करवाने का प्रस्ताव लिया? क्या सरकार द्वारा आयोजित ग्राम सभाओं में पर्यवेक्षक के रूप में राजकीय चिकित्सालय की चिकित्सक श्रीमती शुभ्रा पारीक की ड्यूटी लगाई थी? क्या उक्त ने प्रस्ताव बाद में लेना बताया तथा फर्जी बताया है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी सचिव एवं सरपंच के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत तितरिया के निवासियों द्वारा मुख्य मंत्रीजी को पूर्व सरपंच एवं वर्तमान सरपंच के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की थी। प्राप्त इन शिकायतों की जांच कर जिला परिषद् जयपुर द्वारा जांच प्रतिवेदन उनके पत्र क्रमांक 150 दिनांक 21.1.2003 द्वारा सम्भागीय आयुक्त जयपुर को भिजवाया गया है। कार्यवाही सम्भागीय आयुक्त के यहां विचाराधीन है।

(2) जी हां। उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करवा लिया गया है तथा कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात् ही सरपंच ने अपने स्तर पर अंतिम भुगतान किया है। पंचायत समिति द्वारा एम.बी. एवं यू.सी. पर सहायक अभियन्ता के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत को अन्तिम भुगतान अभी तक नहीं किया जा सका है। चूंकि भुगतान कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात् ही किया गया है ऐसी स्थिति में किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं रहता।

(3) जी हां। विकास अधिकारी पंचायत समिति चाकसू के पत्रांक 596–613 दिनांक 30.3.2001 द्वारा टी.एफ.सी. योजना अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय तितरिया हेतु 75,000/–रुपये की राशि स्वीकृत की गयी थी। स्वीकृत राशि से कमरे का निर्माण पूर्ण करा लिया गयी है।

(4) जी हां। यह भी सही है कि श्रीमती सुभ्रा पारीक चिकित्सक की ड्यूटी पर्यवेक्षक के बतौर ग्राम सभा में लगायी गयी थी। जिन्होंने प्रस्ताव बाद में लेना तथा फर्जी होना बताया है। इस सन्दर्भ में प्रकरण की जांच रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयपुर द्वारा उनके पत्रांक 150 दिनांक 21.1.2003 द्वारा सम्भागीय आयुक्त जयपुर को भिजवायी गयी है। प्रकरण सम्भागीय आयुक्त जयपुर

(पंचायती राज मंत्री)

के यहां विचाराधीन है; जिसमें नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

ग्राम पंचायत बेकरिया (गोगुन्दा) द्वारा जारी आबादी भूमि पट्टे

572. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के ग्राम पंचायत बेकरिया में वर्ष 1995 के बाद कितनी आबादी भूमि के पट्टे जारी किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंचायत क्षेत्र के किस किस ग्राम में कितनी भूमि आबादी में शेष उपलब्ध है? सूची नक्शा, खसरावार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत बेकरीया में वर्ष 1995 के बाद मात्र एक पट्टा कालाराम पुत्र रामाजी गरा. निवासी बेकरिया को 300 वर्ग फीट का जारी किया गया।

(2) ग्राम पंचायत बेकरिया के ग्राम बेकरीया के कुल खसरा नम्बरान 43 की 24 बीघा 10 बिस्वा आराजी आबादी भूमि में है। जिस पर आबादी भूमि में दर्ज होने से पूर्व ही काफी संख्या में मकानात बने हुए थे। ग्राम पाण्डीबोर के खसरा नम्बर 193 की 4 बिस्वा भूमि आबादी में दर्ज है। ग्राम कालीबोर के कुल खसरा नम्बर 66, 70, 135 व 182 की 1 बीघा 19 बिस्वा आबादी भूमि में दर्ज है। आबादी में शेष रहे खसरा नम्बरान रकबा की सूची एवं नक्शा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत बेकरिया (गोगुन्दा) द्वारा कराये गये कार्यों में अनियमितता की जांच

573. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पंचायत बेकरिया में वर्ष 1995 से 22 फरवरी, 2003 तक कितने कार्य पंचायत के माध्यम से कहां–कहां पर कितनी लागत से किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्य सही तकनीकी रूप से हुए हैं? यदि हां, तो प्राथमिक विद्यालय सई बांध के छत एवं भवन की स्थिति क्या है? क्या छत पर डामर का लेप किया गया? उसके अलावा प्राथमिक विद्यालय बाकावास में बने भवन की पूर्ण वस्तुस्थिति क्या है?

(3) क्या उक्त पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों में कोई अनियमितताएं हुई हैं? यदि हां, तो सरकार उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पंचायत बेकरिया में वर्ष 1995 से 22 फरवरी, 2003 तक किये गये कार्यों की लोकेशन व लागत राशि का विवरण संलग्न है। (अनुसूची 'अ')

(2) जी हां। प्राथमिक विद्यालय सई बांध की छत पर डामर का लेप नहीं किया गया है। छत पर पट्टियां डाली गयी है, उसके ऊपर सीमेंट प्लास्टर किया गया है न कि डामरीकरण। छत पर आई दरारों की वजह से पानी टपकने के कारण स्थानीय विद्यालय प्रशासन द्वारा इन दरारों में पिघला हुआ डामर केवल पानी को रोकने के लिए डाला गया है। प्राथमिक विद्यालय बाकावास ग्राम पंचायत, तेबा का बास के दो कमरों में प्लास्टर व सफेदी का कार्य किया गया, साथ ही कमरों के फर्श का कार्य भी किया गया, परन्तु बरामदों में फर्श नहीं किया गया है, कार्य प्रगति पर है। परिसर में दो अन्य कमरे भी बने हुए हैं जो प्राथमिक विद्यालय के ही अतिरिक्त कमरे हैं, जो पूर्ण हैं।

(3) जी नहीं। उक्त कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। छत पर दरारों की जांच कराई जा रही है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

सरपंच दीगोद (बारां) के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

574. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति छबड़ा (बारां) की पंचायत दीगोद के सरपंच के विरुद्ध कोई जांच की गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त के सम्बन्ध में शिकायतें सही पाई गई?

(2) क्या जांच के पश्चात् सरपंच को निलम्बित करने के आदेशों का मंत्री ने भी अनुमोदन किया है? यदि हां, तो उक्त सरपंच को अभी तक निलम्बित क्यों नहीं किया गया?

(3) उक्त के लिये कौन दोषी हैं और दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

(4) अब उक्त सरपंच को कब तक निलम्बित कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति छबड़ा में दीगोद नाम की कोई पंचायत नहीं है। इस पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दिलोद के सरपंच के विरुद्ध दिनांक 27.11.95 के बाद 2 से अधिक संतान होने संबंधी प्रकरण की जांच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बारां द्वारा कीं गयी थी तथा की गयी जांच में शिकायत सही पायी गयी है।

(2) जांच के परिणामस्वरूप आरोपों के सम्बन्ध में उक्त सरपंच को सरपंच पद से हटाये जाने की कार्यवाही का अनुमोदन माननीय मंत्री महोदय द्वारा किया गया था तथा उक्त सरपंच को विभाग

(पंचायती राज मंत्री)

के आदेश क्रमांक 892 दिनांक 14.2.03 द्वारा सरपंच पद से हटा दिया गया है।

(3) चूंकि कार्यवाही कर ली गयी है इसलिए प्रकरण में विलम्ब के लिए कोई दोषी नहीं है।

(4) उक्त सरपंच को सरपंच पद से हटाकर पद रिक्त घोषित करने के आदेश पारित कर दिये गये हैं।

पंचायत समिति परबतसर (नागौर) में रिक्त पद

575. श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति परबतसर (नागौर) में कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारियों के पद किस-किस श्रेणी के कब से रिक्त हैं?

(2) उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति परबतसर में निम्नानुसार श्रेणीवार अधिकारी/कर्मचारियों के पद रिक्त है:

पद	संख्या	कब से
प्रगति प्रसार अधिकार	01	24.8.1995
सहकारी प्रसार अधि.	01	31.7.2006
पंचायत प्रसार अधि.	01	28.2.1998
कनिष्ठ अभियन्ता	01	22.1.2002
ग्राम सेवक	03	28.2.2003
कनिष्ठ लिपिक	01	04.3.2003

(2) उक्त रिक्त पदों को शीघ्र भरने के प्रयास किये जा रहे हैं।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों का निर्माण

576. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़): क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में लिफ्ट नहरों का जो निर्माण करवाया जा रहा है उनमें से कौन-कौनसी लिफ्ट स्कीम के पम्पिंग स्टेशन बनकर तैयार हो गये हैं व उनमें से कितनों में पम्प लगा दिये हैं? यदि नहीं, तो क्यों और इन्हें अब कब तक लगवा दिया जायेगा?

उत्तर

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में छह लिफ्ट नहरों का निर्माण करवाया जा रहा है। उन पर बने पम्पिंग स्टेशनों एवं लगे पम्पों का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:

(राज्य मंत्री, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना)

क्र. सं.	लिफ्ट नहरों नाम	प्रस्तावित पम्पिंग स्टेशनों की संख्या	तैयार पम्पिंग स्टेशन	पम्प लगाये गये स्टेशनों की संख्या	शेष स्टेशनों पर पम्प लगाये जाने हैं
1.	साहवा लिफ्ट	5	4	3	1
2.	गजनेर लिफ्ट	5	4	2	2
3.	बांगड़सर लिफ्ट	2	2	2	—
4.	कोलायत लिफ्ट	6	4	4	—
5.	फलौदी लिफ्ट	7	4	2	2
6.	पोकरण लिफ्ट	6	3	2	1
	योग	31	21	15	6

उपरोक्त पम्पिंग स्टेशनों में से जिन 6 तैयार पम्पिंग स्टेशनों पर पम्प नहीं लगाये गये है वे निर्देशन समिति, इगानप द्वारा लगाई गई रोक के कारण नहीं लगाये जा सके हैं। रोक हटाने हेतु कार्यवाही जारी है एवं यह रोक हटने के पश्चात् इन पर आगामी वर्ष मे पम्प लगवाया जा सकेगा।

कुचामन (नागौर) में अकाल राहत कार्यों पर लगाये गये श्रमिकों को जारी कार्ड

577. श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन (नागौर) में अकाल राहत कार्यों पर श्रमिक लगाने हेतु प्रत्येक पंचायत के किस-किस गांव में कितने-कितने श्रमिकों को कार्ड जारी किये गये हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त श्रमिकों को काम पर लगाने के लिए कितने रंग के, किस श्रेणी के लोगों को कार्ड दिये हैं और किस रंग का कार्ड किस श्रेणी के व्यक्ति के लिए है?

(3) उक्त कार्डधारकों के श्रमिकों में से प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कितने श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हुआ है और कितने कार्डधारी अभी तक अकाल राहत कार्य पर नहीं लगाये जा सके हैं?

(4) श्रमिक संख्या बढ़ाए जाने पर उक्त पंचायत समिति क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में कितने-कितने श्रमिक उपलब्ध हो सकते हैं? क्या उक्त सब लोगों को कार्ड जारी हो गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री हरीशचन्द्र कुमावत)

(5) पंचायत समिति क्षेत्र, कुचामन सिटी की प्रत्येक पंचायत में कौन–कौनसा काम अकाल राहत के अन्तर्गत खोला गया जिन पर कितने–कितने श्रमिक लगे हुए हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति कुचामन में अकाल राहत कार्यों पर श्रमिक लगाने हेतु प्रत्येक पंचायत के गांववार जारी किये गये श्रमिक कार्डों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–1)

(2) सभी श्रेणी के श्रमिकों को कार्य पर लगाने हेतु एक ही रंग (लाल रंग) के कार्ड जारी किये गये हैं।

(3) पंचायत समिति कुचामन द्वारा माह फरवरी, 2003 के आखिर में ही श्रमिकों को कार्डों का वितरण किया गया है। अतः चालू माह के पखवाड़े में कार्डधारी श्रमिकों को राहत कार्यों पर लगाया गया है। बारी–बारी से सब कार्डधारियों को राहत कार्यों पर लगाया जायेगा।

(4) श्रमिक सीमा बढ़ाये जाने पर पंचायत समिति क्षेत्र में कुल 17075 श्रमिक उपलब्ध हो सकेंगे, जिन्हें रोजगार के लिए कार्ड जारी किये जा चुके हैं। पंचायतवार विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(5) पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन सिटी की पंचायतों में अकाल राहत के अन्तर्गत खोले गये कार्य, लगे श्रमिकों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–2)

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्रतापगढ़ व अरनोद (चित्तौड़गढ़) में निजी कुएं गहरे करने हेतु स्वीकृति

578. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पंचायत समिति प्रतापगढ़ व अरनोद (चित्तौड़गढ़) में निजी कुएं गहरे कराने के किस–किस पंचायत क्षेत्र से कितने–कितने आवेदन पत्र कृषकों से प्राप्त हुए हैं? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदकों से आवेदन–पत्र तैयार करवाने में सरकार को कितनी राशि प्राप्त हुई और कितने आवेदनों पर विचार कर स्वीकृति जारी की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पंचायत समितियों में निजी कुएं गहरे करने की कब तक आवेदकों को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति प्रतापगढ़ व अरनोद में निजी कुएं गहरे कराने हेतु

(सहायता मंत्री)

क्रमशः 1481 व 1189 आवेदन पत्र कृषकों से प्राप्त हुए। पंचायतवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–1)

(2) आवेदकों से आवेदन पत्र तैयार कराये हेतु कोई राशि नहीं ली गई है। प्राप्त आवेदन पत्रों में से विचार कर 364 की स्वीकृति जारी की गई है।

(3) पूर्व में स्वीकृत कार्य पूरे होने पर तथा श्रमिक सीमा बढ़ने के साथ शेष प्रार्थना पत्रों की स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू (जयपुर) में निरस्त बस सेवा

579. श्री कन्हैया लाल (बस्सी): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में वर्ष 1999 से अब तक कौन-कौन से रूट की कितनी-कितनी बस सेवाओं को निरस्त/समय में परिवर्तन किया गया?

(2) क्या सरकार उक्त बस परिवहन, सेवाओं के निर्धारित रूट को निरस्त एवं समय परिवर्तन से यात्रियों की बढ़ी परेशानियों को देखते हुए पुनः इन सेवाओं को प्रारम्भ करने की मंशा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में वर्ष 1999 से अब तक निम्न मार्गों पर संचालित बस सेवाओं के आगे अंकित एकल परिचक्रों का संचालन बन्द किया गया है:-

पंचायत समिति बस्सी

क्र. सं.	मार्ग का नाम	बन्द परिचक्र	संचालन बन्द करने का विवरण
1.	घाटगेट–कोटखावदा वाया–बस्सी	4	अगस्त, 2001 से
2.	घाटगेट– महादेवपुरा वाया–बस्सी–तूंगा	4	जनवरी, 2002 से

घाटगेट–लालगढ़ वाया बस्सी मार्ग की वाहन को माह अप्रैल, 2001 से तूंगा तक वृद्धिकरण कर पूर्ण समयानुसार ही संचालन किया जा रहा है।

पंचायत समिति चाकसू

1.	लालनिवास ठीकरिया गुजरान	2	अगस्त, 2001 से

लालनिवास–ठीकरिया गुजरान मार्ग पर पुनः वाहन संचालन दिनांक 14.2.2003 से प्रारम्भ किया जा चुका है।

उक्त अवधि में पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में संचालित बस सेवाओं के

(यातायात मंत्री)

समय में परिवर्तन नहीं किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में वर्ष 1999 से अब तक किसी भी रूट की कोई भी निजी परिवहन सेवाओं को निरस्त नहीं किया गया है। रूटस पर जारी परमिट्स के साथ दी गई समय सारणियों में परमिटधारी की प्रार्थना एवं जनसुविधा को मध्यनजर रखते हुए समय-समय पर रूट्स की समय सारणी में परिवर्तन किए जाते हैं।

(2) जीं नहीं। प्रश्न के खण्ड संख्या-1 में अंकित पंचायत समिति बस्सी के मार्गों पर बन्द की गई बस सेवाओं को औसतन कम यात्रीभार प्राप्त हुआ है, अतः पुनः संचालन का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

पंचायत समिति चाकसू के मार्ग लालनिवास से ठीकरिया गुजरान पर दिनांक 14.2.2003 के पुनः वाहन संचालन प्रारम्भ किया जा चुका है।

निजी बसों के उक्त क्षेत्र के निर्धारित रूटस के परमिट निरस्त नहीं किए गये है। समय-सारणी में परिवर्तन परमिट धारियों की प्रार्थना एवं जनसुविधा को मध्यनजर रखते हुए किया जाता है, जारी समय-सारणी पर आम-जनता की आपत्तियां आने पर विचार कर निराकरण किया जा सकता है।

निजी पंजीकरण वाहनों का टैक्सी सेवा में उपयोग

580. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितने वाहन निजी पंजीकरण के बावजूद टैक्सी के रूप में संचालित हैं?

(2) उक्त प्रकार के अवैध संचालन से सरकार को कितनी राजस्व हानि हो रही है?

(3) उक्त प्रकार के वाहनों को रोकने के लिये अब तक सरकार ने क्या प्रयास किये हैं? क्या सरकार अब और प्रयास करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ऐसे वाहनों की संख्या बताया जाना सम्भव नहीं हैं।

(2) ऐसे वाहनों की संख्या के निर्धारण की कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं हो सकती अतः ऐसे वाहनों से होने वाली राजस्व हानि का आकलन भी सम्भव नहीं हैं।

(3) उक्त वाहनों की रोकथाम हेतु समय-समय पर निर्देश प्रसारित कर एवं विशेष अभियान चलाकर अवैध संचालन रोकने की नियमित कार्यवाही जारी है तथा अप्रेल, 2002 से फरवरी, 2003 तक ऐसे

(यातायात मंत्री)

7865 वाहनों के चालान बनाये जाकर कुल 713.22 लाख रुपये राजस्व राशि वसूल की गई हैं।

ब्यावर से कानूजा (पाली) हेतु बस सेवा

581. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में ब्यावर डिपो से ग्राम कानूजा (पाली) के लिए कितनी बस सेवाएं चल रही है?

(2) क्या यह सही है कि ब्यावर से कानूजा के बीच दोपहर 12.5 पर चलने वाली बस बन्द की गई है? यदि हां, तो क्यों? उक्त को बन्द करने में कौन कौन अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि ब्यावर डिपो के मैनेजर को क्षेत्रीय विधायक के बार-बार लिखित व मौखिक कहने के बावजूद भी बस बन्द कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार ग्रामवासियों की सुविधा हेतु उक्त बस सेवा को पुन: चालू करने का विचार करती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में ब्यावर आगार द्वारा ग्राम कानूजा (पाली) के लिये दैनिक 4 एकल परिचक्रों का संचालन किया जा रहा है।

(2) जी हां। उक्त सेवा का कम आय प्राप्त होने तथा अलाभकारी होने के कारण संचालन बन्द किया गया था। अत: उक्त सेवा को बन्द करने के लिये किसी अधिकारी विशेष को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

(3) जी हां। प्रश्न के शेष भाग का उत्तर खण्ड संख्या "2" में दिया जा चुका है।

(4) जी हां। इस सेवा का माह फरवरी, 2003 से पुन: संचालन प्रारम्भ किया जा चुका है।

यातायात निरीक्षक सांगानेर (जयपुर) का स्थानान्तरण

582. श्री जीतमल खांट (बागीदौरा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में यातायात निरीक्षकों के स्थानान्तरण की नीति क्या है? क्या उक्त नीति के अनुसार सभी यातायात निरीक्षकों का नियमित स्थानान्तरण किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान यातायात निरीक्षक सांगानेर आगार में काफी लम्बे समय से कार्यरत हैं? यदि हां, तो कब से?

(श्री जीतमल खांट)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त के विरुद्ध स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा पद के दुरुपयोग की शिकायतें प्रस्तुत की गई हैं? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त निरीक्षक ने स्थानान्तरण होने के उपरान्त उसे निरस्त करवाकर पुनः सांगानेर आगार में पदस्थापन करवा लिया? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त का स्थानान्तरण अन्य आगार में करते हुए इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में यातायात निरीक्षकों के स्थानान्तरण की स्वयं की पृथक से कोई नीति नहीं है। तथापि स्थानान्तरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप ही किए जाते हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। सांगानेर आगार में कार्यरत पांच यातायात निरीक्षकों में से केवल एक यातायात निरीक्षक के विरुद्ध जन प्रतिनिधियों द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई है। प्राप्त शिकायत की निगम स्तर पर विधिवत जांच कराई गई परन्तु जांच में साक्ष्य हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः शिकायत को साक्ष्य के अभाव में सही नहीं माना गया।

(4) प्रश्न में यद्यपि किसी विशिष्ट यातायात निरीक्षक के नाम का उल्लेख नहीं है तथापित सांगानेर आगार के एक यातायात निरीक्षक श्री सुरेश कुमार रावत का स्थानान्तरण सांगानेर आगार से झालाना डूंगरी आगार में दिनांक 13.4.2001 को किया गया था, किन्तु प्रशासनिक कारणों से इनका स्थानान्तरण पुनः सांगानेर आगार में दिनांक 8.8.2001 को किया गया है। स्थानान्तरण निरस्त नहीं किया गया है।

(5) जी नहीं। उक्त निरीक्षक के विरुद्ध की गई शिकायत साक्ष्य के अभाव में सही नहीं पाई गई है। अतः उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

कोटा में निगम बसों का काम संचालन

583. श्री मोहन लाल राठौर (झालरापाटन): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा से कोटडा दीपसिंह वाया सुल्तानपुर मण्डावरा बुडादित व कोटा से मांगेराल वाया सीसवाली बोडदा कोटा से कोटा डैम वाया बोरखुई कोटा से रंगपुर वाया स्टेशन मार्ग पर राष्ट्रीयकरण से पहले निजी वाहनों के कितने-कितने ट्रिप स्थायी व अस्थाई जारी किये हुए थे व आज की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए

(श्री मोहन लाल राठौर)

कितने ट्रिप होने चाहिए और वर्तमान में परिवहन निगम द्वारा कितने ट्रिप किये जा रहे हैं।

(2) क्या निगम द्वारा बसों का संचालन कम किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा जनता की सुविधा हेतु कुछ समय के लिए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 104 ए के तहत निजी वाहनों के लिए परमिट जारी क्यों नहीं किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में इन मार्गों की स्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	मार्ग का नाम	स्वीकृत अनुज्ञापत्र	ट्रिप
1.	कोटा से कोटड़ा वाया सुल्तानपुर, मण्डावरा, बुडादित	2	1
2.	कोटा से कोटा डैम वाया बोराखुई	1	1
3.	कोटा से रंगपुर वाया स्टेशन मार्ग	2	6
4.	कोटा से मांगरोल वाया सीसवाली,बोडदा	5	4

क्र.सं. 1 से 3 तक के मार्गों का राष्ट्रीयकरण दिनांक 1.11.1980 को किया गया था तथा कोटा से मांगरोल मार्ग के सम्पूर्ण मार्ग का राष्ट्रीयकरण नहीं कर कोटा से डिबरी-कालीसिन्ध तक के मार्ग का राष्ट्रीयकरण दिनांक 28.11.1980 को किया गया था। डिबरी-कालीसिन्ध से मांगरोल तक के भाग पर निजी बसें संचालित है।

प्रश्न में उल्लिखित मार्गों पर निगम के संचालन की स्थिति निम्नप्रकार है:-

1- कोटा से कोटड़ा दीपसिंह वाया सुल्तानपुर-मण्डावरा बुढादित

कोटा से कोटड़ा दीपसिंह, कोटा-खातोली वाया बड़ोद राष्ट्रीयकृत मुख्य मार्ग पर बड़ोद से 5 किलोमीटर अन्दर की ओर स्थित है। वर्तमान में निगम द्वारा कोटा से खातोती सीये मार्ग पर 56 एकल परिचक्रों का संचालन किया जा रहा है तथा कोटा से कोटड़ा दीपसिंह वाया बड़ौद मार्ग पर 2 एकल परिचक्र दैनिक संचालित किए जा रहे है।

2- कोटा से मांगरोल वाया सीसवाली-बोड़दा

उक्त मार्ग का कोटा से ढीबरी 63 कि.मी. मार्ग राष्ट्रीयकृत है जबकि ढीबरी से सीसवाली 7 कि.मी. अराष्ट्रीयकृत है। वर्तमान में निगम द्वारा 14 एकल परिचक्र प्रतिदिन मांगरोल तक तथा 2 एकल परिचक्र सीसवाली तक संचालित किए जा रहे है।

3- कोटा से कोटा डैम वाया बोरकुई मार्ग पर निगम द्वारा

वर्तमान में बस संचालन नहीं किया

(यातायात मंत्री)

जा रहा है। क्योंकि कोटा डैम से बोरकुई 9 कि.मी. के भाग की सड़क टूटी हुई है। वाहन संचालन योग्य नहीं है।

वर्तमान में कोटा से कोटाडैम वाया बोराबास मार्ग पर निगम द्वारा 6 एकल परिचक्र दैनिक संचालित किए जा रहे है।

कोटा से बोरकुई होकर निगम की कोटा से जोधपुर, उदयपुर व कोटा से भीलवाड़ा मार्ग की 8 एकल सेवाएं प्रतिदिन संचालित की जा रही है।

4– कोटा से रंगपुर वाया स्टेशन

उक्त मार्ग 16 कि.मी. का है जिस पर मिनी बसें व टैम्पों बहुतायत में संचालित हो रहे हैं तथा यह मार्ग शहरी क्षेत्र में आ गया है। निगम द्वारा इस मार्ग पर संचालन नहीं किया जा रहा है।

(2) जी नहीं।

(3) मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 104 के अन्तर्गत उपर्युक्त मार्गों पर निजी वाहन स्वामियों के कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

जयपुर से उदयपुर वाया भीलवाड़ा हेतु डीलक्स बस सेवा

584. डा. रतन लाल जाट (सराड़ा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भीलवाड़ा आगार में वर्तमान में कुल कितनी-कितनी बसें किस-किस श्रेणी की उपलब्ध हैं तथा इन्हें किस-किस रूट पर लगा रखा है?

(2) क्या सरकार ने भीलवाड़ा आगार से भीलवाड़ा से करेड़ा वाया रायपुर हेतु निगम की कोई बसें लगा रखी हैं? यदि हां, तो कितनी तथा उनके आने-जाने का क्या समय है? क्या सरकार उक्त रूट पर और अधिक निगम की बसें चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी बसें कब से और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या जयपुर से उदयपुर वाया गंगापुर (भीलवाड़ा) की निगम की कोई डीलक्स, सुपर डीलक्स बस सेवा है? यदि हां, तो कितनी बसें तथा किस-किस समय पर चलती हैं और नहीं, तो क्यों व अब कब तक चालू कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) वर्तमान में भीलवाड़ा आगार को 103 बसों का आबंटन किया हुआ है। जो सभी साधारण श्रेणी की बसें है। इन बसों को अन्तरराज्यीय/अन्तर आगारीय एवं आगारीय क्षेत्र के मार्गों पर संचालित किया जा रहा है। भीलवाड़ा आगार को आबंटित मार्गों की सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्तमान में भीलवाड़ा से करेड़ा वाया रायपुर गंगापुर पर 2 एकल बस सेवाएं निम्न समयानुसार संचालित की जा रही है:-

भीलवाड़ा	गंगापुर	करेड़ा
1515	1630	1900
करेड़ा	गंगापुर	भीलवाड़ा
0700	0930	1045

(यातायात मंत्री)

वर्तमान में संचालित इस सेवा को भी पर्याप्त यात्री भार नहीं मिल रहा है।

उक्त मार्ग का गंगापुर से करेड़ा तक 50 कि.मी. का भाग पंचम अध्याय का मार्ग है जिस पर निजी वाहन स्वामियों द्वारा वाहन संचालन किया जा रहा है तथा इनकी प्रतिस्पर्धा में निगम की सेवाओं में और वृद्धि आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं रहेगी, अतः फिर भी निगम की बस सेवाओं में और वृद्धि के लिए सर्वे करवाकर यथोचित कार्यवाई की जाकर व्यवस्था को सुचारू करने का प्रयत्न किया जाएगा।

(3) जी नहीं। इस मार्ग पर डीलक्स बस सेवा के संचालन के लाभकारी रहने की सम्भावना नहीं है। अतः निगम की कोई डीलक्स/सुपर डीलक्स बस सेवा के संचालन का विचार नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–16 देखें)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का जिला परिषदों में विलय

585. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के अध्यक्ष जिला प्रमुखों को बनाया गया है? यदि हां, तो कब से तथा उनकों क्या-क्या अधिकार प्रदान किये गये? उक्त सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार का विचार है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को जिला परिषदों में सम्मिलित किया जावे? यदि हां, तो कब तक तथा किस प्रक्रिया से?

(3) क्या यह सही है कि कुछ योजनाएं जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की जिला परिषदों को सौंपी गई हैं? यदि हां, तो कौन–कौनसी और कब–कब तथा उक्त योजना के कर्मियों को जिला परिषदों को क्यों नहीं सौंपा गया?

(4) क्या योजनाएं जिला परिषदों को सौंपी गई हैं उनका स्टाफ जिला परिषदों को सौंपा जायेगा? यदि हां, तो, कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का अध्यक्ष प्रमुख जिला परिषदों को दिनांक 14.1.1999 के आदेश से दिनांक 6.2.1999 से बनाया गया। इस सन्दर्भ में जारी आदेशों की प्रति अनुसूची "अ" पर संलग्न है। संलग्न आदेशों के परिशिष्ट–2 पर उन्हें प्रदत्त अधिकार वर्णित किये गये है।

(2) जी हां। प्रक्रिया अभी सरकार के विचाराधीन है।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) जी हां। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की 9 निम्न योजनाएं दिनांक 1.4.2000 से जिला परिषदों को हस्तातरित की गई है:-

1. बत्तीस जिले बत्तीस काम योजना
2. निर्बन्ध राशि योजना
3. रूरल ग्रोथ सैंटर स्कीम
4. मेवात विकास योजना
5. डांग विकास योजना
6. वानप्रस्थ योजना
7. बन्धुआ पुनर्वास कार्यक्रम
8. बायोगैस योजना एवं
9. अपना गांव अपना काम योजना

इन योजनाओं के लिए कोई पृथक से स्टाफ नहीं होने के कारण जिला परिषदों को नहीं सौंपा गया।

(4) जी नहीं। हस्तान्तरित योजनाओं के साथ स्टाफ स्वीकृत नहीं था। अत: स्टाफ हस्तान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(आदेश की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

(12.00 बजे)

शोकाभिव्यक्ति

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री महेन्द्र सिंह, श्री बालसिंह सोढ़ा और श्री ज्ञानचन्द मोदी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व विधायक श्री महेन्द्र सिंह का जन्म वर्ष 1930 में कोटा जिले की दीगोद तहसील के ग्राम गांवड़ी में हुआ। आपने इंटरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त कीं।

श्री महेन्द्र सिंह तीसरी एवं चौथी राजस्थान विधान सभा में क्रमश: दीगोद और पीपल्दा निर्वाचन क्षेत्र से जनसंघ के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप ग्राम पंचायत-बड़ौद के उप सरपंच तथा पंचायत समिति-सुल्तानपुर के उप प्रधान रहे।

श्री महेन्द्र सिंह का दिनांक 14 मार्च, 2003 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री बालसिंह सोढ़ा का जन्म 5 जुलाई, 1933 को जैसलमेर में हुआ। आपने बी.ए. एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री बालसिंह सोढ़ा चौथी राजस्थान विधान सभा में जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा

(श्री अध्यक्ष)

के कार्यकाल के दौरान आप राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1970 के सम्बन्ध में गठित प्रवर समिति के सदस्य रहे। समाज सेवा तथा जनहित कार्यों में आपकी विशेष रुचि रही। अपने सार्वजनिक जीवन में आप ग्राम पंचायत–खुड़ी के सरपंच तथा पंचायत समिति–सम के सदस्य रहे।

श्री बालसिंह सोढ़ा का दिनांक 15 मार्च, 2003 को निधन हो गया।

स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व विधायक श्री ज्ञानचन्द मोदी का जन्म 11 अगस्त, 1908 को सीकर जिले के नीमकाथाना कस्बे में हुआ।

श्री मोदी वर्ष 1956 में हुए उप–चुनावों में नीमकाथाना निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। इसके पश्चात् आप दूसरी और तीसरी राजस्थान विधान सभा में भी क्रमश: नीमकाथाना और थोई निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे।

श्री मोदी ने देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और पांच बार जेल यात्राएं की। आप लगभग 13 वर्ष तक नीमकाथाना नगरपालिका के अध्यक्ष रहे। राजनीति से संन्यास लेने के बाद आप गौ–सेवा और समाज सेवा के लिए समर्पित रहे। भारत सेवक समाज, गौर–सेवा संघ और खादी संघ से सम्बद्ध रहे श्री मोदी अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे।

बयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री ज्ञानचन्द मोदी का दिनांक 15 मार्च, 2003 को निधन हो गया।

मैं दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि पहली विधान सभा के सदस्य श्री जवान सिंहजी का भी 15 मार्च को ही निधन हो गया और राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद न तो जिला प्रशासन ने उनको कोई किसी तरह का सम्मान दिया। न अभी तक राज्य विधान सभा को इस बात की कोई जानकारी ही दी है।

श्री अध्यक्ष : वह पुष्टि नहीं आई है।

श्री संयम लोढ़ा : और वहां, जो राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि पूर्व विधायक का निधन हो तो उनको...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां-हां, वह है, ठीक बात है।

श्री संयम लोढ़ा : और इसके बाबजूद भी कोई अधिकारी, माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर नहीं..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पुष्टि नहीं आयी है। पुष्टि आते ही रख लेंगे।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री मदन दिलावर एवं एक अन्य सदस्य की ओर से पण्डित रेवाशंकर व्यास हत्याकांड दामड़ी, जिला-डूंगरपुर के आरोपियों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री सांवरलाल, सदस्य की ओर से पंचायत समिति भिनाय की ग्राम पंचायत जोतायां में मजदूरी का भुगतान नहीं करने के सम्बन्ध में।

(3) डा. किरोड़ी लाल एवं 9 अन्य सदस्य की ओर से सपोटरा के थाना अधिकारी द्वारा एक पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हैं। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी जायेगी।

(4) श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य की ओर से जिला कलक्टर, टौंक के विरुद्ध राजस्थान प्रशासनिक सेवा के कतिपय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(12.07 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। एक मिनट। उनको बोल लेने दीजिए फिर बाद में...(व्यवधान) आप बिराजिये। अभी करते हैं, एक मिनट, पहले इनको काल-अपोन हो गया। श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टौंक जिले में 11 राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा, सम्भवतया 10 या 11 मार्च को एक

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

ज्ञापन मुख्य सचिव को, कार्मिक सचिव को और सम्भागीय आयुक्त को प्रस्तुत किया गया। मैं आपकी अनुमति से उस ज्ञापन को पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

''उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हम जिला टौंक में पदस्थापित राजस्थान प्रशासनिक सेवा के समस्त अधिकारीगण..'' (व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने एक व्यवस्था दी थी। हम उधर बैठे थे तो आपने यह कहा था कि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दीजिए न। हां, बोलो-बोलो। क्या है? माननीय मंत्रीजी।

श्री यशवंत सिंह (रामू): आप जरा इनको कहिये तो सही। उस दिन हमें तो कह दिया कि बाहर निकल जाओ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वे समझ गये।

श्री यशवंत सिंह (रामू): लेकिन हो क्या रहा है? देखिये आप। आप कम से कम व्यवस्था दो। उस दिन हमें तो कह दिया कि बाहर चले जाओ और हम बाहर चले गये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जरा हाउस को आर्डर में काल कीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सब जिम्मेदार माननीय सदस्य हैं। यह स्वयं हाउस को आर्डर में लायें तो ज्यादा अच्छा है। (व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू): जिम्मेदारी आपकी ही है साहब।

श्री उपाध्यक्ष : मैं बारबार कहूं तो अच्छा थोड़े ही लगता है? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यह ज्ञापन जो प्रस्तुत किया गया है वह ए.डी.एम. डवलपमैंट, ए.डी.एम. एडमिनिस्ट्रेशन, ए.डी.एम. बीसलपुर, एस.डी.ओ. देवली, एस.डी.ओ. उनियारा, एस.डी.ओ. टोडारायसिंह, एस.डी.डी. पीपलू, एस.डी.ओ. मालपुरा, ए.सी.एम., मालपुरा, एस.डी.ओ., टोडा, एडिशनल सी.ओ., समस्त आर.ए.एस. आफिसर्स जो हैं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो टौंक जिले में कार्यरत हैं, उन्होंने ज्ञापन में लिखा है कि- ''उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हम जिला टौंक में पदस्थापित राजस्थान प्रशासनिक सेवा के समस्त अधिकारीगण पूर्व मनोयोग एवं सम्यक तत्परता से राज्य सेवा के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। आज राजस्थान राज्य जिस भीषणतम अकाल के दौर से गुजर रहा है, इसमें हम सभी प्रशासनिक अधिकारी तन-मन-धन से रात दिन निष्ठा, कठोर परीश्रम, ईमानदारी एवं लगन से अकाल पीड़ित जनता की यथासम्भव सेवा कर रहे हैं एवं उनके संकट तथा समस्या के निवारण हेतु संवेदनशीलता के साथ निरन्तर प्रयत्नशील हैं।'' ऐसे में सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रतिबद्धता

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

के साथ कार्य करने के उपरान्त भी जिला कलक्टर टौंक श्री अश्विनी भगत द्वारा हम अधिकरीगणों को बजाय कुशल नेतृत्व प्रदान करने के मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। बिना किसी पर्याप्त आधार के बैठकों के अधिकारियों को डाटा-फटकारा जाता है। संवाद स्थापित नहीं किया जाता है एवं व्यावहारिक पक्ष की उपेक्षा की जाती है। किसी भी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर विचार नहीं किया जाता तथा संवादात्मक सहभागिता को हतोत्साहित किया जाता है। ऐसी स्थिति में जिले में प्रशासनिक कार्य निष्पादन हेतु स्वस्थ वातावरण का उत्तरोत्तर ह्रास हो रहा है। हम समस्त अधिकारीगण भारी मानसिक दबाव में हैं। उक्त परिपेक्ष्य में हम सभी राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद् के अधिकारीगणों का निवेदन है कि हमारा स्थानान्तरण राज्य में किसी अन्यत्र स्थान पर कर दिया जावे ताकि हम अपने दायित्वों का भली-भांति निष्पादन कर सकें। बिना सही नेतृत्व और स्वस्थ वातारण के हम कुशल परिणामकारी कार्य करने में असमर्थ हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का जवाब है उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक अर्द्ध शासकीय पत्र के क्रम में विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जवाब तो आपको मिल गया न। आप क्या कहना चाहते हो जो कह दो न? जवाब तो मिल ही गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, जवाब बहुत महत्वपूर्ण हैं। जवाब वह क्या कह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात को थोड़ा समझने की चेष्टा कीजिये। यह बड़ी गम्भीर समस्या है कि एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, जिला कलक्टर टौंक और उसके अधीन समस्त करीब 11 आर.ए.एस. आफिसर, वह एक ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं और आज राजस्थान के अंदर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह बात आपने कह दी ना, आप क्या चाहते हो? जो बताओ न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं यह चाहता हूं कि सरकार ने कोग्नीजेंस ही नहीं लिया और आप कह रहे हो मैं क्या चाहता हूं। आप क्या चाहते हैं, राजस्थान का हित आप भी सोचते हो। नहीं, जवाब पढ़ने कहां दे रहे हैं आप?

श्री उपाध्यक्ष : सरकार ने जवाब में लिखा है प्रशासनिक स्तर पर विचार किया जाना है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, यह नहीं लिखा उन्होंने।

श्री उपाध्यक्ष : लिखा है ना। पढ़ो न आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या लिखा है? उक्त स्थगन प्रस्ताव में सम्मिलित बिन्दु प्रशासनिक स्तर पर विचार किये जाने योग्य है। यानि 15 रोज तक तो विचार ही कर रहे हैं यह। मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से यहां पर कहा था। उन्होंने कहा कि वह कलक्टर तो पागल है। अब वह पागल है तो कलक्टर क्यों बिठा रखा है आपने उसे? आप कमाल करते हो।

एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और आर.ए.एस. आफिसर का...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): यह तो आपके अधिकारी कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपसी बातचीत होती है गवर्नमेंट...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन यह नहीं है। जिला कलक्टर टौंक का प्रश्न नहीं है। सवाल यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी वर्ग और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी वर्ग को यह सरकार क्या लड़ाना चाहती है? राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी आपका कैडर है, राजस्थान का कैडर है। आई.ए.एस. कैडर आपको अलाट होता है लेकिन उनको आप ह्यूमिलिएशन के अंदर काम कराना पसन्द करते हो। उपाध्यक्ष महोदय, अपेक्षा यह की जाती थी... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : What do you want? You were allowed to speak only for two minutes and we are allowing you 5-7 minutes.

श्री सुरेन्द्र व्यास : Sir, it is alright. I just want to impress upon a few points before the Government.

श्री उपाध्यक्ष : What do you want? यह बताओ न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस बात को तत्काल इनको अटेण्ड करना चाहिये था और यह स्थिति पैदा नहीं होने देनी चाहिये थी तो यह मामला सदन में नहीं आता, यह मामला अखबार में नहीं आता। एक आई.ए.एस. आफिसर के और एक आर.ए.एस. आफिसर की तो लड़ाई हो सकती है लेकिन कलेक्टिवली। आर.ए.एस. आफिसर अगर ज्ञापन देते हैं कि हमारा ट्रांसफर यहां से कर दिया जाये, अगर कोई समझदार मुख्य मंत्री होता और कोई समझदार मुख्य सचिव होता तो आज तक तो कभी का कलक्टर का ट्रांसफर कर देते।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, वह ईमानदार हो सकता है इसलिए लड़ाई हो सकती है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप सुने। एक आदमी से लड़ाई हो सकती है।

श्री श्रवण कुमार : वह सारे अकाल राहत में पैसा खाते थे। अकाल राहत में पैसा खाना चाहते थे इसलिए कलक्टर सख्ती करता होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके समझ के बाहर की बात है श्रवण कुमारजी, बैठो आप। ग्यारह आर.ए.एस. आफिसर बेईमान होंगे? एक आदमी होगा, दो आदमी होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा सवाल नहीं है। मैं यह कह रहा हूं यह हालत दूसरी जगह भी है। यह पाली के अंदर भी है, अजमेर में भी है, नागौर के अंदर भी है। उपाध्यक्ष महादेय, मैं यह बात मानता हूं कि कलक्टर आई.ए.एस. है और आर.ए.एस. से प्रमोटी भी हो सकता है, कलक्टर को यह अधिकार है कि अगर उसका सबार्डिनेट आफिसर काम नहीं करे तो उसको डांटे-फटकारे पर डी.ओ.पी. मिनिस्टर साहब, इस बात पर तो विचार करो कि कलेक्टिवली पूरे आफिसर कह रहे हैं। एक आदमी कहे, दो आदमी कहे। आपने आज तक इस समस्या को अटेण्ड क्यों नहीं किया? मुझे तो आप इतना सा बता दे कि आप इसको गम्भीर नहीं मानते, आप इस बीमारी को फैलाना चाहते हो? क्या होगा राजस्थान के अंदर?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें प्लीज। हो गया बहुत।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं कहता हूं सरकार को, बिराजो। आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। मैं कहता हूं न सरकार को।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसको अटेण्ड नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो यही कह रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आई.ए.एस. वर्सेज आर.ए.एस. राजस्थान के अंदर पैदा होगा, यह राजस्थान के हित में नहीं होगा। राजस्थान के आई.ए.एस. के मैं खिलाफ नहीं हूं। उनमें बहुत आई.ए.एस. अफसर अच्छे हैं। आपके मुख्य सचिव की बहुत तारीफ अखबार के अंदर आती है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इस वर्ग संघर्ष के खिलाफ हूं। आप इसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं। राजस्थान प्रशासनिक सर्विस का कल्ला जी, आपका कैडर है। आप उनके हितों की रक्षा, उनके सम्मान की रक्षा आपका कर्तव्य है। ग्यारह, ग्यारह आफिसर, पूरा जिला प्रशासन ठप्प पड़ा हुआ है। संवादहीनता की स्थिति है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज, हो गया न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा व्यक्तिगत रूप से प्रतिवाद करने के लिये तो खड़े हो गये डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं आप हमारे यहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, और हमारे यहां के हो, इसलिए आपको निवेदन किया। आप इस समस्या को अटेण्ड करवाओ। मैं समझता हूं कि आप हो सकता है कि यहां एक फाल्स प्रेस्टिज के नोशन आपने पाल रखा हो और आप कोई घोषणा नहीं करें, लेकिन इस डेडलोक को रिजोल्व करने का एक ही तरीका है कि कलक्टर की आप तत्काल छुट्टी करें और यह भी मैं आपको बता देता हूं माननीय कल्लाजी, यह अनुभव सा प्राप्त करें कि आइन्दा कभी इनको, मैं किसी आई.ए.एस. की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह जो कलक्टर है, इसको अगर आपने कहीं पर लगाये, इसको तो जहां पर प्रशासनिक काम नहीं हो ऐसी पोस्ट पर लगाओ और इनके रिकार्ड में भी आ जाएगा यह। वरना क्या है कि आर.ए.एस. आफिसर से काम तो लेना पड़ेगा। आपका ढांचा तो पूरा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, इस मामले को अटेण्ड करके आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, कल्ला जी करेंगे साहब। कल्ला जी करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। 295...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आप करोगे न कल्ला जी।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र बाड़ी में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। बाड़ी क्षेत्र में बहुत बड़ा हादसा हुआ है?

श्री उपाध्यक्ष : क्या हो गया?

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : होली वाले दिन 17 तारीख को 9 बजे एक भयानक बम विस्फोट हुआ है। इस...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप किस पर बोल रहे हो? किस पर बोल रहे हैं आप?

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मौत से लोग जूझ रहे हैं...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू) : पर्ची दी थी इन्होंने इसकी...(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : और स्थिति यह है कि उनके इलाज के लिये कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : पर्ची भी दी थी इन्होंने और मेरी भी पर्ची है। इसलिए मैं भी बोलूंगा पांच मिनट।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : पचास से ज्यादा बच्चे आठ-आठ, नौ-नौ, दस-दस साल के हैं। (व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू) : मैंने पर्ची दी थी, मेरी पर्ची थी इसके ऊपर। मैं भी बोलूंगा।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : करौली, सरमथुरा, बाड़ी और धौलपुर में मौत से जूझ रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उनके इलाज के लिये समुचित व्यवस्था करें।

श्री यशवंत सिंह (रामू) **:** पर्ची थी मेरी इसमें, मैं भी बोलूंगा इसी मामले में।

श्री उपाध्यक्ष : पर्ची नहीं है इनकी।

श्री यशवंत सिंह (रामू) **:** पर्ची दी थी इन्होंने, इसमें लगी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, नहीं आयी, यही तो मैं कह रहा हूं। बिराजें, आप किस पर बोल रहे हैं। बिराजिये।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : इस इलाज के अभाव में वह घर पहुंच गये हैं और उनके पेट में संवाद पड़ चुकी है। वह कभी भी मर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कई बच्चों की तो नेत्र ज्योति चली गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा हादसा राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा।

श्री यशवंत सिंह (रामू) **:** उपाध्यक्ष महादेय, वास्तव में गम्भीर मामला है। मैंने भी पर्ची दी थी इसमें। मेरी भी पर्ची थी इसमें।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, यह उसमें से जो निकले हैं...(व्यवधान) इनकी जांच करवाई जाये। उनको आर्थिक मदद दें और उनका समुचित इलाज किया जाये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। आप बिराजिये प्लीज।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आप बिराजो तो सही। हां, आप बिराजो। बिराजो तो सही। आप चाहते थे...(व्यवधान) आप बिराजिये। माननीय गृह मंत्रीजी, इन्होंने एक इंफोर्मेशन दी, उस पर आप जांच कराकर वस्तुस्थिति से सदन को अवगत कराने की कृपा करें। बिराजिये। प्लीज, हो गया न। 295.

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये नहीं।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आ जाएगा। कह दिया न। मैंने कह दिया ना आप बिराजें। That I will decide. You will not decide.

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न। बता दिया न इन्होंने माननीय सदस्य। कोई लापरवाही नहीं है। आप बिराजिये।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह किसने कहा, सही नहीं है? आप गलत सुन रहे हो इसका इलाज क्या है मेरे पास? मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ नहीं कहा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये माननीय राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी बात को कोग्नीजेंस लेकर मैंने गृह मंत्रीजी से निवेदन कर दिया। I will decide the time. He will not decide the time. I will decide the time and the Government will give a statement. फिर क्या जल्दी है? (व्यवधान) आप बिराजिये प्लीज।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो यह सब।

श्री मदन दिलावर : XXX

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

(1) श्री धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत सीलगांव पंचायत समिति मुण्डावर की वर्तमान सरपंच को चार्ज दिलाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री गणेशीराम मेघवाल, सदस्य की ओर से केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत पर्यटन, ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों को जोड़ने के सम्बन्ध में।

(3) श्री बाबूलाल सिंगारिया, सदस्य की ओर से राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को वित्तीय एवं न्यायिक अधिकार दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) डा. रघुवीर सिंह गौड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के नारहेड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी का पदस्थापन करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के सायरा में अतिरिक्त तहसील कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(6) डा. करण सिंह यादव, सदस्य की ओर से अलवर यू.आई.टी. द्वारा बहरोड़ में राव तुलाराम नगर योजना के लिये प्रस्तावित जमीन को अधिग्रहण से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना करने के सम्बन्ध में।

(8) डा. रतनलाल जाट, सदस्य की ओर से ए.एन.एम. ट्रेंड बेरोजगार महिलाओं को नियुक्ति देने के सम्बन्ध में।

(9) श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड का पूर्णत: गठन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खारची में अकाल राहत कार्यों के तहत ग्रेवल्ड रोड बनाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री रामेश चन्द्र पण्ड्या, सदस्य की ओर से जिला बांसवाड़ा के माही कमाण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत लघु सिंचाई तालाबों की अनदेखी के सम्बन्ध में।

(12) श्री देवी सिंह भाटी, सदस्य की ओर से राज्य में गोचरभूमि के किसी अन्य कार्य में आबंटन में स्थायी रोक लगाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हो गया आपको?

श्री सुरेन्द्र व्यास : गृह मंत्रीजी को सिर्फ याद दिला रहा हूं, साहब। पुलिस की प्रताड़ना के द्वारा जवाहर नगर के अन्दर आत्म हत्या का जो मामला था, उसके अन्दर आपने अभी तक जानकारी उपलब्ध नहीं करायी कि पैसे वसूल करने के लिए दो-दो थानाप्रभारी साथ गये और उन्होंने उसी कारण आत्म हत्या कर ली। वह मसला मैंने यहां रखा था और आपके निर्देश से गृह मंत्रीजी ने कहा था कि इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर के वक्तव्य देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : दिलवा देंगे उसमें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसकी जानकारी प्राप्त कर ली क्या आपने?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये न, हो गयी न बात।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेश से मैं यह टेबल करना चाहता हूं। यह जांच में काम आयेगा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : रख दो आप टेबल पर रखना चाहो तो, क्या तकलीफ है इसमें।

(माननीय सदस्य द्वारा कागज सदन की मेज पर रखे गये)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

ग्राम पंचायत सीलगांव, पंचायत समिति मुण्डावर की सरपंच को चार्ज दिलाने विषयक

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा

(श्री धर्मपाल चौधरी)

के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के द्वारा ग्राम पंचायत सीलगांव पंचायत समिति मुण्डावर की वर्तमान सरपंच को चार्ज दिलाने के क्रम में निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि श्रीमती मूर्ति देवी सरपंच, ग्राम पंचायत सीलगांव सरपंच का चुनाव 31 जनवरी, 2000 को जीत कर इस पद पर आसीन हो गयी थी। यह महिला आरक्षित सामान्य वर्ग से चुनाव जीत कर वर्तमान में सरपंच के पद पर सेवारत है।

उपाध्यक्ष महोदय, आश्चर्य की बात है कि आज तक मूर्ति देवी सरपंच को पूर्व सरपंच व सचिव ने ग्राम पंचायत का कोई चार्ज नहीं दिया है और ना ही पंचायत भवन पर लगा हुआ ताला आज तक खोला है। जबकि वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत का सारा कार्य बाहर पेड़ के नीचे बैठकर करती आ रही है। चूंकि वर्तमान सरपंच महिला वर्ग से है और पूर्व सरपंच आदतन अपराधी व हिस्ट्रीशीटर है, सरकार के अधिकारी व नुमायन्दे भी उससे भयभीत हैं। ग्राम पंचायत का चार्ज लेने बाबत् महिला सरपंच ने पूर्व में भी कई मर्तबा जिला कलक्टर अलवर व विकास अधिकारी मुण्डावर तथा उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यकारी अधिकारी तथा अन्य सक्षम अधिकारियों को प्रार्थना पत्र लिख-लिख कर शिकायत की है। किन्तु सरकार के किसी भी अधिकारी ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया है। यह सरकार के अधिकारियों की लापरवाही व उपेक्षापूर्ण कार्यवाही है जबकि सरकार की नीति महिला आरक्षण व सशक्तिकरण करने की है।

अत: मेरा आपसे राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि वर्तमान सरपंच (महिला) मूर्ति देवी को पूर्व सरपंच व सचिव से पंचायत का चार्ज दिलाया जावे क्योंकि पूर्व सरपंच इसका नाजायज लाभ उठा रहा है। उसने पूर्व मोहर व अधिकार से कई व्यक्तियों को पट्टा, भूमि आबंटन कर काफी धनराशि अर्जित कर ली है और कर रहा है। यदि शीघ्र ही चार्ज नहीं दिलाया गया तो सभी महिला सरपंच एकत्र होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए विधान सभा व जिला कलक्टर कार्यालय पर धरना व घेराव करने के लिए बाध्य होंगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशीराम मेघवाल।

केन्द्रीय सड़क निधि योजनान्तर्गत पर्यटन, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के स्थलों को जोड़ने विषयक

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत "केन्द्रीय सड़क निधि योजना" के तहत पर्यटन ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़क के क्रम में मैं ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि "केन्द्रीय सड़क निधि योजना" के अन्तर्गत राज्य सरकार पर्यटन ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली विभिन्न सड़कों के उन्नयन व नवीनीकरण के कार्य हेतु प्रावधान किया है। जालौर शहर एक पर्वत की तराई में बसा है। पहाड़ पर ऐतिहासिक दुर्ग है। बड़े–बड़े महल बने हुए हैं। यह किला राजा वीरमदेव सोनगरा के समय का है जिन्होंने अल्लाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध लड़ा था। किला एवं महलों के साथ यहां पर बड़े–बड़े मन्दिर हैं। इन मन्दिर में भगवान के दर्शन करने तथा किले एवं महलों को देखने कई लोग आते हैं। जालौर शहर से किले तक जो सड़क पहले से बनी थी वह उबड़–खाबड़ है तथा लोगों को आने–जाने में बड़ी दिक्कत आती है। ऐतिहासिक, पर्यटन एवं धार्मिक स्थल हैं वहां जगह–जगह पर रास्ते में बड़े–बड़े गेट बने हैं। गेटों पर बड़े–बड़े दरवाजे लगे हुए हैं। पूर्व में जब लड़ाई हुई थी तो यहां से हाथी चढ़ते थे।

अत: मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि "केन्द्रीय सड़क निधि योजना" अथवा अन्य योजना में इस सड़क को, जो जालौर शहर से करीब 2 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर है, बनवा कर जालौर जिले के लोगों को राहत प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल सिंगारिया। (अनुपस्थित) डा. रघुवीर सिंह गौड़।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के नारहेड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी का पदस्थापन

डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत ब्लाक पी.एच.सी. नारहेड़ा में चिकित्साधिकारियों का पदस्थापन बाबत निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत कर निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में नारहेड़ा ब्लाक पी.एच.सी. है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक भी चिकित्सक कार्यरत नहीं है। सिद्धान्त: ब्लाक पी.एच.सी. पूरे क्षेत्र की स्वास्थ्य गतिविधियों का केन्द्र होता है तथा इसका प्रभारी ही क्षेत्र में टीकाकरण, महिला

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

स्वास्थ्य, शिशु चिकित्सा, आंगनबाड़ी, उप स्वास्थ्य केन्द्रों तथा नसबन्दी कैम्पों आदि का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवांही करता है। पूरे ब्लाक की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु वही उत्तरदायी होता है। साथ ही अन्य चिकित्सा कार्यों का निष्पादन भी पी.एच.सी. मुख्यालय पर किया जाता है लेकिन खेद है कि नारहेड़ा ब्लाक पी.एच.सी. पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। जनता तथा मेरे द्वारा बारबार ज्ञापन दिये जाने के बाद भी केन्द्र में एक भी चिकित्सक नहीं है। आस-पास के गांवों में सैकड़ों रोगी निराश होकर लौट जाते हैं। आकस्मिक उपचार हेतु या तो नीम-हकीमों के हत्थे चढ़ जाते हैं या फिर उन्हें टैक्सी कर दूर बी.डी.एम. अस्पताल, कोटपूतली जाना पड़ता है। नारहेड़ा की जनता को आम बीमारियों के इलाज के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है।

अत: निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र प्रभारी वरिष्ठ चिकित्साधिकारी एवं चिकित्साधिकारी का पदस्थापन किया जावे। आशा है प्रशासन आवश्यक कार्यवाही कर पीड़ित जनता को राहत प्रदान करेगी। इस समय जनता में भीषण असंतोष है तथा वह आन्दोलन के लिए कृत संकल्पित हैं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल गरासिया।

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के सायरा में अतिरिक्त तहसील कार्यालय खोलने विषयक

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में अतिरिक्त तहसील सायरा की स्थापना हेतु राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र गोगुन्दा के अन्तर्गत वर्ष 1953 से पूर्व वर्तमान तहसील कार्यालय गोगुन्दा का मुख्यालय गोगुन्दा से 35 किलोमीटर दूरी परग्राम सायरा पर था एवं गोगुन्दा में उप तहसील का मुख्यालय था। वर्ष 1953 में तहसील कार्यालय का मुख्यालय सायरा से गोगुन्दा करते समय तत्कालीन प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा दूरी को ध्यान में रखते हुए तहसील कार्यालय के बदले उप तहसील की स्थापना करने का आश्वासन दिया गया था। ग्राम सायरा व उसके लगते हुए क्षेत्र की वर्तमान तहसील मुख्यालय से अधिक दूरी होने व आवागमन के साधनों का अभाव होने तथा क्षेत्र निवासी आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण छोटे-मोटे सभी कार्यों के लिए तहसील मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं और राज्य सरकार की मंशा के अनुसार विकास में पूर्ण रूप से सहभागी नहीं बन पाते हैं। इसी कारण

(श्री मांगीलाल गरासिया)

ग्राम सायरा में उप तहसील या अतिरिक्त तहसील की स्थापना को लेकर निरन्तर क्षेत्र की जनता व जनप्रतिनिधि मांग करते आ रहे हैं। क्योंकि इस क्षेत्र की प्रथम एवं महत्वपूर्ण मांग ही सायरा में उप तहसील या अतिरिक्त तहसील की स्थापना कराने बाबत है।

महोदय, यह तहसील क्षेत्र पूर्ण रूप से पहाड़ी क्षेत्र होकर आदिवासी बाहुल्य है तथा 99 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर है तथा विकास की दृष्टि से भी काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। विकास व तहसील सम्बन्धी समस्त छोटे-मोटे कार्यों के लिए भी 35 से 50 किलोमीटर की दूरी विभिन्न वाहनों को बदलते हुए तय कर तहसील मुख्यालय गोगुन्दा तक आना पड़ता है। सायरा में उप तहसील या अतिरिक्त तहसील की स्थापना हेतु राज्य सरकार के निर्धारित सभी मानदण्ड पूरे होते हुए भी गत 50 वर्ष से क्षेत्र की जनता निरन्तर संघर्षरत है। कृपया जनहित को दृष्टिगत रखते हुए तहसील गोगुन्दा में एक अतिरिक्त तहसील अथवा उप तहसील की स्थापना ग्राम सायरा में कराने के आदेश इसी सत्र में जारी कराने का श्रम करावें।

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंह यादव।

अलवर यू.आई.टी. द्वारा बहरोड़ में राव तुलाराम नगर योजना की प्रस्तावित भूमि को अधिग्रहण मुक्त करने विषयक

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम-295 के अन्तर्गत अलवर यू.आई.टी. द्वारा बहरोड़ में राव तुलाराम नगर योजना के लिए प्रस्तावित जमीन को अधिग्रहण से मुक्त करवाने हेतु माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने हेतु विशेष उल्लेख।

महोदय नगर विकास न्यास, अलवर ने लगभग 10 वर्ष पूर्व राव तुलाराम नगर बसाने के उद्देश्य से वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर उसे अन्यत्र कार्यों में खर्च कर दिया। नगर विकास न्यास, अलवर ने उक्त योजना हेतु अधिग्रहण की धारा 4 की कार्यवाही एक विज्ञप्ति देकर दिनांक 26.9.2000 को प्रारम्भ की। पीड़ित पक्षकारों ने अपने-अपने आक्षेप भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये। दरअसल वास्तविक स्थिति यह है कि इस प्रस्तावित भूमि पर पहले से ही लगभग 300 परिवार बसे हुए हैं और 300 के लगभग ही दुकानों में व्यावसायिक कार्य हो रहा है। इस भूमि पर सड़कें बनी हुई हैं, बिजली एवं टेलीफोन के खम्भे लगे हुए हैं, नालियां बनी हुई हैं एवं हमीदपुर रोड से कचहरी-नारनौल रोड तक लगभग 01 किलोमीटर की दूरी में

(डा. करण सिंह यादव)

व्यवसाय हेतु दुकानें, क्लिनिक, नर्सिंग होम एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बने हुए हैं।

उपरोक्त सभी तथ्यों को दरकिनार करते हुए अगर विकास न्यास, अलवर ने धारा 5 की कार्यवाही वाला-वाला ही कर दी। बहरोड में आने वाले किसी प्रतिष्ठित अखबार में इसकी सूचना नहीं दी गई जिससे पक्षकार अपना विरोध नहीं जता सके।

इसी प्रकार दफा 6 (16) की कार्यवाही चुपचाप ही कर दी गई। पता लगने पर पीड़ित पक्षकारों ने अप्रैल, 2002 से ही सभी सम्बन्धित अधिकारियों से अपनी पीड़ा व्यक्त की। अधिग्रहण के अन्तर्गत आने वाली जमीन पर 80 से 100 प्रतिशत तक निर्माण कार्य हो चुके हैं और नागरिकों ने भारी लागत लगाकर मकानों व दुकानों का निर्माण कराया हुआ है जो नगरपालिका की अनुमति से किये गये हैं। नगपालिका ने ही इस भूमि पर सड़कें व नालियों एवं रोड लाइट का कार्य किया हुआ है। अधिकतर मकानात के भूमि रूपान्तरण शुल्क भी नगरपालिका में जमा करवा दिये गये हैं। मेरा मानना है कि इस भूमि पर कोई नया नगर नहीं बसाया जा सकेगा और न ही बने बनाये मकानों को तोड़ा जा सकेगा।

अतः माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वो इस योजना को निरस्त करवाकर इस भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करवायें तथा पूर्व में बने हुए सभी मकानों व दुकानों का राज्य सरकार की नीति अनुसार नियमन करवाने की कृपा करें। यदि जरूरी हो तो इस प्रकरण को राज्य सरकार की अधिग्रहण से मुक्त करने हेतु बनायी गयी उच्च स्तरीय केबिनेट सब कमेटी के सामने सभी तथ्यों के साथ में रखें ताकि अधिग्रहण से मुक्ति मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा। (अनुपस्थित) डा. रतन लाल जाट।

प्रशिक्षित बेरोजगार महिला ए.एन.एम. को रोजगार देने विषयक

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

महोदय, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्होंने 1997-98 से भी पुरानी ट्रेनिंग कर रखी है। उनके साथ वाली भाजपा सरकार में लेकर कौंसिल रजिस्ट्रेशन द्वारा भेजकर नियुक्ति दे दी गई लेकिन आधा बैच 1998 वाला वंचित रह गया और सत्ता परिवर्तन हो गयी। इस हेतु कांग्रेस सरकार ने नियुक्तियों पर बेन लगा दिया। उसके बाद जिला स्तर पर संविदा में

(डा. रतन लाल जाट)

नियुक्तियां दी गई। चूंकि 1998 वाली महिला के प्रतिशत कम होने पर नहीं लिया गया और जिला स्तर पर कमेटियों में नियुक्तियों में भी धांधली हुई। उनके चहेते लोगों के पोस्टिंग हो गये लेकिन वास्तविक गरीब महिला जिसको सरकारी फण्ड से ट्रेनिंग दी गई। वह नौकरी से वंचित रह गई। इस हेतु सरकार ने जिला स्तर पर लिए गए इंटरव्यू में भी रोस्टर एवं मैरिट उनके आड़े आ गई और वह स्वयं के जिले को छोड़कर अन्य जिलों में इंटरव्यू देने जाने के लगभग पांच हजार से अधिक खर्चा एक ए.एन.एस. ट्रेंड को आ रहा है। नियुक्तियां अगर नर्सिंग कोंसिल, जयपुर के माध्यम से राज्य स्तर पर होती तो यह अलग-अलग भी इन बेरोजगार महिलाओं को नहीं उठाना पड़ता। जिला स्तर पर नियुक्तियों का विज्ञापन अन्य जिलों में नहीं पहुंच पाता जिससे वह वहां पर साक्षात्कार से वंचित रह जाती है।

गरीब ए.एन.एम. उस जिला स्तर पर समय पर पहुंच नहीं पाती। पैसे वाली ट्रेंड महिलाएं ही आर्थिक भार सहन कर वहां पहुंचती है। आखिर इन गरीब महिलाओं ने क्या बिगाड़ा जिसके साथ के बैच वाली महिलाएं परमानेंट हो गई और इनको अभी तक संविदा पर भी नियुक्ति नहीं मिली। पांच वर्षों से बेरोजगारी का कहर झेलती आ रही हैं तथा परिवार समाज एवं गांव में धिक्कार सी महसूस कर रही हैं। 1998 वाले को पहले परमानेंट करें उसके बाद ट्रेंड को नियुक्ति दें जिससे सभी को रोजगार मिल सके।

क्योंकि यह ट्रेनिंग के समय बाण्ड भरवाये थे वर्तमान में लगभग 4000 ए.एन.एम. ट्रेंड राज्य में बेरोजगार हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता निचले स्तर की चिकित्सा सेवाओं से जुड़ी है इसलिए इनका पद खाली नहीं रहना चाहिए। इनके द्वारा ही छोटे गांव ढाणी मजरे से फैलने वाली बीमारियों का अतिशीघ्र पता लगता है। कांग्रेस की सरकार ने इन महिलाओं के साथ आम जनता महिलाओं बच्चों के साथ अत्याचार किया है। अब भी यह अत्याचार इन्हें नियुक्ति देकर बन्दी करावें। ये महिलाएं राष्ट्रीय कार्यक्रम पल्स पोलियो परिवार कल्याण क्षय निवारण आदि कई बड़े कार्यक्रमों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है इसलिए 500 की आबादी वाले हर गांव में एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होना अनिवार्य है जैसे प्रधानमंत्रीजी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा कस्बों से 500 की आबादी वाले हर गांव को डामर की सड़कों से जोड़ा जा रहा है वैसे ही 500 की आबादी में एक ए.एन.एम. जरूरी है इसलिए सरकार की गलत नीतियों से पांच वर्ष से नर्सिंग (ए.एन.एम.) की ट्रेनिंग करके बैठी महिलाओं का आर्थिक एवं मानसिक शोषण हुआ है अत: संविदा के आधार पर भी इनको पहले लेना चाहिए अगर शीघ्र नियुक्ति इन्हें नहीं दी गई तो शायद इनमें से कोई आत्महत्या कर लेगी जिसकी जिम्मेदार सरकार खुद रहेगी। इतना ही इन गरीब महिलाओं ने क्या बिगाड़ा कि

(डा. रतन लाल जाट)

एक तरफ सरकारी स्टाई फण्ड से नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेंड होने के बाद भी इनको संविदा के आधार पर भी नियुक्तियां नहीं दी जाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिक चन्द सुराना।

राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड के गठन विषयक

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव।

महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव निम्नप्रकार प्रस्तुत करता हूं:

छतरगढ़ (बीकानेर) में राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड की 1,42,392 बीघा भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज अभी तक नहीं हुआ है, जबकि तथ्य यह है कि उक्त भूमि वर्ष 1954 को ही भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा 48 वर्षों में समय-समय पर साधारण भूमिहीन किसानों को आबंटित की जाती रही है।

राजस्थान यज्ञ बोर्ड द्वारा छतरगढ़ की उक्त भूमि अब तक हजारों लोगों को आबंटित की गई है और 55 प्रतिशत आबंटियों का नाम राजस्व रिकार्ड में जिला प्रशासन द्वारा दर्ज किया जा चुका है। शेष 45 प्रतिशत आबंटियों के नाम अभी भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किये जा रहे हैं जिससे आबंटियों में एक अस्थिरता व असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा समस्त आबंटियों की सूची कलक्टर, बीकानेर को उपलब्ध कराई जा चुकी है लेकिन राजस्व रिकार्ड में अंकन न किये जाने के फलस्वरूप बोर्ड द्वारा आबंटित काश्तकारों की भूमि पर शिड्यूल बैंक एवं सहकारी बैंकों द्वारा मध्यावधि व दीर्घकालीन ऋण सुविधा व्यापक पैमाने पर उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इन परिस्थितियों का एक मूल कारण राजस्व रिकार्ड में भूदान यज्ञ के नाम 1,42,392 बीघा भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज न होना प्रमुख है जबकि भूदान यज्ञ बोर्ड के नाम ही नहीं है तो भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा किये गये आबंटन की वैधानिकता ही क्या है?

राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड के पास अब छतरगढ़ में मात्र 15-18 हजार बीघा भूमि टुकड़ों में बची है और भूदान बोर्ड का पूर्ण गठन न होने के कारण भूदान यज्ञ बोर्ड भी अधरझूल में है। राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड एक्ट, 1954 की धारा 4 (1)(बी) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जिन 6 से 10 लगाकर तक के सदस्यों की नियुक्ति की जानी है। वह नियुक्ति नहीं किये जाने के कारण भूदान यज्ञ बोर्ड का पूर्ण गठन ही कानून की निगाह में नहीं हुआ है। भूदान यज्ञ बोर्ड की ओर से सक्षम कार्यवाही करना कानून की निगाह में आज की तारीख में कम से कम कोई अधिकार नहीं है।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

माननीय अध्यक्ष व सचिव, भूदान बोर्ड का गठन करने के लिए काफी नहीं है। भूदान बोर्ड के पास छतरगढ़ में कोई विशेष कार्य भी बाकी नहीं है और सम्भव है कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने भूदान यज्ञ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है।

मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक तहसील मुख्यालय छतरगढ़ में कार्यरत भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा किये गये आबंटनों के फलस्वरूप आबंटियों की दुर्दशा का विशेष उल्लेख इस दृष्टि से कर रहा हूं कि राज्य सरकार जिला प्रशासन को निर्देश देकर भूदान आबंटियों के नाम राजस्व रिकार्ड में तत्काल दर्ज करने को देवें। मैं राज्य सरकार के ध्यान में यह भी लाना मेरा दायित्व समझता हूं कि राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड की बीसलपुर बांध की डूब में आई हुई भूमि का करीब 60 लाख रुपये का मुआवजा प्राप्त हुआ है और छतरगढ़ में महाजन फील्ड फायरिंग के विस्थापितों को राज्य सरकार द्वारा आबंटित भूमि की भूमि का मूल्य 12 लाख रुपये हस्तान्तरित हुआ है क्योंकि सरकार द्वारा आबंटित भूमि वस्तुतः भूदान यज्ञ बोर्ड की मानी गई। उक्त 72.00 लाख रुपये में से 20.00 लाख रुपये बिना बोर्ड के गठन के अनधिकृत रूप से व्यय किये गये हैं। अभी भी भूदान बोर्ड के पास जो 50-52 लाख रुपये बचे हुए हैं। उन्हें तत्काल राज्य सरकार अपने कोष में स्थानान्तरित कर अकाल राहत कार्यक्रमों में खर्च करे। यदि इस प्रकरण में देरी की गई तो अनधिकृत बोर्ड मनमर्जी से व्यय करता रहेगा। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड एवं राज्य सरकार की होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसाराम चौधरी।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा राजस्व मंत्रीजी से कि छतरगढ़ भूदान यज्ञ बोर्ड से आप थोड़ा सा....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कहो।

डा. (श्रीमती) कमला (उप मुख्य मंत्री) **:** उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो विवरण दिया है उसकी जांच करवायेंगे और उसके मुताबिक कार्यवाही करेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मंत्रीजी, मात्र 15-18 हजार बीघा जमीन बची है और बोर्ड का गठन ही नहीं हुआ है और बोर्ड के गठन की आवश्यकता ही नहीं है। बोर्ड को तो भंग किया जाना आवश्यक है तथा 131 का नोटिस मैंने अलग से इसमें भेजा है।

डा. (श्रीमती) कमला : आ गया इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसारामजी।

विधान सभा क्षेत्र खारची में अकाल राहत कार्यों के तहत ग्रेवल रोड निर्माण विषयक

श्री केसाराम चौधरी (खारची) **:** उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के सम्बन्ध में।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान में पिछले पांच वर्षों से इस शताब्दी का

(श्री केसाराम चौधरी)

भीषण अकाल की भयावह स्थिति को देखते हुए राजनीति से प्रेरित अकाल राहत के कार्य प्रारम्भ किये हुये। वैसे तो यह कार्य 3 वर्ष पूर्व प्रारम्भ कर देना चाहिए था किन्तु माह अगस्त, 2002 से प्रारम्भ किये गये हैं। अतः दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही नहीं यह राहत कार्य भी अपने आप में असहाय और विकलांग है। अकाल राहत कार्यक्रम के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र खारची में निम्नलिखित कार्य करवाये जाने हैं:

(1) सम्पर्क सड़क गुडा खोवा (देसूरी) 5 किलोमीटर

(2) ग्रेवल रोड भणका से खारची होते हुए बिलाड़ा-देसूरी मुख्य सड़क तक 3 किलोमीटर

(3) ग्रेवल रोड भोलेनाथ की प्याऊ से अगला अरट होते हुए बेनड़ी 4 किलोमीटर (रानी)

(4) ग्रेवल रोड ढेलडी से गुडा अखेराज 4 किलोमीटर (रानी पंचायत समिति)

(5) ग्रेवल रोड देवली से गुडा हिन्दु (पं.स. मारवाड़ जंक्शन)

(6) ग्रेवल रोड बान्ता से चौधरियों की ढाणी वाया सूजा महाराज की प्याऊ 5 किलोमीटर (मारवाड़ जंक्शन)

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत मेरी राज्य सरकार से मांग है और करबद्ध निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खारची में अकाल राहत कार्यक्रम के तहत उक्त गांवों को जोड़ते हुए ग्रेवल रोड बनवाया जावे जिससे कि ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या।

बांसवाड़ा जिले के माही कमांड क्षेत्र के लघु सिंचाई तालाबों की अनदेखी

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत बांसवाड़ा जिले के माही कमांड क्षेत्र के अन्तर्गत लघु सिंचाई तालाबों की अनदेखी के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बांसवाड़ा जिला राजस्थान के उन जिलों में से एक है जहां आजादी के पश्चात् हरित क्रांति के सूत्रपात के साथ ही इस जिले में प्राथमिकता के अनुसार सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने हेतु सहयोग प्राप्त हुआ था। इसी के अन्तर्गत जिले में कुल 161 तालाब व 23 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित किया गया और जिससे लगभग चालीस हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवायी गयी। फिर वर्षों बाद इस जिले में माही परियोजना जैसी बहुउद्देश्यीय परियोजना से आज 80 हजार हैक्टेयर और अधिक क्षेत्र को सिंचित किया जा रहा है।

विगत वर्षों में राज्य सरकार की नीति के अनुसार सिंचाई विभाग, राज. की विज्ञप्ति क्रमांक

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

एफ.2/366/सी/84 दिनांक 25.8.1984 द्वारा सिंचाई खंड बांसवाड़ा के 80 तालाब एवं 23 लिफ्ट सिंचाई योजनाएं माही कमांड क्षेत्र में आने के कारण माही परियोजना स्थानान्तरित की गयीं। आदेशित अस्सी तालाबों में से वास्तव में 68 तालाब सिंचाई खण्ड बांसवाड़ा द्वारा माही परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में हस्तानांतरित किये गये हैं। उनकी वर्तमान स्थिति माही विभाग के अधीनस्थ आने के पश्चात् निगरानी व रख रखाव पर ध्यान नहीं दिये जाने के कारण उनको नहरों और बांधों को लोगों द्वारा जगह-जगह तोड़ दिया गया है जिससे सिंचाई क्षेत्र में कमी आ रही है वहीं उपयोगी पानी भी व्यर्थ जा रहा है।

महोदय, माही परियोजना द्वारा कमाण्ड क्षेत्र के विस्तारित करके उक्त तालाबों को मिलाकर अस्सी हजार हैक्टेयर के स्थान पर एक लाख, तेइस हजार, पांच सौ हैक्टेयर करने हेतु परियोजना द्वारा संशोधित आकलन केन्द्रीय जल आयोग को प्रेषित किया गया था किन्तु केन्द्रीय जल आयोग द्वारा माही बजाज सागर बांध में पानी की उपलब्धता एवं राजस्थान के हिस्से के पानी को ध्यान में रखते हुए कमाण्ड क्षेत्र को अस्सी हजार हैक्टेयर तक ही सीमित रखा गया है।

अतः राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक एफ.3(56)ए.स/1/सेल/8740 दिनांक 27.3.02 द्वारा कमाण्ड क्षेत्र का पुनर्निधारण करते हुए इसमें आनन्दपुरी भूंगड़ा व सागवाड़ा (डूंगरपुर) के एरिया को शामिल किया गया है तथा पूर्व में निर्मित सिंचाई तालाब एवं लिफ्ट से सिंचित होने वाले 17,409 हैक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र को कम कर दिया गया है। इस परिस्थिति को देखते हुए माही परियोजना के मुख्य अभियंता ने अस्सी हैक्टेयर से ऊपर वाले तालाब सिंचाई खण्ड, बांसवाड़ा के पुनः हस्तान्तरण के आदेश देकर मुख्य अभियंता सिंचाई, राजस्थान जयपुर को पत्र क्रमांक मु.अ./माही ले-4/बी-2/1706 दिनांक 26.9.02 से अनुरोध किया था कि इन लिफ्ट योजनाओं व तालाबों का संचालन हेतु बजट का आबंटन सिंचाई विभाग को उपलब्ध मद से कराया किन्तु राज्य सरकार व मुख्य अभियंता, सिंचाई राजस्थान जयपुर के आदेशों के अभाव में सिंचाई खण्ड, बांसवाड़ा द्वारा अभी तक अस्सी हैक्टेयर के ऊपर के तालाबों का हस्तान्तरण नहीं किया गया है जिससे इन तालाबों की वर्तमान स्थिति अनाथ जैसी हो गयी है तथा लोगों द्वारा उन्हें क्षतिग्रस्त करने की सम्भावना बढ़ती जा रही है।

कृपया इन तालाबों का पुनः हस्तान्तरण सिंचाई खण्ड, बांसवाड़ा में कर दिया जाना चाहिए एवं इनके रख रखाव हेतु सिंचाई विभाग को अलग से बजट उपलब्ध करवाकर इन तालाबों को समय रहते उचित संरक्षण दिया जाना आवश्यक है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीसिंह जी भाटी। राइटिंग बहुत सुन्दर है, आपका है क्या?

श्री देवीसिंह भाटी : राइटिंग क्या, आज तो मेरी खुद की हालत खराब है, श्वांस का दौरा पड़ा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ा हुआ मान लें आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो?

राज्य में गोचर भूमि को अन्य प्रयोजनार्थ आबंटन पर स्थायी रोक लगाने विषयक

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : नहीं मेरा बोलने का दायित्व है, धर्म है इसलिए बोलना तो पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, समाज की पुरातन संरचना शनैः शनैः समाप्त करने की कांग्रेस की पचास वर्षों की सरकारों के विभिन्न षड्यंत्रों के क्रम में अब वर्तमान में गोचर भूमि को समाप्त करने के लिए निर्णायक कील ठोकी जा रही है। जिला बीकानेर की तहसील बीकानेर के ग्राम उदयरामसर में सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने प्रकृति द्वारा प्रदत्त अमूल्य निधि गोधन के लिए गोचर भूमि छोड़ी थी।

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास अलग है और मेरे पास अलग है क्या?

श्री देवीसिंह भाटी : इक्वल थिंग है, समथिंग है। (व्यवधान) मैंने तो पूरे सत्र में यह पहला ही दिया है 295, दूसरा है तो वो भी पढ़ दूंगा।

हमारा पशुधन इतना उत्पादक नहीं है कि उसे खूंटे से बांधकर घर पर चारा चराया जा सके। वर्तमान में कांग्रेस सरकार ने उदयरामसर गोचर भूमि को निजी कार्य के उपयोगार्थ पेट्रोल पम्प के लिए आबंटित करने के आदेश राजस्व विभाग ग्रुप-3 के पत्रांक एफ.1/172/राज./3/02 दिनांक 19.2.2003 द्वारा ग्राम उदयरामसर के खसरा नम्बर 308 रकबा 1.5 हैक्टेयर किस्म गोचर, पेट्रोल पम्प हेतु आबंटन नियम 1978 राजस्थान भू राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में अकृषि भूमि, अकृषि प्रयोजनार्थ संरपरिवर्तन नियम 1992 के अन्तर्गत श्री रेवतराम पंवार को पेट्रोल पम्प हेतु आबंटन संपरिवर्तन की राजकीय स्वीकृति प्रदान कर जिला कलक्टर, बीकानेर को आदेश प्रसारित कर दिये हैं। श्री रेवतराम पंवार पुत्र श्री रूपाराम पंवार साकिन 12 पी राजभाड़ा सुदर्शना नगर, बीकानेर वर्तमान में नोखा विधान सभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं।

यह सर्व विदित है कि वर्तमान राजस्व नियमों के अन्तर्गत आम जनहित उपयोगार्थ जिला कलक्टर को गोचर में चार हैक्टेयर तक भूमि आबंटन अधिकार प्राप्त है फिर भी निजी कार्य पेट्रोल पम्प उपयोगार्थ राज्य सरकार का निर्णय लेना पड़ा है क्योंकि यह विषय बीकानेर में विवादित होकर आन्दोलन प्रदर्शन होने लगे हैं। ग्राम पंचायत उदयरामसर ने पूर्व में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर पुनः निरस्त कर दिया था जिसे पंचायत समिति की प्रशासनिक समिति से अपील कर अपने प्रभाव से फैसला पम्प के पक्ष में करवा लिया व सरकार से आबंटन करवा लिया है। राज्य सरकार जनहित, गोहित में पेट्रोल पम्प आबंटन निरस्त करें। हम प्रदेश में राजकीय भूमि के अभाव में नया गोचर क्षेत्र छोड़ नहीं सकते क्योंकि सरकारों ने निर्दयतापूर्वक राजकीय भूमि कृषि व अकृषि कार्य हेतु आबंटित कर दी है। क्षेत्र की जनता रोष में है। यदि समय रहते सरकार ने आदेश निरस्त करने के आदेश जारी नहीं किये तो आन्दोलन से इस अव्यवस्था को आग लगा देंगे और बाद में फायर ब्रिगेड आए, अच्छा होगा समय पर सही निर्णय ले लेवें। भविष्य में गोचर भूमि किसी भी कार्य हेतु आबंटन पर जनहित में

(श्री देवीसिंह भाटी)

स्थाई रोक का प्रावधान करना चाहिए। जनहित कार्यों के लिए हम जिस प्रकार निजी भूमि, बांध, सड़क, नहर, आवासीय, औद्योगिक क्षेत्र हेतु अवाप्त करते हैं, करनी चाहिए। सरकार की यह नीति उचित नहीं है कि गोदी वाले बच्चे की आशा छोड़, पेट वाले बच्चे पर उम्मीद लगावें।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मसला है। लगता होगा छोटा पर सदियों से हमने जो यह निधि सम्भाल कर रखी है गोचर की वह हम छोड़ नहीं सकते। कहीं प्लाट तक किसी को आवासीय देने की स्थिति नहीं है और उसमें हम गोचर भूमि निजी कार्य के लिए, जनहित का तो प्रावधान वर्तमान में है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : इसमें क्यों मजबूर करते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी बैठे हैं ना, सुन लिया उन्होंने।

श्री देवीसिंह भाटी : मंत्रीजी तो यह तो देखें, करें, कौन देखेगा, कोई नहीं। बड़े दुख की बात है गांव का आदमी कह सकता है कि यह गोचर की भूमि है, हमारे क्षेत्र की गायें कहां चरेंगी और उसको आप पेट्रोल पम्प के लिये आबंटित कर दें इसलिये कि राजकीय पार्टी से जुड़ा हुआ विधायक हो, नहीं, नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत तकलीफ है, यह छोटा विषय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजो प्लीज। आपकी तकलीफ आपने व्यक्त कर दी ना। आपकी तकलीफ व्यक्त कर दी।

डा. किरोड़ी लाल : तकलीफ का इलाज करवाओ।

श्री उपाध्यक्ष : इलाज तो सरकार करेगी, मैं थोड़ा ही करूंगा।

डा. किरोड़ी लाल : सरकार से कहो, साहब....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सरकार उत्तर दे दे।

डा. किरोड़ी लाल : सरकार उत्तर दे दे। यह मामला जनहित का नहीं है, निजी हित में अलाट की जा रही है इसलिये इस पर सरकार जवाब दे।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। आप विराजिये। हो गया बहुत।

श्री मदन दिलावर : महत्त्वपूर्ण मसला है, सरकार से जवाब दिलवाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गोचर पर अतिक्रमण है...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो।

डा. (श्रीमती) कमला (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस व्यथा की कथा कही है, व्यथा तो सही है। जहां तक राज्य सरकार के आदेश का सवाल है, आपकी

(डा. (श्रीमती) कमला)

जानकारी के लिये बताना चाहती हूं कि सिवाय चक जमीन राजकीय कार्यों के हेतु जिला कलक्टर को अलग अलग श्रेणी के अलग कार्यों के लिये निर्धारित भूमि अपने स्तर पर दे सकते हैं लेकिन गैर सरकारी और सिवाय चक के अलावा जो गैर मुमकिन जमीनें हैं इसमें गोचर भूमि भी है, ओरण भी है, गैर मुमकिन पहाड़ भी है, नदी भी है, इन सबका कलक्टर के स्तर पर नहीं, राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय होता है इसलिये वह राज्य सरकार को आया है, ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल केस बनाकर उसको वहां मंगाया गया है।

दूसरा, आपने कहा कि यह राजकीय नीति है, सही है। जब तक कोई बहुत ही आवश्यक कार्य न हो तब तक गोचर को बिलकुल भी नहीं छेड़ा जाए। मुझे ऐसा ध्यान पड़ता है कि दो बार कलक्टर से यह पूछा भी कि जहां पर भी इस तरह की ओरण, गैर मुमकिन नदी, पहाड़ या गोचर के कोई प्रस्ताव आते हैं कम से कम दो बार में वापस लौटाती हूं कलक्टर को कि कोई और आल्टरनेटिव जमीन आप दीजिये। बजाय इनके और जब कोई भी आल्टरनेटिव जमीन नहीं होती, फिर भी यही आता है कि इसके अलावा और कोई जमीन इस इलाके में है नहीं, तब उसको आवश्यक कार्य समझकर उसे अलॉट की जाती है। और यह एक व्यक्ति का तो लाभ आपको दिख रहा है लेकिन मैं समझती हूं इलाके का भी उससे डवलपमेंट का एक काम होता है। और इसमें जब परमिशन एक पेट्रोल पम्प की मिली है तो एक जमीन के खातिर से पेट्रोल पम्प की जो परमिशन आयी है उसका इलाके को भी लाभ न मिले, यह भी कोई उपयुक्त बात नहीं थी। इसलिये इतने बड़े गोचर में से एक छोटा सा टुकड़ा इस काम के लिये दिया गया है, कोई बहुत बड़ी भूमि नहीं दी गयी है।

श्री देवीसिंह भाटी : बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ बात का जवाब दिया लेकिन मंशा नहीं समझी।

श्री उपाध्यक्ष : समझ ली ना उन्होंने।

श्री देवीसिंह भाटी : यह पेट्रोल पम्प अन्य जगह पर लोग आबंटित करवाते हैं, कृषि भूमि दूसरे को खरीद करके लगाते हैं, गोचर को माफ करो साहब। किसी भी हालत में चाहे दुनिया की कितनी बड़ी ताकत ले आना, अगर वहां पर पेट्रोल पम्प लग गया, अगर कहीं भी आपको एक इंच भी जगह मिल गयी वहां पर तो मुझे जिन्दा गाड़ देना, मैं एक पेट्रोल पम्प की छाया तक नहीं पड़ने दूंगा, यह भी मेरा चैलेंज है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये प्लीज।

डा. (श्रीमती) कमला : मैं आपके इन भाषणों का और इनकी भावनाओं का....

श्री देवीसिंह भाटी : मौके पर आप जाओ...

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये प्लीज, हो गयी ना बात।

डा. (श्रीमती) कमला : और आपस में युद्ध करने की जो मंशा है, उसका तो मैं कोई इलाज नहीं कर सकती और जिनको....

श्री देवीसिंह भाटी : इलाज नहीं, भावना समझिये। मैं दिलाऊंगा जमीन, अगर दूसरी जमीन चाहिये तो मैं दिलाऊंगा।

डा. (श्रीमती) कमला : सुनो तो सही। जिन महानुभाव को यह मिली है माननीय विधायक को, या तो वह दूसरी जमीन कोई देख लें, या आप बता दें, हमारी कोई जिद नहीं है कि हम गोचर में से दें। मेरा तो खुद का बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट रहता है और मैं बहुत ज्यादा इसमें सख्त हूं कि मैं इस कैटेगरी की जमीनों को किसी भी व्यक्तिगत काम के लिये नहीं दूं और सार्वजनिक काम के लिए भी मैं तभी देती हूं जब और कोई जमीन उपलब्ध नहीं होती, इसलिए मैं अपनी भावनाओं को आपकी भावनाओं में शामिल करती हूं कि गोचर को जहां तक हो सके डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिये।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं। इतना ही है कि जमीन मैं दिलाऊंगा, कल्ला साहब का, यह तो सहयोग करेंगे नहीं। मैं कहीं से खरीद कर दिलाऊंगा पर गोचर को न छेड़ें, यह थोड़ा आप अपने विधायक महोदय को भी फरमा दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क... (व्यवधान) विराजिये प्लीज। यह 295 पर बहस नहीं है, आप विराजिये प्लीज।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय राजस्व मंत्रीजी, मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय देवी सिंह जी भाटी जमीन खरीद कर दें इससे तो बेहतर है कि सम्बन्धित विधायक ही खरीद लें...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कह दिया ना उन्होंने। कह दिया ना मंत्रीजी ने, आप हर बात पर बोलते हो...

श्री मानिक चन्द सुराना : और ऐसा थोड़े ही है कि वहां बारानी में आठ, दस हजार रुपये बीघा जमीन उपलब्ध नहीं है, वह जमीनें उपलब्ध हैं और....

डा. (श्रीमती) कमला : वह तो आप बात कर लें।

श्री मानिक चन्द सुराना : वहां सिर्फ 25-50,000 रुपये बचाने के लिये आपसे आबंटन कराया गया है, यह बहुत स्पष्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सुराना साहब, माननीय सदस्य सेटिसफाई हो गये, फिर क्या प्राब्लम है। वह सेटिसफाई हो गये ना उस बात पर। जो प्रश्न उन्होंने उठाया है वह सेटिसफाई हो गये,आप काहे को उठा रहे हो।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह गोचर की जमीनें...(व्यवधान) वह तो बोल लिये, हम भी कह सकते हैं वहां उपलब्ध हैं। राज्य सरकार जो कहती है कोई भूमि उपलब्ध नहीं है, हम कहते हैं कि सैकड़ों बीघा खातेदारी भूमि उपलब्ध है, आप जाकर देखिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कह दिया ना उन्होंने। दोनों सेटिसफाई हो गये फिर आप काहे को बीच में आ गये।

श्री मानिक चन्द सुराना : और जब रिकार्ड पर आना चाहिये, मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय राजस्व मंत्रीजी...

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। अंकित नहीं हो। श्री हरजी राम बुरड़क।

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

डा. (श्रीमती) कमला : कह दिया ना यह आने दीजिये कल लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया उन्होंने फिर बात...

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जे.बी. सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, लाडनूं में अध्यापकों को वेतन नहीं मिलने विषयक

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का एक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

कस्बा लाडनूं में सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था है जे.बी. सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल, सरकार से 80 परसेंट एड मिल रही है, उसके बावजूद भी गत दस महीनों से कर्मचारियों को किसी को भी तनखाह नहीं मिली और वह लम्बे समय से हड़ताल पर हैं। इस तथ्य को माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने इसी सत्र में मेरे प्रश्न के उत्तर में स्वीकार भी किया है लेकिन इस ओर विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया। वास्तव में मैनेजमेंट के व्यवस्थापक ने और जिला शिक्षा अधिकारी ने मिल करके इस संस्था में जो संकाय नहीं चल रही थी उसमें मास्टरों के फर्जी बिल बना करके गत चार वर्ष में करीब दस लाख के फर्जी बिल बना लिये। किसी कारण से सरकार के ध्यान में आने के बाद सरकार ने यह आदेश दे दिया कि वह राशि पहले वसूल करो, अगर बिल आएं तो उसमें कटौती करो। तो जिन लोगों ने फर्जी बिल बनाये, वह कटौती के डर से बिल ही पेश नहीं कर रहे हैं। जहां तक इसमें कार्यवाही करने का सवाल है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, यह सीधी सी बात है जिन लोगों ने फर्जी बिल बनाये, रिकवरी उनसे होनी चाहिये। आपने बकाया निकाला है संस्था के नाम से। जिस मैनेजर ने फर्जी बिल बनाये और जिस जिला शिक्षा अधिकारी ने जानबूझकर उन बिलों को पास लगाकर चार साल तक करते रहे, कार्यवाही उनके खिलाफ होनी चाहिये। उनके खिलाफ नहीं करके आपने संस्था के नाम से बकाया निकाल दिया तो वह मैनेजर बिल ही पेश नहीं कर रहा है।

अब मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप वहां प्रशासक अपाइंट कर दीजिये। 80 परसेंट एड और 20 परसेंट से ज्यादा छात्रों से फीस वसूल हो रही है, आपको एक पैसा न तो कहीं खर्च करना है, सिवाय व्यवस्था की बात है कि आप किसी भी अधिकारी को प्रशासक लगाकर वह राशि उठाकर और 20 परसेंट से ज्यादा फीस आ

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

रही है, उसमें सरकार को किसी तरह का कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा, अगर इस संस्था का आप अधिग्रहण कर लें तो और ही अच्छा है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि इस समय आप ऐसा करने वाले नहीं होंगे, कम से कम एक प्रशासक लगाकर राशि जो आपके पास पड़ी है, संस्था के पास जो फीस की राशि पड़ी है, उसको उठा करके आप उन कर्मचारियों को, आज पूरे के पूरे कर्मचारी महीने भर से हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी आप तनखाह देकर इस कार्य को सम्पन्न कराएं। लोगों को भी राहत मिले, छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया, वहां पर न तो पढ़ाई हो रही है, अब परीक्षा के लिये भी दूसरे स्कूलों के किन्हीं अध्यापकों को लगाकर परीक्षा तो चल रही है लेकिन इस सम्बन्ध में आप व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नंदलाल बंशीवाल।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं साहब, कल्ला साहब कुछ कहेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। आप विराजो तो सही...

श्री हरजीराम बुरड़क : यह मामला ऐसा कोई....(व्यवधान) इसमें तो दिक्कत कहां हो रही है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये। अभी तो एजुकेशन की डिमांड बाकी है, आप और बोलोगे। जितना बोलो, बोल करके सारा जवाब यह दे देंगे बाद में। नोट कर लें, बिराजें प्लीज।

(13.00 बजे)

श्री हरजीराम बुरड़क : छोटी सी बात है, इसमें दिक्कत क्या है, एजुकेशन की डिमांड पर देंगे तो आज ही दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें माननीय सदस्य, आ जायेगा, सब आ जायेगा। नन्दलालजी बंशीवाल।

श्री नंदलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, संवदेनशील, पारदर्शी और जवाबदेही सरकार और शासन देने का वादा करने वाली यह सरकार कितने बढ़िया-बढ़िया काम कर रही है यह तो आने वाला जो समय है उसमें जनता ही इनको बतायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : अभी के समय की बात करें आप तो, आने वाले की बात बाद में करना।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : इस सरकार में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, यह भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को ही पार कर गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी सीट कहां है?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : पीछे चला जाऊं।

श्री उपाध्यक्ष : आप पता करो कि कहां है। आपकी सीट नम्बर 196 है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : कोई बात नहीं, सर, मैं यहां से....

श्री उपाध्यक्ष : बात ऐसे नहीं होती है, अपनी सीट पर जाओ।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं वहीं से बोल लूंगा, दो मिनट और लग जायेंगे, आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो।

श्री उपाध्यक्ष : आप दोनों को अलग करना भी जरूरी है, आप पहले उधर जाओ।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ओ.के. सर।

श्री उपाध्यक्ष : हां, अब बोलो।

जमुवारामगढ़ तहसील में खनिज कार्यों हेतु नियम विरुद्ध रिन्युअल आदेश जारी करने विषयक

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अब मेरा समय तो खराब हो गया है, अब मैं क्या बोलूं? अच्छी अच्छी बातें सुनना नहीं चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी विधान सभा सत्र चालू होने के पहले 24.2.2003 को एक खान का रिन्युअल ग्रांट किया है, पट्टाधारी है मैसर्स आंधी मार्बल प्रा.लि. खनिज है सोप स्टोन, डोलोमाइट, निकट ग्राम रायावाला, तहसील जमुवा रामगढ़, इसको राज्य सरकार के आदेश से रिन्युअल ग्रांट हुआ है, यह टोटल एरिया 120 हैक्टेयर का है और इस लीज एरिये में 40 हैक्टेयर फोरेस्ट की जमीन भी पड़ती है। एक तरफ तो यह कहते हैं कि फोरेस्ट के अन्दर रिन्युअल ग्रांट नहीं करेंगे, फोरेस्ट की जमीन में खनन कार्य नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ उन्होंने एक गोलमोल कार्यालय आदेश निकाल दिया रिन्युअल का। इसके अन्दर न तो उन्होंने एरिये को बताया है, न उस एरिये के अन्दर कौन-कौनसे खसरा नम्बर पड़ रहे हैं, उनका जिक्र किया है और इस सैक्शन लैटर के अन्दर इन्होंने कितने एरिये का रिन्युअल ग्रांट किया है, उसका जिक्र भी नहीं किया और जो 40 हैक्टेयर फोरेस्ट की जमीन इसमें पड़ती है वह इस सैक्शन में बिलकुल अस्पष्ट है। सबसे मुख्य बात यह है कि यह सारा का सारा एरिया जमुवारामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद में भी इन्होंने यह इल्लीगल आदेश निकाल दिया। उपाध्यक्ष महोदय, साइट वैरीफिकेशन होना चाहिए था, फोरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, 12.12.1996 को सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया, उसमें सारे क्षेत्र को जो वन भूमि था, जिसके अन्दर खनन कार्य चल रहा था, उसमें खनन कार्य की अनुमति उन्होंने कैंसिल कर दी और यह कह दिया कि वन विभाग की भूमि में किसी भी तरह का खनन कार्य नहीं होगा और 12.12.1996 से आज की तारीख तक उस लीज एरिये में काम नहीं हो रहा है। उसके बावजूद इन्होंने उसको ग्रांट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का एक और आदेश 16.12.2002 को हुआ, उसके अनुसार अगर हम इस बात को देखते हैं तो यह सीधा-सीधा सर्वोच्च न्यायालय के कंटेम्प्ट का मामला इनके खिलाफ बनता है। इनको इतना सा होश नहीं है कि हम एक तरफ सर्वोच्च

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

न्यायालय का भय खाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की हम दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की इस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि यह खुद ही कंटेम्प्ट के चक्कर में फंस गये।

श्री मदन दिलावर : पारदर्शी हैं न।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : बहुत पारदर्शी हैं, पारदर्शी तो बता रहे हैं। खनिज विभाग के अधिकारियों ने इतना बड़ा घोटाला किया है और इस लीज होल्डर को इन्होंने रिन्युअल ग्रांट कर दी है। लीज होल्डर कहता हैकि मैं ऊपर तक पैसे देकर आया हूं। मैं आरोप लगाता हूं कि वन विभाग के अधिकारियों पर और इस सरकार के ऊपर कि इन्होंने पैसा खाया है इसके अन्दर और ट्रांजेक्शन हुआ है आठ करोड़ रुपये का। इसके बाद इन्होंने यह कार्यालय आदेश निकाला है, रिन्युअल निकाला है। और भी कई खानें चल रही हैं, क्या वे इस बात के लिए अधिकृत नहीं हैं कि उनको भी रिन्युअल ग्रांट किया जाये। इस तरह के इल्लीगल आर्डर से खान मालिक के लिए पास हो रही हैं तो उनको भी दे दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी खनिज अभियंता ने एक शर्त इसके अन्दर लगा दी कि, यह लैटर निकाला खनिज अभियंता ने, उसमें यह लिखा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा वन भूमि एवं सैंक्चुरी की भूमि के सम्बन्ध में लगाये गये प्रतिबंधों एवं वन संरक्षण अधिनियम एवं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अधिनियम तथा इसके तहत समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं एवं निर्देशों की पालना बाबत शपथ-पत्र दस रुपये का मांग लिया। आपने वन विभाग की भूमि में, सैंक्चुरी की भूमि में दस रुपये का शपथ पत्र लेकर उनको खनन कार्य की अनुमति दे दी है। यह किस तरह की बात हो रही है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस सरकार के अन्दर हो रहा है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, सदन को बताना चाहता हूं कि इस तरह का जो भ्रष्टाचार हो रहा है वह चलने वाला नहीं है। और जो भी खान मालिक हैं जिनका रिन्युअल पैंडिंग पड़े हैं, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं सम्बन्धित मंत्रीजी से, कि आप अगर इस तरह के आदेश निकाल रहे हैं तो उनका भी रिन्युअल ग्रांट करें। और मेरा आरोप है कि इन्होंने पैसा खाकर यह काम किया है। जिस किसी आदमी ने भी पैसा खाकर इस तरह का आदेश निकाला है, उसके खिलाफ आप कार्यवाही करें, इतना ही कहना चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माहिर आजाद, आपको भी शिक्षा पर ही है इसलिए संक्षेप में ही रखें, वैसे ही डिमांड आयेगी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अब तो आगे आ जाऊं मैं।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, महत्वपूर्ण तो है ही, तभी तो बोलने दे रहे हैं।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : इसमें होना-जाना कुछ नहीं है।

भरतपुर जिले में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की अनियमित नियुक्तियां

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का और माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान एक ऐसे मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं, शिक्षा विभाग में जहां अध्यापक छात्रों का भविष्य बनाने का काम करते हैं वहां भी अगर फर्जकारी करके और अनियमितता के आधार पर नियुक्तियां दी जायेंगी तो आप किस तरह का भविष्य बनाने का काम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस भरतपुर जिले से आता हूं उसमें तृतीय श्रेणी अध्यापकों की वेकेंसियां निकाली गयी और उसमें जो योग्यता सूची बनायी गयी उसमें तिथि जब तक वह स्टेंड कर रही थी वह 31 मार्च, 1996 थी, योग्यता सूची की अवधि खतम हो गयी और जो निर्धारित योग्यता थी उसमें यह था कि अध्यापक पद के लिए अभ्यर्थी जो भी हो उसको माध्यमिक की शिक्षा में में अंग्रेजी और गणित का विषय अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यह परिपत्र, मैं नहीं कह रहा हूं, यह आपके निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्वयं ने 4 जुलाई, 1996 को जिला शिक्षा अधिकारी, छात्र संस्थाएं, भरतपुर को लिखा और उसमें लिखा कि जो भी आपके पास में नियुक्ति के लिए लिस्ट आयी है, जो योग्यता सूची है उसमें आप यह देख लें कि जो भी अभ्यर्थी हैं उनके सैकेण्डरी के एग्जाम में अंग्रेजी और मैथमेटिक्स का विषय था या नहीं था, यह परिपत्र 4 जुलाई को भेज दिया, भेजने के बाद 5 जुलाई को एक पत्र वापस भेजता है और कहते हैं कि इसमें कई दिनों से ऐसी शिकायतें आ रही थीं कि यह शर्त सही नहीं लगायी है इसलिए इस पर विभाग पुनर्विचार कर रहा है और हम इस सम्बन्ध में आपको जल्दी ही दूसरा परिपत्र भेज रहे हैं। लेकिन आपसे यह निवेदन है कि आप श्रीमती मिथिलेश कुमारी को, जिसकी योग्यता सूची का जो सीमा थी वह भी समाप्त हो गयी है। आपने उसको स्पेसिफिक आर्डर दिया है कि 8 जुलाई से पहले-पहले उसको नियुक्ति दे दें और हम परिपत्र भेज रहे हैं मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस परिपत्र में जो कहा गया है कि हम भेज रहे हैं यह परिपत्र, क्या आज तक जारी भी हुआ है क्या? उपाध्यक्ष महोदय, यह परिपत्र आज तक जारी नहीं हुआ, यह सूचना पा करके आपने उसको नियुक्ति दिला दी। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि योग्यता सूची की जो मैरिट लिस्ट थी वह 31 मार्च को समाप्त हो गयी थी। आपने 6 जुलाई को उनको नियुक्ति...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप इनसे सवाल पूछ रहे हैं उस पर कोई कार्यवाही तो होनी नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्यों नहीं होनी है?

श्री यशवंत सिंह (रामू) : क्योंकि यह जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वह तत्कालीन शिक्षा मंत्री और प्रतिपक्ष के नेता माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया का पी.ए. है इसलिए जो नियुक्ति दे दी वह वैध है।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो इससे क्या हो गया? कटारिया साहब, एक ईमानदार आदमी हैं, कटारिया साहब को इसमें क्या मामला है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। अंकित नहीं हो। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री यशवंत सिंह (रामू) **:** ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री यशवंत सिंह (रामू) **:** ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए प्लीज।

श्री यशवंत सिंह (रामू) **:** ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए। माननीय माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैरिट स्टेण्ड नहीं कर रही, निर्धारित योग्यता थी नहीं, उसके बाद उसको नियुक्ति इसलिए एक गलत परिपत्र के आधार पर दे दी, जो निदेशक ने डी.ई.ओ. को लिखा और वह परिपत्र आज तक जारी नहीं हुआ। अगर हुआ हो तो आप टेबल कर दें कि यह परिपत्र जारी हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यह केवल इसलिए किया कि श्रीमती मिथिलेश कुमारी, 12 जुलाई को ओवरएज हो रही थी तो वह ओवरएज नहीं हो जाए उससे पहले यह सारी फर्जकारी करके अनियमित आधार पर नियुक्ति दी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि मैं आरोप नहीं लगा रहा कि श्रीमती मिथिलेश कुमारी के पति विजय सिंह, तत्कालीन शिक्षा मंत्री, माननीय कटारियाजी के आफिस में प्रतिनियुक्ति पर थे, वह शिक्षा विभाग में यू.डी.सी. हैं, उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया होगा। मैं इसमें कटारियाजी पर कहीं कोई चार्ज नहीं लगा रहा...

श्री यशवंत सिंह (रामू) **:** ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : और आज भी हो सकता है कि उनके पी.ए. हों। मैं नहीं कह रहा, मेरा तो आपसे निवेदन है कि ...

श्री यशवंत सिंह (रामू) : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : होंगे, आदमी कहीं न कहीं तो रहेगा, इसे क्या मतलब हुआ?

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) **:** ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह कह ही नहीं रहे हैं इस बात को।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो निवेदन यह कर रहा हूं कि इतना ही नहीं इसके बाद में बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य श्री शैलेन्द्र जोशी ने एक विधान सभा प्रश्न लगाया और फिर उसके बाद कठूमर से आने

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

वाले माननीय सदस्य श्री रमेश खींची ने भी विधान सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 983...

श्री यशवंत सिंह (रामू) : xxx

मोहम्मद माहिर आजाद : और एक तारांकित प्रश्न संख्या 3132, श्री शैलेन्द्र जोशी ने लगाया। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इन सवालों के जवाब में राज्य सरकार ने यह स्वीकार किया कि मैरिट समाप्त हो चुकी थी, निर्धारित योग्यता थी नहीं, उसके बाद इनको नियुक्ति दे दी, इसकी हम जांच करवाकर आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निहायत अदब से माननीय कल्ला साहब, माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि दो साल हो गए, आपने यह जवाब दिया विधान सभा के इस पवित्र सदन में, उस पर आज तक आपने क्या कार्यवाही की? अगर आप भी इस अवैध नियुक्ति को जायज करार देना चाहते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन और करना चाहता हूं कि हो सकता है तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी का पी.ए. था, वह कितना भी प्रभावशाली था और भी प्रभावशाली लोग इसमें हो सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं, अगर आप इस अनियमित नियुक्ति को, जो गलत तरीके से दे दी, अगर इसको दुरूस्त करना चाहते हैं तो, इसमें कई आई.ए.एस. ऑफिसर भी इन्वाल्व हैं, इसकी जांच आप किसी चीफ सैक्रेटरी स्तर के किसी व्यक्ति से कराएं ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ जाए। अगर इस तरीके से शिक्षा विभाग में भी फर्जकारी के आधार पर नियुक्ति दी जाती रही तो शिक्षा विभाग की सैंक्टिटी समाप्त हो जाएगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इरादा रखते हो कि नहीं रखते? आप यह मानते हो कि यह गलत परिपत्र क्यों निकाला डाइरेक्टर ने और उसके बाद उसको नियुक्ति दे दी।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : xxx

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी) : xxx

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : शिक्षा मंत्रीजी, आप इस पर कार्यवाही करेंगे कि नहीं करेंगे? दो-दो माननीय सदस्य सवाल करें और उसके बाद आप हाउस में यह बात कह दो, प्रभावशाली व्यक्ति और अधिकारी के दबाव में अगर गलत काम को जायज ठहरायेंगे तो ठीक नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी से इसकी जांच कराएं।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न, यह बात कितनी दफे कहेंगे। श्री मदन दिलावर।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय शिक्षा मंत्रीजी, कुछ बताओ तो सही, आपको कोई रोकता थोड़े ही है? (व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू) : xxx

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके नोटिस में है कि नहीं? यह बात आपकी जानकारी में है, आप जांच करवा रहे हैं, बताइये आप?

श्री यशवंत सिंह (रामू) : xxx

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए प्लीज। श्री मदन दिलावर।

मोहम्मद माहिर आजाद : इस आसन के अलावा कहां जाएंगे? आपके नोटिस में हैं सारी चीजें।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : xxx

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : xxx

डा. बी.डी. कल्ला (चिकित्सा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो साल पहले मैं शिक्षा मंत्री नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज। आप बैठिए। माननीय शिक्षा मंत्रीजी बोल रहे हैं। आप विराजिए न।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : xxx

डा. बी.डी. कल्ला : xxx पूरे प्रकरण की जांच किसी सीनियर आफिसर से करवा लेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : किससे करवाएंगे, किससे करवाएंगे?

डा. बी.डी. कल्ला : सीनियर आफिसर ने कहा है, सीनियर आफिसर से करवा लेंगे, किसी से।

मोहम्मद माहिर आजाद : कब तक जांच रिपोर्ट आ जाएगी? कब तक करवा लेंगे जांच?

डा. बी.डी. कल्ला : आज ही आर्डर कर देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : ठीक है।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : xxx

श्री यशवंत सिंह (रामू) : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए। श्री माहिर आजाद। श्री मदन दिलावर, प्लीज।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : xxx

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : xxx

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो। माननीय दिलावरजी।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : xxx

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : xxx

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर। अंकित न हो। माननीय सदस्य विराजिए। (व्यवधान) बात समाप्त हो गई। माननीय सदस्य सेटिस्फाई हो गए। श्री मदन दिलावर

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

कोटा शहर के चारबाग पार्क में वृक्षों की कटाई विषयक

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा शहर में चारबाग नाम से एक बहुत बड़ा बाग है और कोटा के निवासियों के लिए टहलने के लिए, घूमने के लिए, लोगों को छाया के लिए, मनोरंजन करने के लिए उससे बड़ा बाग, जिसको पार्क भी कहा जा सकता है, कोटा में कहीं नहीं है। उसके अलावा, यह वर्षों पुराना है और किसी ने कोई 80-100 साल पहले बहुत सोच-समझकर उसका निर्माण कराया होगा। उसमें लगभग 50-50 साल से भी ज्यादा के पुराने पेड़ और फलदार पेड़, विशेषकर जामुन और आम के पेड़ हैं और बड़े पेड़ों की संख्या लगभग 282 है। जो 50 साल से ज्यादा उम्र के होंगे और छोटे पेड़ तो हजारों की संख्या में हैं। परन्तु दुर्भाग्य है हमारा और उस बगीचे का भी कि जहां हम सब लोग मिलकर बात करते हैं कि पेड़ लगाने चाहिए, एक पेड़ 100 पुत्रों के बराबर होता है, बड़ा पुण्य मिलता है पेड़ लगाने से। उन पेड़ों में हजारों पक्षी अपनी शरण लेते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, हजारों लोग रोज छाया प्राप्त करते हैं, उससे आमदनी होती है, जामुन और अन्य फल होने के कारण। दुर्भाग्य है कि उन पेड़ों की कटाई के लिए वहां धड़ाधड़ मशीनें चल रही हैं। दो-तीन पेड़ तो काटे थे लेकिन काटने के बाद जब कोटा की जनता जागी, उसने उसका विरोध किया तो रास्ता क्या निकाला, उपाध्यक्ष महोदय, कि मशीनों से सारे पेड़ों की जड़ें खोद दी और सब खोद-खादकर ऐसा कर दिया कि केवल जड़-जड़ उनकी बची है, उस पर पौधे केवल टिके हैं। कहने को कहते हैं कि हम इन पेड़ों को नहीं काटेंगे, इसका अर्थ? वह पेड़ सूखकर गिरने वाले हैं नीचे लेकिन वहां निरन्तर रूप से खुदाई प्रारम्भ हो रही है और उसके कारण से वे बहुमूल्य 282 पेड़, मैं समझता हूं कि 10-5 दिन में यदि उसको नहीं रोका गया तो धराशायी होने वाले हैं। पेड़ काटने की अनुमति के लिए नगर निगम के पास गये तो उन्होंने मना कर दिया, उद्यान विभाग के पास गए तो मना कर दिया लेकिन आज बेरोकटोक उन पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां की यू.आई.टी. संकल्पबद्ध हो रही है। कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर इन पेड़ों का नामोनिशान मिटाकर मानेंगे। इस बगीचे को समाप्त करके मानेंगे। वहां जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनको उखाड़ा जा रहा है। वहां नानादेवी का मंदिर है, लोग कहते हैं कि हजारों साल पुराना है, उसको उखाड़ने का प्रयत्न चल रहा है। छोटे छोटे देवालय हैं, उनको वहां से हटाने का प्रयत्न चल रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पीछे कोई जनहित हो तो माना जा सकता है, कोई बात जो तो मानी जा सकती है केवल इतना कि वहां इस प्रकार का काम करने में बहुत बड़ी राशि भ्रष्टाचार और घोटाले से यू.आई.टी. और यू.आई.टी. के कारिन्दों, इसमें शामिल जितने भी लोग हैं, चाहे मंत्रीगण हो, सबका बहुत बड़ा हिस्सा होने के कारण, उन पेड़ों को काटने का षड्यंत्र चल रहा है। कोटा की जनता ने संकल्प किया है और संकल्प यह किया है कि पेड़ों को किसी भी कीमत पर काटने से रोकेगे चाहे हमको जान गंवानी पड़े, चाहे हमारी पूज्या अमृता देवी से प्रेरणा लेकर

(श्री मदन दिलावर)

हमको बलिदान देने की तैयारी रखनी पड़े लेकिन किसी भी कीमत पर पेड़ों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी वहां के पर्यावरणविदों का सहयोग लेकर बचाने के लए कृत-संकल्प है। मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं सरकार समय रहते वहां से अपनी मशीनें हटा ले, वहां से अपने कांदिरों को हटा ले और पेड़ों के आसपास जो सारी मिट्टी खोद दी गई उसको वापस मिट्टी से भरकर उन पेड़ों को सुरक्षित कर दे, अन्यथा करो या मरो की लड़ाई कोटा में प्रारम्भ होगी। यह सरकार कितना ही जोर लगा ले, चाहे कितनी ही ताकत लगा ले, चाहे कोई भी क्यों न हो, चाहे हमको कानून हाथ में लेना पड़े, लेकिन पेड़ों की रक्षा के लिए कुछ भी करने की मन में तैयारी है। इसलिए चेतावनी दे रहे हैं कोटा जिले में, कोटा शहर में दो-चार दिन में रोका नहीं गया तो इस बात को लेकर अप्रिय घटना घट सकती है। उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, यह चेतावनी दे रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी व पर्यावरणविदों की सरकार से आर पार की लड़ाई प्रारम्भ होने वाली है, इसलिए सरकार चेत जाए और पेड़ो को काटने से बचाए और जो घोटाला करने जा रहे हैं यू.आई.टी. के अध्यक्ष और वहां के तत्कालीन मंत्री...

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए, हो गया।

श्री मदन दिलावर : तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री, उनको रोका जाए।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया। कह दिया ना आपने, रोका जाए।

श्री मदन दिलावर : अन्यथा श्रीमान्, कहीं हमको त्रिशूल लेकर मैदान में खड़ा न होना पड़े और दुष्टों का संहार न करना पड़े, ऐसी स्थिति पैदा न हो, नहीं तो वहां त्रिशूल निकलेगा, पेड़ काटने वालों के घुसेगा, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा। (अनुपस्थित) नहीं आए। समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री नारायण सिंह जी।

समिति का प्रतिवेदन

याचिका समिति का प्रतिवेदन (संख्या-7 व 8)

श्री नारायण सिंह (सभापति, याचिका समिति, 2002-2003) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति, 2002-2003 के सप्तम् एवं अष्टम् प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2003-2004, द्वितीय अवस्था। अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान। श्री तकीउद्दीन अहमद।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास की प्रस्तुति

श्री तकीउद्दीन अहमद (नगरीय विकास राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 29, नगर आयोजना एवं

(श्री तकीउद्दीन अहमद)

प्रादेशिक विकास के सन्दर्भ में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,41,81,46,000/- (अक्षरे नौ अरब इकतालीस करोड़ इक्यासी लाख छियालीस हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए।

मांग संख्या-29 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-29 मुख्य शीर्षक नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :-

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

1. राज्य की नगरपालिकाओं की दयनीय वित्तीय स्थिति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

2. विभाग द्वारा बाड़मेर एवं बालोतरा नगरों के विकास की योजना हेतु मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

3. जयपुर नगर निगम द्वारा विधायक नगर (पश्चिम) की रोड लाइटें मनमर्जी से बंद कर देने व खराब होने पर ठीक नहीं करने के पश्चात् भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

4. जिला नागौर की लाडनूं नगरपालिका में सफाई कर्मियों की कमी से सफाई व्यवस्था संचालन नहीं होने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

5. नगरपालिका लाडनूं जिला नागौर में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की सूची तैयार करने में बरती गयी लापरवाही उजागर होने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

6. नगरपालिका लाडनूं द्वारा कच्ची बस्तियों के लिये प्राप्त राशि का दुरुपयोग अन्य वार्डों में किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

7. नगरपालिका लाडनूं जिला नागौर द्वारा सभी वार्डों में विकास कार्य समान रूप से नहीं कराये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

8. विधान सभा क्षेत्र नगर (भरतपुर) एवं सीकरी के कस्बों में लम्बित गंदे पानी के निकास एवं सीवरेज लाइन की कार्यवाही नहीं किये जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

9. विभाग द्वारा नगरपालिका बारां द्वारा ग्राम नलका के खसरा नम्बर 347 के भू-उपयोग

(मोहम्मद माहिर आजाद)

परिवर्तन की कार्यवाही में विलम्ब करने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

10. राज्य में राज्य मार्गों एवं अन्य सड़कों के दोनों तरफ की कितनी दूरी पर मकानों एवं दुकानों को नियमित करने का प्रावधान है, इस पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

11. राजस्थान प्रदेश में हो रहे असंतुलित विकास से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

12. प्रदेश के नहरों के सुनियोजित विकास में भू-माफियाओं के बाधक बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

13. सीकर बस डीपों के पास इकट्ठे होने वाले गंदे पानी से जनता को हो रही परेशानियों का स्थाई समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. विभाग द्वारा एशियन बैंक से ऋण लेकर छह सम्भागीय मुख्यालयों के विकास हेतु लिये गये ऋण की शर्तें जन विरोधी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र धोद की लोसल नगरपालिका में स्थित रेगर तालाब से बस्ती के दलित बस्तियों को पानी में डूबने से बचाने का स्थाई समाधान नहीं निकालने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)

16. जयपुर शहर की लालकोठी आवासीय योजना का जे.डी.ए. द्वारा नियमन में हुए भ्रष्टाचार के बावजूद दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

17. विभाग द्वारा जिला जैसलमेर की नगरीय सीमा बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. विभाग द्वारा जैसलमेर नगर का मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

19. विभाग द्वारा राजस्थान के छोटे कस्बों की नियमानुसार योजना बनाकर विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर)

20. विभाग द्वारा नगर विकास न्यास/बीकानेर द्वारा पी.बी.एम. अस्पताल के सामने इन्द्रा मार्केट स्थित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 23 व 26 को कौड़ियों में आबंटित किये

(श्री मानिक चन्द सुराना)

जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

21. नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा गत एक वर्ष में नगर आयोजना के नाम पर किये गये बेतहाशा खर्चें के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर)

22. विभाग द्वारा नगरपालिका परबतसर की आबादी के विस्तार के अनुसार अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

23. विभाग द्वारा नगरपालिका परबतसर की हेराफेरी सीमा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. राजस्थान में पुनः चुंगी नाका स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सांवर लाल (भिनाय)

25. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद, केकड़ी, विजयनगर, ब्यावर, किशनगढ़ व सरवाड़ नगरपालिका क्षेत्र के विकास हेतु महानगरों के अनुसार पट्टा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)

26. जयपुर विकास प्राधिकरण की राज्य स्तरीय समझौता समितियों द्वारा किये गये समझौतों में लालकोठी योजनान्तर्गत सरकारी भूमि को भूमाफियों के नाम नियमन किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

27. विभाग द्वारा ग्राम भोजपुरा स्थित छोटू माली व पांचू माली की भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय होने पर भू–माफियों को सौंपने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

28. विभाग द्वारा चूरू शहर में अग्रसेन नगर के पूर्व में अनुमोदित नक्शे को गैरकानूनी रूप से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के संशोधन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. चूरू नगरपालिका को आबंटित केन्द्रीय परिवर्तित योजना की राशि खर्च नहीं करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)

30. विभाग द्वारा नगरपालिका बाली और फालना को विकास कार्य के मद में समुचित राशि मुहैया कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री यशवंत सिंह (रामू) (नदबई)

31. नगरपालिका नदबई द्वारा क्षेत्र की सड़कों के सुदृढ़िकरण एवं रख रखाव एवं शहर

(श्री यशवंत सिंह (रामू)

की सफाई व्यवस्था न करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

32. नगरपालिका नदबई द्वारा नदबई की सड़कों एवं शहर के विकास कार्य नहीं किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)

33. नगर निगम कोटा द्वारा कोटा शहर में परकोटे की यातायात की व्यवस्था में सुधार नहीं करने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

34. नगर निगम कोटा द्वारा कोटा शहर के रामपुरा बाजार में सड़क के बीच से पार्किंग व्यवस्था हटवाने की पहल नहीं करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

35. कोटा शहर में मास्टर प्लान लागू कर उसके अनुसार कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. नगर निगम कोटा द्वारा पुराने शहर कोटा में यातायात की सुविधा हेतु अतिक्रमण नहीं हटाये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

37. विभाग द्वारा कोटा शहर में अन्तर राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनवाने की पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़)

38. विभाग द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को स्पष्ट आदेश दिये जाने के बावजूद भी राजस्थान अहीर सभा को महिला छात्रावास हेतु भूमि आबंटित नहीं करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

39. विभाग द्वारा बाबा खेतानाथ शैक्षणिक एवं सामाजिक ट्रस्ट बहरोड अलवर को बालिका छात्रावास निर्माण हेतु अलवर में रियायती दरों पर भूमि आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विभाग द्वारा ए.डी.बी. के ऋण से सम्भागीय मुख्यालयों पर स्थित चिकित्सा संस्थानों के उन्नयन पर राशि न दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

41. नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा प्रस्तावित राव तुलाराम नगर योजना बहरोड को निरस्त कर अवाप्ति हेतु प्रस्तावित भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करवाने की कार्यवाही पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी)

42. विभाग द्वारा गोनेर रोड से राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या-11 वाया पालड़ी मीणा लूनियावास सड़क को पूर्ण नहीं करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री कन्हैया लाल)

43. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगतपुरा से जे.डी.ए. स्कीम बस्सी वाया कुन्दनपुरा, जीतावाला, मानसरखेड़ी का कार्य चालू नहीं किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

44. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गोनेर रोड से खोरी वाया हीरापुरा पर लम्बे समय से पुनः डामरीकरण नहीं किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

45. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा खोरी से श्रीरामपुरा वाया हिंगोनिया रेलवे स्टेशन कानोता का कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

46. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा रोड गुढ़ाचक से मोहनपुरा वाया मौन्यावाला तक अपूर्ण सड़क को पूरा न करने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

47. विभाग द्वारा सरवाड़ नगरपालिका को विकास के लिये विशेष अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विभाग द्वारा एशियन विकास बैंक द्वारा संचालित कार्यों के अन्तर्गत केकड़ी उप खण्ड का विकास करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. विभाग द्वारा केकड़ी व सरवाड़ नगर पालिका को अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. केकड़ी व सरवाड़ नगरपालिका में अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई न करने एवं सफाई कर्मियों की विशेष भर्ती नहीं किये जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

51. स्थानीय निकायों को संवैधानिक अधिकारों के तहत सरकारी विभागों को सुपुर्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़)

52. अलवर यू.आई.टी. एवं नगरपालिका में हुए भारी घोटाले के बाद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

53. पत्रकारों एवं विधायकों को हाउसिंग बोर्ड द्वारा क्वाटर/ प्लाट नहीं देने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्रीमती पूनम गोयल (लाडपुरा)

54. विभाग द्वारा अपना घर योजना के अन्तर्गत अपात्र लोगों को मकानों का आबंटन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती पूनम गोयल)

55. नगर कोटा के जवाहर नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में लैण्ड फॉर लैण्ड नाम पर हुए घोटाले के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

56. नगर विकास न्यास कोटा द्वारा हरिओम नगर कच्ची बस्ती व धर्मपुरा पंचायत बस्ती, कोटा का नियमन न किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

57. नगर विकास न्यास कोटा द्वारा कोटा की आवासीय योजना–कृष्णा विहार लक्ष्मण विहार कालोनी को नियमित न किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

58. नगर विकास न्यास कोटा द्वारा आबंटित कियोस्क में हुए घोटालों के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

59. प्रदेश में नगर निगम व नगर परिषद् क्षेत्र में राज्य सरकार, स्थानीय निकाय आदि द्वारा अवाप्तशुदा भूमि को जनहित के नाम पर व्यापक स्तर पर अवाप्ति से मुक्त कर भूमाफिया को अनुचित लाभ पहुंचाने पर चर्चा के लिये।

60. राज्य स्तर पर व नगर निगम व नगर परिषदों में राज्य सरकार द्वारा गठित समझौता समिति द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमाफियों के पक्ष में अनुचित निर्णय कर अवैधानिक रूप से इन्हें लाभ पहुंचाने पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

61. विभाग द्वारा प्रत्येक नगर परिषद् व नगर निगम क्षेत्रों का विकास नगर नियोजन से कराने एवं आबादी को व्यवस्थित रूप से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. विभाग द्वारा प्रत्येक नगर परिषद् व नगर निगम क्षेत्रों में वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर बाजारों से वाहनों को अलग रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. विभाग द्वारा ब्यावर व पाली, किशनगढ़ नगर परिषद् क्षेत्रों में नगर न्यास की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

64. सिरोही नगरपालिका मण्डल द्वारा भूमि खसरा नम्बर 2094 व 2109 के गलत नियमित पट्टे जारी किये जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

65. वित्त व स्वायत्त शासन विभाग की रोक के बावजूद सिरोही पालिका में एयरकंडीशन

(श्री संयम लोढ़ा)

लगाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

66. विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

67. विभाग द्वारा अधिशासी अधिकारियों की नई भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. विभाग द्वारा क्षेत्रीय उप निदेशकों के कार्यालय समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी)

69. विभाग द्वारा स्वर्ण जयन्ती की राशि का उपयोग नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

70. विभाग द्वारा राज्य में कच्ची बस्ती के नियमन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विभाग द्वारा बाड़ी नगरपालिका में सफाई हेतु आवश्यक उपकरण व वाहन मुहैया करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. बाड़ी नगरपालिका के वार्डों में बिजली नहीं होने पर भी दिये जाने वाले औचित्य पर चर्चा के लिये।

73. बाड़ी नगरपालिका के चेयरमैन द्वारा वाहन का दुरुपयोग कर लोग बुक में गलत प्रविष्टि करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

74. विभाग द्वारा कोटा शहर में जवाहर नगर के सामने बालाकुण्ड में माताजी की माफी जमीन को दुबारा समझौता कर भूमिखोरों को अनियमित रूप से सम्भलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

75. विभाग द्वारा कोटा शहर में पूर्व निर्मित एरोड्राम चौराहे सर्कल को तोड़कर पुनः बनाकर धन का दुरुपयोग करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी)

76. विभाग द्वारा नगर रानी स्टेशन पर बस स्टेण्ड का निर्माण एवं नगर सादड़ी में बाईपास सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर)

77. नगर निगम जयपुर द्वारा कैलाशपुरी आमेर रोड गोलीमार गार्डन के पीछे जयपुर स्थित छोटे-छोटे मार्गों को विशेषकर प्लाट नम्बर 12 के पीछे स्थित छोटे मार्गों को सीमेंट की सड़क एवं शेष रही नालियां नहीं बनाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती यासमीन अबरार)

78. जयपुर नगर निगम द्वारा कैलाशपुरी आमेर रोड गोलीमार गार्डन के पीछे जयपुर स्थित कॉलोनी में कई वर्षों से सफाई व्यवस्था नहीं होने एवं सफाई की स्थायी व्यवस्था नहीं करने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)

79. विभाग द्वारा कोटा जिले की पंचायत सुलतानपुर को नगरपालिका बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. नगरपालिका सांगोद जिला कोटा का नियोजित विकास करने हेतु राज्य सरकार से समुचित अनुदान मुहैया कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ललित भाटी (अजमेर)

81. सभापति नगर परिषद् अजमेर द्वारा पालिका अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए जिप्सी तथा अन्य दुरुपयोग एवं साधारण सभा की प्रत्येक माह बैठक बुलाने के विधिक प्रावधान का उल्लंघन करने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

82. लूनकरण का हत्ता, गूजर धरती, जादूघर, बस्तियों में 1975 के बाढ़ पीड़ितों को अभी तक पट्टा नहीं देने तथा कच्ची बस्ती नियमन के तहत न्यास व परिषद् द्वारा काफी बस्तियों में नियमन नहीं करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

83. विभाग द्वारा नगर विकास न्यास अजमेर में अधीक्षण अभियंता का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न शहरों के साथ–साथ धार्मिक एवं पर्यटन महत्व के कस्बे के नियोजित विकास हेतु राज्य के नगर निगमों, नगर परिषदों में नगर नियोजन अधिकारी लगाने के साथ–साथ इनका मास्टर प्लान तैयार करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. एशियन विकास बैंक की मदद से आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने की परियोजना के अन्तर्गत अजमेर शहर में चल रहे कार्यों में सेफ्टी मेजर की अवहेलना कर अनुपयोगी आर.ओ.बी. पर करोड़ों रुपया खर्च करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा)

86. विभाग द्वारा नगरपालिका भादरा के विकास हेतु अधिक अनुदान राशि दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. विभाग द्वारा नगरपालिका भादरा की विभिन्न विभागों की तरफ बकाया राशि का शीघ्र भुगतान कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री संजीव कुमार)

88. विभाग द्वारा नगरपालिका भादरा में आवश्यक सफाई कर्मचारियों हेतु अनुदान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विभाग द्वारा नगरपालिका भादरा में अग्निशमन गाड़ी एवं अन्य वाहनों हेतु आवश्यक अनुदान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

90. विभाग द्वारा मुख्य मंत्री रोजगार योजना में बनाई गई कियोस्क को गलत जगह बनाने एवं आबंटित (पूरी) नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

91. विभाग द्वारा नगरपालिका नगर (भरतपुर) में फायर ब्रिगेड (गाड़ी) दमकल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमजान खान (पुष्कर)

92. विभाग द्वारा नगर परिषद् के चारों तरफ पेराफेरी ग्राम पंचायत को आबादी भूमि घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. विभाग द्वारा नगर परिषद् के पेराफेरी क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों की सवाई चक भूमि को आबादी भूमि में बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. विभाग द्वारा धार्मिक नगरी पुष्कर की आवासीय कालोनियों के नक्शे पास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

96. विभाग द्वारा तीर्थ नगरी पुष्कर की पालिका क्षेत्र से यात्री कर समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल)

97. जयपुर नगर निगम से चौकड़ी पुरानी बस्ती, जयपुर में आवासीय नक्शे पास करवाकर उन पर व्यावसायिक कॉम्पलेक्स बनाने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करने पर दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

98. जयपुर विकास प्राधिकरण की डेयरी योजना के अन्तर्गत भूमि आबंटन के लिये मांगे गये आवेदनों के अतिरिक्त व्यक्तियों को भूमि आबंटन किये जाने की कार्यवाही के पश्चात् भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

99. विभाग द्वारा कचरा परिवहन के भुगतान में की गई अनियमितता का विशेष अंकेक्षण होने के बावजूद भी नगर निगम, जयपुर के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही न किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

100. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सरकारी जमीन पर गृह निर्माण समिति बनाकर प्लाट काटने वालों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

101. नगर निगम जयपुर द्वारा जयपुर के चौगान स्टेडियम की सरकारी भूमि पर किये गये अवैध कब्जों को न हटाये जाने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर)

102. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मजार डैम पर नवनिर्मित पुलिया के कार्य को बंद किये जाने एवं ए, बी, सी, डी ब्लाक, विद्याधर नगर की सड़कों के डामरीकरण में बरती जा रही उदासीनता के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

103. जे.डी.ए. द्वारा निर्मित विलियम अपना घर योजना के अन्तर्गत विद्याधर नगर सैक्टर चार, बढ़ारना एवं नारदपुरा के आवासों के निर्माण में काम ली गई घटिया निर्माण सामग्री एवं ठेकेदारों को अनियमित भुगतान करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

104. जे.डी.ए. द्वारा विलियम अपना घर योजना के अन्तर्गत विद्याधर नगर सैक्टर–चार, बढ़ारना, नारदपुरा में निर्मित आवासों को घटिया निर्माण के कारण पहुंची क्षति की भरपाई न करवाये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

105. जयपुर शहर में मुख्य मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत आबंटित कियोस्कों में प्राथमिकता/प्रायोरिटी लांघकर किये गये आबंटन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मधु दाधीच (निम्बाहेड़ा)

106. विभाग द्वारा निम्बाहेड़ा नगर में स्थित कच्ची बस्ती ट्रांसपोर्ट नगर, हाउसिंग बोर्ड सम समायोजन, समस्या के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

इराक पर अमरीकी हमले के मद्देनजर वहां बसे राजस्थानियों की सुरक्षा के उपाय

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित भाटी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि इराक के ऊपर अमरीका ने हमला कर दिया है और बांबिंग हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : राजस्थान के बहुत सारे नागरिक वहां पर, इराक के अन्दर बसे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कहां पर?

श्री सुरेन्द्र व्यास : इराक में। इराक पर अमरीका ने हमला कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : तो?

श्री सुरेन्द्र व्यास : बहुत भीषण बांबिंग हो रहा है और वहां पर बहुत सारे नागरिक राजस्थान के रह रहे हैं। अमरीका ने रेडियो फ्रीक्वेंसी जाम कर दी है। यह इकोनोमिक इम्पीरियलिज्म का नतीजा है। राजस्थान सरकार को यह जानकारी है या नहीं, कितने नागरिक राजस्थान के वहां बसे हुए हैं, उनसे इनका क्या सम्पर्क है?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब आज इस वक्त, इस क्षण इराक कम्प्लीटली पूरी दुनिया से कट ऑफ है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए, विराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसके पहले ही लगातार अल्टीमेटम दे रहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह प्रश्न यहां पर पहले उठाया जा चुका है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पहले उठाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : राजस्थान सरकार की क्या तैयारी है? आपने वहां के लोगों को यों ही ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए, विराजिए प्लीज। विराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अनेक नागरिक राजस्थान के वहां रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : मैं बता रहा हूं ना आपको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कोई वक्तव्य...

श्री उपाध्यक्ष : मैं बता रहा हूं आपको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उप मुख्य मंत्रीजी बैठी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, शेखावाटी जनपद के 35 हजार से ज्यादा मजदूर उस क्षेत्र में हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह चिन्ता उनके सारे परिवारजनों को है। लगातार वे इस कोशिश में हैं कि किस हालत में उनके परिवारजन हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांटेक्ट नहीं हो सकता। रेडियो फ्रीक्वेंसी जाम कर ली। कोई संवाद नहीं हो सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह राजस्थान के (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए। आप विराजें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह पूरे प्रदेश के लिए बड़ा चिन्ता का विषय है और आज इस विधान सभा में...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : मुख्य मंत्रीजी अभी इराक में हैं या यहां जयपुर में हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : मुख्य मंत्रीजी कहां हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : वहां इराक में हैं तो उनको तो वापस बुलाओ, फंसे हुए हैं मुख्य मंत्रीजी वहां।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें।

श्री देवीसिंह भाटी : वे इराक में फंसे हुए हैं, उनको वापस बुलाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तो और भी गम्भीर बात है।

श्री देवीसिंह भाटी : मुख्य मंत्रीजी इराक में फंसे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : उनको तो वापस बुलाने की व्यवस्था कराओ।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो। विराजिए प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मैं बताता हूं ना आपको सिचुएशन। आप विराजें। आप विराजें तो सही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो प्लीज। आप विराजिए। माननीय सदस्य, आप विराजिए। आप विराजिए, एक मिनट।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, Government of India is seized of the situation गवर्नमेंट आफ इण्डिया स्वयं पता लगा रही है, माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं प्रयत्न कर रहे हैं उसका पता लगाने का। यह कोई इतना आसान मामला नहीं है जिसका यहां पर कोई स्टेटमेंट दिया जा सके। यह कोई सरल काम नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : पर एनिथिंग आउट आफ प्रपोर्शन...(व्यवधान) आप विराजिए। आप

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

विराजिए। एनिथिंग आउट आफ प्रपोर्शन यह कहा नहीं जा सकता। गवर्नमेंट आफ इण्डिया बिलकुल सचेत है, सारा पता लगा रहे हैं। राजस्थान भी उससे अछूता नहीं है। आप विराजिए प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। सुन ही नहीं रहे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए। यह क्या हुआ। विराजिए प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह पिछले कई दिनों से लगातार केन्द्र सरकार के और राज्य सरकार के भी जानकारी में थी कि इस प्रकार की कोई घटना किसी भी समय हो सकती है, तो मैं सोचता हूं कि राजस्थान सरकार ने भी केन्द्र से मिलकर राजस्थान के जितने बंधु वहां रह रहे हैं उनको निकालने का कोई न कोई प्रयत्न जरूर किया है। उस प्रयत्न में कहां तक सफलता मिली, कितने लोगों को हम निकाल पाये, कितने लोगों को नहीं निकाल पाये, क्योंकि यह आज की तुरन्त घटना नहीं है, बहुत लम्बे समय से थी। तो मैं सोचता हूं राज्य सरकार ने जरूर कोई न कोई इस बारे में अपना काम किया है तो उसकी जानकारी सदन को दे कि कितने लोगों को हम सुरक्षित यहां तक निकाल लाये और कितने लोगों को नहीं निकाल पाये, कितने वहां रह गये हैं, इतनी जानकारी तो सरकार को निश्चित रूप से देनी चाहिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्वयं ...(व्यवधान) आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। आप विराजो ना। आप विराजिए प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो तो सही। यह स्टेटमेंट आप जानते हो Government of India is seized of the situation आप तो जानते हो पूरी डिटेल (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान के नागरिकों को गवर्नमेंट आफ इण्डिया की मंजूरी के बगैर

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

राजस्थान सरकार ला सकती है? आप क्या बात कर रहे हो?

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : 'Neeti' is not the question, कैसे उनको लाया जा सकता है, वह भी भारत सरकार तय करेगी, राजस्थान सरकार तय नहीं कर सकती।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : क्या सूचना मिले?

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप ऐसी बात करते हो...(व्यवधान) विराजिए, विराजिए, आप विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : किसको कह रहे हो आप यह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : स्टेट गवर्नमेंट का क्या है इसमें?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : क्या बात कर रहे हो आप? (व्यवधान) वही बात है। ये क्या प्रयास कर सकते हैं? क्या प्रयास कर सकते हैं? अंकित न हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए, विराजिए। आप विराजें प्लीज। आप विराजें।

डा. (श्रीमती) कमला (उप मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की, जिसमें हम भी शामिल हैं, यह आशंका और उत्कंठा स्वाभाविक है कि किस प्रकार से क्या क्या गतिविधियां बढ़ रही है और हम उस सिलसिले में कितनी क्या जानकारी ले रहे हैं, भारत सरकार का बार-बार टी.वी. में, प्रेस में यह आ रहा है कि हमने पूरी इमरजेंसी की तैयारियां पहले से की हुई हैं लेकिन हम स्टेट के लोग उनके साथ में किस तरह से रैपर्ट कायम किये हुए हैं, किस किस तरह से कहां-कहां पर हमारे लोगों को लाने के लिए भारत सरकार क्या-क्या इंतजाम कर रही है और हम उसके लिए किस प्रकार से जानकारी हासिल कर रहे हैं, यह जानकारी करने की इच्छा और उस इच्छा की पूर्ति कोई अस्वाभाविक नहीं है, उचित है। इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी से बात करके जो भी आवश्यक होगा, सूचना दी जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित भाटी।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

मांग संख्या-29 पर विचार

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-29 जो मंत्री महोदय ने यहां सदन में रखी है उस पर मेरे कुछ कटौती प्रस्ताव भी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, नगर नियोजन, नगर विकास और स्वायत्तशासी संस्थाओं में राजस्थान में पिछले चार साल में हमने इसके ऊपर जितना काम किया है उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी की, हमारे भूतपूर्व मंत्री धारीवाल जी की प्रशंसा करनी चाहिए। वर्तमान मंत्री तकीउद्दीन साहब की प्रशंसा अभी करनी बाकी है क्योंकि इन्होंने तो अभी चार्ज लिया ही है। बाकी चार साल के अन्दर राजस्थान को जो एक नई दिशा देने की कोशिश की गई है उसके लिए पूरे राजस्थान की जनता तो इस सरकार को धन्यवाद भी ज्ञापित कर रही है कि सुनियोजित तरीके से नगरों का विकास करने की दिशा में ठोस कार्य यह सरकार कर रही है। (धन्यवाद) ये वहीं आ जाएंगे अभी आपके पास। छेड़ों मत आप इनको।

(13.32 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री मदन दिलावर : इन्होंने बहुत बढ़िया काम कर लिया पर्यटन विभाग में भेजकर।

श्री सभापति : विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। विराजिये।

श्री मदन दिलावर : बहुत अच्छी बात है कि हाड़ौती का एक वीर इस प्रकार से हर डिपार्टमेंट को सुधारने के लिए घूमता फिरता है। यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है

श्री सभापति : विराजिये। आप विराजो पहले।

श्री ललित भाटी : सभापति महोदय, नगर नियोजन सिर्फ आजादी के बाद हमारे सोच के अन्दर शामिल हुआ हो, ऐसा मैं नहीं मानता। जब हमारे यहां पर राजशाही व्यवस्था थी उस समय भी अगर हम कुछ राजाओं और उनकी शासन व्यवस्था को देखें तो हम यह पाते हैं कि सुनियोजित तरीके से नगरों का विकास करने की मंशा उनकी भी रही और उनके भी प्रयास रहे। तक्षशिला को ले लें, नालन्दा को ले लें, मगध को ले लें और इस तरीके के बहुत से उदाहरण उस समय के भी हमारे पास इतिहास के पृष्ठों में मिल जायेंगे कि नगरों का सुनियोजित विकास करने की परम्परा इस मिट्टी के साथ में जुड़ी और यहां के जो शासक हैं उनके विचारों के अन्दर यह बात हमेशा से रही है।

सभापति महोदय, हम जयपुर की बात करें, राजस्थान के जितने भी नगर हैं उन नगरों में जयपुर बड़े सुव्यवस्थित तरीके से पुराना बसाया गया। इसको आज भी हम मानते हैं और इस बात को आज भी बताया जाता है। मिर्जा इस्माइल को हम अपने एक रोल मॉडल के रूप में कि राजस्थान के उस समय के जो समकालीन नगर नियोजनदृष्टा थे उसके अन्दर बड़े आदर के साथ में मिर्जा इस्माइल का नाम लेते हैं कि उन्होंने ही एक सुनियोजित तरीके से जयपुर को बसाने के लिए, और वह कल्पना इतनी चौड़ी रोड की कि जब

(श्री ललित भाटी)

सिर्फ घोड़ों से ही काम चल जाया करता था, यह कल्पनाएं भी नहीं थीं कि तीन घोड़े एक साथ निकले। बस एक चला जाए, एक आमने सामने से आये और चला जाए। इन परिकल्पनाओं के दौर के अन्दर चौड़ी–चौड़ी सड़कों के उपयोग को उन्होंने समझा और जयपुर की बसावट उस तरीके से हुई। उस जयपुर को भी और उस जयपुर के साथ–साथ पूरे राजस्थान को भी नया रूप देने का काम अगर मैं कहूं कि मिर्जा इस्माइल के बाद अगर किसी ने किया है तो वह हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत हैं जिनके अन्दर इस बात की तड़प थी कि राजस्थान को हम आने वाली जैनरेशन के लिए इस तरीके से तैयार कर दें कि उनको कोई सफोकेशन फील नहीं हो। जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है उसके अन्दर इस बात की बहुत आवश्यकता है कि नगर नियोजन सुव्यवस्थित तरीके से किया जाए।

सभापति महोदय, राजस्थान में पहले टाउन प्लानिंग पी डब्ल्यू डिपार्टमेंट में आया करता था। 1964 में इसको अलग किया गया और 1964 से लेकर आज तक टाउन प्लानिंग के बारे में राज्य सरकार की यह इच्छाशक्ति है जो पिछले चार साल के अन्दर देखने को मिली है और उस इच्छाशक्ति के चलते हुए ही हम इतना परिवर्तन कर पाये हैं, इतनी हम तरक्की कर पाये हैं। मगर एक कमी मुझे नजर आती है। मैं नहीं समझ पा रहा कि उन आला अफसरों को जिन्हें यह मुख्य रूप से काम सम्भालना है, जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारियां दी गईं, 1964 से लेकर आज तक यह प्रयास नहीं किया गया कि इसके लिए टाउन प्लानिंग का राजस्थान में अलग से कानून होना चाहिए। मंत्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पहल करिये। धारीवाल साहब ने बहुत सारी पहलें की हैं, अब उस पहल को आगे बढ़ाने का जिम्मा आपके ऊपर है। शमां अब आपके सामने रखी हुई है, अब इस मुशायरे को आगे आपको चलाना है। राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है कि तकीउद्दीन साहब जो गति अशोक गहलोत जी की सरकार दे रही है उस गति को और कितना गतिवान करते हैं। उसके अन्दर मैं सोचता हूं कि जो आदरणीय मुख्य मंत्री जी का सोच है और जो आपका सोच है उस सोच को गति तब मिलेगी जब आप राजस्थान में टाउन प्लानिंग एक्ट का निर्माण करेंगे। तब जा करके आपके पास में एक सुनियोजित तरीके की दिशाएं होंगी, एक बोध आपके पास होगा कि इस तरीके से चल कर हमें अपने विकास का रास्ता तय करना है। आज आपके टाउन प्लानिंग एक्ट नहीं होने की वजह से मंत्री महोदय क्या हो रहा है कि जिस तरीके से शुरू में टाउन प्लानिंग की स्थापना हुई, सिर्फ सम्भाग स्तर पर आपने इसके कार्यालय खोले हैं, भरतपुर और एक जगह और थी, दो जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसी है कि जहां आपका डी टी पी का ऑफिस कार्य कर रहा है। बाकी सब जिलों में राजस्थान में कहीं डी टी पी का ऑफिसर हो यह आज की तारीख में नहीं है।

सभापति महोदय, जो अरबन इम्प्रूवमेंट एक्ट, 1959 का बना हुआ है, राजस्थान में उस एक्ट के तहत जो टाउन प्लानिंग के प्रोविजन रखे हुए हैं सैक्शन 3 से लेकर 7 के बीच में, उन्हीं के

(श्री ललित भाटी)

अन्तर्गत आज भी सारे राजस्थान का मास्टर प्लान तैयार करने की बात की जा रही है। हमारे पास में अपना अलग से कोई मास्टर प्लान का एक्ट नहीं होने की वजह से हम किधर चल रहे हैं? हम अरबन इम्प्रूवमेंट एक्ट की तरफ चल रहे हैं और अरबन इम्प्रूवमेंट एक्ट जो बनाया गया, मैं सोचता हूं कि सुराना साहब मेरे से ज्यादा विधिवेत्ता हैं, ये ज्यादा इस बात को बता पायेंगे जब ये अपनी बात कहेंगे। क्योंकि अरबन इम्प्रूवमेंट का जो एक्ट बना हुआ है वह स्पेसिफिक अरबन टाउंस को डवलप करने के लिए आपकी एक सोच थी, उस सोच को ले करके आपने उसके अन्दर प्रावधान किये मगर वह सारे के सारे कुछ गिनी-चुनी 10 जगह पर अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट उस समय बनाया। पूरे राजस्थान के जिला मुख्यालय पर यू.आई.टी. का गठन आपने आज तक नहीं किया। तो उस एक्ट के माध्यम से टाउन प्लानिंग की कल्पना की गति जो अपन देख रहे हैं, इसके अन्दर मैं बड़ा विरोधाभास महसूस करता हूं और सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर बहुत शीघ्रता से विचार करते हुए एक एक्ट बनाने की बात करें। आज हमारी जितनी भी नगर परिषदें हैं उन तमाम नगर परिषदों में, नगरपालिकाओं में, मैं कहता हूं कि सिर्फ एक जयपुर नगर निगम को अपन छोड़ दें, जयपुर नगर निगम के अन्दर आपके नगर नियोजक का पद है, बाकी जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि हमारे कुछ गिनी-चुनी तो यू.आई.टी. हैं, बाकी जगह पर नगर परिषद् हैं और नगरपालिका हैं उन नगर परिषदों और नगरपालिकाओं के अन्दर नगर नियोजक का पद है नहीं और बड़ी विडम्बना की बात है कि जो नगरपालिका अधिनियम, 1959 बना हुआ है उसके अन्दर तो आपके टाउन प्लानिंग के कहीं प्रोविजंस ही नहीं हैं। आप पूरे अधिनियम को उठाकर देख ले, उसके अन्दर टाउन प्लानिंग के बारे में पूरा एक्ट साइलेंट है। और अब उस तरीके से जब वहां एक्ट के अन्दर प्रोविजन नहीं है, एक भी नगरपालिका, एक भी नगर परिषद् नगर नियोजन को महत्व ही नहीं देती है।

मैं अजमेर के सन्दर्भ में आपसे बात करना चाहता हूं कि वहां पर एस.टी.पी. का आफिस खोला हुआ है। वह अपने टाउन प्लानिंग के माध्यम से वहां जो भी मास्टर प्लान अजमेर का उन्होंने बनाकर रखा हुआ है, मगर वह मास्टर प्लान इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि नक्शे वगैरह स्वीकृत करने का काम नगर सुधार न्यास और नगर परिषद् अजमेर करता है। नगर परिषद् अजमेर का खुद का अपने टाउन प्लानिंग के अन्दर विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि अधिनियम में प्रोविजन नहीं है, वहां कोई आदमी बैठता नहीं है तो हमने वहां पर जो एस.टी.पी. का आफिस खोल कर एक कल्पना की थी कि अजमेर का सुव्यवस्थित विकास होगा, वह नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जो मैंने विरोधाभास बताया है कि नगरपालिका अधिनियम के अन्दर कहीं पर भी टाउन प्लानिंग के प्रोविजंस नहीं हैं। तो मंत्री महोदय, मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूं कि आप मास्टर प्लान एक्ट बनाने के साथ-साथ आप यह कोशिश करिये, जो सैक्शन (3) और (7) अरबन इम्प्रूवमेंट एक्ट में है, उन टाउन प्लानिंग के सम्बन्ध में जो सैक्शन्स हैं, (3) से लेकर (7) के अन्दर हैं, उनको आप इंकोरपोरेट

(श्री ललित भाटी)

करिये। जब तक आप अलग से अधिनियम नहीं बनाते, कम से कम यह तो करिये कि नगर परिषद् और नगरपालिका के अन्दर और नगर निगम के अन्दर, जैसा मैंने अर्ज किया, सिर्फ जयपुर नगर निगम के अलावा, कोटा के अन्दर भी नहीं है, जोधपुर के अन्दर भी नहीं है और दूसरी जगहों के ऊपर भी नहीं है। तो नगर निगम जैसी संस्थाओं के अन्दर भी अगर नगर नियोजक का पद नहीं है तो मैं सोचता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी की जो कल्पना है कि हम राजस्थान का बहुत सुव्यवस्थित तरीके से विकास करें, उसके अन्दर इन प्रोविजन और कानूनों की वजह से रोड़ा अटक सकता है तो इन कमियों को दूर करने की दिशा के अन्दर भी प्रयास किये जाने चाहिए।

सभापति महोदय, मैं हवाला देना चाहता हूं कि 14.12.1989 को एक सर्कुलर निकला, उसके अन्दर यह तय किया गया कि हम पूरे जिलों के मास्टर प्लान राजस्थान के अन्दर तैयार करेंगे और चूंकि इससे पहले कोई समयावधि उसके अन्दर तय नहीं थी कि कितनी समयावधि के अन्दर मास्टर प्लान तैयार करके दिये जाने चाहिए। यह तय किया गया कि दो वर्ष के अन्दर मास्टर प्लान तैयार होंगे और छह माह की अवधि में जितने भी उसमें आब्जेक्शंस आने हैं, सजेशंस आने हैं, उन सारों को लेकर उनका डिस्पोजल आप करेंगे। आपने सिर्फ समय सीमा तय कर दी मगर उसके लिए कितना धन चाहिए, उसके लिए जन शक्ति कितनी चाहिए, उसके बारे में आज तक कोई काम आपने नहीं किया है। मंत्री महोदय, और मैं यह मानकर चलता हूं कि आपने अभी जो, पिछले सालों के अन्दर, गत वर्ष में या एक साल पहले आपने आदेश दिया है कि पूरे राजस्थान के जिलों के मास्टर प्लान आप तैयार करिये, मगर वह बनकर आ नहीं पा रहे हैं और अजमेर जैसी जगह पर जो बनकर आ गये हैं, आपने अभी तक उसको एप्रूव नहीं किया है। तो आप यह तो तब करिये कि जब सरकार की यह मंशा है कि हम एक सुन्दर राजस्थान का विकास करना चाहते हैं तो फिर यह जो प्रक्रियात्मक दोष है, इन प्रक्रियात्मक दोषों के निवारण भी जब आप खुद टाइम बाउण्ड सर्कुलर के अन्दर कर रहे हैं और 1989 के अन्दर सर्कुलर निकाल रहे हैं और आज 2003 के अन्दर उसकी पालना नहीं हो रही है तो पालना करने के लिए अपन किसके पास में जायेंगे। तो सभापति महोदय, मैं यह चाहता हूं कि हम टाउन प्लानिंग को जितनी गम्भीरता के साथ में लेंगे, उतने ही उसके अच्छे परिणाम मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी की मंशा के अनुसार प्रदेश की जनता को देखने को मिलेंगे और उसके लिए आपका जो टैक्नीकल स्टाफ है, उस टैक्नीकल स्टाफ की भी पूरी की पूरी योजना बनानी पड़ेगी, उनको आपको रोजगार यहां पर देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान के अन्दर 73वां और 74वां संशोधन किया गया, वह स्वर्गीय राजीव जी की एक कल्पना थी कि पूरे देश के अन्दर हम स्वायत्तशासी संस्थाओं को इतनी मजबूती के साथ में खड़ा कर दें कि वह अपने स्थानीय विकास के मामले में किसी के पीछे नहीं रहे और एक पूरा मजबूत भारत उभरकर दुनिया के नक्शे के ऊपर सामने आये। वह 73वां और 74वां संविधान संशोधन की जो योजना थी, जो कल्पना थी मंत्री महोदय,

(श्री ललित भाटी)

उसके अन्दर यह था कि उनका एक लोकल डवलपमेंट प्रोग्राम होगा, वह यही टाउन प्लानिंग के अन्दर आकर अल्टीमेटली बात मिक्स होती है और उसके अन्दर वहां पर जो बोडी होगी, वह बोडी वहां पर लोकल डवलपमेंट के बारे में विचार करेगी राजस्थान के अन्दर, उन राजीव जी की मंशा के अनुरूप हम राजस्थान का विकास कर सके। एक समिति बनाई गई और समिति बनी जिसके अन्दर मैं यह जानता हूं कि डी.एल.बी., जे.डी.सी. और सी.टी.पी. और इसके अलावा और कई आला अफसर जो शीर्ष पदों के ऊपर विराजमान हैं, वे उस कमेटी में मेम्बर हैं, कमेटी की मीटिंग खूब हो रही है। और उन मीटिंगों में रिजल्ट क्या निकल रहा है, यह राजस्थान की जनता को पता नही चल रहा है, यह हम लोगों को पता नहीं लग रहा है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन इन स्थानीय निकायों की मजबूती के लिए था, उसके ऊपर हम समिति बनाकर बैठ गये। समिति को इन्हीं बातों के ऊपर सुझाव देने थे, जो उस संविधान के अन्दर है कि किस प्रकार से एक लोकल डवलपमेंट प्रोग्राम होगा, कौन उसके लिए इन्चार्ज होगा, टाइम बाउण्ड वह सारा काम होगा, उसमें इतनी सुन्दर कल्पना की गई थी 73वें और 74वें संशोधन के अन्दर जो राजीव जी चाहते थे, हम उस दिशा के अन्दर कहां तक बैठे हैं मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर भी आप कुछ दृष्टिपात करें। यहां सदन में हमारा मार्गदर्शन देते हुए आप बतायेंगे कि वह समिति अब मीटिंग के अलावा भी कोई रिजल्ट लेकर आ रही है या नहीं आ रही है। और अगर अभी तक कुछ नहीं कर पाई है तो यह तो आप तय करें कि इतने समय के अन्दर-अन्दर यह समिति किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी और राजस्थान के अन्दर हम राजीव जी की मंशा के अनुरूप उस संविधान संशोधन को मूर्त रूप दे सकेंगे और राजस्थान के विकास की दिशा के अन्दर उनका जो सोच था, उस सोच के अनुरूप हम यहां पर काम कर सकेंगे।

सभापति महोदय, मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं, कैडर स्ट्रेंथ की बात भी मैं करना चाहता हूं क्योंकि जब अपन नगर नियोजन को गम्भीरता से ले रहे हैं तो फिर उसके लिए हमारे को उतने टैक्नीकल स्टाफ भी चाहिए और उसकी सेवाएं, उसके नियम और उसके एटमोस्फियर भी हमारे को चाहिए, इसके अन्दर भी बड़ी विसंगति की हुई है। भारत सरकार में और राजस्थान सरकार के अन्दर काफी कुछ विरोधाभास इनकी क्वालिफिकेशन को लेकर चल रहा है। टाउन प्लानिंग सब्जैक्ट के अन्दर ग्रेजुएट कोर्स भारत के अन्दर 1991 में शुरू हुआ और उसके शुरू होने के बाद में यहां पर बी.ई. सिविल के लोग हैं और जिन्होंने एम.ए. जियोग्राफी के अन्दर किया है, इस तरीके से क्वालिफिकेशन रखने वाले लोगों को भी आप इसके ऊपर रख रहे हैं तो फिर जो लोग टाउन प्लानिंग कोर्स को करके आ रहे हैं ग्रेजुएट जिन्होंने किया हुआ है तो हम दो तरीके के लोगों को, वह वाली बात होगी कि डिग्री तो लेकर आ जाये मगर उसके लिए हमारे पास पद नहीं है, उसके लिए हमारे पास में नौकरियां नहीं हैं। तो यह विरोधाभास भी भारत सरकार और आपके बीच में है, इसको आपको खतम करना चाहिए। ए.टी.पी. के पदों को आपने दो श्रेणियों के अन्दर बांट दिया। उन

(श्री ललित भाटी)

दो श्रेणियों के अन्दर आपके बांटने की मजबूरियां रही होंगी, इसमें तो मैं नहीं जाना चाहता। मगर मैं यह मानता हूं कि आपको इसमें एकरूपता लानी चाहिए और अब अगर इसकी आवश्यकता नहीं है, किसी भी तुष्टिकरण की वजह से अगर हमें यह निर्णय करना पड़ गया था तो उस तुष्टिकरण को अब आप समाप्त करिये और उन पदों को जो दो श्रेणियों में आपने बांट रखा है, इसको समाप्त करके एक ही करें। और यह आप बड़ा एक क्रान्तिकारी कदम लें कि सारी परिषदों में, निगमों के अन्दर नगर नियोजक का पद अनिवार्य रूप से सृजित किया जाय और उनको इस बात के लिए पाबंद किया जाये कि वह नगर नियोजन की जो सुन्दर कल्पना है, उस सुन्दर कल्पना के अनुसार स्थानीय विकास के प्रोग्राम बनाकर उसके अनुरूप वहां पर विकास को गतिमान करें।

सभापति महोदय, मेरे कुछ कटौती प्रस्ताव पेश किये हुए हैं, उसमें मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नगरपालिका अधिनियम के अन्दर यह प्रोविजन है कि नगर परिषद् की हर महीने, इट्स ए मेंडेटरी प्रोविजन कि हर महीने साधारण सभा की बैठक बुलाई जायेगी। मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस बारे में कि राजस्थान में कितनी नगरपालिकाएं हैं, कितनी नगर परिषदें हैं जो इस मेंडेटरी प्रोविजन का पालन कर रही हैं और अगर पालन नहीं कर रही हैं तो इसके प्रोविजन को इन किताबों के अन्दर छापने की जरूरत क्या है? अगर जरूरत है तो उसको लागू कराने की जिम्मेदारी आपकी और आपके अधिकारियों की बनती है मंत्री महोदय। और आप इस बात को अब सुनिश्चित करिये कि जितना वक्त निकल गया, उसकी आड़ के अन्दर जो काम विकास के होने चाहिए, वह नहीं होते और हमारे अजमेर सभापति तो इस मामले में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा-ओर्डिनरी हैं। यह नियम बना हुआ है, उन नियमों को कोट करके मैं आपका ज्ञानवर्द्धन नहीं करना चाहता क्योंकि आप तो खुद एडवोकेट हैं, आपको सारी जानकारियां हैं, मगर उसका सीधा सीधा वायलेशन हो रहा है कि नगर परिषद् की सीमा के बाहर सरकारी वाहन को बगैर परमिशन के ले जाया नहीं जा सकता और जब खर्चों में कटौती की गई है, उसमें वैसे ही इन सभी चीजों के ऊपर रोक लगा दी गई है, उसके बावजूद आपके भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे का प्रांतीय अधिवेशन कोटा के अन्दर जब किया गया तो वहां पर हमारे यहां की महिला पार्षदें हैं, उनको आप सरकारी खर्चे पर सैर करवा रहे हैं। उसकी जब पार्षदों ने ही शिकायत की, जिला कलक्टर अजमेर ने वहां कलक्टर कोटा को, डी.सी. कोटा को इसकी सूचना दी, जिप्सी वहां जब्त की गई। आपने अब तक, यहां फेक्स आये, सारी चीजें आईं, कोई कार्यवाही आप कर नहीं रहे। डी.एल.बी. को मैं कहना नहीं चाहता कि जिस तरीके की...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नाम क्या है उसका?

श्री ललित भाटी : देओ, लेओ और, तो अगर इस तरीके से, सभापति महोदय, देओ, लेओ और भागो, अब कानून को तोड़ करके भी भागने के अन्दर अगर डी.एल.बी. अपना सहयोगी करेगी, नोटिस में सारी चीजें आ जावे, जिला कलक्टर के लेवल पर कार्यवाही होवे...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बी का मतलब बांधो।

श्री ललित भाटी : भागो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : भागो नहीं, बांधो।

श्री ललित भाटी : बांधो और बांटो, जो कुछ भी कर लो, मतलब तीनों ही हैं। तो इस तरीके से, सभापति महोदय, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। या तो यह तय कर दिया जाये कि सारी राजनैतिक पार्टियों के जितने भी सम्मेलन होंगे उसके अन्दर सरकारी गाड़ियों को ले जाने की छूट दे दो। जब छूट आप दे नहीं रहे, कानून आपने बना रखा है, आप जांच तक नहीं करवा रहे, तो ऐसे कानून को बनाने का फिर औचित्य क्या है, सभापति महोदय। मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर भी आप कार्यवाही करें और जो आपके निर्णय हैं, उन निर्णयों का सख्ती के साथ पालन हो, यह कम से कम मानीटरिंग तो मंत्री महोदय, आप डाइरेक्टर, लोकल बाडीज के माध्यम से करवाइये। उनको इस बात के लिए बिलकुल स्टैंडिंग आर्डर दे दीजिए कि अगर अखबार में भी पढ़ लो, तो अखबार में पढ़कर भी सुओमोटो कार्यवाही करना तो शुरू कर दो, इस बात का इंतजार मत करो कि कानून की अवहेलना के लिए भी कोई एम.एल.ए. साहब लिखकर भेजेंगे या पार्टी के कार्यकर्ता लिखकर के भेजेंगे, फिर कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, सभापति महोदय। चार्वाक का, सभापति महोदय, यावत् जीवेत् सुखम् जीवेत्, ऋणम कृत्वा घृतम् पीवेत्। चार्वाक की उस समय की सोच आज सिर्फ राजस्थान की सरकार पर ही नहीं, इस देश की बहुत सरकारों के ऊपर लागू हो रही है क्योंकि अब लोन लेकर के घी पीने की बात तो नहीं हो रही है मगर विकास करने की बात जरूर हो रही है। और राजस्थान में भी जो हमारे छह शहरों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए जो लोन लिया गया है उस विदेशी कर्जे से हमारी यह भावना थी, सभापति महोदय, कि हम जो आधारभूत ढांचा है उस आधारभूत ढांचे का इतना सदुपयोग करें, इस तरीके से उसको विकसित करें कि हम उस पैसे का एक-एक पाई सोच समझ करके खर्च करें। अजमेर भी उसके अन्दर शामिल है मंत्री महोदय। और मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने भी जा करके जब इस बात की वहां पर जिला कलक्टर को और डी.सी. को यह बात कही, मैं चर्चा करना चाहूंगा कि वहां कुछ आर.ओ..बीज बनाने की बात हुई, उन रेलवे ओवर ब्रिजेज के ऊपर, सभापति महोदय, कुछ अधिकारियों ने अपने स्तर के ऊपर यह निर्णय लिया, विभाग ने जो एस्टीमेट बनाकर दिये, जिनकी टैक्नीकल फिजीबिलिटी उन्होंने बनाकर दी मगर जिन संस्थाओं को कंसलटेंट के रूप में, सभापति महोदय, नियुक्त किया गया, मैं यह कहना चाहूंगा कि हम कर्जा इसलिए नहीं ले रहे कि कंसलटेंट अपनी मर्जी से जिसको चाहेगा उसको तो ठीक बतायेगा। आज तकनीकी विकसित इतनी अधिक हो चुकी है कि हम यह कहें कि यह टेक्नीकली फिजीबल नहीं है, यह तो अब असम्भव सा लगने लगा है, सभापति महोदय। मगर वो लोग सिर्फ पैसा लेना चाहते हैं, जो कंसलटेट्स हैं मंत्री महोदय, वह सिर्फ इस बात के ऊपर हैं कि हमें तो एक औपचारिकता पूरी करनी है और उस औपचारिकता के ऊपर

(श्री ललित भाटी)

हमारे को तो चाहे रिपोर्ट पक्ष में हो और चाहे वह उनके फेवर में न हो, अपना काम इतिश्री, हमारा बिल हमने पेश करा, पैसा उठाया और चल दिये, इसकी इजाजत, सभापति महोदय, अजमेर के मामले में तो नहीं देने देंगे। अजमेर की जनता इस बात के लिए आंदोलन खड़ा करेगी मंत्री महोदय, क्योंकि जो आर.ओ. बीज वहां की आवश्यकता है उनको तो हटा दिया जा रहा है। आज जौंसगंज और बिहारीगंज के ऊपर बहुत जबरदस्त आवश्यकता है। गवर्नमेंट कॉलेज के सामने हमारा जो रेल फाटक है, पूरे दिन के अन्दर कम से कम आठ घंटे वहां से ट्रेन्स शंटिंग होती हैं, वर्कशॉप्स के अन्दर जाती हैं, कम से कम नहीं तो रोज पचास–पिचहत्तर हजार स्कूली बच्चे, कालेज के छात्र–छात्राओं को वह क्रासिंग पार करके आना पड़ता है, वह सारी चीजें हमने वहां पर लिख करके दी हुई है, उन सब चीजों को सिर्फ मात्र कुछ लोगों के तुष्टिकरण करने के लिए, एक–एक आर.ओ.बी. के ऊपर आपके पांच–पांच और आठ–आठ करोड़ रुपये खर्च होते हैं मगर मार्टिन ब्रिज के बिलकुल बराबर से आप राइट आर्म निकालने की बात कर रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मगर वहां जो जिला स्तर की समिति है उसके जो सुझाव हैं उन सुझावों को नजरअंदाज करके करीबन पन्द्रह–बीस करोड़ रुपये सिर्फ कुछ लोगों के तुष्टिकरण के लिए, जिसका कोई जन उपयोग भी नहीं है, वहां कोई ऐसा ट्रेफिक नहीं है, वहां ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है औ बीस–पच्चीस करोड़ रुपये आप बरबाद करना चाहते हैं। सी.आर.पी.एफ. के वहां पर कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ट्रेफिक वहां पर नहीं है मगर वहां पर भी आप एक तरीके से आर.ओ.बी. बनाना चाहता हैं। आज हमारी आवश्यकता है कि हम लाल फाटक के ऊपर आर.ओ.बी. बनायें, हम बिहारीगंज, जौंसगंज के ऊपर जो है, दो पेरेलल लाइनें निकल रही हैं अहमदाबाद और दिल्ली के लिए, उसके ऊपर आर.ओ.बी. बनायें, वह हमारे अजमेर के लिए पहला अवसर है और मैं मानता हूं कि यह अन्तिम अवसर है, बार–बार हम विदेशी बैंकों से कोई कर्जा नहीं लेंगे कि एक बार अजमेर के ऊपर हमने कर दिया, कुछ लोगों के तुष्टिकरण की वजह से यह पैसा बरबाद हो गया, तो फिर हम वापस पैसा लोन के ऊपर लेंगे, फिर नये आर.ओ.बीज. का निर्माण करेंगे। तो मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस मामले के अन्दर दखल दें और दखल देने के साथ में जो मुख्य मंत्रीजी ने निर्देश दिये हैं कि आप स्थानीय विधायकों को उसके अन्दर विश्वास के अन्दर लीजिये, जनता की क्या डिमाण्ड है उसको विश्वास के अन्दर लीजिये, न कि चंद लोगों की इच्छा को आप देख कर कि हमें उनकी इच्छापूर्ति करनी है, इसलिए कि यह पैसा अजमेर की जनता को चुकाना है, मंत्री महोदय, यह जितना भी कर्जा लिया जा रहा है यह स्थानीय निकायों के माध्यम से वापस इसका रिपेमेंट होने वाला है। और अजमेर की जनता दो या चार लोगों की इच्छापूर्ति के लिए करोड़ों रुपये का सालों तक रिपेमेंट करने के मूड में कतई नहीं है।

तो मैं आपसे बड़ी विनम्रता के साथ में, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता

(श्री ललित भाटी)

हूं कि जनता आंदोलन करने के लिए वहां पर खड़ी हो उससे पहले आप उन कंसलटेंट्स को और ए.डी.बी. के लिए जो आपने इंचार्ज आफिसर्स वहां पर लगा रखे हैं उनको आप बिलकुल सख्ती के साथ निर्देश दीजिये कि मुख्य मंत्रीजी के निर्देशों की अवहेलना करके अगर कोई काम किया जा रहा है तो उससे बड़ी तो और, मैं कहता हूं, हुक्म-उदूली की बात कोई हो नहीं सकती कि आप हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी के निर्देशों को भी इसलिए ताक में रख दो क्योंकि वह स्थानीय लोग रोजमर्रा उनकी छाती पर सवार रहते हैं। तो यह जो तुष्टिकरण की बात है मंत्री महोदय, इसके ऊपर आप देखें कि जो हमारे एशियन बैंक के कर्जे से वहां पर आर.ओ.बीज के निर्माण की बात है इसके अन्दर वह विशेष दखल देवें और जो जनता की मांग है उसके हिसाब से उन आर.ओ.बीज का वहां पर निर्माण कार्य शुरू हो।

सभापति महोदय, मैं नगर परिषद् और यू.आई.टीज के जो जवाब यहां पर आते हैं इसकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और सभी माननीय सदस्यों का इसके अन्दर मुझे सहयोग मिलेगा, यह मैं मानता हूं। कुछ ऐसी परम्परा महसूस की जा रही है, सभापति महोदय, कि यहां से जो माननीय सदस्य सवाल पूछते हैं उनका गोलमाल जवाब देने की अधिकारियों की कोशिश होती है और वह यह भी कोशिश करते हैं कि जितना अपूर्ण जा सके उतना अपूर्ण भी जवाब जाये। मैंने, सभापति महोदय, एक सवाल पूछा कि नगर परिषद्, अजमेर की कितनी सम्पत्ति है जो इन्होंने धर्मशालाओं के लिए, स्कूलों के लिए, मनोरंजन क्लबों के लिए और अन्य सावर्जनिक उपयोगों के लिए लीज के ऊपर दी हुई है। सभापति महोदय, 84 के अन्दर बांदनवाड़ा हाउस करके एक प्रोपर्टी है नगर परिषद्, अजमेर की। मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा कि इसको आप विशेष रूप से देखें, राजस्थान की जितनी नगरपालिकाएं थीं उसमें सिर्फ अजमेर की नगर परिषद् एक ऐसी थी कि जिसके पास में सबसे ज्यादा अचल सम्पत्तियां और जिसके पास में सबसे ज्यादा बैंक बेलेंस हुआ करता था। लीज के ऊपर उन्होंने सारी की सारी प्रोपर्टीज दी और अब उनको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। उस मसले के अन्दर मेरा सवाल था और जवाब के अन्दर दिया गया, बांदनवाड़ा हाउस का कहीं रोल ही नहीं है, सावित्री कालेज को बहुत बड़ी एक सम्पत्ति दी गई है उसका उसके अन्दर कहीं जिक्र नहीं है। इस तरीके की दसियों चीजें हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको अलग से दे दूंगा, मगर यह अपूर्ण जवाब और असत्य जवाब जो दिया गया है उसके लिए तो, सभापति महोदय, जो प्रक्रिया के आपने नियम बना रखे हैं उसके अन्दर तो मैं कार्यवाही करूंगा मगर इस तरीके से कि यहां उन लोगों को बचाने के लिए, आज के दस साल पहले जब उस सम्पत्ति को बेचा गया, सभापति महोदय, तब बेचने वाले ने पांच करोड़ रुपये उस सम्पत्ति से कमाये। अगर आज नगर परिषद् की वह सम्पत्ति उसके पास होती, लीज उसकी खतम हो गई 1984 के अन्दर और 1994 के अन्दर वह सेल-आउट हुई, रजिस्टर्ड सेल डीड के द्वारा सेल आउट हुई, वहां के नगर परिषद् के एक कर्मचारी ने उसके ऊपर आब्जेक्शन भी लगाया, उस कर्मचारी को उस

(श्री ललित भाटी)

सीट से हटा दिया गया। उस कर्मचारी ने सब रजिस्ट्रार आफिस के अन्दर जाकर लिखित में भी दिया मगर इसके बावजूद भी क्योंकि नगर परिषद् के अधिकारी और कर्मचारी मिल करके उस सम्पत्ति को खुर्दबुर्द करना चाहते हैं जो सरकार की सम्पत्ति है। आज कम से बीस-पच्चीस करोड़ की वह सम्पत्ति है। ऐसी सम्पत्तियों का जवाब भी इसलिए नहीं दिया गया कि अगर हम यह जवाब देंगे तो यह पता लग जायेगा कि यह बेची किसने, खरीदी किसने और किन हालातों के अन्दर इसका क्रय और विक्रय किया गया।

(14.00 बजे)

मैं सोचता हूं इसके ऊपर आपको जांच करानी चाहिये कि इतने करोड़ों रुपयों की आपकी नगर परिषद् की सम्पत्ति है और ऐसी पचासों सम्पत्तियां हैं। ऐसी पचासों सम्पत्तियां अकेले नगर परिषद् अजमेर की हैं कि उसमें आप जो हैं अगर उनको अपने काबू के अन्दर लेंगे तो आप को स्वायत्तशासी संस्थाओं को मजबूत करने की बात कर रहे हैं वो मजबूती भी उसको प्रदान होगी। और उन अधिकारियों को भी, मैं सोचता हूं कि आप लताड़िये जो विधान सभा की गरिमा भी ध्यान में नहीं रखते और आप लोगों से मंत्री महोदय, जवाब अप्रूव करवाया जाता है। मैं यह मानता हूं कि आपकी अपनी एक सीमितता हो सकती है एक लिमिटेशन हर एक चीज की है कि आप एक-एक सम्पत्तियों के बारे में जानकारी नहीं रख सकते। मगर यह तो कम से कम आपको पूरा पुख्ता करना चाहिये कि कोई ऐसी जानकारी आपके नोटिस में आने से नहीं रह जाए कि जिसके लिए इस तरीके से हम आपको यहां पर उलाहना देवें और यह बहुत प्रचलन बढ़ रहा है। मैंने इसी सत्र के अन्दर कम से कम 4-5 सवालों के बारे में तो आब्जेक्शन अपने इस तरीके से माननीय अध्यक्ष महोदय को पेश किये हैं तो, सभापति महोदय, इस तरीके से गलत जवाब दे करके और उन अधिकारियों को बचाने का जो काम किया जा रहा है जिन्होंने करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति को खुर्दबुर्द करने के अन्दर जबरदस्त भूमिका निभायी हुई है। मैं सोचता हूं कि आप इस तरीके की कोई जांच भी इसके अन्दर करवाने की बात करेंगे। मैं सभापति महोदय, यू.आई.टी. अजमेर के बारे में भी कुछ बात करना चाहता हूं। यों तो बहुत सी चीजें हैं जिन्हें यहां कहने से भी कोई अर्थ निकलने वाला है नहीं मगर, सभापति महोदय, एक यह इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है सिर्फ अजमेर यू.आई.टी. की बात नहीं करता मैं जितनी भी यू.आई.टीज हैं आपकी वो अपनी कोई कॉलोनीज विकसित करती हैं और उसके लिए लोगों को इस बात का विश्वास दिलाया जाता है कि वो पूर्ण रूप से विकसित होगी। उन्हें वहां पर जो कम्युनिटी फैसीलिटीज है वो भी मिलेंगी, पानी है, बिजली है, सड़क है हर तरीके की चीजें मिलेंगे मगर ये देखने के अंदर आया है कि आपने जैसे मैं प्रोपर अजमेर यू.आई.टी. की बात तो करूंगा ही करूंगा वो भी आपने विधान सभा में मेरे को जवाब दिया है 55 लाख रुपये विभिन्न पार्कों के ऊपर खर्च कर दिये हैं मगर उन पार्कों में सिवाय मिट्टी और पत्थरों के कुछ भी नहीं है। पेड़ भी कुदरत ने उगा दिये जो उगा दिये हैं। पेड़ों की संख्या भी एक-एक, दो-दो और तीन-तीन है तो मंत्री महोदय, यह व्यवस्था तो आप करिये

(श्री ललित भाटी)

कि जिन लोगों से आप पैसा ले रहे हैं जिनको आप यह वादा कर रहे हैं कि हम वहां पर पार्क की सुविधा भी उपलब्ध करायेंगे, रोड भी बनायेंगे, पानी भी देंगे, बिजली भी देंगे। पानी के कनेक्शन के लिए पंचशील के लोगों को सालों तलक इंजतार करना पड़ा तो अब इस तरीके की कोई कमी न रह जाए उन चीलों को देखते हुए, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि पूरे राजस्थान के अंदर हम जो माननीय मुख्य मंत्रीजी की मंशा है कि एक सुन्दर इस प्रदेश को विकसित किया जाए और हमारी जो आने वाली जनरेशन है उस जनरेशन को इस बात का गर्व हो हमारे नेताओं के प्रति कि उन्होंने सवाई जयसिंह जी के तरीके से अपनी दृष्टि रखते हुए इस राजस्थान के विकास के लिए कोई योजना बनायी उसमें मैंने जो कुछ सुझाव दिये हैं उन सुझावों के ऊपर मंत्री महोदय, आप कुछ पहल भी करेंगे, कुछ कदम भी उठायेंगे। यही कहते हुए आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, सभापति महोदय।

श्री सभापति : माननीय श्री गोवर्द्धन कल्ला (अनुपस्थित), माननीय श्री रामू (अनुपस्थित), माननीय डा. करण सिंहजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक इधर से एक उधर से बोलते हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : एक इधर का।

श्री सभापति : हां तो यह हो गया न। एक इधर से बोल लिया अब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दो हो गये न, सभापति महोदय।

श्री सभापति : कोई बात नहीं इनके बाद आप बोल लेना। इनके बाद में आपका आ जाएगा।

डा. महेश जोशी : माननीय सभापति महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो विराजिये। उप मुख्य सचेतक जी, आप विराजिये। उनका नाम कट गया तो कट गया। गम्भीर ही नहीं हैं।

डा. महेश जोशी : नहीं, कट गया नहीं, माननीय सभापति महोदय।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उनको चांस नहीं मिलेगा अब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां उनको नहीं मिलेगा।

श्री सभापति : एक मिनट। इनकी बात तो सुन लें।

श्री मानिक चन्द सुराना : समय आपका है आप चाहें जैसा उपयोग करें।

श्री सभापति : इनकी बात तो सुनिये।

डा. महेश जोशी : मेरा निवेदन यह है कि परम्परा अब तक यही रही है कि एक माननीय सदस्य पक्ष से बोलते हैं एक प्रतिपक्ष से बोल रहे हैं उसी के अनुरूप अभी चूंकि पक्ष से माननीय सदस्य बोल रहे थे तो इस आशा में, दूसरे माननीय

(डा. महेश जोशी)

सदस्य प्रतिपक्ष से बोलेंगे तो कांग्रेस के माननीय सदस्य उठकर चले गये हैं।

श्री सभापति : कोई बात नहीं है। आप चाहते क्या हो, उनका नाम दुबारा बुलवा देंगे।

डा. महेश जोशी : जी हां।

श्री सभापति : हां तो बुला देंगे उसमें क्या दिक्कत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रतिपक्ष को बुलाना चाहते हैं। मानिक जी।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपका आदेश हो जैसा भी।

श्री सभापति : मुझे तो आपका आदेश मानना पड़ेगा लेकिन उनको कॉल कर लिया है वो चाहे तो बैठ जाएं।

श्री मानिक चन्द सुराना : हां वो बोले साहब।

डा. करण सिंह यादव : मुझे कॉल कर लिया है...

श्री सभापति : हां इसलिए आप बोले।

डा. करण सिंह यादव : लेकिन हमारे उप मुख्य सचेतक महोदय की मंशा है और माननीय सुराना साहब की इतनी सीनियरिटी को देखते हुए मैं आपका बाद में बोलूंगा।

श्री सभापति : तो फिर आप विराजिये। आप विराज जाएं। माननीय सुराना साहब।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं-नहीं, पहले वो। देखिये आपने उनको बुला लिया है।

श्री सभापति : यह गाड़ी निकल जाएगी पहले आप, पहले आप में।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं-नहीं, पहले आप की बात नहीं है। आप परम्परा को यदि उचित समझते हैं। मैं बोलता हूं। आपने मुझे कॉल किया है।

श्री सभापति : जी हां बोलिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : और डा. करण सिंह जी जैसे इस सदन के वरिष्ठ सदस्य चाहते हैं कि मैं अर्ज करूं तो मैं सभापति महोदय....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वरिष्ठ चिकित्सक हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : वरिष्ठ चिकित्सक हैं और मेरी निगाह में मेरे जिले के होने के कारण मैं भी इनको वरिष्ठ ही मानता आया हूं चाहे वो बहरोड़ से जाकर चुनाव लड़े हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : राजेन्द्र सिंह जी, जब हैल्थ मिनिस्टर थे तो एस.एम.एस. में भी फ्री हैण्ड कर रखा था उनको।

मोहम्मद माहिर आजाद : उनके हाथ अभी भी बंधे हुए नहीं हैं उनके हाथ अभी भी खुले हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, हां पक्ष के माननीय ललित भाटी जी ने अभी कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की है मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने अनेक ठोस सुझाव दिये हैं और भाषण के दौरान उन्होंने यह भी कह दिया कि कुछ अधिक बात कहने का यहां कुछ लाभ भी नहीं है। मैं समझ नहीं पाया कि उनके यह कहने का तात्पर्य क्या है। क्या वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो इस बात को तवज्जोह नहीं देगी या जो संबंधित माननीय मंत्री हैं वो उसको तवज्जोह नहीं देंगे मैं समझ नहीं पाया कि इस सदन में जो भी बात कही है...

श्री सभापति : माननीय सुराना साहब, एक सैकण्ड। ये जो आपने कहा है वो मेरे खयाल से इस सदन के लिए भी उचित नहीं है यहां जो बात कही जाती है हर बात का नोटिस लिया जाता है और वो सभी महत्वपूर्ण है इसलिए इस बात को...

(14.06 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे से पूर्व वक्ता इस सदन के माननीय सदस्य श्री ललित भाटी जी के भाषण के किसी अंश को उद्धत किया जिसके ऊपर सभापति जी ने कहा कि उनका ऐसा कहना उचित नहीं था कि इस सदन में कहने का कोई तात्पर्य नहीं है। खैर जो उनकी भावना है अधिकतर माननीय सदस्यों की भी यह भावना है कि अनेक बातें सदन में जो कही जाती हैं उसका जितना नोटिस उस पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए वो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता और बहुमूल्य सुझाव जो हैं वो वैसे ही निकल जाते हैं। नगरीय विकास के मामले में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी धारणा यह है कि हमने नगरीय विकास में अपनी प्राथमिकताएं आज तक तय नहीं की हैं और नगरीय विकास का मूल तत्व क्या है उसको भी हमने ध्यान से और गौर से नहीं समझा है और न उसको क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया। किसी भी नगर में यदि हम बहुत चौड़ी सड़कें बना रहे हैं और उस शहर के अन्दरूनी भाग में अत्यधिक गंदगी है और नालियां टूटी हुई हैं तो उस बाहरी सौन्दर्य का भी कुछ अधिक मतलब नहीं निकलेगा। हम जो कुछ भी दिखाने के लिए और शहर के बाहरी आवरण को बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं, हमें निश्चित रूप से शहर के अंदरूनी वातावरण को भी सुधारना पड़ेगा और शहरों का अन्दरूनी आवरण नहीं सुधरेगा तो पर्यावरण में वो सुधार नहीं हो पाएगा जो कि होना चाहिए।

श्री नारायण सिंह : जौहरी बाजार में तो हुआ है।

श्री मानिक चन्द सुराना : जौहरी बाजार का तो हुआ है। खैर जौहरी बाजार का हुआ या जवाहर लाल नेहरू मार्ग का हुआ अभी मैं उस पर नहीं हूं। मैं अभी जो डेढ़ सौ के करीब हमारे शहर हैं, नगरपालिकाएं हैं उनके अंदरूनी और बाहरी आवरण पर हूं और जयपुर एक अलग कैटेगरी का राजधानी होने के कारण अलग कैटेगरी का है और जयपुर की सेवा तो जो भी मुख्य मंत्री बनेगा करेगा वो चाहे किसी भी क्षेत्र से हो, जयपुर

(श्री मानिक चन्द सुराना)

के विकास को कोई भी सरकार कभी भी न तो नजरअंदाज कर सकती है, न करने की हिम्मत कर सकती है इसलिए यह जयपुर के विकास से हम जो शहरों के विकास को मापने या राजस्थान के विकास को मापने की बात है, माननीय रामनारायण जी साहब ऐसा नहीं है। जयपुर शहर तो बहुत आगे चला गया लेकिन राजस्थान के शहर अभी बहुत पीछे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो नगर विकास न्यास जो हमने गठित किये हैं...

मोहम्मद माहिर आजाद: रामनारायण जी नहीं हैं, ये नारायण सिंह जी हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : नारायण सिंह जी सही। माननीय सदस्य हैं। वो तो मंत्री हो गये, वह टोपी भी लगाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, नगर विकास न्यास जिस प्रकार से राजस्थान में चल रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि हम नगर विकास न्यासों में पारदर्शिता के सिद्धान्त को लागू करना नहीं चाहते और हमने कभी इस पर भी गम्भीरता से विचार नहीं किया कि नगर विकास न्यास, नगर निगम, नगर परिषदों से अलग भी इनके अस्तित्व का क्या कोई औचित्य है। क्योंकि नगर परिषदों के पास और नगर निगमों के पास जो बजट है उससे अधिक बजट दो गुना, चार गुना बजट विकास के नाम पर नगर विकास न्यासों के पास में है। मैं निवेदन करना चाहूंगा जिस जिले से मैं आता हूं उस जिले के नगर विकास न्यास ने पिछले चार सालों में, उपाध्यक्ष महोदय, उसने अब तक करीब 57 करोड़ रुपये चार साल में खर्च किये हैं और 57 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद, माननीय मंत्रीगण बैठे हैं, बीकानेर बहुत आते जाते हैं, क्या अपको पांच साल पहले के बीकानेर में और आज के बीकानेर में कोई गुणात्मक परिवर्तन लगा क्या? आज आपने सर्किल्स बनाये, सर्किल्स के सजाने पर 15 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपया आप बेतहाशा खर्च कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, क्या शहरों के बड़ी सड़कों से जोड़ने वाले सर्किल्स पर 15 लाख, 13 लाख, 10 लाख रुपये खर्च करके आप शहर के वातावरण को सुधार देंगे।

श्री मदन दिलावर : कोटा में एक करोड़, एक सर्किल पर खर्च किया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : एक सर्किल पर एक करोड़।

श्री मदन दिलावर : अभी तो चर्चा में यह है कि श्रीमान् शांति धारीवाल जी अपने परम पूज्य पिताजी की मूर्ति लगाना चाहते हैं और हमारे सम्माननीय गुरुजी की प्रतिमा को हटाकर ...

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : xxx

डा. महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) **:** माननीय सुराना साहब, मैं आपसे

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(डा. महेश जोशी)

विनम्र निवेदन करके यह पूछना चाहता हूं आप अपने माननीय सदस्य के इंटरवीन को तो सहन कर रहे हैं और फिर हमारे सदस्य इंटरवीन करेंगे तो। अगर हमारे इंटरवीन को आप डिसक्रेज करना चाहते हैं आपके भाषण के दौरान तो आप अपने माननीय सदस्यों के इंटरवेंशन को...

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय कुर्सी पर हैं इसलिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं मैं इस सदन के सभी मंत्रियों से और पूर्व मंत्रीजी जो कोटा शहर से आते हैं मैं उनसे भी कहना चाहूंगा आपसे भी स्वायत्त शासन का विभाग बहुत सम्भाला है, क्या आपने कभी नगर विकास न्यासों के पांच साल से चार साल के खर्चों का कोई विस्तृत परीक्षण करने का प्रयत्न किया? मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे शहर में 1998-1999 से लगाकर आज तक, 2003 तक 56-68 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और आप शहर में घूम आये आपको कहीं भी ऐसा नजर नहीं आयेगा कि बीकानेर शहर की काया कल्प हो चुकी। मैं मंत्री जी जो आज हैं, उनसे कहना चाहूंगा आपको अभी यू.आई.टी. ने रिकॉर्ड भेजा है मेडिकल कॉलेज सर्किल पर 10 लाख रुपये का खर्चा, मेजर पूरण सिंह सर्किल पर 13 लाख खर्चा, हल्दीराम प्याऊ चौराहे पर सौंदर्यीकरण पर 15 लाख का खर्चा और डूडी पेट्रोल पम्प पर साढ़े 6 लाख का खर्चा, पब्लिक पार्क एवं शहीद स्मारक के विकास पर 7 लाख का खर्चा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इन सर्किल्स की पूर्व की स्थिति और आज की स्थिति को, सिर्फ मैं बीकानेर शहर की नहीं कह रहा हूं, पिछले चार सालों में जो खर्चे हुए हैं नगर विकास न्यासों के माध्यम से और सर्किल्स के नाम पर कि कोई कला की वस्तु लगाई गई है, बीकानेर में किसी भी सर्किल पर कोई कला की वस्तु लगाई नहीं गई है। कला की वस्तु तो चाहे 5000 की है तो उसकी कीमत 50 हजार भी बताई जा सकती है कि वह आर्ट पीस है, 50 हजार का है, लाख का है। मैं निवेदन करना चाहता हूं ऐसी बहुमूल्य आर्ट पीस किसी भी सर्किल पर नहीं लगाई गई है और जो सर्किलों पर यह 10-10 लाख के खर्चे, 13 लाख के खर्चे यह मुझे नम्रता से कहना पड़ेगा कि यह रुपया निकालने का एक यंत्र है। जो भी वहां पदाधिकारी हैं, जो भी वहां अधिकारी हैं, चाहे सैक्रेटरी है, चेयरमैन हैं, नीचे के एक्स.ईएन. और जे.ईएन. हैं, यह सब उनकी मिलीभगत से रुपया निकालने का सरकारी धन को व्यक्तिगत धन में कन्वर्ट करने का एक बड़ा भारी साधन है। मैं चाहता हूं यह सौंदर्यीकरण के नाम पर यह करोड़ों रुपया जो इस तरीके से बरबाद किये जाते हैं उन पर रोक लगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ जो रुपया पड़ा है उसको बेतहाशा खर्च और एक तरफ जो संसाधन नगर विकास न्यासों के पास में हैं उन पर बेरहमी से उनके आबंटन में मनमर्जी से चाहे जिसको, चाहे जैसे किसी भी बहाने से, माननीय धारीवाल साहब, 60-70 हजार रुपये स्क्वायर फीट की जमीन जो आज है और जिसकी बोली सन् 1996 में जिन लोगों ने 46,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में उस प्लान को खरीदा, पीबीएम हास्पिटल के सामने के प्लाट को, वहां इंदिरा मार्केट है, 25 दुकाने यू.आई.टी. ने आबंटन की

(श्री मानिक चन्द सुराना)

हैं, मतलब आक्शन की है। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1996 में उसकी बोली लगी 46,000 की और जिस परिवार ने वह खरीदी उसी परिवार का एक सदस्य आज यू.आई.टी. में है चन्द्रप्रकाश और उनके छोटे भाई सुरेन्द्र कुमार को वही भूमि मात्र 8 हजार रुपये स्क्वायर फीट में देने का आदेश और किसी ने नहीं राज्य सरकार ने स्वयं ने जारी किया है कि डी.एल.सी. की रेट पर इनको आबंटित कर दी जाये। मैं निवेदन करता हूं कि डी.एल.सी. की रेट क्यों? आपको अधिकार क्या है कि आप किसी व्यक्ति को कॉमर्शियल लैण्ड किसी भी कंसेलेशन पर अलाट कर देंगे। उसके परिवार में जमीन खरीदी 46,000 रुपये में और उसी के जुड़वा प्लाट, आज चूंकि उसका मेम्बर चन्द्रप्रकाश गहलोत है, उसके छोटे भाई को आप दे रहे हैं 8 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट में। मैं पूछना चाहता हूं यह स्पष्ट रूप से आपको कुछ नजर आता है या नहीं आता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं यू.आई.टी. क्या कहती है, उपाध्यक्ष महोदय, यू.आई.टी. ने इस सरकार को एक प्रस्ताव पास करके भेज दिया। इस व्यक्ति ने 16 साल पहले 1200 रुपये स्क्वायर फीट में जमीन इसी इंदिरा मार्केट में 1200 रुपये स्क्वायर फीट में बोली दी थी और उस बोली को वहां के कलक्टर महोदय जो अध्यक्ष थे, तत्काल रद्द किया, महीने बीस दिन में और 1986 के उस प्रकरण को जो मर चुका, यह हाई कोर्ट में चले गये। सन् 2000 में, हाई कोर्ट ने यह कहा आप कानून और नियम से इसको देखें। उपाध्यक्ष महोदय, कानून और नियम से जो रिट पिटीशिन रिमाण्ड उन्होंने यह कह कर की थी कि विभाग देखेगा और विभाग ने उसको देखा और माननीय मंत्री जी जो आज आप विराजे हैं मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने उस रिट पिटीशन पर 19.10.2000 को यह आदेश दे दिया कि यह रिट पिटीशन पूर्णत: नि:सार है और इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। उसकी रिट पिटीशन भी खारिज हो गई और रिट पिटीशन के रिमाण्ड पर राज्य सरकार का निर्णय भी हो गया और उस निर्णय के बावजूद आपने अभी फरवरी में यह आर्डर कर दिया कि डी.एल.सी. की रेट पर दे दिया जाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सुरेन्द्र कुमार वही आदमी है जिसकी मां ने 46,000 में सन् 1996 में इसी मार्केट में जमीन खरीदी थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं यू.आई.टी. ने क्या लिखकर भेजा है राज्य सरकार को, आप गौर फरमाएं, उनका प्रस्ताव है 7, 8 जनवरी, 2003 का सुरेन्द्र कुमार गहलोत की नीलामी हालांकि अध्यक्ष नगर विकास न्यास द्वारा अनुमोदित नहीं करके रद्द कर दी गई थी परन्तु वह उक्त बोली में सर्वोच्च बोलीदाता थे, 1200 रुपये की बोली और उसी वक्त में दूसरी बोलियां आईं, 7700 की और उस बोली को जो रद्द किया गया, उक्त बोली के सर्वोच्च बोलीदाता थे, इतने वर्षों में उक्त दुकान को प्राप्त करने हेतु विभिन्न न्यायालयों में संघर्षरत हैं, क्या संघर्षरत हैं न्यायालय में? न्यायालय ने रद्द कर दिया। हालांकि किसी भी न्यायालय ने, उनके पक्ष में अंतिम निर्णय नहीं हुआ परन्तु इतने वर्षों से उनके प्रयास तथा न्यास की साख को ध्यान में रखते हुए और चूंकि वह 1986 से घूम रहा है और उसकी बोली रद्द कर दी, कलक्टर ने रद्द कर दी और हाईकोर्ट ने कह दिया कि कुछ

(श्री मानिक चन्द सुराना)

नहीं हो सकता, विभाग के पास जाओ और राज्य सरकार ने खुद 19.10.2000 को कह दिया। मैंने आपको को डैट कोट की है 19.10.2000 को, कि यह बिलकुल निःसार है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। 19.10.2000 या 2002 जो भी है। रिट पिटीशन के फैसले के बाद राज्य सरकार का निर्णय, अब वह लिखते हैं कि किसी भी न्यायालय में उनके पक्ष में अंतिम निर्णय नहीं हुआ परन्तु इतने वर्षों से उनके प्रयास तथा न्यास की साख को ध्यान में रखते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री सुरेन्द्र कुमार गहलोत को दुकान नम्बर 23 के माप की इसी अथवा इससे लगते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीकानेर के वर्तमान निवास की दुकान के पास ही क्षेत्र में आबंटित कर दी जाए। चूंकि प्रकरण काफी पुराना है अतः स्वीकृति कार्यवाही उपरांत राज्य सरकार से प्राप्त कर ली जावे। उन्होंने तो अपनी मोहर राज्य सरकार के खोल में डाल दी और राज्य सरकार ने, जनवरी में यह प्रस्ताव पारित हुआ, यह पहले राज्य सरकार के स्तर पर खारिज हो चुका फिर उसके बाद 19 फरवरी के करीब वापस आर्डर हो गया कि इनको डी.एल.सी. की रेट पर दे दिया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह का एक आर्डर 11 नवम्बर, 2002 को, जो भी स्वायत्त शासन मंत्री थे उनके यहां से जारी हुआ, चन्द्रप्रभाव आचार्य के लिए, कि 23 नम्बर प्लाट अलाट कर दिया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या प्लाट रेवड़िया हैं? जिस प्लाट की मार्केट वैल्यू 60 से 70 लाख रुपये है और जिसके घरवालों ने 46200 रुपये वर्गफुट की बोली, वर्गगज की नहीं वर्गफुट की बोली 1996 में दी है, आप क्या चाहते हैं कि 150 वर्गगज की दुकान जिसका मूल्य 70 लाख से ऊपर है आप उसको सौगात में देना चाहते हैं? क्योंकि वह यू.आई.टी. का मैम्बर है और यू.आई.टी. के समस्त सदस्य सर्वसम्मति से कह रहे हैं। साहब, वह सर्वसम्मति से इसलिए कहेंगे ताकि सब लूट में शामिल हो जाएं और दूसरे की हां में हां मिलाने पर हरेक को एक-एक प्लाट आबंटित हो जाए और राज्य सरकार हां कर दे ताकि 25 से 50 लाख की लूट... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : ऊपर भी भेजा है। ऊपर भी भेजा है आपको पूरा ध्यान नहीं है। 10-15 लाख रुपया ऊपर तक भेजा है सम्बन्धित मंत्री को, जिसने आदेश किया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं समझता हूं कि यह चार्ज लगाए बिना भी जो तथ्य मैंने सदन के सामने रखे और यहां बहुत वरिष्ठ मंत्री विराजे हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कामर्शियल प्लाट का आबंटन किसी भी सस्ती रेट में, आप के युग में नहीं हो सकता, खास तौर से किसी नागरिक को, उस नागरिक को जिसकी मां ने बोली दी है 46600 रुपये प्रति वर्गफुट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी खुद इस फाइल को मंगाए और किसी को 50 लाख का बोनेंजा देना है तो अपनी कलम से दे या अपनी कलम से इन दोनों प्लाट्स को रद्द करके एक करोड़ 20 लाख का लाभ बीकानेर नगर विकास न्यास को, बीकानेर शहर के विकास के लिए, उसको दोनों

(श्री मानिक चन्द सुराना)

प्लाट वापस उपलब्ध कराए। आज जबकि उसमें कोर्ट के स्टे भी चल रहे हैं, कोर्ट के स्टे बहुत मिल जाते हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी, राज्य सरकार के आदेश की आड़ में रात-रात में दुकान खड़ी हो गई। जब तक अपने आदेश को निरस्त नहीं करेंगे और निरस्त करके उस प्लाट को बेदखल नहीं करेंगे तब तक यू.आई.टी. के धन की सरकारी भूमि की लूट, एक-एक प्लाट में 150-150 वर्गफुट के प्लाट में 50-60 और 70 लाख की लूट बंद नहीं हो सकती।

जिस सरकार के सामने आर्थिक संकट है, जो सरकार कहती है कि हमारे सामने रिसोर्सेज का फ्रंच है। मैं कहना चाहता हूं कि आप भी 20 प्लाट एक शहर में, इस मूल्य के छांटे और 20 प्लाट छांटकर कम से कम 15-20 करोड़ रुपये एक शहर से ले सकते हैं, इन स्थानों से ले सकते हैं। राजस्थान में 100-150 शहर हैं। यह जरूरी नहीं कि सब जगह 50 हजार वर्गफुट का मूल्य मिले, आपको 20 हजार स्क्वायर फुट का मूल्य भी मिलेगा। यदि आंख खोलकर देखें तो 500, 400, 300 करोड़ रुपये का रिसोर्स आपको निश्चित रूप से मिल सकता है लेकिन रिसोर्स इकट्ठा किसको करना है। हमें तो अध्यक्ष वह बनाना है जो किसी न किसी राजनीतिक गलियारे से आ जाए। यह मेरे शहर के अध्यक्ष श्री सोमचंद सिंघवी किस गलियारे से आए हैं? मुझे मेरे शहर के लोग कहते हैं कि यह बहुत बड़े धन्नासेठ हैं बीकानेर के हल्दीराम भुजियावाले, यह उन गलियारों से आए हैं इसलिए इनका कोई इलाज नहीं हो सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह किसी गलियारे से आए हो पर इस लूट को हम बरदाश्त नहीं करेंगे, आप कान खोलकर सुन लीजिए। यह लूट जो कि सरकार के आदेशों की आड़ में परमानेंट होने जा रही है, राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि वह इस प्रकरण को मुख्य मंत्री स्तर पर देखे और दोनों लूट के प्रकरण को रद्द करने का काम करें।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एक अन्य प्रकरण उदयपुर का, उदयपुर के प्रकरण में एक संस्था है, विश्वास संस्था, रजिस्टर्ड है, विश्वास संस्था एक एन.जी.ओ. है और एन.जी.ओ. होने के कारण 1992-1993 में रजिस्टर्ड हुई। इसने पहली बार 29.12.1999 का एक आवेदन दिया यू.आई.टी. को कि वह उनको दस हजार स्क्वायर फुट भूमि उपलब्ध कराए। जब तक मैंने यह नोटिस लिया तब तक मेरी जानकारी में था और जो कागजात मुझे मिले उसमें भी है कि उस संस्था के अध्यक्ष श्री गुलाब सिंह जी शक्तावत हैं। और कागजों में यह भी था कि माननीय सी.पी. जोशी साहब उसके मैम्बर हैं। फिर मुझे जानकारी मिली कि कभी के वह उस संस्था से अलग हो चुके हैं और अब वह पदाधिकारी भी नहीं हैं एवं मैम्बर भी नहीं हैं। खैर, यह जानकारी मुझे हुई, इस जानकारी से मुझे बहुत लाभ हुआ। जो मूल मुद्दा है, अगर वह आज भी इस संस्था के अध्यक्ष रहते तो मूल मुद्दा खो जाता। मेरी जानकारी यह हो गई कि वह नहीं है, तो मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। आपकी नीति यू.आई.टी. की एन.जी.ओज. को भूमि आबंटन के बारे में क्या है? दस हजार स्क्वायर फुट भूमि के आबंटन के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया और अपने यहां प्रार्थना पत्र में 14.3.2000 को माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी को दिया।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

शायद उस समय आप ही थे स्वायत्त शासन मंत्री। (व्यवधान) 8.5.2000 को भुवाना विस्तार योजना चित्रकूट नगर में 10 हजार वर्गफुट भूमि फिर उन्होंने दुबारा मांगी और 11.7.2000 को राज्य सरकार की स्वीकृति हो गई। स्वीकृति यह हुई, 10 हजार वर्गगज भूमि की जगह उनको 20 हजार वर्गफुट भूमि दी गई। 60 रुपये की रेट थी उस रेट के बजाए, 60 रुपये वर्गफुट रेट, एक अन्य संस्थान देवेन्द्र मुनि संस्थान को दी गई थी उसके मुकाबले चौथाई रेट पर दी गई।

माननीय मंत्री जी, यह तो रामराज्य हो जाएगा कि हम मांगे 10 हजार वर्गफुट और मिले 20 हजार वर्गफुट। कोई मांगे 100 गज और उसके मिले 200 गज ज़मीन। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह 20 हजार वर्गफुट देने से पहले इसका आकलन किया क्या कि उस पर कितनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हमको एक भी ना दे। मांग रहे हैं 10 हजार और दे रहे हैं 20 हजार, वाह...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दिलावर जी प्लीज, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो?

श्री मानिक चन्द सुराना : खैर, आपने दी है। (व्यवधान) मैं तो यह पूछ रहा हूं उस पर कितनी बड़ी बिल्डिंग बनकर कितना रुपया लगेगा, इसका आकलन किया क्या? या फिर आपने सिर्फ यह देखा कि यह जहां पहले आबंटन हुआ, माननीय, यह था भुवाना फेज फर्स्ट। और जब यह आबंटन के पत्र आ गये, तीन लाख रुपये का चैक भी इन्होंने भेज दिया उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, यह जमीन बहुत दूर आपने आबंटित कर दी है, शहर के नजदीक आप हमें दूसरी जमीन भुवाना फेज थ्री में दें, और उसके बाद यू.आई.टी. ने उसको फेज थ्री में प्रस्ताव पास करके भेज दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, एन.जी.ओज. को, हमारे राज के, सरकार के अलावा जो भी विकास की प्रक्रिया में हमें सहयोग देते हैं आप कोई नीति बनाएं जो राजस्थान में लागू हो। पर यह पिक एण्ड चूज जो आपने किया, कोई मांगे 10 हजार और दे 20 हजार वर्गफुट दे। दूसरे को दे 60 रुपये वर्गफुट और इनको 15 रुपये वर्गफुट दे। बिना यह देखे हुए, आप में खूबी यह है, आपने उसको कामर्शियल लैण्ड की स्वीकृति दे दी। उदयपुर में जिस जगह यह है वहां 10 हजार रुपये स्क्वायर फुट से नीचे कोई भाव नहीं हैं। वहां 9 हजार रुपये आज की जमीन, आपने उनको 15 रुपये, 135 रुपये वर्ग फुट में अलाट कर दी तो निश्चित रूप से मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें, मैं यह कहे बिना भी नहीं रह सकता कि यदि यह संसर्ग +++ किसी, 1992–1993 में भी इस संस्था के अध्यक्ष और सदस्य के नाते नहीं होता तो शायद यह इतना बड़ा बोनांजा और इतना बड़ा गिफ्ट आपकी सरकार उनको नहीं करती।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, इन्होंने मेरा नाम लिया है। Then give me liberty to speak. हमें आपकी परमिशन चाहिए।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आप, एक मिनट।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप अपनी बात कहें।

डा. सी.पी. जोशी : आपने हमारा नाम ले ही लिया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैंने आप पर कोई आरोप नहीं लगाया है।

डा. सी.पी. जोशी : Don't give the inference. आप बात कह रहे हैं रिकॉर्ड पर सब चीज सही आनी चाहिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, नहीं, नहीं, मुझे कह लेने दीजिए।

डा. सी.पी. जोशी : गुलाबजी कटारिया बैठे हुए हैं, फिर हम भी सामने रखना चाहते हैं... (व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं हुआ। (व्यवधान) आप अपनी बात कहें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है लेकिन Please give me the liberty to speak. We are ready to reply.

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप रेफरेंस में तो हमारा नाम ले रहे हो और फिर चार्ज नहीं ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : तो हमें भी साफ बात कहनी चाहिए। यह कहने का अधिकार दिया जाए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप हिम्मत से चार्ज लगाइये, हमारी हिम्मत है हम जवाब देंगे आपको। (व्यवधान) लगाइये चार्ज। फिर कहते हैं कि मैं कहना नहीं चाहता हूं, दोनों बातें कैसे हुईं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : It cann't be pick and choose. गुलाबजी कटारिया के भाई को... (व्यवधान) भूल जाएं। उसका तो कुछ नहीं और वह मेंशन करें। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय जोशीजी, मैंने जो कहा है वह सही ...(व्यवधान) एक मिनट...

डा. सी.पी. जोशी : एक मिनट, आप बोले, मैंने आपको सुना।

श्री मानिक चन्द सुराना : Are you allowing him to speak, Sir? क्या यह इण्टरविंशन होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये, प्लीज, एक मिनट।

डा. सी.पी. जोशी : हां, इंटरविंशन होगा। नाम ले रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, बाद में करिये। आप अपनी बात कहें।

डा. सी.पी. जोशी : आप अपनी बात को रिकार्ड पर ले आवें...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आप अपनी बात कहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, माननीय सदस्य।

डा. सी.पी. जोशी : मुझे यह है, आप अपनी बात जब बोल दें तो रिकार्ड में सही बात आ जाए। ऐसे गुलाब सिंहजी कह रहे हैं... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, तो मैंने कह दिया ना कि आप नहीं हैं अभी। आप नहीं हैं, यह मैं कह चुका हूं। गुलाब सिंहजी नहीं हैं, यह कह चुका हूं मैं। (व्यवधान) फिर क्या चाहते हैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप नहीं हैं, तो नहीं हैं।

डा. सी.पी. जोशी : क्या चाहते हैं, हम वही चाहते हैं...(व्यवधान) सार्वजनिक जीवन में किसी को यह अधिकार नहीं है कि वन साइडेड किसी को डॉक में खड़ा कर दे, यह आपके सबके नियम बने हुए हैं, 1974 के रूल बने हुए हैं। (व्यवधान) यह राजस्थान सरकार के रूल बने हुए हैं कैसे जमीन डिस्पोज होगी, कैसे नियम बनेंगे। आप राज में रहे हुए हैं। आपके राज में कितने जमीन दी, किस भाव में दी। कौन-कौन संस्था के सदस्य थे, किनके फायदे में थी... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : तो माननीय जोशीजी, जो जमीन दी गयी है....(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : तो ऐसे नहीं होता। आप कभी यह आरोप लगा दें, बीकानेर में यह हुआ, उदयपुर में यह हुआ, जयपुर में यह हुआ... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : जो भी जमीन दी गयी है, मैं यह कहना चाहता हूं कि जमीनों के नाते...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं चाहूंगा, आप जवाब दें, मैं मना थोड़े कर रहा हूं।

डा. सी.पी. जोशी : अब वह सदस्य मेम्बर ही नहीं है, यू.आई.टी. का चेयरमैन बोल ही नहीं सकता है, उसके खिलाफ आरोप लगा दें...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, नहीं, माननीय जोशीजी, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन मेरे बीच में नहीं है। आप अपनी बात कहें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट, माननीय मंत्रीजी।

डा. सी.पी. जोशी : मैं तो आपकी परमिशन से बोल रहा हूं। I am seeking his permission, not yours.

श्री मानिक चन्द सुराना : आप उनकी इजाजत से नहीं, आप इंटरवीन कर रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : मैं उन्हीं की परमिशन मांग रहा हूं, आपकी नहीं मांग रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, माननीय मंत्रीजी, एक मिनट, आप विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपने शुरू में यह कह दिया कि +++ इसके सदस्य नहीं हैं इसलिये मैं इन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। (व्यवधान) सुनिये, एक बात, सुनिये। (व्यवधान) आप विराजिये I know what I am saying. आप विराजिये I am not wanting any clarification from you.

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज, में इनसे कह रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जोशीजी, भी यूं खड़े होते हैं। इन्होंने एक बात कही है कि ये थे, तो सम्भवतया, यह सम्भावना, He has a right to reply. यह क्या बीमारी है कि ये बार बार खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, What right he has got, I know.

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके क्या बीमारी है जब-तब खड़े हो जाते हैं। आप जवाब दें।

डा. महेश जोशी : यह आपको बीमारी है क्या...(व्यवधान) बीच-बीच में खड़े हों। आपने ठेकेदारी ले रखी है क्या सारी?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : गुलाब सिंहजी ने कहा जो सही कहा कि हम जवाब देंगे। जवाब दें आप।

डा. सी.पी. जोशी : डॉक में करेंगे... (व्यवधान) मर्जी आवे जब आरोप लगा दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशीजी, माननीय मंत्रीजी विराजिये।

डा. सी.पी. जोशी : हम जलील होने के लिये मंत्री हैं आप यह आरोप लगा देते हैं। आप मंत्री पर आरोप लगा देते हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, विराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : +++

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सुरेन्द्रजी, माननीय जोशीजी।

डा. सी.पी. जोशी : अपना इलाज खुद करवाकर आइये कभी। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : वे क्या बोल रहे हैं? (व्यवधान) यह +++ की बात...

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशीजी, माननीय जोशीजी, एक मिनट, आप विराजिये।

श्री मदन दिलावर : अब सी.पी. जोशीजी साहब बताएं किसने खाये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, आप बैठिये, प्लीज।

श्री मदन दिलावर : इधर इशारा है, उधर इशारा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। अंकित नहीं हो, आप बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप प्लीज विराजिये। माननीय सुरानाजी, आपने फर्स्ट सेंटेंस में यह कह दिया कि जब यह हुआ तब ये दोनों अध्यक्ष, सदस्य नहीं थे। (व्यवधान) अभी भी नहीं हैं मैटर क्लोज। (व्यवधान) नहीं, सैकण्ड राउण्ड में जब आपने कहा आपने इनको इम्पलीकेट किया है। विराजिये आप, I will let you know. आप विराजिये, एक मिनट, आपने यह कहा है कि यह सदस्य रहे हों या नहीं रहे हों। लेकिन इनके प्रभाव से यह काम हुआ है। यह शब्द आपने कहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : इनके संसर्ग के कारण से यह हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : इसका मतलब आप डाइरेक्टली इम्पलीकेट कर रहे हो इनको। क्या मतलब इसका। (व्यवधान) I will not allow it. आप इम्पलीकेट कर रहे हो इनको, बात तो वही हुई।

श्री मानिक चन्द सुराना : एक मिनट, आप मुझे कुछ कहने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, I will not alow you to take their names.

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, आप अलाउ नहीं करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : मैं इनका नाम लेना अलाउ नहीं करूंगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : किनका?

श्री उपाध्यक्ष : इन दोनों का। I will not allow it.

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, वह अब वह सदस्य नहीं हैं। मैं यह नहीं कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्वयं यह कह चुके हैं। आप स्वयं कह चुके हैं, they are not members. आप स्वयं कह चुके हैं कि they are not members, they are not members, they are not members. फिर आप क्या कहना चाहते हो फिर आप यह कहते हो कि यह अब मेम्बर

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

नहीं है ये किसी जमाने में मेम्बर रहे हैं इसलिये इनके प्रभाव से यह जमीन दी I will not allow.

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस हैड पर जो सार्थक बहस कर रहा हूं, वह करने दीजिये। क्या अलाउ नहीं करेंगे? (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं वैसे इंटरवेंशन नहीं करना चाहता हूं, ये लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप एंटीसिपेट थोड़े करेंगे कि मैं क्या कहने वाला हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कह चुके।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं उसके आगे चल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पीछे क्या हुआ उसको तो एक्सपंज करता हूं, आगे बोलिये आप। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : चाहे एक्सपंज करें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य, एक जानकारी चाहता हूं आपसे। (व्यवधान) आप मर्जी आए बात कहें, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ऐसे थोड़े होता है। क्या एक्सपंज करते है आप?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं एक जानकारी चाहता हूं आपसे।

श्री मानिक चन्द सुराना : जब यह एक्सपंज कर दिया, आप क्या कहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या एक्सपंज करते हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, आप बैठिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, क्या एक्सपंज करते हैं आप।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, क्या एक्सपंज कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, जो नाम इनका लिया है उसको एक्सपंज करता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : था क्या, नहीं, नहीं, आपने कहा है कि...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य से एक जानकारी चाहता हूं। (व्यवधान) एक जानकारी चाहता हूं सिर्फ एक जानकारी...(व्यवधान) यह संस्था का

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

रजिस्ट्रेशन, संस्था का रजिस्ट्रेशन 1993 में हुआ था, यह सही है। (व्यवधान) इसका दुबारा चुनाव कब हुआ मैं यह पूछ रहा हूं, नहीं, नहीं, इसका दुबारा चुनाव कब हुआ और कौन पदाधिकारी थे।

श्री अमराराम (धोद) : आप रिकार्ड पर देख लें, आप सरकार में हैं। (व्यवधान) देख लें, कहां हुआ, कहां नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : यह तो सही है ना, आप उस वक्त...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं, नहीं 1993 में हमारी सरकार भी नहीं थी। हमारा लेना-देना भी नहीं था और इस संस्था के विधान के अनुसार 3 साल बाद चुनाव हो जाते, 3 चुनाव उसके हो चुके और हमारे वक्त में न तो मैंने जमीन की दरखास्त दी और न कोई बात हुई। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : 1993 में तो आप नहीं थे लेकिन 1998 से अब तक तो आप सरकार में हैं तो देख लो कौन है और... (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उस संस्था से मेरा कोई लेना-देना नहीं रहा 1996 के बाद... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : पहले था। पहले तो था।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : पहले हमने कोई काम नहीं किया। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : था तो सही।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने कोई काम नहीं किया।

श्री अमराराम (धोद) : पहले आप उसके अध्यक्ष थे। यह कहा है इन्होंने इसमें क्या गलत कहा है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ठीक ही कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं यह। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप, मंत्री महोदय, शक्तावत साहब कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप विराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुझे भी तो कहने दीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : I need your protection इस तरह से इंटरवेंशन होगा, मैं मेरी बात नहीं कह पाऊंगा, मुझे कहने दीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने कहा कि मैंने दी, इसलिये यह ...(व्यवधान) स्वायत्त शासन मंत्री के नाते मैंने दी है, तो मैं आपको वही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, नहीं, माननीय मंत्रीजी, अब यह आपका विषय भी नहीं

(श्री मानिक चन्द सुराना)

है, आपका विषय नहीं है, आप बाद में कहें। (व्यवधान) नहीं, नहीं, बाद में कहें। इस तरह से डिबेट नहीं चलेगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह कोई बात नहीं हुई।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप बाद में कहें, आपको कहने का पूरा अधिकार है। सरकार आपके पास है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रता से एक बात निवेदन करना चाहता हूं। गृह मंत्रीजी ने जवाब दिया बिलकुल सही तरीके से जवाब दिया। आप कोई बात डिबेट अलाउ कीजिए, मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी संजीदगी से मानिकजी बोल रहे थे, इन्होंने तो कतई आरोप नहीं लगाया। इतना जोशीजी उत्तेजित होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने सुना नहीं। आपने सुना नहीं इसका मतलब। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : इन्होंने कहा। (व्यवधान) आप बैठिये, नहीं आपने क्या एक्सपंज कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए, उन्होंने विद्ड्रा कर दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने क्या एक्सपंज कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने स्वयं ने विद्ड्रा कर दिया। आप बैठिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : नो, नो, नो। मुझे मेरी बात कहने दीजिये।

डा. सी.पी. जोशी : रिकार्ड के अन्दर ले लिया। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मुझे मेरी बात कहने दीजिए, जोशीजी। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक सम्भावना यह व्यक्त की है कि यदि पास्ट एसोसिएशन इनका नहीं होता तो शायद इतना बड़ा बोनांजा नहीं देते। यह कोई एलीगेशन नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : यही कहा है मैंने, यही कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये ना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : और आपने इसको एक्सपंज कर दिया, यह क्या बात हुई?

डा. महेश जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने सदन की कार्यवाही से निकाल दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह रूल्स ऑफ प्रोसीजर आपके ऊपर भी लागू है। यह नहीं है कि जो आपके मुंह से निकल जाए वही रूल्स ऑफ बिजनस हो गया। यह चेयर के ऊपर भी लागू है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, आप मेरे को चैलेन्ज नहीं कर सकते। आप विराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आप देखिये, उपाध्यक्ष महोदय, माफ करें आप। आप रुल्स ऑफ बिजनस से बाध्य हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुराणाजी, बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको हाउस रूल्स आफ बिजनस के तहत चलाना है। +++

श्री उपाध्यक्ष : I know, how to run the House. I don't want any...

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, I strongly protest. आप एक्सपंज नहीं कह सकते हैं। (व्यवधान) नहीं, आप एक्सपंज नहीं कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्षजी, आप उखड़े हुए क्यों हो?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप यह एक्सपंज नहीं कर सकते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप एक्सपंज नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप नाराज क्यों हैं, उपाध्यक्ष महोदय, बताएं तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको रिप्लाई का टाइम मिलेगा, आप रिप्लाई दीजिएगा ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके चेहरे पर तनाव दिख रहा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह आप एक्सपंज नहीं कर सकते। यह कोई एक्सपंज करने की बात नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक्सपंज करने की कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यहां वह सब बोले जो आप चाहेंगे?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, रेस्टोर कीजिए पहले। जो कुछ कहा है उनको रेस्टोर कीजिए पहले और आप एक्सपंशन नहीं कर सकते हैं। आप किसी हालत में एक्सपंज नहीं कर सकते हैं। किस बात का एक्सपंज करेंगे, क्या बात कही है इन्होंने अनपार्लियामेंटरी।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हो गया? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : What is unparliamentary about it?

श्री मानिक चन्द सुराना : मैंने कोई अनपार्लियामेंटरी बात नहीं कही।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, ज्ञानवर्धन कीजिए आप। आपने कैसे एक्सपंज कर दिया, नहीं कर सकते हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष : देख लेना रिकार्ड पर जो एक्सपंज हुआ है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने आदेश फरमा दिया ना, वहीं से अपना आदेश फरमा दिया, एक्सपंज करता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, क्या एक्सपंज किया आपने। आपने कह दिया, यह एक्सपंज करें।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : +++

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, विराजिये मैंने वह एक्सपंज....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह किताब आप पर लागू है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हां, एक्सपंज कर दिया जो कर दिया। यहां नियम से काम चलेगा। यहां पर आचरण और नियम से काम चलेगा। आपके इस तरीके से कोई नहीं होने वाला है।

डा. सी.पी. जोशी : आप क्या समझते हैं?

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके इस तरीके से कोई नहीं होने वाला है। आप हैल्दी ट्रेडिशन... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हाउस हैल्दी ट्रेडिशन पर मेनटेन होना चाहिए। इस तरीके से माननीय सदस्य लोग धमकी दें। यह यहां पर हम सहन नहीं करेंगे। हम नहीं पसन्द करेंगे।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : यह नहीं करेंगे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हम भी किसी भी कीमत पर यह सहन नहीं करेंगे। इस तरीके से धमकी नहीं सहन करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप एक्सपंज नहीं कर सकते।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी घोर आपत्ति है। यह सदन नियम और परम्पराओं से चलेगा। इस तरीके से आसन से यहां पर नहीं होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कैसे कह दिया आपने यह कि एक्सपंज करेंगे।

श्री अमराराम (धोद) : यह उन्होंने जो कहा है वही कहा है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपका यह व्यवहार अशोभनीय है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी व्यास, प्लीज, सिट डाउन।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह सदन किसी की बपौती नहीं है। यह शुद्ध आचरण पर चलेगा। हैल्दी ट्रेडिशन पर चलेगा, आपकी धमकियों पर नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो जोशी बोलते हैं, यह तीसरे जोशी और कहां से आ गये?

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : जोर-जोर से बोलना तो आप लोगों को ज्यादा आता है। यहां पर शालीनता से बोलते हैं, उसका गलत अर्थ, नाजायज फायदा आप लोग उठाते हो।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने वह एक्सपंज किया है, सैकण्ड टाइम जब इन्होंने यह कहा कि यह अध्यक्ष और सदस्य नहीं रहते हुए भी, इनका प्रभाव उपयोग करते हुए, इन्होंने कहा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : कहा है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हो गया, एक्सपंज हो गया। हो गया, हो गया, हो गया। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : इन्होंने बिलकुल कहा है। रिकार्ड के अन्दर है। रिकार्ड के अन्दर है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं कहा इन्होंने।

डा. सी.पी. जोशी : रिकार्ड के अन्दर है। रिकार्ड के अन्दर है।

श्री उपाध्यक्ष : रिकार्ड के अन्दर है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इन्होंने केवल यही कहा है कि....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के अमर्यादित व्यवहार को हम सहन नहीं करेंगे। आपके अमर्यादित व्यवहार को हम सहन नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप चैक कीजिए, यह नहीं कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शैलेन्द्रजी, बैठिये आप।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मुझे बोलने दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ठहरो न, यह नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। सुरानाजी, बोलिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह विधान सभा है, इसको विधान सभा ही रहने दीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने सुना है, क्या कहा है जो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने सुना है जो यह रिकार्ड किया है, यह रिकार्ड क्या किया? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने सुना है, आपने नहीं सुना है। आप विराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इन्होंने यह कहा है कि इतना बड़ा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : ×××

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। सुरेन्द्रजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज। माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। बैठिये आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, बैठिये-बैठिये आप। माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है और आप रिकार्ड देखे और आप मेरी बात में से कोई अनुचित बात पाये तो आप चाहे उसको एक्सपंज करो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, कैरी ऑन। बैठिये-बैठिये। आप बैठिये। आप उनसे क्यों बात कर रहे हो। उधर बात न करो। आप फरमाओ।

श्री मानिक चन्द सुराना : सदन में कोई गम्भीरता से बात कहना भी गुनाह है तो वह गुनाह तो मैं कर रहा हूं। मैं अर्ज कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, फरमाओ।

श्री मानिक चन्द सुराना : जो मूल प्रश्न मैं उठा रहा हूं...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दुबारा रिपीट कर दीजिए बात।

श्री सुरेन्द्र व्यास : दुबारा रिपीट करो आप। दुबारा रिपीट करो।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मानिक चन्द सुराना : जो मूल प्रश्न मैं उठा रहा हूं वह यह है कि एन.जी.ओ. को अलाटमेंट की नीति....(व्यवधान) एक सैकण्ड, एन.जी.ओ. को जमीन आबंटन के बारे में बिलकुल स्पष्ट और पारदर्शी नीति बनायी जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

श्री मानिक चन्द सुराना : यदि नहीं बनेगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो आज एक सरकार है, कल दूसरी आएगी, परसों तीसरी आएगी इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक सरकार के पास नियम तो हो। प्रत्येक सरकार के पास वही नियम है कानून भी वही हैं, अलाटमैंट का राज्य सरकार को अधिकार हमेशा रहेगा और कोई राज ऐसा नहीं आएगा जो कहेगा कि अब हम यह अधिकार नहीं रखेंगे। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप उसको अलाट करें, अलाट करने से पहले उसकी आर्थिक क्षमता, भवन बनाने की और भवन बनाने का क्या ब्ल्यू प्रिंट है, उसका क्या इंवेस्टमैंट है और वह चूंकि एन.जी.ओ. है, इसलिए मेरा निवेदन है कि वह सब, आम जनता से चाहे बड़े लोगों से रुपया इकट्ठा करके अपने कोष को दिखाये कि हां, 25 लाख रुपया हमारे पास है। हम यह भवन बना लेंगे। 400 स्क्वायर फुट, 500 स्क्वायर फुट का, पांच हजार स्क्वायर फुट का जमीन में बना लेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने उस संस्था को, +++ मैम्बर नहीं हैं, +++ नहीं हैं। 1992-1993 में थे, तीन साल रहे, बाद में नहीं रहे, कोई बात नहीं है। मैं निवेदन यह करता हूं कि आपके नहीं रहने से, मैंने कहा कि मेरे को मुख्य मुद्दा जो है उस पर कहने का बहुत कुछ मसाला मिल गया है। आपका नाम आज भी होता तो सिवाय हल्ले के इस विधान सभा में कुछ भी नहीं होता। लेकिन चूंकि आपका नाम ही नहीं है इसलिए मैं कहता हूं कि इस मूल प्रश्न पर तो जाइये। आज मैं विधायक हूं। मैंने एप्लाई कर दिया बीकानेर में, जयपुर में कि दस हजार स्क्वायर फुट मुझे, मैं किसी भी संस्था का अध्यक्ष हो गया या किसी दूसरों को बना लिया और आपको कह दिया कि इंस्टीट्यूशनल एरिया में दस हजार स्क्वायर फुट दे दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जैसे रतन लालजी ने किया जैसे...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : और जिस तरीके से यदि आपने उसके आर्थिक साधन देखे बिना अलाट कर दी और आपने उसको कॉमर्शियल लैण्ड दे दी तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कॉमर्शियल लैण्ड पर कोई भी बिल्डर आ जाएगा और 50, 50 में वह शेयर कर लेगा और हो सकता है कि वह 60 और 40 में शेयर कर लें। 60 परसेंट तो उस संस्था को दे दे और 40 परसेंट खुद रख लें, जमीन यदि बहुमूल्य है तो 50, 50 में भी और 60, 60 में भी, मैं कहना चाहता हूं कि एन.जी.ओ. का मतलब यह नहीं हो सकता कि सरकारी सम्पत्ति को सरकार के आदेश के माध्यम से व्यक्तिगत या एक संस्था की सम्पत्ति में कन्वर्ट करके और उसमें ऐसी आमदनी का साधन बना

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

लिया जाए कि लाख, दो लाख रुपये की आमदनी हो जाए और 10-15 आदमियों को पांच हजार रुपये का स्टाइफण्ड देकर और उसमें काम शुरू हो जाए। आप वह काम करिये। 25 लाख रुपये इकट्ठा करके पहले और तब जाकर पांच हजार, दस हजार स्क्वायर फुट जमीन अलाट करिये। मैं जमीन आबंटन का विरोधी नहीं हूं, मैं एन.जी.ओज. का भी विरोधी नहीं हूं और मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं इस सदन से, माननीय मंत्रियों से और माननीय विधायकों से, मैं मंत्रियों के लिए तो इतना तो निवेदन करूंगा ही कि यदि वे मंत्री पद ग्रहण करें तो किसी एन.जी.ओ. से उनका सम्बन्ध रहे भी पहले तो कम से कम तत्काल इस्तीफा दे और चूंकि इस मामले में तो वे 96 से अलग हो गये तो मुझे कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है लेकिन अनेक मंत्री आज भी कुछ एन.जी.ओ. की कार्यकारिणी में होंगे और अनेक विधायक भी होंगे। मैं कहना चाहूंगा कि यदि हमें कुछ पवित्रता रखनी है, हमें कुछ अपनी पब्लिक लाफ में इंटीग्रिटी, शुद्ध तरीके से उसको व्यवहार में लाना है तो इस प्रकार की मैम्बरशिप मिनिस्टर्स की और एम.एल.एज. की, यह समाप्त होनी चाहिए और एन.जी.ओ. को आप लैण्ड अलॉट करें पर उसको बोनांजा नहीं दें। कोई ऐसा नहीं लगे कि उसको कोई प्रश्रय दिया गया है। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण में तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक फैसला, राजस्व मण्डल का एक फैसला, बहुत देर का नहीं, 11.3.2002 का, करीब एक साल पहले का, वह जिन लोगों से अभी, यू.आई.टी. के लोग गये और उनके डंडे, उन किसानों के तोड़े और जमीन भी संस्था को आबंटित हुई तो यू.आई.टी. के लोग गये और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन तारीख के अखबार में, चार मार्च, 2003 की पत्रिका और भास्कर जो छपते हैं उदयपुर से, उनमें बड़ी रिपोर्ट छपी। नियम विरुद्ध कार्यवाही का आरोप। प्रन्यास कर्मियों को किसानों ने खदेड़ा, यह तो है पत्रिका और पुराने प्रन्यास की, जे.सी.बी. पर किसानों का पथराव। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पथराव भी क्यों हुआ क्योंकि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन काश्तकारों के पक्ष में रेवेन्यू बोर्ड का एक निर्णय 11.3.2002 को हो गया और उसको जिस जमीन को यू.आई.टी. उदयपुर देवस्थान की मानती है, उसके लिए बोर्ड ने सक्षम रूप से कह दिया कि यह जमीन इन किसानों की है और वह जमीन किसानों की है। किस आधार पर है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्वत् 2019 से लगाकर सम्वत् 2042 तक, 2042 तक जब नया सैटलमैंट हुआ, वह जमीन निरन्तर उन काश्तकारों के नाम थी। 19 से लगाकर 42 तक, 30 साल से अधिक अवधि तक, 33 साल की अवधि में उन काश्तकारों के नाम थी और नये सैटलमैंट में उसको देवस्थान की जमीन दर्ज कर दिया। और वे जब गये विधिवत कार्यवाही करके सुप्रीम, बोर्ड आफ रेवेन्यू में लड़े तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह चार लाइन उनकी कोट करनी है जो उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के किसी फैसले के आधार पर कही है- "Changes in the khatedari suomotu by Settlement Officer. - Originally the land belonged to the deity and was recorded in the name of claimant. The Settlement Officer recorded the name deity by altering the continuity of line recorded

(श्री मानिक चन्द सुराना)

of his own. The Board of Revenue held, the land could not be transferred without orders of the competent authority." जो जमीन 33 साल तक किसी काश्तकार के खाते में है, वह आप नये सैटलमैंट में डीइटी की जमीन नहीं बता सकते। और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो नया राजस्व कानून, टिनेंसी एक्ट आने वाला है और यह देवस्थान की जमीन है, वह देवस्थान की रहेगी या काश्तकारों की होगी, इनके भी कुछ अधिकार बनेंगे? लाखों बीघा जमीन है ऐसी राजस्थान में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पर्टिकूलर मामले में, जिसमें इस यू.आई.टी. ने देवस्थान विभाग में रुपया जमा कराया है इस जमीन का, देवस्थान की भूमि मानकर देवस्थान में जमा कराया है और बोर्ड ने कह दिया जमीन है किसानों की तो आज कानून की निगाह में कोई अधिकार यू.आई.टी. का उस भूमि पर नहीं बनता कि वह उसको अलॉट करे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब बोर्ड ने कह दिया कि यह जमीन किसानों की है तो आप इसको डीइटी की कैसे मानोगे? यह रूल ऑफ लॉ की कोई तो मान्यता करनी पड़ेगी। आपने हाईकोर्ट में जाकर उस आर्डर को चैलेंज नहीं करा, निरस्त नहीं कराया है और मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक वह आर्डर निरस्त नहीं हो जाए, आज जमीन है किसानों की और आपका आबंटन जो भी विश्वास, संस्था के नाम पर...(व्यवधान) फेज थ्री में आपने किया है यू.आई.टी. ने और उस पर मोहर शायद राज्य सरकार ने बाद में लगाई है, वह सारी प्रक्रिया गैर-कानूनी है। और मैं राज्य सरकार से पुन: निवेदन करूंगा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आर्डर को ध्यान में रखते हुए यह आबंटन बिलकुल निरस्त किया जाये क्योंकि यह भूमि इनकी है नहीं, यह भूमि अभी भी किसानों की है और किसानों की भूमि एक्वायर करनी है, यह सैट प्रोसीजर है आप उनको नोटिस देंगे, एक्विजिशन में भागीदारी होगी, उनको मुआवजा मिलेगा और मुआवजा मिलने के बाद...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप 40 मिनट बोल लिये, समय का ध्यान रखकर बोले और मैम्बर्स भी है। कोई बात नहीं बोलिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 10-15 मिनट का तो व्यवधान हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये। पांच-सात मिनट में खतम कर दें।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं निवेदन करना चाहता हूं किसी भी मुद्दे को उठाने...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप करेक्ट कर दें कि सुप्रीम कोर्ट का 2002 का फैसला क्या है? अपने रिकार्ड में सब चीज लावें। आपने रेवेन्यू रिकार्ड का तो कर दिया, इस जमीन पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है, उसको भी कोट कर लें तो वस्तुस्थिति सामने आ जाएगी।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मंत्री महोदय, मेरी जानकारी में 11.3.2003 की... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आपकी जानकारी उचित है। सदन में जो अपन बात कह रहे हैं, सदन में इस बात को करेक्ट करना चाहिये कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या हो गया है और आज दिन तक वह जमीन किसके खाते में है। वह परफेक्ट रिकार्ड अपन रिकार्ड में लावें, वह बैटर रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : इनको नहीं, government will reply, let it come.

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने एक्विजिशन को अपोल्ड भी कर दिया है तो एक्विजिशन तो अपोल्ड रहेगा पर आप उसमें जो इच्छुक पार्टी है, उसको नोटिस तो माननीय मंत्री देंगे? आपने यदि देवस्थान को इच्छुक पार्टी मानकर एक्विजिशन कर लिया है और किसान को इग्नोर कर दिया है तो आपको रेवेन्यू बोर्ड के ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : माननीय मानिक जी, सॉरी, मुझे यह नहीं कहना चाहिये। मैं इसलिए कह रहा हूं खाली यह चीज करेक्ट कर लें तो आपको तो खाली ब्रीफ में है, वही मालूम है इसलिए मैंने कहा कि आप इस चीज को... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको कैसे पता? (व्यवधान) नहीं, आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आपको कैसे पता?

डा. सी.पी. जोशी : I am from Udaipur.

श्री सुरेन्द्र व्यास : You are fully prepared. You are fully briefed. आपने सोसायटी के लिये, you are briefed. जोशीजी आप एक्सपोज हो गये।

डा. सी.पी. जोशी : सुनिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : कोई एक्सपोज नहीं हुए। ईमानदार मंत्री हैं। (व्यवधान) आपने कोई खुन्नस निकाली, वह बात अलग है। ईमानदार मंत्री हैं, ईमानदार। शत-प्रतिशत ईमानदार मंत्री है। कोई एक्सपोज नहीं हुए।

डा. सी.पी. जोशी : यह चार्ज लिखकर दिया है। अजीब आदमी हो। चार्ज लिखकर दिया है इन्होंने। चार्ज लिखकर दिया है इन्होंने। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिलकुल नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको बैक-ग्राउण्ड मालूम नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी : आप अजीब आदमी हो। चार्ज लिखकर दिया है मुझे।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : आपकी कोई खुन्नस है आपस में? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप भाषण दे रहे हो खाली।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्र जी व्यास। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : माननीय सदस्य ने लिखकर दिया है मुझे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको बैक ग्राउण्ड मालूम नहीं है। इन्होंने लिखकर दिया है इनको।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय मुझे लिखकर दिया है आरोप। मुझे आरोप लिखकर दिया है। मैं अब आब्जेक्शन करूंगा। ऐसी बात कर रहे हैं। (व्यवधान) आपकी तो आदत पड़ी हुई है बीच में बोलने की। आपको मालूम ही नहीं है। आपने मुझे लिखकर दिया है चार्ज।

श्री उपाध्यक्ष : आपको पता नहीं है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : He has given to me in writing. He has charged me. आपको मालूम ही नहीं है और बीच में बोल रहे हो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, चार्ज लगाया ही नहीं इन्होंने। नहीं लगाया।

डा. सी.पी. जोशी : यह मैंने लिखकर रखा है न। यह मैंने लिख रखा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : दिया है उसके बाद नहीं लगाया। फिर नहीं लगाया।

एक माननीय सदस्य : इनकी आदत हो गयी।

डा. सी.पी. जोशी : आप अजीब आदमी हो, चार्ज लगाते हो, तैयार होकर नहीं आऊंगा? (व्यवधान) राइटिंग में लिखकर दिया है मुझे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : लगा कहां रहे हैं? नहीं, अब नहीं लगा रहे।

डा. सी.पी. जोशी : पांच दिन पहले राइटिंग में लिखकर दिया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब तो नहीं लगा रहे हैं न।

डा. सी.पी. जोशी : राइटिंग में लिखकर दिया है इन्होंने।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : उपाध्यक्ष महोदय, अगर +++ का नाम ही नही हो तो इतनी देर तक इनका लम्बा मामला ही नहीं चले। बार बार घूम-फिर कर वह चीज ला-लाकर उस पर केन्द्रित हो रहा है ध्यान। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर आपने नोटिस दिया था तो आप लिखकर तैयार करते। आपने सोसायटी का तैयार किया है। आपने...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : अगर इन दोनों का नाम नहीं हो तो आपका कोई मसाला ही नहीं। (व्यवधान) लेकिन उस मसले को जबरदस्ती ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : बड़े अजीब आदमी हैं आप। (व्यवधान) राइटिंग में लिखकर दिया है

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. सी. पी. जोशी)

माननीय सदस्य ने मेरे खिलाफ आरोप लगाया है, मैं तैयारी करके नहीं आऊंगा....(व्यवधान) पैरवी करते हो, मालूम ही नहीं है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : नोटिस दिया और रिबट और रिफ्यूट नहीं करे। (व्यवधान) उन्होंने नोटिस दिया रिबट और रिफ्यूट नहीं करें।

डा. सी.पी. जोशी : मालूम ही नहीं है। (व्यवधान) अजीब आदमी हैं आप तो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : रिबट और रिफ्यूट करने का तो राइट है ही।

डा. सी.पी. जोशी : आप मन में आये उस पर आरोप लगा दें। राइटिंग में लिखकर दिया है मझे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसका रिबट करो आप। (व्यवधान) उसकी डिबेट करो आप।

डा. सी.पी. जोशी : क्यों रखें? हरेक पर बिना सबूत के ही आरोप लगाने का धंधा बना रखा है। राइटिंग में लिखकर दिया है मुझे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप डिफेंड करोगे... (व्यवधान) आप डिफर करें।

डा. सी.पी. जोशी : तो किस पर करूंगा? (व्यवधान) फिर किस पर करूंगा?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको डिफर करो। आपने लगाया...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : एक सदस्य जिस पर आरोप लगाया है। यह आरोप पत्र पढ़ा क्या आपने?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर आपकी सोसायटी से ताल्लुक नहीं है तो सोसायटी की डिबेट करने की क्या जरूरत है? आप सोसायटी पर डिबेट क्यों कर रहे हो। (व्यवधान) आप कंसर्निंग मिनिस्टर नहीं हो। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : I am not defending it.

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : इनका नाम आ रहा है तो यह करेंगे कि नहीं करेंगे?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप तो यहां इसकी वकालत कर रहे हो।

डा. सी.पी. जोशी : लिखा है पैसा खाकर बात करने का, खुद का करेक्टर इस तरह का... I don't want to speak on this issue. मैं रिकार्ड में लाऊंगा इस बात को? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी ने कुछ नहीं कहा।

डा. सी.पी. जोशी : हां, किसी ने नहीं कहा?

श्री सुरेन्द्र व्यास : किसी ने कुछ नहीं कहा।

डा. सी.पी. जोशी : आप क्या बोल रहे हो मालूम है आपको, क्या इश्यू है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या?

डा. सी.पी. जोशी : बीच में रहे हैं आप। राइटिंग में लिखकर दिया है इन्होंने। आपको मालूम ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : कुछ नहीं कहा इन्होंने। इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सदन के अन्दर कुछ नहीं कहा।

डा. सी.पी. जोशी : आरोप आपको मालूम ही नहीं है।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : यह नहीं, कह करके सब कुछ कह रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : आपको मालूम ही नहीं है क्या बोल रहे हो? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : सदन के अन्दर कुछ नहीं कहा।

डा. सी.पी. जोशी : आपको मालूम ही नहीं है, दादा बन रहे हो।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : अगर नाम नहीं हो तो बात ही नहीं चले आगे। कोई मुद्दा ही नहीं बने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशीजी, प्लीज।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं हुआ, राइटिंग में लिखकर दिया है हमें।

श्री उपाध्यक्ष : हां, मालूम है।

डा. सी.पी. जोशी : तो इनको मालूम होना चाहिये। इनको मालूम ही नहीं है और बीच में बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या कह रहे हो आप। बिराजें प्लीज।

डा. सी.पी. जोशी : एक माननीय सदस्य ने धंधा बना रखा है, इनका इरादा यही है जिस पर चाहे, उस पर आरोप लगा दें। भैरोंसिंह जी ऐसे हैं, अशोक गहलोत ऐसे हैं। (व्यवधान) यह पार्लियामेंट वाले बने हुए हैं क्या? (व्यवधान) थोड़ा दिमाग ठीक करके आवें। जब चाहे जिस पर आरोप लगावें, जब चाहे उससे कम्प्रोमाइज कर लें। और आरोप लगा दें चाहे जिस पर... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : जब चाहे जब आप खड़े हो जाते हैं। आपका यह क्या तरीका है?

डा. सी.पी. जोशी : आपको मालूम ही नहीं है, क्या मैटर है।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष, यह क्या हो रहा है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका टाइम सुरक्षित है। (व्यवधान) आप चिन्ता नहीं करें।

श्री मानिक चन्द सुराना : मंत्री महोदय, बैठें।

डा. सी.पी. जोशी : मालूम ही नहीं आपको बीच में...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : जो चर्चा सदन में आती है...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आपने आरोप लगाया है कि नहीं...(व्यवधान) मेरे खिलाफ आरोप लगा दिया गया। यह राइटिंग में दिया है आरोप। आपने लगाया कि नहीं लगाया तो फिर मुझे बोलने में आब्जेक्शन क्यों? आरोप राइटिंग में लगाया है तो बोलने का...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशीजी, प्लीज। आप बिराजो। You don't know the background of this.

श्री सुरेन्द्र व्यास : सदन के बाहर क्या बात होती है, इसकी मुझसे अपेक्षा मत कीजिये। मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे तो जो चर्चा सदन में आती है, उसको मुझे जानने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको मालूम ही नहीं है You don't know the backgrond of the whole situation.

श्री सुरेन्द्र व्यास : और उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अधिकार है। इन्होंने नोटिस दिया होगा। सोसायटी का केस आप तैयार नहीं कर सकते अगर आपकी आत्मा साफ है... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप कैसे वकील हो, पढ़कर आइये इसको। इसमें क्या लिखा है मालूम ही नहीं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सदस्य को भी रिबट और रिफ्यूट करने का अधिकार है कांस्टीट्यूशनली।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने सोसायटी का केस डिफेंड किया है...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप क्या कर रहे हो? आप क्या डिफेंड कर रहे हो? आप किसका डिफेंड कर रहे हो?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपकी गिल्टी कांशस हो रही है (व्यवधान) आप अपराध बोध से ग्रसित हैं।

डा. सी.पी. जोशी : आरोप पढ़कर आइये पहले।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप अपराध बोध से ग्रसित हैं। (व्यवधान) गिल्टी कांशस हो रही है आपकी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें प्लीज।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय सदस्य ग्रसित हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जब आप देखो जब खड़े हो जाते हो। (व्यवधान) मैं नहीं होता हूं।

एक माननीय सदस्य : बहुत दिन बरदाश्त कर लिया। आप खड़े हो जाते हो हर बार... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : बोलिये यह खड़ा हो गया। बोलिये। (व्यवधान) क्या बरदाश्त कर लिया?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशीजी, बिराजें।

डा. सी.पी. जोशी : भैरोंसिंह जी पर आरोप लगाते हो फिर जाकर हाथ जोड़ रहे हो। (व्यवधान) सारा सदन जानता है कि भैरोंसिंह जी पर आरोप लगाया था और हाथ जोड़ रहे हो वापस। अब आप क्या कर रहे हो?

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आपको जिसको रोकना है उसे तो रोक नहीं रहे हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। कोई भी ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : किसी भी माननीय सदस्य पर आरोप लगेगा तो उसे पूरा अधिकार है उसे खण्डित करने का...(व्यवधान) इन लोगों को नॉलेज का जुकाम हो रहा है। अब उसका क्या किया जाए?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशीजी, बिराजिये। आप बिराजिये। माननीय सुरेन्द्र जी व्यास, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं जब आप इसके बैक ग्राउण्ड को नहीं जानते तो आप इंटरवीन करके इस डिबेट को क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हैं? (व्यवधान) You don't know the background of the whole situation. Let him speak.

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं एक निवेदन कर रहा हूं जो सदन में चर्चा होती है उसके बियोण्ड पर तो जा नहीं रहा। सदन में यहां पर माननीय सदस्य ने कोई आरोप नहीं लगाया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह आपका फैसला करने का नहीं, मेरे करने का है।

डा. सी.पी. जोशी : नहीं, यह लिखा है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बैठिये।

डा. सी.पी. जोशी : क्यों बैठें? यह आरोप लिखा है। आपको मालूम ही नहीं है। राइटिंग में दे रखा है। और आप बात कर रहे हैं। राइटिंग में लिखकर दे रखा है। (व्यवधान) फालतू बातें कर रहे हैं खाली। राइटिंग में दे रखा है। मालूम है नहीं बातें कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने कहा क्या और क्या आपत्तिजनक है....(व्यवधान) सुनिये। सदस्य ने क्या कहा और क्या आपत्तिजनक है, यह फैसला आपको नहीं करना है। हां, बिराजिये प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक माननीय सदस्य के लिये चाहे वह मंत्री हो, यह उचित है क्या? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : आप इनको बिठाइये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको बिठाइये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आप इनको बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इनको अता-पता रहता नहीं, क्या मामला चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है?

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : इनको पता नहीं क्या हो गया, हर आदमी के बीच में बोलने की आदत हो गयी है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह पूर्णतया सदन में एकता बनाने के लिये एक मात्र...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : इनको बिठाये। जो बोलता है उसको डिस्टर्ब करते हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : कोई तौर-तरीका तो रहेगा यहां बोलने का।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुराना जी, आप बोलिये।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : जो बोलता है उसको डिस्टर्ब करते हैं यह...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मैंने जो बात कही और जो मुद्दा उठा रहा हूं, वह यह कि एन.जी.ओज. के लैण्ड के अलॉटमेंट की नीति भी बननी चाहिये। नीति में पारदर्शिता और नीति में उन्हीं को आबंटन, कि जिन्होंने 10-25, 25 लाख जनता से इकट्ठा करके सक्षम रूप से उस ट्रस्ट में डालकर भवन बनाने की क्षमता पैदा की है। अपन यदि ऐसा नहीं करेंगे, मैं यह समझने में असमर्थ हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इतनी उत्तेजना का कारण क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : अभी और कोई प्रकरण है क्या आपके पास।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं-नहीं, मैं यह निवेदन कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी 20 मिनट तक इंटरवेंशन हुआ और बार-बार यह कहा जा रहा है कि मैंने आरोप लगाया।

श्री उपाध्यक्ष : वह चर्चा तो समाप्त हो गयी।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं-नहीं, वह चर्चा समाप्त हो गयी। मैंने माननीय गुलाब सिंह जी और सी.पी. जोशी साहब के लिये जो नोटिस आपको भेजा, उसमें भी कहीं यह नहीं लिखा कि इनके द्वारा किसी प्रकार का आर्थिक लेन-देन या जिसको रूटिन में भ्रष्टाचार कहते हैं, उसका कोई आरोप ही नहीं है। आरोप सिर्फ यह था माननीय...

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble member, why are you doing it ?

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं-नहीं, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं पर वह जिस बात को बिना मतलब हवा दे रहे हैं...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : लगायें आरोप कोई तकलीफ नहीं है। आरोप लगा है तो हमारा राइट है, हमें भी बोलने का मौका दिया जाये।

श्री मानिक चन्द सुराना : कोई आरोप नहीं होते हुए भी आरोप, आपके जैसे विद्वान व्यक्ति द्वारा समझना, यह मेरे लिये बहुत पीड़ा का विषय है।

(15.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप दूसरी बात करो न।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही कहा है इनका 1996 के बाद कोई सम्बन्ध नहीं रहा और तभी मैंने कहा कि सारगर्भित रूप से मैं आज उठा पाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कह चुके न कई दफे, Why repeating?

श्री मानिक चन्द सुराना : एक मिनट। मैंने जो कहा, इस सदन में कोई छिपाने की बात नहीं है। न्यास पर आरोप लगाया। न्यास ने भूमि आबंटन में अनियमितताएं कीं हैं जबकि विश्वास संस्थान भूमि आबंटन के लिए पात्रता की सूची में नहीं आता है। चूंकि इस संस्थान के पदाधिकारियों की सूची प्रस्तुत की है, उसमें +++ का भी नाम दिया गया है, तो यह भी पास्ट टैंस की बात है। और जब मुझे जानकारी में आ गया कि है ही नहीं, तो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। मैंने जो कहा वह सदन के रिकार्ड पर है। मैंने ना तो किसी पर आरोप लगाया और जो मुद्दा है वह उठाने की मुझे छूट है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बात हो गयी न।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर की तरफ...

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आप स्पष्ट इतना ही कह दो न कि इन दोनों पर कोई आरोप ही नहीं हैं, मुझे गलतफहमी थी। खतम हुई बात।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपको मेरे मुंह में शब्द रखने का अधिकार है क्या? मैंने जो कह दिया है वह काफी है।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया। कह दिया इन्होंने।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आप कहना भी चाहते हो और ना भी चाहते हो। इन्कार भी नहीं और इकरार भी नहीं।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैंने जो कहा है वह काफी है।

श्री उपाध्यक्ष : आगे चलिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह 131 का नोटिस बहुत पहले दिया है। उसमें यह विषय लिखा था कि इसमें चूंकि संस्था के अध्यक्ष, जब 1992-93 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ तो, वह रजिस्ट्रेशन जो हुआ है, उसमें मैम्बर कौन-कौन हैं, उसकी पूरी सूची है। उसमें आपको एज ए अध्यक्ष और जो यू.आई.टी. के आज अध्यक्ष हैं वो इसके उपाध्यक्ष हैं। यह

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैम्बर हैं। यह पूरी की पूरी सूची है और आजीवन सदस्य हैं। इसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, आपका एड्रेस, आपके दस्तखत सारे इसमें हैं। इसलिए आपको नोटिस देना जरूरी था कि क्योंकि यह विषय उठेगा और उठेगा तो निश्चित रूप से...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप इस बात को और क्लीयर कर दीजिये, जब जमीन के लिए एप्लाई किया गया था इसके पदाधिकारी कौन थे?... (व्यवधान)...जब इस जमीन के लिए एप्लाई किया गया था तब इसके पदाधिकारी कौन थे? कौन अध्यक्ष था, कौन सैक्रेटरी था, कौन वर्किंग कमेटी का मैम्बर था? यह बता दीजिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप इसके लाइफ मैम्बर हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं, नहीं जब वो बीच में इंटरवीन कर रहे हैं तो मेरा राइट बनता है। (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : सदन भी यह जानना चाहता है कि वह कौन अध्यक्ष थे, कौन मंत्री थे?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि जब उस जमीन के लिए एप्लीकेशन दी थी उस वक्त अध्यक्ष कौन था, उस वक्त सैक्रेटरी कौन था?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप इसके लाइफ मैम्बर हैं। जब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ न, उसके आप लाइफ मैम्बर हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 1992–93 में रजिस्ट्रेशन हुआ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप इसके लाइफ मैम्बर हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं नहीं हूं। उसमें कंडीशन है कि जो 10 हजार रुपये एकमुश्त जमा करायेगा वह लाइफ मैम्बर रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी। एक मिनट।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वो कंडीशनल है। यह लाइफ मैम्बर की जिसकी बात कर रहे हैं, जो 10 हजार रुपये एकमुश्त जमा करायेगा वह रहेगा। ना मैंने रुपये जमा कराये, ना मैं इसका अध्यक्ष रहा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, इन्होंने एक प्रश्न पूछा है, आप चूंकि बोल रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप पढ़िये उसमें, जो 10 हजार रुपये एकमुश्त जमा करायेगा वह लाइफ मैम्बर रहेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपके दस्तखतशुदा यह कागज। (व्यवधान)...पैसे जमा कराये, आप इसके प्रेसिडेंट हैं और इसके दस्तखत हैं और रजिस्ट्रेशन है...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आगे जो विधान बनाया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं कि बिना रजिस्ट्रेशन के और बिना आपके दस्तखत के यह एन.जी.ओ. फोर्म कैसे हुआ। यह एन.जी.ओ. फोर्म हुआ आपके दस्तखत से और आपने इस पर...(व्यवधान)...दस्तखत किये हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इसको कौन ना कर रहा है।

डा. सी.पी. जोशी : हां है न। क्या तकलीफ है इसमें?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : लेकिन जो विधान बनाया उसमें एक शर्त रखी है कि जो एक मुश्त 10 हजार रुपये जमा करायेगा वह लाइफ मैम्बर होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : रजिस्ट्रेशन हुआ तब आप इसके अध्यक्ष थे या नहीं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : रजिस्ट्रेशन के वक्त थे और तीन साल बाद मैं तो हट गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, नहीं हट कैसे गये, सवाल यह नहीं है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह विधान है, यह विधान है। तीन साल बाद चुनाव होता है। यह विधान है लिखा हुआ, तीन साल बाद चुनाव होता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप इसके प्रेसिडेंट हैं जिसका इस एन.जी.ओ. का रजिस्ट्रेशन हुआ...(व्यवधान)...

डा. सी.पी. जोशी : हां है, है। मान रहा हूं न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसी कारण से इस पर आरोप लगाने के लिए आपको नोटिस दिया है।

डा. सी.पी. जोशी : तो लगाओ न आरोप। आरोप लगाओ न कौनसी तकलीफ है, आरोप में तकलीफ कहां है। लगाओ न आरोप। लगा दिया आपने आरोप।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप लगाइये आरोप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट।

डा. सी.पी. जोशी : हमारी बात तो सुनिये। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय कटारिया साहब। माननीय जोशीजी। एक मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : चूंकि आप इस संस्था से जुड़े हुए थे। एन.जी.ओ. का जब आपने निर्माण किया, आप इस संस्था से जुड़े हुए थे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया साहब, एक मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और इस संस्था को ही आपने एज ए पंचायत राज मंत्री के नाते काम दिया। इस संस्था में मेंशन किया हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया साहब। माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : चूंकि पंचायत राज मंत्री के नाते इस संस्था को एन.जी.ओ. का आपने काम दिया। आपका साथ जुड़ा हुआ था इसलिए आपको नोटिस देना आवश्यक था इसलिए नोटिस दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया साहब, आप इतना बोल गये, माननीय गृह मंत्रीजी से एक प्रश्न पूछा उसका जवाब दे दीजिये न आप कि जब यह जमीन अलाट हुई, उसके पदाधिकारी कौन थे? वह नाम बता दीजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उस समय प्रेसीडेंट यह नहीं हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं, पदाधिकारी कौन हैं, यह तो बता दो और कब एप्लाई किया, यह तो बता दो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और लाइफ मैम्बर की जो सूची है....(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एक रजिस्ट्रेशन का कागज लेकर ऊंचा-नीचा करने से क्या फायदा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अब यह तो रजिस्टर्ड डाकूमेंट है, मैं क्या कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : लाइफ मैम्बर के पास... (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एक रजिस्ट्रेशन के कागज से नहीं चलेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह तो काआपरेटिव एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ, उस रजिस्ट्रेशन में आपने अपनी सहमति दी।

श्री बनवारी लाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, लाइफ मैम्बर के लिए 10 हजार रुपये जमा कराने आवश्यक थे, जो आपने नहीं कराये।

डा. सी.पी. जोशी : हां, होगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इसके विधान में एक शर्त है, कटारियाजी, आपने पूरा पढ़ा नहीं। जो 10 हजार रुपये एकमुश्त जमा करायेगा

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

वही उसका लाइफ मैम्बर बन सकता है। हमने दिया ही नहीं, खतम हुआ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : लेकिन जब यह एन.जी.ओ. रजिस्ट्रेशन हुआ...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह विधान में बात लिखी हुई है कि जो 10 हजार रुपये एक मुश्त जमा करोयगा वही संस्था का लाइफ मैम्बर होगा बाकी नहीं बन सकता। हमने तो रजिस्ट्रेशन कराने के तीन साल बाद ना तो कोई काम किया, ना कुछ किया हम अपने घर चले गये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उपाध्यक्ष साहब।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, प्रपोज करते हैं वह मैम्बर्स होते हैं। शुरू में विधान बनाते हैं पहले, शुरू में प्रपोज मैम्बर्स होते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सवाल यह है कि जो एन.जी.ओ. बनाया, जिस परपज के लिए आपने एन.जी.ओ. बनाया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जब एन.जी.ओ. का रजिस्ट्रेशन हुआ उस रजिस्ट्रेशन के समय आपने अपनी स्वीकृति देकर प्रेसीडेंट पर, इस पर दस्तखत किये हुए हैं आपके और इस एन.जी.ओ. का निर्माण हुआ, इस-इस काम के लिए हुआ। और उसके बाद एन.जी.ओ. में परिवर्तन तो होता रहता है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : रजिस्ट्रेशन मैंने कराया, इस बात को स्वीकार करता हूं, 1993 में कराया। विधान बनाया। विधान में यह शर्त रखी कि 10 हजार रुपये जो एक मुश्त जमा करायेगा वही लाइफ मैम्बर होगा, जिसने नहीं जमा कराये वो छुट्टी कर गये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसका मतलब यह एन.जी.ओ. खतम है न?

श्री सांवर लाल : क्या कुछ गड़बड़ नजर आयी क्या आपको, 10 हजार रुपये जमा क्यों नहीं कराये? संस्था गलत थी क्या वह जिसका रजिस्ट्रेशन आपने करवाया? आप मान लो फिर संस्था गलत थी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मुझे लाइफ मैम्बर रहना था या नहीं रहना था यह फैसला मेरे विवेक पर था, आपके विवेक पर नहीं, आपके इशारे पर नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सांवर लालजी।

श्री सांवर लाल : आप यह कह दो कि यह संस्था अपने उद्देश्य के हिसाब से नहीं चल रही थी इसलिए पैसे जमा नहीं कराये आपने।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सांवर लालजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह मेरे विवेक पर निर्भर करता है कि मैं लाइफ मैम्बर रहूं या नहीं रहूं।

श्री सांवर लाल : आप के विवेक पर खतम ही कर देते न संस्था को।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह आपके सुझाव पर नहीं हो सकता। मैंने ऐसी कोई गड़बड़ियां नहीं कीं। सुनना चाहो तो मैं रिकार्ड लाकर बताऊंगा किन-किन लोगों ने क्या गड़बड़ियां की हैं। इतिहास है मेरे पास।

श्री सांवर लाल : आपको रोका है क्या किसी ने सुनाने से ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सांवर लालजी।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, लैट मी कम्प्लीट। मुझे कनक्लूड करने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुराना साहब, एक मिनट, आप कनक्लूड कर लेना। आपने जब कहा उन्होंने एक प्रश्न उठाया, आप इस कमेटी की, जिसको अलाट हुआ उसके नाम बताइये न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हां, है इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : बता दीजिये What is the problem. Let him come out.

श्री अमराराम (धोद) : उन्होंने और कह दिया। गृह मंत्रीजी कह रहे हैं कि मेरे पास में वह पोल है, जो कह रहे हैं वह भी इसी में संलिप्त हैं। वह भी सरकार में हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। At the time of allotment उसका अध्यक्ष कौन था? उसका मंत्री कौन था? यह नाम बता दीजिये न।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह नहीं थे, यह नहीं थे। मैं कह रहा हूं न नहीं थे। जिस वक्त आबंटन हुआ यह नहीं थे पर जिस वक्त रजिस्ट्रेशन हुआ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो नहीं थे, यह सदन जानना चाहता है कि कौन थे?

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : यह नहीं थे तो कौन थे, यह तो बता दो।

मोहम्मद माहिर आजाद : उस वक्त कौन थे पदाधिकारी, यह तो बताओ।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : जवाब भी यही दे रहे हैं प्रश्न भी यही कर रहे हैं। बताओ कौन कौन थे?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरे पास रजिस्ट्रेशन के वक्त का रिकार्ड है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजादजी।

मोहम्मद माहिर आजाद : वह नहीं है आपके पास, अलाटमेंट के समय कौन था?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कौन पदाधिकारी था, यह बताओ आप। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आप दो मिनट हमें बोलने का अवसर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : दे देंगे, दे देंगे। माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : अलाटमेंट के लिए जो आवेदन किया...(व्यवधान)...

श्री मानिक चन्द सुराना : वह मैंने कब कहा कि यह थे?

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, कौन था, यह बताओ। कोई तो होगा?

श्री मानिक चन्द सुराना : कोई भी रहा होगा।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, इन पर आरोप लगाये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये प्लीज।

श्री सांवर लाल : संस्था के फाउंडर अध्यक्ष हम से कार्यकारिणी की जानकारी मांग रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपने संस्था बनायी तो आपको तो पता होगा न अब कौन पदाधिकारी हैं। आप हमसे क्या जानकारी ले रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सांवरलालजी।

श्री सांवर लाल : फिर ऐसी संस्था की स्थापना ही क्यों की?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : संस्था को छोड़े हुए 6 साल हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत सिम्पल-सी बात है। जिस समय यह जमीन अलाट हुई जिसने अप्लाई किया उस समय उसके ऑफिस बियरर कौन थे? आप जानते हैं तो नाम बता दीजिये नहीं तो कह दीजिये मुझे मालूम नहीं।

श्री मानिक चन्द सुराना : डा. वाई. वी. त्रिवेदी थे, माननीय गुलाब सिंहजी नहीं थे। डा. आई. वी. त्रिवेदी थे।

श्री उपाध्यक्ष : कौन थे, बताइये न।

श्री मानिक चन्द सुराना : आई. वी. त्रिवेदी थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जब यह संस्था बनी, जब गृह मंत्रीजी अध्यक्ष थे जब आई.वी. त्रिवेदी भी इस संस्था में थे। यह वही त्रिवेदीजी हैं जिनको आपने इंवाल्व किया था। जिस संस्था के आप फाउंडर मैम्बर हैं उस संस्था के बारे में आपको इतनी ही जानकारी नहीं है।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपके प्रति सारे मैम्बर्स का विश्वास खतम हो गया क्या?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने स्वयं ने सोचा कि मेरे पास समय नहीं है, इसलिए संस्था का मैम्बर रह कर के क्यों टाइम खराब करें।

श्री सांवर लाल : आपको लगने लगा संस्था गड़बड़ कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये अब आप।

श्री मानिक चन्द सुराना : मुद्दा यह नहीं है, जिस पर बार–बार जोर दिया जा रहा है, मुद्दा वह नहीं है। मुद्दा यह है कि यह आबंटन चाहे डा. आई.वी. त्रिवेदी के समय पर हुआ क्योंकि संस्था के पास निधि नहीं है, बनाने का निर्माण का साधन नहीं है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि यह संस्था पात्र नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

श्री मानिक चन्द सुराना : और कानून और नियमों के तहत उसका आबंटन रद्द किये जाने लायक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह है बात। यह है मांग हमारी।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, जो बात माननीय मंत्रीजी ने कही है... (व्यवधान) जो सुप्रीम कोर्ट और...

श्री शांति कुमार धारीवाल : अब मैं जवाब दे दूं एक मिनट।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप नहीं बोले। मैं कोई इंटरवेंशन अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। माननीय धारीवाल साहब।

श्री मानिक चन्द सुराना : अगर आप इस तरह के डिबेट चलायेंगे तो मुझे बहुत दुःख है कि मैं डिबेट में भागीदारी नहीं करूंगा।

श्री शांति कुमार धारीवाल : हम बोलेंगे। (व्यवधान) आप मेरी बात को सुनना क्यों नहीं चाहते?

श्री मानिक चन्द सुराना : बिलकुल अलाउ नहीं करेंगे।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी हालत तो शक्तावत साहब की तरह है।

श्री मदन दिलावर : आपने तो बरबाद कर दिया राजस्थान को।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धारीवाल साहब।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप जब यह कह रहे हैं कि यह मेरे वक्त में अलाट की गयी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब खुमारी चढ़ रही है क्या आपको?

श्री मदन दिलावर : आपने तो बरबाद कर दिया राजस्थान को।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरी बात तो सुन लेने दो। (व्यवधान) आप मुझे तो सुने। मेरा जवाब सुने। आप मेरा जवाब सुनना क्यों नहीं चाहते?

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धारीवाल साहब।

श्री मदन दिलावर : धारीवालजी, आपने तो कोटा सहित पूरे राजस्थान को बरबाद कर दिया। अब क्या कहना चाहते हो? किसको छोड़ा है? मैं तो आपके लिए गलत शब्द का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि वहां से पाबन्दी है अन्यथा कोई अतिश्योक्ति नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, आप विराजिए। माननीय धारीवाल साहब, आपको बोलने की इजाजत दूंगा। इनका समाप्त हो जाने दीजिए फिर आप बोलना चाहे तो इजाजत दूंगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने रेवेन्यू बोर्ड का एक फैसला कोट किया। माननीय मंत्रीजी का कहना है कि, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले कुछ हो गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजादजी, आर्डर प्लीज।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी जो मुद्दा रेवेन्यू बोर्ड ने तय किया है कि खातेदार देवस्थान नहीं है बल्कि काश्तकार की जमीन है और काश्तकार के खाते में दर्ज की जाए और यह भी साफ है कि आज तक यू.आई.टी. ने कोई नोटिस उन काश्तकारों को नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है चलो।

श्री मानिक चन्द सुराना : और जब एक्वीजिशन में, और कोई नोटिस इंटरेस्टेड पर्संश को नहीं दिया है तो एक्वीजिशन की कार्यवाही, जहां तक उस किसान का सवाल है, अवैध है। आज वह भूमि चाहे गलत तरीके से आबंटन यू.आई.टी. ने कर दिया है, वह भूमि काश्तकार की है और यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी खातेदारी निरस्त कर दी है और उसको देवस्थान की भूमि बता दिया है तो निश्चित रूप से आप कोई बात कहना चाहते हैं तो वह प्रतिपादित हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

श्री मानिक चन्द सुराना : और उस दृष्टि से यदि भूमि का कोई रिकार्ड चेंज हुआ है तो मैं कानून के विपरीत कुछ बात कह नहीं सकता और समझ भी नहीं सकता इसलिए ऐसे कोई तथ्य हैं तो आप रखे मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो दूसरा ले लो।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कनक्लूड कर रहा हूं। मैंने जो पाइंट रेज किया है पूरे राजस्थान की दृष्टि से किया है न कि सिर्फ "विश्वास" संस्था की दृष्टि से। उसको यह सदन

(श्री मानिक चन्द सुराना)

गम्भीरता से ले। और उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जिन दो अलाटमेंट्स का हवाला दिया, कागज मुझे उस वक्त तक प्राप्त नहीं हुआ था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी, उनके कार्यालय से इसकी जानकारी बीकानेर कलक्टर से पूछी गयी और यह जानकारी इसी प्रकरण में जो बीकानेर के दो भूखण्ड हैं, पी.बी.एम. हास्पिटल के सामने वाले, उसके बारे में 20 फरवरी को सी.के. मैथ्यू के हस्ताक्षर से जानकारी कलक्टर से पूछी गयी और 10 मार्च को रिपीट की गयी और आज है 20 मार्च। अभी तक कलक्टर, बीकानेर ने इनको नहीं दी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब यह मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में आ चुका है, उनके कार्यालय के ध्यान में आ चुका है तो कलक्टर से रिपोर्ट भी तत्काल मंगवाएं और यह एक करोड़ बीस-तीस लाख रुपये के दो आबंटनों को निरस्त करके राजस्थान में कुछ स्वच्छता का वातावरण, नगर विकास न्यासों के आचरण में लागू करने की गम्भीरता से कोशिश करें। मैं इसी निवेदन के साथ कि नगर विकास न्यासों में जो लूट हो रही है और जो एक-एक सर्किल पर बीस-बीस, पचास-पचास लाख रुपये खर्च किया जा रहा है, आप इसको रोकेंगे और शहरों के अन्दर वातावरण को सुधारने का भरसक प्रयत्न करेंगे। इसी निवेदन के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। मैं आपका आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी दो मिनट बोलने का मौका दिया जाए। जब इतनी बातें हमारे बारे में कह चुके।

श्री उपाध्यक्ष : आप अन्त में इंटरवीन कर लेना।

डा. सी.पी. जोशी : दो मिनट में सामने बात आ जाएगी।

श्री शांति कुमार धारीवाल : सर, मेरे लिए आपने फरमाया था।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप पूरी डिबेट में इंटरवीन करोगे। जवाब देंगे उस वक्त आप दे देना। बिराजो प्लीज।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि व्यवस्था को कंट्रोल चेयर करती है, व्यवस्था चेयर देती है इसलिए चेयर की व्यवस्था को न मानते हुए सुरेन्द्रजी व्यास को चेयर पर बैठा दिया जाए ताकि सारी व्यवस्था ये करते रहे। यह मेरा निवेदन है आपसे क्योंकि कोई मंत्री बोलते हैं तो ये बीच में खड़े हो जाते हैं, यदि कोई मैम्बर बोलता है तो ये खड़े हो जाते हैं, सामने कोई खड़ा होता है तो ये बीच में बोलते हैं। इनकी चेयर के नीचे कोई न कोई तकलीफ है जिससे बार-बार खड़े होते हैं या इनको दिमाग की एलर्जी हो रही है। दूसरे किसी को पीड़ा नहीं है। माननीय सुरानाजी ने कहा था कि मुझे पीड़ा है कि एक बुद्धिजीवी आदमी को यहां शंका हुई है। मुझे पीड़ा है इस बात की कि एक बुद्धिजीवी आदमी बार-बार खड़ा होता है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो। मुझे आशा है कि ये आपकी बात पर ध्यान देंगे।

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने मुद्दा उठाया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : हां।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं। मैं आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं। यह एक्सप्लेड नार्म्स हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कि अगर गवर्नमेंट यह समझती है कि रिप्लाई तकीउद्दीनजी से नहीं दिलवाकर शांति धारीवालजी से दिलवाया जाए तो सदन को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि कलेक्टिव रेसपांसिबिलिटी है। यदि कोई मंत्रीजी इंटरवेंशन करना चाहे तो लास्ट में जवाब के वक्त करा दें। माननीय गृह मंत्रीजी वरिष्ठतम सदस्य हैं मंत्रिमंडल के, ये हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं इस बात पर, फैक्ट्स एण्ड एलीगेशन हों, स्पष्टीकरण के लिए आप मौका दे सकते हैं पर आप मंत्रीगण को इंटरवेंशन के लिए अलाउ करेंगे, अभी तो डिबेट चल रही है...

श्री उपाध्यक्ष : You don't know the background of the whole situation. His name has been mentioned. आप सुनिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Let me finish. इस इश्यू पर मान लीजिये मैं पार्टिसिपेट करता हूं, मैं दो पाइंट और बोलूंगा, रिप्लाई हो तब बोलना आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप समझ ही नहीं रहे हैं बात को।

डा. सी.पी. जोशी : मैंने नोटिस दे रखा है इसलिए बोलूंगा मैं।

श्री उपाध्यक्ष : He has given a notice.

श्री सुरेन्द्र व्यास : नोटिस तो उन्होंने बोला ही नहीं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : बाकी क्या बोल दिया? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं बोले, उससे क्या हो गया? नहीं बोलने से ऑन रिकार्ड हो गया क्या वह नोटिस? यह क्या बात हुई?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उन्होंने चार्ज ही नहीं लगाया। नोटिस, सदन के नोटिस में नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह नोटिस सदन में ही तो दिया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, सदन में नहीं दिया। नोटिस यहां थोड़े ही दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

स्पष्टीकरण

डा. सी.पी. जोशी का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो

(डा. सी. पी. जोशी)

मुद्दा उठाया है, उसमें मुझे कोई डिबेट नहीं करनी है लेकिन मैं फैक्ट्स ध्यान में लाना चाहता हूं। फैक्ट्स यह है कि जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं उस जमीन के खसरा नम्बर हैं – 1488, 1489, 1491, 1492, 1493, 1494 एवं 1495, वहां पर तारक गुरु ग्रंथालय है। उसको जमीन अलाट की। वह जमीन कॉमर्शियल नहीं है, पहले तो यह दिमाग से निकाल दें। वह साठ रुपये वर्ग फुट की जमीन है। यहां पर ऐसी स्थिति बनायी गयी कि हमने कॉमर्शियल जमीन को कर दिया। उस जमीन को तारक गुरु ग्रंथालय को अलाट किया गया है या विश्वास संस्था को अलाट किया गया है या वहां पर दो और संस्थाओं को अलाट किया गया है। इस जमीन के बारे में सदन में तथ्य आना बहुत जरूरी है। इस जमीन के सम्बन्ध में यू.आई.टी. ने एक्वीजिशन की कार्यवाही की और एक्वीजिशन की कार्यवाही अखबारों में सब जगह साया हुई। किन्हीं लोगों ने, किन्हीं काश्तकारों ने कोई भी आब्जेक्शन नहीं किया और आब्जेक्शन नहीं करने के बाद इस कार्यवाही के ऊपर लोग कोर्ट में गये। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला हुआ कि यह जो कार्यवाही हुई है एक्वीजिशन की, बिलकुल ठीक हुई है। उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए तकलीफ है कि जिस तरह की यहां आदर्श की बातें की जाती हैं, जिस तरह से मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य बात कहते हैं, जिन लोगों को मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य भू-माफिया कहते हैं, ऐसे लोगों ने उस जमीन पर कब्जा कर रखा था। यह तारक गुरु ग्रंथालय को अलाट हुई तब विपक्ष के नेता महोदय को कोई प्रोब्लम नहीं थी, तब यह कोई इश्यू नहीं उठा था। तारक गुरु ग्रंथालय में एग्रीमेंट करने वाला आदमी कौन है? फोटो भी आप देख लें वह किस पार्टी का कार्यकर्त्ता है, वह भी देख लें। मैं बोलना नहीं चाहता, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। एक संस्था को किया, उस संस्था ने हास्पिटल के लिए जमीन अलाट करवायी। व्हिच इज ए कॉमर्शियल एक्टीविटी? उस जमीन को साठ रुपये स्क्वायर फुट पर 50 परसेंट पर दिया है विश्वास संस्था को दिया है 25 परसेंट पर। वह कॉमर्शियल जमीन नहीं है। अब उस जमीन पर जो लोग काबिज हैं उन लोगों ने साजिश करके उस जमीन पर नाजायज कब्जा करके यू.आई.टी. पोलिटिकल बेस पर दूसरे लोगों को अलाटमेंट नहीं होने दे रहे हैं। जब इस विश्वास संस्था को अलाट हुआ, एस.डी.एम. कोर्ट में केस चल रहा था। उस एस.डी.एम. के कोर्ट के फैसले के बाद, उस एस.डी.एम. के कोर्ट के फैसले की चार लाइन जो यू.आई.टी. ने वहां रखी है मैं सदन के सामने और आपके सामने रखना चाहता हूं। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य, उसमें वहां पर लिखा है जो अदालत विधिवत धारा 4-6-9 के नोटिस जारी हुए, अखबार में साया हुआ, अखबार में सूचना प्रकाशित हुई, उस समय उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। तुरन्त आकर के पेश करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारी कार्यवाही हो जाने के बाद यह वाद खड़ा किया गया।

अब उपाध्यक्ष महोदय, वाद इस बात का है कि कम्पंसेशन काश्तकार को मिले या देवस्थान को मिले। वह जमीन देवस्थान की है, देवस्थान के खाते में है। देवस्थान के खाते में देवस्थान पर चैक हो गया खड़मदारी के नाम पर यह जो रेवेन्यू

(डा. सी. पी. जोशी)

में जिस तरह की प्रैक्टिस चल रही है, खडमदारी के नाम पर जो भू-माफिया हैं उन्होंने काश्तकार को आगे करके इस जमीन पर कब्जा करने का षड्यंत्र किया है। इस षड्यंत्र के काम का उजागर होने के कारण यह सब हल्ला हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं इस बात से सहमत हूं जैसा माननीय लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एन.जी.ओ. की संस्था के नियम बनने चाहिए। यह नियम मैंने तो नहीं बनाये, यह जो नियम बने हुए हैं 1995 के, लैण्ड डिस्पोजल के रूल बने हुए हैं 1974 के, मैं पढ़कर बता दूंगा आपको, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट यू.आई.टी. रिकमंड करती है। उपाध्यक्ष महोदय, एन.जी.ओ. में गुलाब सिंह शक्तावत जब उसके अध्यक्ष और सी.पी. जोशी इसके सदस्य हों तब तो बहुत गुनाह हो गया। यह विद्या निकेतन की संस्था में अपन ने क्या किया। इसका ध्यान रख लें, यह सुरेन्द्र जी कटारिया कौन हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, कटारियाजी कहें मेरे भाई हैं, मैं तो नहीं बोलता हूं। उसको जमीन अलाटमेंट की, अपन ने कितने में की, वह जमीन अलाटमेंट कर रहे हैं हम फ्री ऑफ कास्ट अलाटमेंट कर रहे हैं तब तो कोई तकलीप नहीं है लेकिन कोई एन.जी.ओ. को जमीन अलाटमेंट करे, जिस एन.जी.ओ. को जमीन अलाटमेंट करने के सम्बन्ध में हमने कांशियस डिसीजन लेकर काम किया तब हमें कहे इसमें यह घपला हो गया।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं अभी तक 1974 के रूल और 1995 के अन्तर्गत उदयपुर में किस-किस संस्था को क्या-क्या अलाटमेंट हुआ, उसका सामने आकर बता दें। किसमें कॉमर्शियल चैंज किया और खाली यह कि हम कोई संस्था बनाकर उसका काम करते हैं, पच्चीस परसेंट कर हमने करवाया, हमने गुनाह कर दिया कि गुलाब सिंह जी का नाम है, सी.पी. जोशी का नाम है। यह मानिक चन्द जी सुराना एक पार्टी बनाएं, पार्टी बनाकर पार्टी को बी.जे.पी. के साथ मिलावें, भैरोंसिंहजी शेखावत समर्थन करें और वह पार्टी यह हो जाए तो वह गुनाह नहीं है। आपने जितना बड़ा गुनाह किया लोकतंत्र के इतिहास में हमने वह गुनाह नहीं किया। पार्टी बना दी, पार्टी तोड़ दी, पार्टी का अध्यक्ष बना, पार्टी बना कर पार्टी को मिला दिया।

राजनीति करने के लिए आदमी को मन साफ रखना पड़ेगा, 1993 में हमने जब बनाया एन.जी.ओ. तब हमारे मन में कल्पना नहीं थी कि हम यहां पर एम.एल.ए. बनेंगे, यह 1993 का रजिस्ट्रेशन है। हमने मन में कल्पना थी कि यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा आदमी जो 55-60 साल में रिटायर हो जाता है, उसकी काम्पीटेंस का उपयोग लेकर समाज में हम कुछ काम करें। यह काम करने के लिए हमने एन.जी.ओ. बनायी थी। हमने एन.जी.ओ. में बेईमानी करने के लिए कोई काम नहीं किया।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं यदि आप हमें गुनाहगार ठहराना चाहते हैं तो गुनाहगार बनने के लिए हम तैयार हैं। हमने गुनाह किया है, गुनाह किया है उन लोगों की कैपेसिटी का उपयोग करने के लिए जो रिटायर आदमी है, जो काम्पीटेंट

(डा. सी. पी. जोशी)

आदमी हैं, जो प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं, रिटायर होने के बाद बैठे हुए हैं, उन लोगों की संस्था बनाकर हमने मोटिवेट किया कि आप यह काम करो। जब सस्था बन गयी उसके बाद हम उसके साथ इंवाल्व नहीं हैं। उस संस्था को पच्चीस परसेंट में साठ रुपये स्कवायर वार्ड में नान कामर्शियल रेट पर अलाटमेंट करें और यहां खड़ा करके कामर्शियल रेट करोड़ों रुपये बतावे।

माननीय लूणकरणसर से आने वाले सदस्य, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। आप कम से कम हियर-से के आधार पर तो हाउस में मत बोला करें। आप खुद इतने समझदार आदमी हैं। अभी आप लूणकरणसर का उदाहरण दे रहे थे कि लूणकरणसर में गहलोत को इतना हो गया। यह आपको मालूम नहीं है कि आपके जमाने में जो आचार्य थी उसको कैसे अलाट हुआ। वह कौनसी दुकान अलाट थी आचार्य को, फिर कौनसी दुकान वहां पर कन्वर्ट हो गयी। जस्सूसर गेट के अन्दर दुकानों की बोली लगे और 23 नम्बर का आप अलाट कर दें 1995 के अन्दर, यह तो कोई गलती नहीं है और दूसरे को अलाट करें जब गलती हो जाए। जब दूसरे के घर में पत्थर फैंकेंगे तब अपन खुद भी देखे कि क्या अपने जमाने में यू.आई.टी. थी, अपने जमाने में जो सरकारे थीं उन सरकारों ने फायदा उठाने के लिए काम किया कि नहीं किया (व्यवधान)।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप यह बात तो मान रहे हो ना?

डा. सी.पी. जोशी : आवश्यकता इस बात की है कि यह नियम और कानून को आब्जेक्टिव बनावे वहां तक तो मैं सहमत हूं लेकिन केवल मात्र दूसरों के शीशे पर पत्थर फैंकने वाले आदमी को पहले घर का अपना देखना चाहिए कि हमने कैसी संस्था बनाकर, जिसने समाजवाद को बढ़ाया, सेक्यूलरिज्म को बढ़ाया उन संस्थाओं को फ्री आफ कास्ट जमीन दे दें हम और कोई दूसरी संस्था बनावें उस पर आरोप लगा दें, मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आपसे। आपने प्रश्न उठाया, मैं सहमत हूं। यदि आज फैसला कर ले कि 1974 के जो रूल बने हुए हैं, जो एक्ट में प्रोवीजन है उसमें आब्जेक्टिव क्राइटेरिया बना दें आप। उस आब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाने के बाद संस्था किसको दें, मुझे कोई तकलीफ नहीं लेकिन 1974 के एक्ट के बाद आठ साल आपकी सरकार रही हैं। कितनी जमीनें आपने दीं, फ्री आफ कास्ट दी, किस कास्ट में दी वह तो सब ठीक हो गया था, हम एक उदाहरण लेकर आ जाएं गुलाब सिंहजी शक्तावत और सी.पी. जोशी, इसलिए हमने अन्याय कर दिया। यह लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों को कमजोर करने की साजिश है। उसमें मेहरबानी करके भागीदार नहीं बने और गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए।

लेकिन इस जमीन पर देवस्थान के नाम पर पैसा मिले या काश्तकार को पैसा मिले, वहां पर भू-माफिया इस जमीन पर कब्जा करके यदि यह करना चाहे तो माननीय लूणकरणसर से आने वाले सदस्य, आप इसमें पार्टी नहीं बने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि इसके पीछे यह झगड़ा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप विराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुझे भी टाइम दो ना।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धारीवाल साहब, आप विराजें। आपको बोलने देंगे आप चिंता मत करो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मुझे क्यों नहीं बोलने देना चाह रहे?

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलेंगे, आप बोलेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आज मुझ पर मेहरबानी नहीं है आपकी।

श्री उपाध्यक्ष : करेंगे मेहरबानी, आप विराजो। माननीय सदस्य, अब इस पर कोई इश्यु नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरा नाम इस पर आया कि...

श्री उपाध्यक्ष : नाम क्या लिया, नाम लिया, जमीन अलाट हुई है, हुई है, इसमें क्या बात है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरा भाई किसी संस्था में करता है, कोई हर्जा नहीं है। मैं आपको आमंत्रण देता हूं कि राज्य सरकार के नियमों के विरुद्ध अगर कोई काम उस अलाटमेंट में हुआ हो...

डा. सी.पी. जोशी : फ्री आफ कास्ट?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : फ्री आफ कास्ट में सरकार को अधिकार था।

डा. सी.पी. जोशी : फ्री आफ कास्ट में तो गुनाह नहीं है और 25 परसेंट में गुनाह है? यह फ्री आफ कास्ट में लैण्ड अलाटमेंट है। आपके भाई इसमें व्यवस्थापक हैं उसने उस संस्था के नाम पर अलाटमेंट की फ्री आफ कास्ट। किस नियम के अन्तर्गत वह अलाटमेंट कर रहे हैं आठ बीघा जमीन, आठ बीघा जमीन फ्री आफ कास्ट अलाट करावें तब तो कोई गुनाह नहीं और बीस हजार स्क्वायर फीट करावें तब इतने करोड़ रुपये का हो गया। यह तो गुलाब चन्दजी कटारिया साहब, मैं उस... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने गड़बड़ी की है इसलिए आप भी गड़बड़ी करके अपनी गड़बड़ी को छिपाना चाहते हो। कटारियाजी के भाई को आठ बीघा हुई है इसलिए आप भी उस जमीन को..(व्यवधान) 1995-96 में भारतीय जनता पार्टी ने गलतियां की थीं, अलाट की थी इसलिए हम गलती करेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी।

श्री अमराराम (धोद) : वरना आप उन भू-माफियाओं के नाम बताओ।

डा. सी.पी. जोशी : 1974 के एक्ट के अन्तर्गत आपने अलाटमेंट किया, फ्री आफ कास्ट किया, आठ बीघा का उसमें अलाटमेंट करने में आपके भाई की एप्लीकेशन है तब तो मोटिव नहीं लगा रहे हो क्योंकि नियम था, सरकार

(डा. सी. पी. जोशी)

काम्पीटेंट थी। आपने किया, बहुत अच्छा अब हम पर आरोप क्यों? हम पच्चीस परसेंट पर अलाटमेंट करें, गुलाब सिंहजी मैम्बर हैं इसलिए हम बेईमान हैं और आठ बीघा जमीन आपने अच्छे काम के लिए दी, तो हमारा काम बुरा है यह क्यों मान रहे हो आप?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बार-बार उसी काम को बोलकर किसी सच्चाई पर नहीं जा सकते। मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि क्या राज्य सरकार के उस समय ऐसे नियम नहीं थे कि जो एजूकेशन इंस्टीट्यूशन हैं और जो भारतीय शिक्षा प्रचार समिति से हैं वह पिछले 42 साल से एजूकेशन में काम कर रही है, उस एजूकेशन के तहत उसको यू.आई.टी. ने पचास परसेंट पर किया फिर पचास परसेंट का पैसा जमा कराने के बाद सरकार को अपील की कि सरकार हमको यह निःशुल्क उपलब्ध कराए। मैं आज आपको निमंत्रण देता हूं कि वहां एक भी इंच जमीन का कामर्शियल यूज हो रहा हो, एक इंच भी कोई एक दुकान थी, कोई भी...

डा. सी.पी. जोशी : इसी नियम में हमने अलाटमेंट करवाया जिस नियम में आपने अलाटमेंट करवाया, हमने उसी नियम में अलाटमेंट करवाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सी.पी. जोशी जी, आप गुलाब चन्द कटारिया पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते हो, इतना दावा करता हूं।

डा. सी.पी. जोशी : आप मेरे पर कैसे कर रहे हैं? आप कैसे कर रहे हैं? आपको खुद को है क्या? आपकी तरह हमको भी घमंड है, आपकी अपनी ईमानदारी जैसे मुझे भी घमंड है। आपने कहा मुझ पर आरोप मत लगाओ तो मेरे पर आप आरोप कैसे लगा रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जब मंत्रीजी अपनी बात कह रहे थे, हम शांति से सुन रहे थे। प्रतिपक्ष के नेता अपनी बात कह रहे हैं, शांति से सुनते क्यों नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह फ्री आफ कास्ट है क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने अपना दामन इतना साफ रखा है कि कोई पैदा ही नहीं हुआ है कि एक पाई का इल्जाम लगा दें.. (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : हमने किया क्या था? हमारा दामन साफ है, हमारा दामन गलत है क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हां, है। यह जो आपका विश्वास संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ ना, उस रजिस्ट्रेशन में पढ़िए, फाउण्डर मैम्बर कौन हैं?

डा. सी.पी. जोशी : हां, मैं हूं, क्या तकलीफ है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : Founder members are life members. They are... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये तो सही।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह इनको हम समय खड़े होने का अधिकार नहीं है यहां पर। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : काहे का आपका हक है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात कह दी ना आपने (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसका मतलब उनको कोई...(व्यवधान) स्पेशल अधिकार नहीं है।

(आसन ने संकेत से अंकित नहीं करने का निर्देश दिया)

डा. सी. पी. जोशी : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

डा. सी.पी. जोशी : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री मोहम्मद हफीज : ×××

डा. सी.पी. जोशी : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

डा. सी.पी. जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

डा. सी.पी. जोशी : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

डा. सी.पी. जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशीजी...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

डा. सी.पी. जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया साहब। माननीय कटारिया साहब...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

डा. सी.पी. जोशी : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। विराजिये माननीय सदस्य।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये ना। माननीय सदस्य गोवर्द्धन कल्लाजी। आप बैठिये...अभी आपको बोलने दूंगा....(व्यवधान) माननीय कटारिया साहब, इसमें ऐसा कोई डिस्प्यूटेड नहीं है, पता नहीं क्यों इतनी उत्तेजना फैलायी जा रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है जो आप कहते हो जो कुछ आपकी सरकार ने किया, वह नियम से किया। यह कह रहे हैं इनकी सरकार ने किया जो नियम से किया, फिर What is the dispute? डिस्प्यूट क्या है?

श्री सांवर लाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : बीच में क्या है? बीच में तो यह इसलिये हैं कि इनका रेफरेंस आया है। नहीं तो यह बोलते ही नहीं, दूसरे मंत्री बोल रहे हैं?

श्री सांवर लाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। विराजिये प्लीज।

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री उपाध्यक्ष : गरिमा दोनों को... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज। श्री गोवर्द्धन कल्ला। माननीय सदस्य, बैठो। श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये प्लीज। विराजिये प्लीज। श्री गोवर्द्धनजी कल्ला।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग नम्बर 29 नगर आयोजना पर अपने विचार रख रहा हूं। भारत वर्ष में... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : xxx

श्री सुरेन्द्र व्यास : xxx

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। क्या हुआ अब?

श्री मानिक चन्द सुराना : xxx

श्री उपाध्यक्ष : हो गया अब समाप्त। आप समाप्त कर चुके थे What is the issue?

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

अब वह बोल रहे हैं। प्लीज हो गया बस। समाप्त हो गया।

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप मत डालिये। प्लीज, आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूं। आप विराजिये प्लीज...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : काहे का पाइंट आफ आर्डर है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : I have not allowed you अब मैं अलाउ ही नहीं कर रहा हूं। आप विराजिये प्लीज। आप बोलिये कल्लाजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। आप विराजिये प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज। I will not allow you. आप विराजिये ना। सब्जैक्ट ही क्लोज हो गया, दूसरा आ गया। बात खतम हो गयी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुलाब सिंहजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, न तो मेरे भाई के नाम से जमीन ली मैंने, न मेरे काका के नाम पर जमीन ली, न मेरी कोई संस्था है जिसके नाम पर मैंने जमीन ली, तो सरकार ने नियमों के तहत किसी ने दरखास्त दी, जमीन दी। उनको अधिकार है 25 प्रतिशत में देने का, 10 प्रतिशत में देने का, 15 प्रतिशत में देने का। उन्होंने अपने अधिकारों का उपयोग किया, किस बात की जांच कराना चाहते हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गोवर्द्धन जी कल्ला। माननीय, आप विराजिये। आप बोलिये ना...

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान) आप बोलो, आप शुरू करो... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री सुरेन्द्र व्यास : xxx

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, एक बात का ध्यान रखो...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपको एक बात निवेदन करूं, मैंने इस बात को स्वीकार किया है, मैं आज भी इंकार नहीं करूंगा, 1993 में एक सोसायटी का रजिस्ट्रेशन हुआ...

श्री सांवर लाल : xxx

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : As a founder member, not as a life member. There is a difference between the founder member and the life member. You know being an advocate very well.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी, समाप्त कीजिये ना अब।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इसलिये कोई मतलब नहीं रहता। मैंने तीन साल बाद छोड़-छुड़ा दिया, मेरा क्या लेना-देना?

श्री सुरेन्द्र व्यास : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला जी। माननीय सुरेन्द्रजी व्यास, प्लीज। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : xxx

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं हूं ही नहीं तो क्या जांच कराओ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी, बिराजो। माननीय कल्लाजी...(व्यवधान) आप विराजो, आपको बुलायेंगे। एक मिनट उनको बीच में बोल लेने दीजिये। फिर आपको बुला दूंगा Let us close this subject. एक मिनट आप विराजो।

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री उपाध्यक्ष : कल्लाजी। माननीय कल्लाजी...(व्यवधान) प्लीज शुरू होने दो ना ...(व्यवधान)

मांग संख्या-29 पर विचार

श्री गोवर्द्धन कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में जो गर्मागर्मी है, मैं उसी

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

पर बोलूंगा। सैकड़ों संस्थाओं के मैम्बर्स हैं, जमीन अलाट होती है, नियमानुसार होती है, सरकार उसके ऊपर फ्री भी देती है, 25 परसेंट पर देती है, 50 परसेंट पर देती है, पूरी कोस्ट पर देती है, संस्थाओं के नियम बने हुए हैं, उसके ऊपर वह कंट्रोवर्सी पैदा करना उचित नहीं है।

मैं मांग नम्बर 29 नगर आयोजना पर अपने विचार रख रहा हूं। भारत वर्ष में नगर नियोजन की बहुत बड़ी लम्बी परम्परा है। वैदिक काल से हम यह देखें भारतवर्ष में बड़े-बड़े नगर आयोजित किये जाते थे, विशेष करके मेरे क्षेत्र में जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, पल्लीवालों की संस्कृति है, वहां आज भी जब हम पुराने अवशेष खोजते हैं तो बहुत बड़े नगर हमको मिलते हैं भूमिगत। तो इसका मतलब नगर आयोजन का वर्तमान में जो विभाग है, राजस्थान सरकार जो नगर आयोजन करती है, उस ओर बाद में चर्चा करूंगा। पर मैं कहूंगा कि जिस तरह ग्रामीण क्षेत्र से कुछ वर्ष पूर्व 15 परसेंट लोग शहरों में रहते थे, 85 परसेंट गांवों में रहते थे। यह जो सारी अभी आर्थिक अदला-बदली हो रही है उस कारण से लोग नगरों की तरफ आ रहे हैं और नगरों की 30 प्रतिशत आबादी प्रति 10 वर्ष में बढ़ रही है। इसलिए नगर नियोजन का बहुत बड़ा महत्व है। मेरा निवेदन है कि इस विषय पर हम गम्भीरता से विचार करें कि बढ़ते हुए नगरों का हम कैसे आयोजन करें। कैसे उस अतिक्रमण को रोकें, कैस उन कच्ची बस्तियों, जो स्लम्स हैं, जहां सैकड़ों लोग कीड़ों की तरह रहते हैं, कैसे उन्हें रहने के लिए मकान दें। स्वतंत्र भारत में हर इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, कैसे मकान मिल सकेगा, यह सारी व्यवस्था नगर आयोजन के माध्यम से नगर में हमको करनी है।

मान्यवर, प्रशासन गांवों के संग के साथ में प्रशासन शहरों के संग वर्तमान सरकार ने जो आयोजित किया, देखिये, शहरों में कितनी कच्ची बस्तियां डवलप हो चुकी हैं, उनका नियमन करने का हमने प्रयास किया। नगर में कितने बेरोजगार लोग थे जिनको बसाने के लिये हमने गुमटियों की व्यवस्था की, यह सारा आयोजन इसलिए किया कि नगर में ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोग किस तरह से एक नागरिक की तरह जीवन व्यतीत करें। जो निजी कालोनियां शहर के इर्द-गिर्द बस गयी हैं उनका नियमन भी वर्तमान सरकार ने किया परन्तु उसके उपरांत भी जिस तरह से निरन्तर कच्ची बस्तियां और निजी बस्तियां बस रही हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बस्तियां आकर के शहर के अंदर जुड़ रही हैं यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इस ओर आयोजना विभाग को भी तय करना चाहिए। पूर्व में भी तय होता था कि शहर के मध्य में किस साइड में कौनसी कालोनियां हों, किस साइड में हमारा औद्योगिक क्षेत्र हो, किस साइड में हमारे पानी के स्रोत हों, यह सारी व्यवस्थाएं नगर आयोजन के माध्यम से होती हैं तो इसके माध्यम से हमें इन सारी व्यवस्थाओं को देखना है।

संविधान के 74 वें संशोधन के बाद में हमने तय किया कि हम नगर पालिकाओं को, नगर परिषदों को, नगर निगमों को स्वायत्तशासी संस्थाएं बनाना चाहते हैं। उनको सारे फण्डस और फंक्शनरीज ट्रांसफर करना चाहते हैं। सारी

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

नागरिक सुविधाएं हम उन्हें देना चाहते हैं तो बहुत बड़ा दायित्व आ पड़ा है कि किस तरह से हम उनको यह सारा ट्रांसफर करें। कैसे स्वायत्तशासी संस्था बनायें जिससे कि नगरों का समयबद्ध विकास हो सके। नगरों में जब सफाई की बात आती है, सफाई कर्मचारियों के नियोजन की आत आती है तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो आपका विभाग है, लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट को इसमें कई बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसमें नगरपालिकाओं को स्वायत्तता देनी चाहिए कि जितने भी सफाई कर्मचारी वह लगाना चाहे वह लगा पाये।

बीच में राज्य सरकार की सहभागी योजना थी, गवर्नमेंट के माध्यम से कुछ वर्षों पूर्व वह सहभागी येाजना भी बंद कर दी गयी, जिसके माध्यम से नगर में शिक्षा, आयोजना जो विशेष आयोजन हम चलाते थे वह बंद कर दिये गये। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस ओर हम विशेष ध्यान करें। नगर नियोजन की जब हम चर्चा करते हैं, कई नगरों में ड्राफ्ट प्लान बने, उनको मास्टर प्लान में कंवर्ट नहीं किया गया। ड्राफ्ट प्लान केवल ड्राफ्ट प्लान रह गया। वह समय पर पूरा नहीं हुआ, विशेष कर जैसलमेर का 2001 में जो ड्राफ्ट प्लान बना था, कई वर्ष पूर्व उसकी अवधि समाप्त हो गयी। पुनः उसका ड्राफ्ट प्लान बनाया जा रहा है मास्टर प्लान बनाया जा रहा है तो कम से कम जिन नगरों का आप ड्राफ्ट प्लान बनाये उसमें उस ड्राफ्ट प्लान को मास्टर प्लान में कंवर्ट करें, सारे नगर आयोजन को कटिबद्ध करें, क्रमबद्ध करें। नहीं तो होता क्या है कि ड्राफ्ट प्लान बनने के बाद में मास्टर प्लान बनता नहीं है और सारा नगर हैफहैजर्डियज तरीके से आगे डवलप हो जाता है और बाद में बड़ी मुश्किल पैदा होती है।

इसी तरह से नगर नियोजन में जैसलमेर के बारे में विशेषकर कहता हूं कि बीच में प्रोब्लम्स देखकर हमने वहां नोटिफाइड एरिया कमेटी बनायी बाद में नगरपालिका के चुनाव करवाये। पर्यटन नगर होते हुए भी जैसलमेर को, सुंदर नगर होते हुए भी आज हम उस नगर को विकसित नहीं कर पाये। अभी हमारा जो ड्राफ्ट प्लान बनाया था उसको मास्टर प्लान में कंवर्ट नहीं कर पाये। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ी कमेटी बनी, वर्तमान में भी माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में जैसलमेर डवलपमेंट कमेटी बनायी परन्तु जिस तरह से हम उस नगर का डवलपमेंट करना चाहते हैं पर्यटन नगर के नाते वैसा उसको विकसित नहीं कर पाये हैं क्योंकि कई कमियां आ गई हैं।

चुंगी समाप्ति के बाद में नगरपालिकाओं की आय कम हुई है, उनका कोई आर्थिक सहारा नहीं रहा ढांचा चरमरा गया है। किस तरह से हम अपने बजट में उसका आयोजन करें, पुनर्भरण की बात करते हैं कि हम चुंगी का पुनर्भरण करते हैं, वेतन ही नहीं पहुंचता है, प्लाट्स बेचकर, जमीन बेचकर यदि नगरपालिकाएं वेतन चुकाती हैं तो मुझे लगता है कि वे स्वायत्तशासी संस्थाएं कभी नहीं बन पायेंगी। इसलिए कैसे उनको आर्थिक सम्बल बने, वह सुदृढ़ बने, इस ओर भी हमें चिंतन करना पड़ेगा, कौनसे टैक्स वह लगा पायेंगी, हाउस टैक्स के माध्यम से क्या वह

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

नगरपालिकाएं स्वावलम्बी बन सकती हैं, कोई दूसरे टैक्स हैं, इसके ऊपर गहन चिंतन की आवश्यकता है, जिसके आधार पर हमारी नगरपालिकाएं स्वावलम्बी बन सके।

जैसलमेर नगर के बारे में मैं हमेशा कहा करता हूं कि वहां स्पेशल बाई-लॉज की जरूरत है। विशेष नगरों, जैसे माउंट आबू है, नाथद्वारा है, जैसलमेर है, उनकी जो वर्तमान में स्थापत्य कला है यदि उसको हम बचाना चाहते हैं तो नगरपालिका के अधिनियम के माध्यम से वह नगर नहीं बच सकते हैं। आप कोर्ट में चले जाये 50 रुपया जुर्माना हो करके आपने अतिक्रमण कर रखा है। शहर की सुंदरता बिगाड़ रखी है। इसलिए स्पेशल बाई-लॉज की आवश्यकता है। एशियन डवलपमेंट बैंक से कुछ राशि मुझे लगता है कि 6 डिवीजनों के बाद में, मुख्यालयों के बाद में कुछ नगरों को देंगे, उसमें जैसलमेर का भी नाम है, अब वह योजनाएं स्थगित होती जा रही हैं। मेरी मांग है कि कृपया जो ए.डी.बी. का पैसा बचा हुआ है यदि इन शहरों के विकास में देना है तो उसकी तुरन्त योजना बनाकर के मुख्यतः जो शहरों की सीवरेज का सिस्टम है, पानी निकासी की व्यवस्था है, पीएचईडी के माध्यम से हम पानी पिलाने के लिए व्यवस्था करते हैं, पर सीवरेज भी उनके साथ बंधा हुआ है। उसमें हम सीवरेज टैक्स लेकर के शहरों में जो छोटी गलियों की गंदगी है उसको हटाने का प्रयास करें तो मुझे लगता है कि हम नगर को सुन्दर और व्यवस्थित बना पायेंगे।

सौंदर्यीकरण के बारे में आज जयपुर का सौंदर्यीकरण आप और हमने देखा। एशिया का विख्यात नगर जयपुर बना है। इस तरह से राजस्थान में कई हैरिटेज टाउंस हैं, उनको सुन्दर बनाकर हम पर्यटन के माध्यम से बड़ी राशि उपलब्ध करवा सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो भी ऐसे महत्वपूर्ण शहर हैं, उदयपुर है, जयपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, उनकी विशेष योजना बनाकर के कैसे नगर नियोजन करें, कैसे विकसित करें, यह मेरा आपसे विशेष निवेदन है।

दूसरा, कई नगर नये बस रहे हैं, छोटे-छोटे गांव हैं, दस हजार, बीस हजार की आबादी में बढ़ रहे हैं तो अभी से उन गांवों के आयोजन की चर्चाएं करें और नगर नियोजन का जो विस्तार है, जो सीमित कर दिया है केवल मुख्यालयों पर जैसे मेरे उपनिवेशन क्षेत्र में 200-250 गांवों को हमें विकसित करना है, इसमें नगर नियोजन की परमीशन चाहिए कि उन गांवों को कैसे बसाया जाये। जैसलमेर में एक नगर सह नियोजक का पद रखा जाये जिससे कि जैसलमेर के उपनिवेशन क्षेत्र, जैसलमेर नगर को विकसित कर पायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री शांति कुमार धारीवाल (पर्यटन मंत्री): मेरा क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष : आपका अच्छा होगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुझे कुछ ज्यादा नहीं बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : आप सबको सुन ले, उसके बाद में जवाब दो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मेरी दो-तीन लाइन की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : इनके बाद बुला देंगे। इनको भी सुन लें, फिर जवाब देना पड़ेगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह तो बोलते ही रहते हैं। इनका क्या का है, +++ बोलने की आदत है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें माननीय सदस्य, उसके बाद बुला देंगे, यह बोलेंगे तो आप जवाब देंगे न।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुझे आप कायदे की बात बोलने दे न।

श्री उपाध्यक्ष : उनको सुन तो ले, इनको सुन ले फिर जवाब दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बोल रहे हैं, मैं तो +++ बोलता हूं और आप कायदे की बात बोलते हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने आपके लिए कहा क्या।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप शेर सुना दो फिर।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये, बोलिये, राजेन्द्र राठौड़ बोलिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया ना बोलने को।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैं तो इनको कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कायदे की बात बोल रहे हैं, बोलने दो।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं आप बोले, राजेन्द्र राठौड़ आप बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है, जिसका सम्बन्ध राजस्थान के 183 गांवों में बसने वाले 1.32 करोड़ जनता से है। इसमें कोई शक नहीं है कि गांवों के अंदर...

एक माननीय सदस्य : नगर के अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात नहीं, ठिकाने आ जायेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, गांवों के अन्दर जनसंख्या के दबाव के साथ-साथ जब किसान के खेत की जोत बंटने लगी और जिस खेती पर किसान जिन्दा रहता है, वह खेती जब अलाभकारी हो गयी तो गांव का गरीब रोजगार की तलाश में शहर की तरफ आने लगा और उसका नतीजा यह निकला कि शहरों की जनसंख्या बढ़ने लगी और शहरों की जनसंख्या बढ़ने लगी तो साथ-साथ शहरों में कच्ची बस्तियां

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और अकृषि भूमि पर अनियंत्रित कालोनियां बसने का काम भी बदस्तूर जारी रहा। उपाध्यक्ष महोदय, 2001 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में राजस्थान में 23.38 प्रतिशत लोग जो शहरों में रह रहे हैं। 1981 में जो सर्वे हुआ, उस सर्वे के अनुसार राजस्थान के अन्दर 1758 कच्ची बस्तियां थीं और इन कच्ची बस्तियों में 12,17,000 लोग रहते थे। अब जो प्रगति प्रतिवेदन सरकार ने दिया है, इस प्रगति प्रतिवेदन में जो आंकड़े दिए हैं, उसमें कच्ची बस्तियां बढ़कर हो गई 2113 और कच्ची बस्तियों में जो परिवार रह रहे हैं उनकी संख्या बढ़कर हो गई 2,37,474 और जनसंख्या हो गई लगभग 18 लाख।

उपाध्यक्ष महोदय, जब सरकार को वोट लेने होते हैं तब इन कच्ची बस्तियों की बड़ी याद आती है। मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं चुनाव का वह घोषणा पत्र जो सत्तारूढ़ दल के लिए कभी गीता, कभी बाइबल, न जाने क्या-क्या उसके लिए कहा गया। इसके पृष्ठ 16 में इन्होंने लिखा है, आवासन मण्डल में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के कारण उपभोक्ता परेशान है। भाजपा सरकार ने अपने पूरे शासन काल में एक कच्ची बस्ती का नियमन नहीं किया। हाल ही में चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद केवल वोट प्राप्त करने की मंशा से कच्ची बस्तियों के नियमन की जिस प्रकार से घोषणा की है वह गरीब को सपना दिखाकर वोट लूटने का काम है। भू-माफिया और अवैध कब्जों को रोक पाने में यह सरकार असफल रही है और गरीब की झोपड़ी को तोड़ने में सरकार ने कोई कमी नहीं दिखाई।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इस सरकार ने घोषणा पत्र के माध्यम से जनता से कुछ वायदे किए। इन्होंने जो वायदा किया, उस वायदे को बार-बार किसी न किसी रूप में दोहराते रहे, वह था 15 अगस्त, 1998 तक की नगरीय कच्ची बस्तियों का नियमन कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि प्रदेश में नगरों की बढ़ती जनसंख्या की समस्या के निराकरण के लिए नई आवास नीति बनायेंगे और प्रदेश के नगर और बड़े शहरों को भू-माफियाओं के आतंक से मुक्त कराएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों के वोट लूटने के लिए सरकार ने तरह-तरह की घोषणाएं कीं, उसके बाद में आज तक जो कच्ची बस्ती नियमन का काम हुआ है, यह मैं नहीं कह रहा, इनका प्रगति प्रतिवेदन कह रहा है, 50,385 परिवारों को इन्होंने पट्टे जारी किए। 2,37,474 परिवार जो कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं और मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा पत्र से लेकर कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा, राज्यपाल के अभिभाषण में या बजट के अभिभाषण में, जहां कच्ची बस्तियों के नियमन की बात इन्होंने नहीं की हो। इन्होंने एक आदेश निकाला 18.5.1999 को और यह आदेश किया कि 2 अक्टूबर, 2002 तक राजस्थान में जितनी भी कच्ची बस्तियां हैं, उन कच्ची बस्तियों में रहने वालों को जहां आधारभूत सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, उसके साथ-साथ नियमन का काम भी पूरा करेंगे। अब 2 अक्टूबर, 2000, आज तीन साल का समय व्यतीत हो गया, कितनी कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को इन्होंने नियमन किया, वह आज सामने है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, इस सरकार के मन में गरीब के लिए कतई जगह नहीं है। मैं आपका ध्यान प्रगति प्रतिवेदन के पृष्ठ 14 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें कच्ची बस्ती नियमन और आधारभूत संरचना के लिए धन उपलब्ध कराना, चाहे ग्यारहवें वित्त आयोग का धन हो, चाहे राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम के माध्यम से केन्द्र सरकार के माध्यम से आने वाला धन हो, प्रगति प्रतिवेदन के पृष्ठ 14 में लिखा है, ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर वर्ष 2002-2003 में कुल कच्ची बस्ती आधारभूत संरचनाओं के लिए 1988 लाख 32 हजार रुपये का प्रावधान किया और यह खुद कह रहे हैं। 2002 तक इन्होंने नगरपालिकाओं को जो धन आबंटन किया है वह है 994, मतलब 994 रुपये का धन आबंटन किया, उसमें खर्च कितना हुआ है, यह इनको मालूम नहीं, चाहे 10 प्रतिशत से ज्यादा खर्च नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, और तो और राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम, जिसका उल्लेख प्रगति प्रतिवेदन के पृष्ठ 15 पर आपने किया है, उसमें पूरा धन केन्द्र सरकार से प्राप्त होता है। 2002-2003 में अपने प्रगति प्रतिवेदन में कह रहे हैं कि हमको 1402 लाख रुपये केन्द्र सरकार से मिले और जिसमें यह खुद ही लिखते हैं, उक्त धनराशि केन्द्र से प्राप्त हो चुकी है, पत्रावली वित्त विभाग से फण्ड रिलीज करने के लिए भेज रहे हैं। यानी कच्ची बस्ती के नियमन की आड़ में, आधारभूत संरचना पहुंचाने की आड़ में थोथे नारे देकर सरकार ने जो काम किया, उसकी बानगी सामने है। जो पैसा केन्द्र सरकार ने इनको मिला, उस पैसे का एक नया पैसा इन्होंने उपयोग नहीं किया। जो पैसा ग्यारहवें वित्त अयोग की सिफारिशों पर इनको मिला उसका इन्होंने 40 प्रतिशत पैसा अभी रिलीज नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने लम्बी-चौड़ी घोषणाएं की। एक संकल्प अभियान चलाया, पूर्व स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने लम्बे-चौड़े फोटो छपवाकर संकल्प अभियान चलाया और कहा कि राजस्थान के अन्दर विशेष तौर पर राजधानी जयपुर में हम कृषि भूमि नियमन करने का काम करेंगे। परन्तु इन्होंने क्या किया? लगभग 3 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला इस संकल्प अभियान के माध्यम से किया। यह संकल्प अभियान, इसकी चर्चा राजस्थान में किस तरह से है। आप जयपुर में पृथ्वीराज नगर पर चले जाएं, जोधपुर के पूर्वी और पश्चिमी पाल योजना पर चले जाएं, उदयपुर में जिस एन.जी.ओ. को भूमि आबंटन की चर्चा की गई अभी, उस पर चले जाएं, कोटा के अन्दर मन्दिर माफी की जमीन पर चले जाएं, हो क्या रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सरकार के रहते हुए भगवान के मन्दिर के नाम पर जो भूमि छोड़ी है, हमारी पुरानी विरासत के अन्दर मन्दिर के श्रद्धा के लिए, मन्दिरों के रख रखाव के लिए मन्दिर माफी की जो जमीन थी, आज वह सुरक्षित नहीं है। हमारे टिनेंसी एक्ट और लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में भगवान की मूर्ति को नाबालिग माना है, परपीच्यूअल माइनर माना है। परन्तु हो क्या रहा है, चाहे लाल कोठी योजना में काले हनुमानजी की जमीन जो भोजपुरा में स्थित है, सारी की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सारी जमीन के सौदे हो गए और जब यहां ब्राह्मण महासभा ने सद्बुद्धि यज्ञ किया तब जाकर समझौता समिति में भी मामला पैंडिंग पड़ा है। इसके अलावा कोटा के अंदर मंदिर माफी की जमीन और वह जमीन भी ऐसे व्यक्ति को सरकार ने सौंप दी, जिसका कोई स्वामित्व नहीं, 40 करोड़ रुपये की जमीन एक अनिल अग्रवाल नाम के व्यकित को सौंपना, जिसका कोई अधिकार नहीं, समझौता समिति की आड़ में इतना बड़ा घोटाला निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि सरकार जवाब दे, इन सारे मामलों में सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। उपाध्यक्ष महोदय, आप साक्षी रहे हैं, यहां जयपुर में आपरेशन पिंक चला था। आपरेशन पिंक चला और सरकार का बुलडोजर चला। एक-दो नहीं, आठ लोगों, शांति मीणा सहित आठ लोगों ने आत्महत्या की और उस आपरेशन पिंक में गरीब को उजाड़ा गया और उस गरीब को उजाड़ कर जयपुर विकास प्राधिकरण ने जिस जमीन पर यह कहा कि, चारदीवारी लगाकर यह लिखवाया कि यह भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण की है, आज वह भूमि सारी की सारी नियमन की आड़ में भू-माफिया को सौंपने जा रहे हैं।

(15.57 बजे)

(मोहम्मद माहिर आजाद, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर में पृथ्वीराज योजना के अन्दर सन् 1988 में 11 हजार बीघा जमीन जो 22 गांवों में स्थित थी, उसमें धारा 4 के नोटिस दिए गए। फिर जुलाई, 1988 में धारा 6 के नोटिस दिए गए। काश्तकार अदालत में गए और 3 अक्टूबर, 1997 को काश्तकार सुप्रीम कोर्ट में हार गए। उसके पश्चात् तत्कालीन सरकार ने 11 अक्टूबर, 1997 को काश्तकारों को यह लिखकर कहा, अखबारों के माध्यम से कहा और यह नीतिगत फैसला भी किया कि जिस भूमि पर किसान खेती कर रहा है, वह भूमि अगर किसान खेती करता रहेगा तो अवाप्ति से मुक्त रखी जाएगी। अब होता क्या है? नई सरकार आती है और नई सरकार आते ही बड़े लम्बे-चौड़े एलान होते हैं, पृथ्वीराज नगर को विकसित किया जाएगा, पृथ्वीराज नगर को विकसित करने के नाम पर सरकार बुलडोजर चलाती है, किसान पर लाठी चलाती है, एक तरफ सरकार यह कहती है कि पृथ्वीराज नगर योजना के सैक्टर्स को विकसित करेंगे और उसके लिए सरकार किसानों की जमीन पर सड़क बनाने का काम करती है, सरकार किसान को बेदखल करने का काम करती है, किसान पर लाठीचार्ज करती है।

सभापति महोदय, किसान संगठित होकर, घंटी बांधकर यह सोचता है कि जब कभी जे.डी.ए. के लोग आएंगे, घंटी बजाएंगे, मुकाबला करेंगे। अब होता क्या है सभापति महोदय, इस 11 हजार बीघा जमीन में से 8 हजार बीघा जमीन का अधिग्रहण, इस दरमियान किसान डरकर भू-माफियाओं को बेच देता है, 5 हजार बीघा जमीन के अन्दर तो लोगों ने आवास निर्मित कर लिए मैं उसका विरोधी नहीं हूं परन्तु 3 हजार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बीघा जमीन जो बिलकुल खाली थी, इसके अलावा 3 हजार बीघा दूसरी जमीन जो आज भी खाली है, उसके नियमन की आड़ में एक तरफ सरकार ने बुलडोजर चलाया, सरकार ने लाठी चलाई, जब किसान को यह मालूम पड़ गया कि आपको 24 हजार रुपये बीघा ही मिलेगा, क्योंकि यही राशि निर्धारित कर रखी थी। उसको लगा कि 24 हजार रुपये बीघा मुआवजा मिलेगा, उधर भू-माफिया ने कहा कि हम आपको 24 हजार रुपये बीघा की जगह 50 हजार रुपये बीघा देंगे। आज जिस भूमि की कीमत 10 लाख बीघा है, वह सारी की सारी जमीन इस दोहरी नीति के कारण, क्योंकि उनको मालूम था कि इस सारी भूमि का नियमन होगा। नियमन की आड़ में लोगों ने सौदे कर लिये और किसान ठगा-ठगा सा देखता रह गया। इसके अलावा सभापति महोदय, जोधपुर में भी इसी तरह का खेल हुआ। जोधपुर के अन्दर पाल योजना। 9.6.2002 को जोधपुर की यू.आई.टी. ने 1703 बीघा भूमि को यह कहकर अवाप्ति मुक्त कर दिया कि पर्यावरण की दृष्टि से जोधपुर के अन्दर जिस तरह की पोपुलेशन की डेंसिटी बढ़ रही है इसलिए इस जमीन को अवाप्ति मुक्त करते हैं। पर्यावरण के नाम पर अवाप्ति मुक्त करते हैं और दूसरी तरफ दिसम्बर, 2002 को वही यू.आई.टी. जिसने पहले कहा था कि पर्यावरण की दृष्टि से सरकार को कहा कि इसको अवाप्ति मुक्त करो उसी ने 90 (बी) की कार्यवाही करके 1200 के लगभग पट्टे काटने का काम किया। मेरी समझ में नहीं आता यह जमीन उस वक्त अवाप्ति मुक्त हुई जब भू-माफिया ने इस जमीन को खरीद लिया।

(16.00 बजे)

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान समझौता समिति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जबसे सरकार आई है सरकार ने पूरे राजस्थान में जमीन की लूट मचा रखी है। सरकारी भूमि की लूट और सरकारी भूमि की लूट के लिए जब कभी भी चाहे, जिस तरह भी चाहे कानून में संशोधन करने का काम इन्होंने किया। इसी सदन के अन्दर सभापति महोदय, यह सरकार जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2001 लेकर आई थी और इस सदन के अन्दर जयपुर विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक, 2001 प्रस्तुत करते हुए जिन उद्देश्यों और कारणों का उल्लेख किया था वे पढ़कर दो मिनट में सुनाना चाहता हूं। ''अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम करने और प्राधिकरण और अन्य व्यक्तियों के बीच विवादों का निपटारे द्वारा सुलझाने के लिए निपटारा समिति के गठन का उपबंध करना सुनिश्चित समझा गया है, इसलिए अधिनियम में एक नयी धारा 83 (क) अन्तःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे निपटारा समितियों के गठन और प्रक्रिया को उपबंधित किया जा सकेगा।''

उसके बाद सभापति महोदय, सरकार ने इसका स्कोप निर्धारित किया कि समझौता समिति के स्कोप में कौन-कौनसे मामले आएंगे। एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना है- प.12 (82)नगर विकास योजना/2000, 25 जुलाई, 2001, सम्भावित विवादित विषय। आप मुलायजा फरमाएं सभापति महोदय। इसमें इन्होंने पहला लिखा, भवन निर्माण के सम्बन्ध में कानूनी प्रावधान, विनियमों और नियमों के अन्तर्गत

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रचलित प्रकरण। दूसरा मामला भूमि एवं भवन के अनधिकृत उपयोग एवं तत्सम्बन्धी मामले, बिना स्वीकृति या स्वीकृति के विपरीत निर्माण के मामले और चाही जा रही स्वीकृतियों के मापदण्ड के अनुसार नक्शे का अनुमोदित नहीं होना। एक तो भवन निर्माण के सम्बन्ध में कोई बात हो और एक नक्शे के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई बात हो, तीसरा इन्होंने कहा, आबंटन नीलामी से विक्रय किये गये भूखण्डों तथा लीज की अवधि विस्तार। ग्राउंड रेट यूज एंड ओकुपेशन चार्जेज, किराये पर दिये गये स्थल, भूखण्ड के नियमन के बारे में तथा जमीन के टाइटल सहित कीमत वसूली करने सम्बन्धी मामले और चौथा मामला जो स्कोप निर्धारित किया समझौता समिति का उसमें इन्होंने लिखा, अन्य ऐसे मामले जो न्यासों के अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियम, विनियमों, उप नियमों एवं राज्यादेशों, अधिसूचना के अन्तर्गत प्रचलित समस्त अन्य प्रकार के विवाद। अब ये कर क्या रहे हैं। स्कोप निर्धारित कर दिया और सभापति महोदय, एक ऐसे व्यक्ति को इस समझौता समिति का अध्यक्ष बना दिया जिनके नाम के आगे जस्टिस इसरानी लगता है। हम सब लोगों ने सोचा न्यायमूर्ति जिस व्यक्ति के नाम के आगे लगे वह शायद न्याय करेगा और मैं समझता हूं कानून का जानकार यह स्पष्ट देख सकता है, यह अमेंडमेंट जिस उद्देश्य के साथ लाया गया था और इस अमेंडमेंट के बाद 25 जुलाई को जो रूल्स सरकार ने बनाये उन रूल्स की परिधि के अन्दर समझौता समिति काम करती तो समझ में आता।

आज आपने समाचार-पत्र में पढ़ा होगा, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वर्तमान स्वायत्त शासन मंत्रीजी को, इनकी अध्यक्षता में एक बैठक भी हो गई और उस बैठक में उन सारे मामलों की चर्चा हो गई जो समझौता समिति ने पिछले तीन वर्ष में जिन मामलों में निर्णय किया। मैं समझता हूं उनको देखकर आज मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा, शायद आप समझौता समितियों को निरस्त करने का काम कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है सभापति महोदय, इस समझौता समिति की आड़ के अन्दर राजस्थान का कोई ऐसा महानगर नहीं बचा जो समझौता समिति की आड़ में सरकारी जमीन और सरकार की वो जमीन जो सरकार ने अधिग्रहण कर ली जिसमें सरकार ने मुआवजा दे दिया, जिसमें सरकार नीचे के न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक जीत गई, उस जमीन को भू-माफियाओं को सौंपने का काम इस समझौता समिति के माध्यम से इस सरकार ने किया है और आज भी करती जा रही है। मैं कुछ बानगी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, लाल कोठी योजना में एक ग्राम भोजपुरा है, खसरा नम्बर 35, इसकी 3 बीघा 10 बिस्वा जमीन है और यह जमीन मोटर गैरेज के बिलकुल सामने है। आज बाजार की कीमत से इस जमीन की कीमत लगभग 30 करोड़ रुपये है। 18.2.2002 को समझौता समिति ने एक ऐसे व्यक्ति के पक्ष में इस जमीन का नियमन कर दिया जिसके पास न तो स्वामित्व है और न ही भूमि का टाइटल है और आधार क्या बनाया सभापति महोदय, 6 दिसम्बर, 2001 का सरकार का यह आदेश, विषय है, लालकोठी योजनान्तर्गत अवैध निर्माण, अतिक्रमण के नियमन के सम्बन्ध

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में। यह सरकार का है, आदेश संख्या है, क्रमांक प.3(32)नविवि/3/2001, इसमें मैं सारी चीजों का उल्लेख नहीं करूंगा, मैं आपरेटिव पार्ट पढ़ रहा हूं। इसमें फैसले किये हैं सरकार ने कि इस योजना के अन्तर्गत भूमि का नियमन कैसे होगा। इसमें अनुच्छेद 9 है, मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा अगर आपके पास इस आदेश की प्रति नहीं है तो मुझसे ले लेना। उसमें लिखा है "जिन मामलों में न्यायालय में विवाद लम्बित है, यह सरकार का आदेश है, उनके सम्बन्ध में निम्न प्रकार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है - (क) ऐसे खाली भूखण्ड जिनके सम्बन्ध में किसी न्यायालय से स्थगन आदेश तथा अन्य कोई आदेश आदि न हो तथा जिन्हें जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने कब्जे में नियमानुसार ले लिया गया नीलामी द्वारा बेचा जाएगा।" ऐसे भूखण्ड की सूची बनाने का निर्णय भी लिया गया। यह सरकार का आदेश है। अब भूखण्ड खाली हो और कब्जा जे.डी.ए. का हो उसको ये किसी भी तरह नियमन नहीं करेंगे, उसको आक्शन से बेचेंगे। अब कर क्या रहे हैं? 18.2.2002 को समझौता समिति फैसला करती है और फैसले में लिखती है, सभापति महोदय, फैसले में समझौता समिति के अंदर दोनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए, जे.डी.ए. की ओर जो व्यक्ति समझौता समिति में अपना प्रार्थना पत्र अपने टाइटल के अनुसार मूव करता है उसका भी। अब यहां जे.डी.ए. के अंदर एक उपायुक्त हैं एम.एस. रत्नू। वे लिखित में देते हैं कि उक्त विवादित भूमि महेन्द्र सिंह नामक बिल्डर के नाम से नियमन कर दें तो जे.डी.ए. को एतराज नहीं है। अब मैं इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यह जमीन जिसकी कीमत 30 करोड़ है, भू-अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 और 6 का नोटिस जारी होने के पश्चात्, सभापति महोदय, मुलायजा फरमाएं और मंत्री महोदय, आप भी नोट करें, 9.1.64 को इस जमीन का अवार्ड पारित कर दिया और 1.7.70 को भूमि के खातेदार छोटूलाल को विधिवत मुआवजा दे दिया गया। अब इस मुआवजे के खिलाफ 15.3.94 को खातेदार उच्च न्यायालय में गया और रिट का नम्बर है 2935/1992। छोटूलाल बनाम जे.डी.ए.। खातेदार हार गया सिंगल बैंच में। जे.डी.ए. के पक्ष में फैसला हो गया, अधिग्रहण को उचित मान लिया गया। उसके बाद इस मुख्य खातेदार की मृत्यु के बाद उसकेवारिस 12.5.94 को डबल बैंच में गये। याचिका संख्या है 245/1994, उसमें फैसला यह हुआ कि अधिग्रहण बिलकुल उचित है। जमीन पर किसी भी तरह का खातेदार का अधिकार नहीं, चूंकि वो मुआवजा प्राप्त कर चुका है। जमीन पर कब्जा भी जे.डी.ए. का है, इसलिए वहां पर डबल बैंच में भी हार गया। उसके बाद सभापति महोदय, 15.9.95 को छोटूलाल के पुत्र बाबूलाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। वहां पर भी याचिका खारिज हो गई। अब होता क्या है। एक रिव्यू पिटीशन 4.2.2000 को इस छोटूलाल के पुत्र बाबूलाल ने वापस राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ में लगायी और इसके अन्दर भू-अवाप्ति अधिनियम, जबकि केन्द्र सरकार द्वारा रिपील हो गया, कुछ इस तरह की टेक्नीक्लिटी करके, इसमें फैसला खातेदार के पक्ष में हो गया। खातेदार के पक्ष में सिंगल बैंच में फैसला हुआ। जे.डी.ए. डबल बैंच में गया और डबल बैंच ने सिंगल बैंच के फैसले को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अपास्त कर दिया, सैट-असाइड कर दिया। उसके बाद 18.2.2002 को, अब आप सिक्वेंस देखें, 1961 से लेकर अब तक लगातार खातेदार जीतता है और दुबारा भी सिंगल बैंच में रिव्यू पिटीशन में जीतने के बाद भी दुबारा डबल बैंच के अंदर खातेदार जीतता है और उसके बाद इस जमीन को लिया जाता है...

श्री मानिक चन्द सुराना : डी.बी. में हारा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, डी.बी. में हारा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप जीतने का बोल रहे हो।

श्री सभापति : आपने तो रिकार्ड में यही कहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माफी चाहता हूं, मैं दुरुस्त करना चाहूंगा। डबल बैंच के अंदर खातेदार जीतता है और उसके बाद एक आवेदन-पत्र मूव होता है समझौता समिति में और यह कहता है चूंकि इस जमीन का महेन्द्र सिंह ने डवलपर्स एग्रीमेंट कर लिया है, इसलिए अब इसका नियमन हो जाना चाहिए 6.12.2001 के सरकार के निर्णय के अनुसार। सभापति महोदय, जिस व्यक्ति का कोई टाइटल नहीं, कुछ नहीं, समझौता समिति के माध्यम से यह भूमि, जिसकी कीमत 30 करोड़ के लगभग है उस बिल्डर को सौंप दी जाती है। यह सरकार जो मितव्ययता की बात करती है, पारदर्शिता की बात कहती है, यह सरकार का काम है। इस तरीके की एक और भूमि है। यह भूमि है भोजपुरा में खसरा नम्बर 41 से 45 तक और 45/451, यह चार बीघा 4 बिस्वा जमीन, इसकी कीमत 40 करोड़ के लगभग है। यह जमीन 18.2.2002 को उन्हीं अनिल अग्रवाल साहब को, जिनको कोटा में जमीन मिली है, समझौता समिति के माध्यम से उनका नियमन कर दिया जाता है। अब, सभापति महोदय, इसमें है क्या? 13.5.60 को सैक्शन 4 का अवाप्ति के लिए नोटिस हुआ, 3.5.61 को सैक्शन 6 का नोटिस हुआ और 9.1.64 को उसको पूरा मुआवजा दे दिया गया और मुआवजे के साथ-साथ जिस खातेदार की जमीन थी उसको चार विकसित प्लाट 250-250 गज के, एक हजार वर्ग गज जमीन भी दे दी। अब उसके बाद खातेदार अवाप्ति के विरुद्ध 4.5.91 को मुन्सिफ कोर्ट में जाता है। वहां हार गया और उसके बाद 3.3.02 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करता है। वहां पर भी हार गया। इसके बाद यह उच्च न्यायालय में जाता है। उच्च न्यायालय यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन दे देता है और उस सारी जमीन को भी जहां जे.डी.ए. लगातार जीतता आ रहा है, इस जमीन का नियमन भी उस अनिल अग्रवाल के नाम समझौता समिति के माध्यम से कर दिया जाता है जिनका कोई स्वामित्व नहीं है। यह सरकार पारदर्शिता की बात कहती है, यह इनका काम है।

सभापति महोदय, अभी एक समाचार पत्र में 15 मार्च को लिखा है- ''रामजी की चिड़िया रामजी का खेत, खाओ री चिड़िया भर-भर पेट'' यह समझौता समिति, मदमस्त समझौता समिति

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एक रिटायर्ड तहसीलदार से मिलकर एक अरब रुपया लौटाया। अब आप देखे, सभापति महोदय, 1983 में जे.डी.ए. ने विद्याधर नगर योजना बसाने का काम किया और उसके लिए 400 बीघा वो जमीन जो पहले सेना के पास थी फील्ड फायरिंग की, उसको अधिग्रहीत करने का काम किया और सेना को उस जमीन के बदले में पास में निवारू गांव है वहां उस 400 बीघा जमीन की जगह 1300 बीघा जमीन अवाप्ति करके सेना को आबंटित करने का काम भी जे.डी.ए. ने स्वीकार किया। अब यह जो 1300 बीघा जमीन निवारू गांव की है, इसमें 900 बीघा जमीन तो निजी खातेदार की थी, अलग-अलग किसानों की थी और 400 बीघा जमीन सरकारी जमीन थी। अब जो निजी खातेदार, जिनकी जमीन जे.डी.ए. ने सेना को फील्ड फायरिंग रेंज को देने के लिए अवाप्त की उसका मुआवजा उन्होंने 1500 रुपये बीघा तय कर दिया। जब यह पूरी राशि अत्यन्त कम लगी तो बाकी किसानों ने तो मुआवजा ले लिया, कुछ 10-12 प्रतिशत किसानों ने कहा कि मुआवजा बहुत कम है वो लोअर कोर्ट में गये और लोअर कोर्ट में जा करके उन्होंने आवेदन किया कि हमारी जमीन की कीमत ज्यादा है और हमें 1500 रुपये की कम कीमत दी जा रही है। लोअर कोर्ट ने उसको बढ़ाकर 15 हजार रुपये बीघा कर दिया। अब लोअर कोर्ट ने जब 15 हजार रुपये बीघा कर दिया तब जे.डी.ए. हाई कोर्ट में गई कि 15 हजार रुपये बीघा ज्यादा है। मामला यहीं नहीं रुका। सभापति महोदय, जे.डी.ए. ने अपील दायल कर दी। अब उसके बाद, सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि लगभग 20 वर्ष के पश्चात् यह मामला समझौता समिति ने ले लिया क्योंकि जो अवार्ड जारी हुआ था और जो किसान लड़ रहा था, 1983-84 से लड़ रहा था उसको मालूम पड़ा कि आपको 1500 रुपये मिल रहे थे, 15 हजार का फैसला मुन्सिफ कोर्ट ने कर दिया, जे.डी.ए. हाई कोर्ट में गई हुई है, फैसले में टाइम लगेगा, यह कह कर भू-माफियाओं ने उनके सारे अवार्ड खरीद लिये और अब फैसला क्या करते हैं, समझौता समिति ने अभी फैसला किया है उसमें कहा कि समझौता समिति ने विद्याधर नगर में 15 प्रतिशत विकसित भूखण्ड उन किसानों को दे दिये। अब वहां तो तकलीफ थी 15 हजार रुपये बीघा देने की और यहां विद्याधर नगर में सभापति महोदय, जमीन की रेट क्या होगी यह आपसे छिपा हुआ नहीं है। मतलब किस तरह की बात यह समझौता समिति कर रही है, समझौता समिति के माध्यम से जिस तरह की लूट-खसोट हो रही है, मैं समझता हूं कि इस तरह की लूट राजस्थान में पहले कभी नहीं हुई। इन्होंने इसको कानूनी जामा पहनाने का काम जरूर किया है।

सभापति महोदय, इसके अलावा एक झोटवाड़ा का मामला है। एक काआपरेटिव एग्रीकल्चर, आप तो खुद सहकारिता में बड़ा विश्वास रखते हैं, मैं आपको उस समय से जानता हूं जब आप विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे। 1952 में सरकार से सामूहिक खेती के नाम पर झोटवाड़ा पंचायत समिति के अन्तर्गत 218.75 बीघा जमीन मुफ्त में आबंटित हुई। कुछ किसानों ने को-आपरेटिव सोसाइटी बनाई और उनको यह 218.75 बीघा जमीन इस शर्त के साथ दी गई कि इस जमीन का न तो कभी विक्रय होगा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और न ही इसका स्वरूप बदलेगा। अब समय बदल गया, समय की धार के साथ-साथ फैसला करने वाले लोग भी माननीय राठौड़ साहब, बदल गये। 1999 का वक्त आ गया, सरकार आपके हाथ में रह गई और उसके बाद होता क्या है कि एक गोविन्दपुरा करघनी योजना बनी। उसके लिए यह सोसाइटी, जो सोसाइटी सामूहिक खेती के लिए, काआपरेटिव एग्रीकल्चर के कंसेप्ट के साथ बनी थी, इसने 119.11 बीघा जमीन इसको समर्पित कर दी और 30 बीघा इसके बदले में विकसित भूखण्ड प्राप्त कर लिये। सभापति महोदय, आप बताओ, जहां जमीन दी गई थी खेती करने के लिए और जमीन को समर्पित करने का अधिकार सोसाइटी के पास था नहीं और सोसाइटी ने जमीन समर्पित कर दी और सरकार की उदारमना भी देखो, उसकी जगह इनको 30 बीघा विकसित भूमि दे दी और वह 30 बीघा विकसित भूमि किसने दी, किसके आदेश से दी, कैसे दी, मैं समझता हूं, मंत्री महोदय, जब आप कहें तो जरूर इसको बताना और मेरी जो जानकारी में है, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, इस काआपरेटिव सोसाइटी में जो जमीन थी, इस जमीन के अंदर जो फाउण्डर मैम्बर थे उन फाउण्डरों में जिस तरह अब चर्चा चल रही थी, मैं आरोप भी नहीं लगाना चाहता पर उसके अंदर सरकार में बैठे उप मुख्य मंत्री का भी नाम बताया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस तरह की चर्चाएं समाचार पत्र में तैरती हैं तो सरकार की पारदर्शिता कैसी है। सभापति महोदय, इसके बाद जब सरकार के पास शिकायत हुई तो सहकारिता सचिव ने 4.1.01 को जे.डी.ए. को पत्र लिखा और कहा कि यह कैसे हो रहा है, जमीन जो दी है उसका समर्पण करने का विधिक अधिकार इस सोसायटी के पास नहीं है, उस पर तो कोई कार्यवाही हुई नहीं और उसके बाद अब नया प्रस्ताव लेकर के 204 बीघा जमीन और है उस जमीन को भी यह सरकार को सौंपने का काम कर रही है।

सभापति महोदय, इसके अलावा, घोटाले-दर-घोटाले इस सरकार की नियति बन गई है घोटाले करना। ये तो बिलकुल स्वच्छन्द हो गये, कुछ भी करें, कोई कानून का शासन नहीं, इनको न जाने क्या अधिकार मिल गया।

सभापति महोदय, अब एक काशीपुरा योजना का मामला आपने समाचार पत्र में पढ़ा होगा। 1973 में जे.डी.ए. ने काशीपुरा योजना के अन्तर्गत 49 बीघा 6 बिस्वा जमीन का अधिग्रहण किया। अधिग्रहण के विरुद्ध में काश्तकार जो काशीनाथ तिवाड़ी और अयोध्या नाथ तिवाड़ी थे, वे अलग-अलग न्यायालयों में गये। मैं उस पर बोलना नहीं चाहता, उसमें पड़ना नहीं चाहता, हर जगह न्यायालयों ने अधिग्रहण को उचित ठहराया और सुप्रीम कोर्ट तक जे.डी.ए. के पक्ष को माना कि अधिग्रहण जे.डी.ए. ने बिलकुल ठीक किया था। काश्तकार सुप्रीम कोर्ट तक हारा। अब जब अधिग्रहण हो गया तो काश्तकार ने पिछले दरवाजे से हथरोई गढ़ी गृह निर्माण समिति को अवैध बेचान कर दिया। अब इस पर हथरोई गढ़ी गृह निर्माण समिति राजस्थान उच्च न्यायालय में चली गई। वहां भी हार गई। जे.डी.ए. ने पूरी जमीन का कब्जा ले लिया, प्लाट काटकर बेचने प्रारम्भ कर दिये और भूमि कामर्शियल लैण्ड के रूप में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जे.डी.ए. ने विकसित की। 20 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर आगे का और 15 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर पीछे की जमीन का दर निर्धारण जे.डी.ए. ने किया। अब इसके पश्चात् 25 बीघा जमीन रोडवेज का बस-अड्डा बनाने के लिए जे.डी.ए. ने आबंटित की। डिमाण्ड नोटिस दिया कि इतना रुपया आप जमा कराओ। जितना रुपया जमा कराना था, रोडवेज ने उतना जमा करा दिया। अब सभापति होता क्या है कि इसी 13 मार्च को रोडवेज को पहले आबंटित कर दी, रोडवेज ने जब वहां बस-अड्डा बनाने की उपादेयता देखी थी वहां जिस तरह का दबाव था, जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही थी उस सारी चीज को नजरअंदाज करके उस योजना को तो रद्द कर दिया और यह रेडिशन होटल है, इस रेडिशन होटल को वो जमीन जिसका निर्धारण जे.डी.ए. ने खुद ने जब बेचने का तय किया, जे.डी.ए. की पत्रावलियां यह कहती हैं कि 20 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जिस जमीन का निर्धारण किया था उसको 1500 रुपये प्रति वर्ग मीटर में इस सरकार ने रेडिशन होटल को बेच दी। मैं पूछना चाहता हूं, मंत्री जी, यह सारा काम क्यों और कैसे हुआ? इसके अलावा एक बात और करूं। सुराणा मल्टीप्लैक्स में क्या-क्या कार्यवाही हुई, मैं उस पर जाना नहीं चाहता पर....

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसी तरह, सभापति महोदय, अरविंद नगर गृह निर्माण समिति में इस समझौता समिति ने 22.12.01 को जिस जमीन को जे.डी.ए. ने नियमानुसार अधिग्रहीत कर लिया था उसमें 25 प्रतिशत राशि लेकर के उसका नियमन कर दिया। सभापति महोदय, इसी तरह से कई ऐसे मामले हैं, जिसके अंदर इस जे.डी.ए. ने जिस तरह का काम समझौता समिति के माध्यम से किया है, मैं समझता हूं कि कितनी ही पारदर्शिता की बात करे, यह सारी की सारी यह सिद्ध करती है....

श्री सभापति : अब आप तो राठौड़ साहब, समाप्त करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसके अलावा, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। सभापति महोदय, इसी सदन में एक मामला उठा था और मामला था राव राजेश्वर सिंह की जमीन को लेकर जो सोडाला में है, 60 करोड़ की 20 बीघा जमीन, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, इस सदन के अंदर लाडनू से आने वाले माननीय सदस्य ने जब यह मामला उठाया तो लम्बे डिस्कशन के बाद एक कमीशन बना था जिसको दवे कमीशन कहते हैं। इस कमीशन की रिपोर्ट वो मैं आपकी आज्ञा से टेबल करना चाहता हूं। इसके अंदर यह लिखा गया कि, सारी की सारी, पूरी डिटेल में जाऊंगा कि कब धारा (4) में नोटिस जारी हुआ, कब धारा (6) में नोटिस जारी हुआ। जिस मामले में हाईकोर्ट ने यह कहा कि 1966 के बाद राव राजेश्वर सिंह ने जो बेचान किया, वह अवैध है और उस पर सारे डिस्कशन के बाद दवे कमीशन ने यह कहा कि इस तरह से जमीन की खुली लूट नहीं होनी चाहिए और इसके अंदर तीन अधिकारियों को सस्पैण्ड किया। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि उस जमीन का नियमन भी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इस सरकार ने कर दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि यह सरकार करना क्या चाहती है। आज राजस्थान के किसी कोने में चले जायें, राजस्थान के अंदर आज मंदिर माफी की जमीन सुरक्षित नहीं। कोटा के अंदर जो कुछ हो रहा है, वह आपके सामने है। आज ऐसी कोई जगह नहीं, आज षड़यंत्रपूर्वक यह सरकार पूरी की पूरी सरकारी जमीन को लूटने का काम कर रही है इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय पारदर्शिता और संवेदनशीलता की बात बहुत कर ली, बहुत थोथे नारे हो गये, सबको मालूम है कि प्रतिमाह आपको दिल्ली के अंदर +++ खुश करने के लिए +++ के अंदर एक-दो नहीं, आपको प्रतिमाह पांच करोड़ रुपये देने पड़ते हैं और पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था आप इस राजस्थान की जमीन को बेच कर कर रहे हैं। मैं समझता हूं, अब वह कलई खुल गई है...(व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : माननीय सभापति महोदय, ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप को सदन की कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय सभापति महोदय, आप अनर्गल बोल रहे हैं, इसको एक्सपंज किया जाना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब, कंक्लूड करिये आप। माननीय शांति धारीवाल जी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ज्यादा तो नहीं, मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि या तो आप यह साबित कर दें, जो आरोप लगाये हैं अभी, आपने कोटा के अंदर मंदिर माफी की जमीन के बारे में, या तो आप इस्तीफा लिख दो या मैं इस्तीफा लिख देता हूं। या आप कागज पेश कर दो, मैं कागज पेश कर देता हूं। आपको मालूम नहीं है, आप दवे कमीशन की बात कर रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : इधर करो चैलेंज धारीवाल जी, हम चैलेंज कर रहे हैं इधर। आपने सारे के सारे राजस्थान को लूट लिया, सारे राजस्थान को लूटकर खा गये आप। जानेड़ा में 200 बीघा जमीन...(व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : यह बात आप किस आधार पर कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : सभापति महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर अण्डर रूल 273, माननीय सभापति महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य विद्वान हैं और धीरे-धीरे काफी अनुभव भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जिस गैर जिम्मेदार ढंग से वे यहां पर आरोप लगाते हैं, यह इनको शोभा नहीं देता है और आप तो इस सदन के अंदर भी कई बार, अभी इस लालकोठी वाले प्रकरण के अंदर आपने कई बार आरोप लगाये....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने नहीं लगाये।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपने कई बार आरोप लगाये हैं। जिनके ऊपर आप आरोप लगाते हैं, वे कभी आपके अच्छे मित्र हुआ करते थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उससे क्या होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : इससे, इसलिए कि पहले आपके पर्सनल बेंडेटा थे, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप जिस दिन खराब होती है, उस दिन से पर्सनल रिलेशनशिप आपकी जिस दिन....

श्री मदन दिलावर : उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे मित्र हैं या आपके मित्र हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है। जो गड़बड़ करता है, वह गड़बड़ होगा। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : क्योंकि उन्होंने जब...

श्री धर्मपाल चौधरी : किसी का कोई भी बेटा कोई कसूर करता है तो उसका बाप.... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : वह कसूर की बात नहीं है। आप अपने पर्सनल बेंडेटा, अपनी पर्सनल नाराजगी, पर्सनल रिलेशनशिप, आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी को यहां पर मत लेकर आइये... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने किसी व्यक्ति का नाम लेकर नहीं कहा है। मैंने किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाया है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : यह हाउस आपके व्यक्तिगत रिलेशन को सैटल करने के लिए नहीं है। माननीय राठौड़ साहब, आपने जिसके ऊपर भी आरोप पहले भी लगाये थे और आज भी आपने परोक्ष रूप से आरोप लगाया है, उन्होंने लाखों रुपये आपके पुत्र को शिक्षा देने के लिए, आपके पुत्र को इंग्लैण्ड में पढ़ाई करने के लिए लाखों रुपये आपको दिये थे लेकिन जब आप पैसा चुका नहीं पाये तो अब आपको नाराजगी हो रही है उनसे...

श्री धर्मपाल चौधरी : आपको पता है क्या, आपके पुत्र को दिये थे क्या...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ...कुल सात-आठ लाख रुपये इनके पुत्र को शिक्षा देने के लिए इंग्लैण्ड के अंदर भेजे हुए हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप उनके वकील हो क्या ?

श्री मदन दिलावर : मेरा बेटा तो विदेश नहीं गया। क्या-क्या आरोप है उनके ऊपर, मैं बताता हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ऐसे आपको व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहिए। आप +++ को पांच करोड़ रुपये देने की बात को तो छोड़िये,

---

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

पहले आप अपने दामन को साफ कर लीजिये, तब तो मिनिस्टर थे, तब आप मिनिस्टर थे, तब आपने एग्रीमेंट किया है और उन्हीं के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, आप जब बिगड़ गई उनसे इसलिए...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : अब आपसे मिलीभगत हो गई क्या उनकी?

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, आप अनुमति दे दें मुझे, मैं सबकी कलई खोल दूंगा।

श्री सभापति : माननीय धारीवाल जी। माननीय दिलावर जी बैठिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : सभापति महोदय, मेरे पास वह एग्रीमेंट है। जो माननीय राठौड़ साहब ने, इनके जो भू-माफिया हैं, जिनको ये भू-माफिया कहते हैं, उनके ऊपर जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाये हैं, उनके साथ क्या एग्रीमेंट किया है इन्होंने, वह मेरे पास है।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपका एग्रीमेंट हो गया, आपका एग्रीमेंट हो गया क्या उनसे।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : कल तक तो ये भू-माफिया नहीं कहते थे। कुछ वर्षों पहले उन्हीं भू-माफियाओं से इनकी दोस्ती थी और आज वह भू-माफिया क्योंकि इनको सेटिस्फाई नहीं करते, आज वह भू-माफिया इनको संतुष्ट नहीं करते, (व्यवधान) आज वह भू-माफिया इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते, इस कारण से आज वह इनके लिए भू-माफिया हो गये और कल वह इनके लिए मित्र थे।

श्री धर्मपाल चौधरी : कितने पैसे लिये बोलने के लिए?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : जो इनके परिवार को चलाने के लिए लाखों रुपये देते थे...

श्री धर्मपाल चौधरी : किसी का कोई परिवार नहीं चलाता।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : नहीं तो सभापति महोदय, अगर आप चाहे तो राठौड़ साहब का जो एग्रीमेंट है, भू-माफियाओं के साथ में, वह टेबल करना चाहूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप रखिये ना, रखिये टेबल पर। रखिये रखिये, टेबल पर रखिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : रखिये ना टेबल पर।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मैं इसको टेबल पर रखने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : काहे का एग्रीमेंट है, क्या टेबल कर रहे हैं। इंडेम्निटी बांड है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : काहे का एग्रीमेंट है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इनके लोगों के दस्तखत हैं। इनके दस्तखत हैं इंडेम्निटी बांड

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

पर जो भीमसेन गर्ग से आपने लिया था। (व्यवधान) आपके लड़के को लंदन में पढ़ाने के लिए और वह पैसा नहीं दिया आपने, उसने मांगा इसलिए नाराजगी है उससे, भू-माफियाओं से तो आप मिले हुए हैं। आप एजेंट हो भू-माफिया के। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप इधर बात करो भ्रष्टाचार के मसीहा। आप इधर बात करो इधर। आप तो इधर बात करो, कितना लूटा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री शांति धारीवाल जी, यह क्या बात है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : यह उस भू की बात कर रहे हैं जिन्होंने पूरी +++ हुई है और पांच करोड़ रुपये...(व्यवधान)

श्री सभापति : पढ़िये आप। आप टेबल करने से पहले पढ़िये। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : पांच करोड़ रुपये उस भू-माफिया ने चुनाव के लिए दिये थे, +++ पांच करोड़ रुपये चुनाव के लिए दिये थे।

श्री सभापति : आप अपनी जगह पर जाकर पढ़िये। (व्यवधान) आप अपनी जगह पर जाकर पढ़िये।

श्री धर्मपाल चौधरी : कितने कांग्रेस के मेम्बर हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : धारीवाल जी, मेरे से बात करो मेरे से।

श्री धर्मपाल चौधरी : जो जो उससे पैसा लेता है, वह खड़ा होता है यहां पर। उस भू-माफिया से जो जो पैसा लेता है, वह खड़ा होता है यहां पर। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य बैठिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं सभापति महोदय, ऐसे कैसे बैठ जायें?

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री जनार्दन गहलोत : सभापति महोदय, आप आसन पर विराजमान हैं, जो माननीय सदस्य ने कहा, भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा...

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आप अपने दामन को साफ रखिये। जिनके घर शीशे के बने हुए होते हैं, वह दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते। जिनके घर शीशे के बने हुए हैं....(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापति महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर।

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : यह देखिये, क्या इन्होंने इस एग्रीमेंट में, इंडेम्निटी बांड पर दस्तखत किये हैं या नहीं? क्या इन्होंने सात लाख रुपये लिये कि नहीं लिये? (व्यवधान) ये 1997 के अंदर इन्होंने जब यह जमीन खरीदी गई थी, यह जमीन 1997 में खरीदी गई थी और 1998 में ये सरकार के अंदर थे, ये 1998 में एज मिनिस्टर इन्होंने कांट्रेक्ट किया है भू-माफियाओं के साथ में लिखित के अंदर, ऐसा कभी भी इतिहास में, 55 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : शर्म आनी चाहिए आपको।

श्री सभापति : काबरा साहब, आप विराजिये। हफीज साहब, विराजिये, एक मिनट विराजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : पाइंट ऑफ आर्डर सर। पाइंट ऑफ आर्डर, सर।

श्री सभापति : अपने सदस्यों को पहले बैठाइये एक बार।

श्री जुगल काबरा : ऐसे एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, आप इस बात की ताईद कीजिये कि एग्रीमेंट किया गया है या नहीं? आप यह बताइये कि एग्रीमेंट हुआ है या नहीं? आप स्थिति स्पष्ट कीजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : पहले पाइंट ऑफ आर्डर तो मेरा पेंडिंग है। उस पाइंट ऑफ आर्डर का तो डिस्पोजल ही नहीं हुआ है।

श्री जुगल काबरा : आप इस बात को क्यों छिपा रहे हैं सदन से, सदन के सामने स्थिति स्पष्ट कीजिये। एग्रीमेंट आपके द्वारा किया गया है या नहीं? सदन को यह मालूम होना चाहिए कि यह एग्रीमेंट किया गया है या नहीं किया गया है। अगर किया गया है तो किस बहाने किया गया है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : पहले मेरा पाइंट ऑफ आर्डर पैंडिंग है अण्डर रूल 273. उस पाइंट ऑफ आर्डर का कुछ नहीं किया गया है, सभापति महोदय, मेरे पाइंट ऑफ आर्डर को डिस्पोजल कीजिये अण्डर रूल 273. इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि बिना नोटिस दिये हुए कोई डेरोगेटरी बात नहीं की जा सकती, डिफेमेटरी बात नहीं की जा सकती...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह कागज है, यह कागज रहा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कागज को दिखाइये तो सही।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह कैसे जायेगा कागज, हाउस में पढ़कर सुनाऊंगा। मैं पूरा पढ़कर सुनाऊंगा, फिर टेबल करूंगा। पहले पूरा पढ़कर सुनाऊंगा, फिर उसके बाद टेबल करूंगा। पढ़कर सुनाऊंगा पूरा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : टेबल पर रखने के बाद उठाइये नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पढ़कर सुनाओ ना। हां, सुनाओ ना पढ़कर।

श्री मदन दिलावर : भ्रष्टाचारियों, सबको खा गये, गौशाला की जमीन खा गये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ए.सी.डी. पकड़ने वाली है, दिलावर जी।

श्री सभापति : माननीय सुराना साहब, एक मिनट विराजिये। माननीय राठौड़ साहब, एक मिनट विराजिये। माननीय दिलावर साहब, विराजिये।

श्री मदन दिलावर : अपने पास छिपाने के लिए क्या-क्या कर रहे हैं आप लोग।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : सभापति महोदय, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर था 273 के अंदर, बिना नोटिस दिये हुए कोई डेरोगेटरी या डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता है। सभापति महोदय को नोटिस देना जरूरी है, नोटिस मंत्री को देना जरूरी है और साथ ही साथ इस हाउस में जो नहीं हैं, उनके लिए ऐसे कोई स्पेसिफिक इंडीकेशंस पास नहीं किये जा सकते, फिर दिल्ली के अंदर पांच करोड़ रुपये देने की, +++ देने की बात क्यों की। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : कोई आरोप नहीं लगाया गया है। रूल 273 में मंत्री के खिलाफ आरोप लगाने से पहले, ...कोई नोटिस देना जरूरी नहीं है, आप खुद पढ़ें 273... (व्यवधान)

श्री सभापति : पहले आप आसन को व्यवस्था करने दीजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : दिल्ली में पांच करोड़ रुपये देने की बात कही गई, वह सरासर डेरोगेटरी बात है उसके लिए 273 में इसका डिस्पोजल कीजिये। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : इसको निकाला जाये सदन की कार्यवाही से।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय सभापति महोदय, यह जो आरोप है वह किसी मंत्री के खिलाफ नहीं है और जो मंत्री के खिलाफ नहीं है तो 273 का प्रश्न ही नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सुराना साहब, इन्होंने जो पाइंट ऑफ आर्डर उठाया है, उसके बारे में व्यवस्था करने दीजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप 273 को पढ़ने का काम करें।

श्री सभापति : माननीय काबरा साहब, विराजिये। (व्यवधान) श्रवण कुमार जी, आप विराजिये।

श्री श्रवण कुमार: .....कार्यवाही से हटाया जाये इसको। (व्यवधान) कार्यवाही से हटाया जाये।

श्री सभापति : आप विराजिये। विराजिये एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मेरे ऊपर माननीय सदस्य ने कुछ आरोप लगाये हैं।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : आपने जो पाइंट ऑफ आर्डर उठाया है, उस पर अपनी व्यवस्था देने दीजिये, फिर आपको मौका दूंगा। माननीय धर्मपाल जी बैठिये। भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 273 का हवाला देते हुए यहां पर एक पाइंट ऑफ आर्डर रेज किया है। उसमें यह बात सही है, प्रावधान यह है कि किसी भी व्यक्ति पर बिना पूर्व सूचना दिये आप आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने अरोप किस पर लगाये हैं?

श्री सी.पी. जोशी : कांग्रेस के ऊपर लगाया है। (व्यवधान) पूरी पार्टी पर लगाया है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के ऊपर इन्होंने एस पर्सन कास्ट किये हैं। Defamatory. It is not necessary. देखिये, आपको- You should go into the substance. You should not go into the words, you should go into the substance. सब्सटेंस क्या कहता है, आरोप लगाया गया है। What does it mean? What does it mean? इसका मतलब क्या है?

श्री राजेन्द्र चौधरी : स्पष्ट रूप से इन्होंने कांग्रेस पार्टी को पैसा देने के ऊपर आरोप लगाया है। स्पष्ट रूप से लगाया है।

श्री सभापति : विराजिये। उसको कार्यवाही से एक्सपंज करते हैं। जो बात कही है उसको कार्यवाही से एक्सपंज करते हैं। अब माननीय राठौड़ साहब, आप कहिये, क्या कहना है। (व्यवधान) नहीं, पहले माननीय शांति धारीवालजी, आप क्या कह रहे थे। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : कार्यवाही से कैसे निकाला जा सकता है, फिर तो हम भी जो बोलेंगे उसको कार्यवाही से निकाल देंगे।

(16.32 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजेन्द्र चौधरी : जो गलत आप बोलोगे तो निकालेंगे ही।

श्री सांवर लाल : नहीं, गलत क्या बोल रहे हैं, कोई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। (व्यवधान) क्या बोले हैं यह, ऐसी कोई बात नहीं बोली जो असंसदीय हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मेरी बात समाप्त नहीं की है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। एक मिनट बैठिये आप। आप विराजिए प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन के अंदर मेरे को इंगित करके एक कागज टेबल करने की बात यहां की, मैं भी कहूंगा तो सही अपनी बात...

श्री सांवर लाल : फिर तो हमारे बोलने की स्वतंत्रता खतम कर दो कि बोलोगे ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक मिनट विराजिए। माननीय सदस्य, आप इस डिबेट को चलने देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूं। विराजिए, एक मिनट।

श्री सांवर लाल : नहीं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है चलाने की।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, यह कोई तरीका नहीं है, आप बोलो, आप अनर्गल आरोप लगाओ, उसका जवाब नहीं सुनना चाहो, उधर से बोले आप सुनना नहीं चाहो, इधर से बोले आप सुनना नहीं चाहो, ऐसे कैसे डिबेट चले, आप कोई सब्सटेंसिव बात करो न।

श्री सांवर लाल : नहीं, क्या आरोप लगाया है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कह दिया पांच करोड़ रुपये सरकार खा गई, क्या खा गई, ऐसे क्या बात करते हैं, मतलब अपन इस सर्वोच्च हाउस में बैठे हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आप रिकार्ड उठाकर देख लें, यह माननीय सदस्य बिना कारण से उत्तेजित हो रहे हैं, मैंने किसी भीमसेन गर्ग पर कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने जो कुछ कहा, तथ्यों के आधार पर कहा और.... (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : आपने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपने कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाया है इसलिए हम भी आपके ऊपर लगायेंगे।

श्री शांति कुमार धारीवाल : अब डर गये ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपने कांग्रेस पार्टी पर लगाया है तो हम भी आपके ऊपर लगायेंगे, क्यों नहीं लगायेंगे। आपने क्यों कर कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है...

श्री सी.पी. जोशी : +++ पांच करोड़ खा गई, यह कहा है...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : पहले अपने दामन को साफ कीजिये...(व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : फिर यह क्या है, यह क्या है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : I stand by it. (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : यह पांच करोड़ तो यह क्या है, यह पांच करोड़ तो यह क्या है। यह मंत्री की हैसियत से साइन हैं आपके....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री जनार्दन गहलोत : यह अनर्गल आरोप कैसे सहन करेंगे।

डा. सी.पी. जोशी : इसका क्या है, इसका जवाब भी दो न आप, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, इसका जवाब भी दीजिये न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या जवाब दूं मैं इसका।

श्री मदन दिलावर : आपने राजस्थान को लूटा है....(व्यवधान) सारे खा गये।

डा. सी.पी. जोशी : हां, दीजिये न आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। माननीय मंत्रीजी। एक मिनट, बैठिये। (व्यवधान) आप विराजिये एक मिनट। आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, एक कागज बार–बार यह दिखा रहे हैं और यह कह रहे हैं मैंने उस पर दस्तखत किये।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं I will not allow you. आप एक मिनट विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा लड़का इंग्लैण्ड गया था....

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए प्लीज, आप विराजें न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो गुनाह क्या किया उसने? क्या मेरा लड़का होना गुनाह है?

श्री उपाध्यक्ष : कोई पाप नहीं है, आप विराजें। आप विराजिए ना। माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा लड़का कार्डिक यूनिवर्सिटी में गया, मेयो कालेज में गोल्ड मैडलिस्ट था इसलिए गया।

श्री शांति कुमार धारीवाल : पैसा किस से लिया, खर्चा किसने दिया।

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एलीगेशन लगा रहे हैं, यह उचित है क्या।

श्री शांति कुमार धारीवाल : पैसा किस से लिया? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : यह एग्रीमेंट कर रखा है, कोई +++ की पराकाष्ठा है, यह एग्रीमेंट कर रखा है आपने। यह एग्रीमेंट की कापी है, खुद के साइन हैं आपके। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : देना। देना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : दस हजार पाउंड का यह देखिये, फोटो कापी है।

डा. सी. पी. जोशी : दस हजार पाउंड का एग्रीमेंट है...

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लक्ष्मण सिंहजी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : दस हजार पाउंड आपने किससे लिये हैं, किससे लिये हैं, पांच लाख रुपये किससे लिये हैं आपने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन कानून में बंधा हुआ है ऐसे ही बोल देते हैं क्या चाहे जिसके खिलाफ में बोल देना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जब कलई खुलती है तब इस तरह की बातें करते हैं ये। जब कलई खुलती है तब इस तरह की बातें करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए प्लीज।

श्री श्रवण कुमार : अब आपको तकलीफ हुई ना।

श्री धर्मपाल चौधरी : कितने पैसे दिये आपको यहां बोलने के लिए....

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : यह देख लीजिये, आप देख लीजिये, यह आप देख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धर्मपालजी। माननीय धर्मपालजी।

श्री धर्मपाल चौधरी : अब आपको यह कहने के लिए...

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : यह आप देख लीजिये, कितने पैसे दिये हैं। कितने पैसे दिये हैं।

श्री श्रवण कुमार : आप बोलो ना, आपको कितने रुपये दिये। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं अब पढ़ूंगा इसे।

श्री धर्मपाल चौधरी : पैसे लेकर आप भू माफिया को जो सपोर्ट कर रहे हैं...

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, बात सामने आ जायेगी। बात सामने आ जायेगी, क्या तकलीफ है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसा बोलेंगे तो यह सुनना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा आपको, यह सुनना पड़ेगा। वह हमको सब मालूम है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं इसे पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा यह साहब।

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है पांच करोड़ रुपये जो दिये...

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपकी किताब मत खुलवाइये, नहीं तो आपकी किताब भी खोल देंगे।

श्री धर्मपाल चौधरी : मेरी किताब खोल देना, बहुत किताब देख रखी हैं मैंने, खोल देना किताब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धर्मपालजी।

एक माननीय सदस्यः आपकी किताब भी खुल जायेगी।

श्री धर्मपाल चौधरी : हां, तो आप खोल देना किताब...

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : एक तो भू माफिया है, एक शराब माफिया है, सब मालूम है हमको। शराब माफियाओं की कहानी भी मालूम है।

श्री धर्मपाल चौधरी : +++

श्री मदन दिलावर : इधर इशारा क्यों कर रहे हो....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह राजस्थान की सरकार, आपकी गहलोत की सरकार ही ठेके देती है शराब के....(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : भू माफिया का नाम आते ही बड़ा जोश आ गया आपमें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आप विराजिए धर्मपालजी।

श्री धर्मपाल चौधरी : यहां पर पैसे खाकर के जो भू-माफिया से पैसे लेकर इस ढंग से बोलने लग रहे हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, आर्डर, आर्डर।

श्री मदन दिलावर : सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं...

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में चाहे जिस पर चाहे जो एलीगेशन लगा देते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : मननीय सदस्य, आप बैठिये, बैठिये प्लीज। आप बैठिये।

श्री श्रवण कुमार : यह क्या तरीका है। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, अगर आप इसको तरीके से चलाना चाहते हैं डिबेट को तो आई एम प्रिपेयर्ड, नहीं तो मैं डिमाण्ड पास कराता हूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी : बिलकुल ठीक है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप जचे जो करवा दो न साहब।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, आर्डर प्लीज। यदि आप कोई...

श्री जनार्दन गहलोत : आज साहब, वैसे ही मैच आने वाला है। वैसे भी मैच आने वाला है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, यदि आप कोई...

श्री शांति कुमार धारीवाल : साहब, यह तो मैं पढ़ूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें न एक मिनट।

श्री शांति कुमार धारीवाल : नहीं, यह तो मैं पढ़ूंगा साहब।

श्री उपाध्यक्ष : हां, पढ़ायेंगे ना तो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, पढ़ूंगा मैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कहां मना कर रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, यह नहीं होगा साहब कि मर्जी आये जो कह दे और हम कुछ कह नहीं पाये। नहीं, यह तो मैं पढ़कर मानूंगा, पूरा पढ़ूंगा साहब। पूरा पढ़ूंगा। नहीं, मैं पूरा पढ़ूंगा इसको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तो मैं पढ़ाऊंगा। आप बैठे तो सही।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपको मुझे इजाजत देनी पड़ेगी यह पढ़ने के लिए ...

श्री जुगल काबरा : बहुत जरूरी है पढ़ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, पढ़ो ना आप। आप पढ़ो यह। नहीं उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठे तो सही।

श्री जुगल काबरा : इस एग्रीमेंट को पढ़ने की इजाजत दीजिये, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, मेरी भी मांग है कि जिस कागज का यह बार-बार जिक्र कर रहे हैं उसको पढ़ने की अनुमति दी जाये, इन्हें दो न अनुमति। आप पढ़ो न।

श्री जुगल काबरा : पढ़ने की इजाजत दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : हां, देंगे, देंगे। आप बैठिये। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : धारीवाल साहब, पढ़िये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर, विराजिए एक मिनट। एक मिनट विराजिए आप।

श्री मानिक चन्द सुराना : पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए। पाइंट आफ आर्डर।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं विराजूंगा, फिर भी मैं खड़ा होऊंगा, पाइंट आफ आर्डर उठाऊंगा, यह मेरा अधिकार भी है।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर, आसन पैरों पर।

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, आसन पैरों पर है, इसके बाद में बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, आप कोई व्यक्तिगत यदि आरोप लगायेंगे...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह व्यक्तिगत कहां है, व्यक्तिगत तो वो लगा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये, आप बात सुनिये पहले। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप कोई व्यक्तिगत आरोप लगायेंगे तो आपको फिर सुनना पड़ेगा। अच्छा है कि यह डिबेट अच्छी तरह चलाओ, कोई व्यक्तिगत आरोप मत लगाओ, जनरल बात करिये ना आप। What is the problem? आप कहते हो कि +++ ने पांच करोड़ रुपये खा गये, यह क्या बात हुई।

डा. सी.पी. जोशी : हां, दे रहे हैं, पांच दे रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मर्जी आये जो ही बोलते हैं साहब।

श्री उपाध्यक्ष : What is this? यह कोई एलीगेशन है क्या? आप कहोगे तो फिर जवाब आयेगा। ऐसा क्यों कहते हो, ऐसी बात क्यों करते हैं आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, जिस कागज का जिक्र कर रहे हैं उसको पढ़कर सुनायें।

श्री उपाध्यक्ष : हां-हां, सुनायेंगे। सुनायेंगे ना। आप तसल्ली रखो, विराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, पढूंगा मैं। विराज जाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, सुनाओ, सुनाओ।

श्री मानिक चन्द सुराना : पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, विराजें। आप बोलो, क्या बोल रहे हैं आप।

डा. सी.पी. जोशी : पढ़ने दो भई।

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धारीवालजी, पाइंट आफ आर्डर, आप विराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा एक एजराज है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर रेज किया है, आप विराजें ना।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने आपको कहा कि मैं यह पढ़ूंगा और परोक्ष-अपरोक्ष रूप से यह कहा गया कि भीमसेन गर्ग ने आपके बेटे को इंग्लैण्ड भेजा। मैं पूछना चाहूंगा कि यह आरोप जिसको वह सही मान लें और जिसमें यह लिखा हुआ होगा कि तीन साल बाद वह नौकरी करेगा उसकी, यह स्वायत्त शासन की बहस का मुद्दा है क्या? भीमसेन गर्ग ने क्या एग्रीमेंट किया राजेन्द्र राठौड़ से...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पांच करोड़ रुपये +++ दिये जा रहे हैं, यह स्वायत्त शासन मंत्री की बहस का मुद्दा है...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : बात पांच करोड़ से शुरू हुई है, बात पांच करोड़ से शुरू हुई है। जो आरोप लगाते हैं उनको आरोप सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जो आरोप लगाते हैं, आरोप सुनने के लिए भी उनको तैयार रहना चाहिए...

श्री मानिक चन्द सुराना : अगर कोई अनर्गल बात आये, चाहे जो मंत्री खड़ा हो जायेगा और आपको कहेगा कि मैं बोलूंगा, यह +++ की बात है। मंत्री को बोलने का कोई अधिकार रूल्स में नहीं है। He is not the minister in-charge.

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : जब इन्होंने लालकोठी की बात करी, हमने कोई आरोप नहीं लगाया लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो फिर हम भी आरोप लगायेंगे इनके ऊपर।

श्री मानिक चन्द सुराना : वह बहस में जो मुद्दे उठे हैं उसका यह तो जवाब दें और सरकार यह कहे कि हम ही इसका जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने पाइंट आफ आर्डर रेज कर दिया...

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, इन्होंने कौनसा आरोप लगाया है...(व्यवधान) इन्होंने किसी मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगाया है...

श्री सोहन नायक : अभी उत्तर प्रदेश में गठबंधन है इनका, मायावती...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये, सुनिये।

श्री श्रवण कुमार : मायावती के सदमे से जो पैसा खा गये...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : अब व्यवस्था के प्रश्न पर अपनी रूलिंग दें....(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके रक्षा मंत्री बी.जे.पी. के+++

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये। (व्यवधान) विराजिए प्लीज, आप विराजें।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सोहन नायक : इनके अध्यक्ष ने तो +++

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : +++ कोई पैसे नहीं खाता....

श्री सोहन नायक : शराब की बोतलों में एक लाख रुपये नकद...(व्यवधान) यह किस चरित्र की बात और किस नैतिकता की बात कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये ना। आप विराजें तो सही। हो गया बहुत।

श्री श्रवण कुमार : शहरों में जब कफन बेचने वाला पैसे नहीं खाता है....

श्री सोहन नायक : दिल्ली में हमारी पार्टी को बेचते हैं +++

श्री उपाध्यक्ष : विराजें ना।

श्री श्रवण कुमार : इनके तो दिल्ली के अंदर +++

श्री उपाध्यक्ष : देवीलालजी, विराजिए। बैठिये, बैठिये, आप बैठिये।

श्री श्रवण कुमार : आप देख रहे हैं साहब, दिल्ली में +++

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। माननीय सदस्य, जब माननीय सदस्य स्वयं कह रहे हैं कि उसको पढ़ो तो आपको क्या एतराज हो सकता है। What is the problem?

डा. सी.पी. जोशी : हां, पढ़ने दो उसको। ठीक है।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह ऐतराज नहीं है। इसका कोई ताल्लुक स्वायत्त शासन विभाग की डिमांड से है क्या, यह स्वायत्त शासन की डिमांड है या कोई राजेन्द्र राठौड़ और शांति धारीवालजी का ड्यूअल है, क्या है यह।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उसका ताल्लुक है, आरोप लगाने वाले से ताल्लुक है इसका।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मानिक चन्द सुराना : भीम से आने वाले माननीय सदस्य, 273 की परिधि में कोई आरोप नहीं लगाया...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : इंडायरेक्टली, सुराना साहब, इंडायरेक्टली आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है इन्होंने।

श्री मानिक चन्द सुराना : कोई आरोप नहीं लगाया है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आरोप लगाया है, What does it mean? आरोप लगाने का मतलब यही नहीं है कि यह कहना, इंडाइरेक्टली यह कहना कि आप चोर हैं, सिर्फ यही आरोप नहीं होता है। इंडायरेक्ट वे के अंदर भी आरोप होता है। इसका क्या मतलब है, पांच करोड़ रुपये +++ को भेजते हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : किसी मंत्री पर आरोप नहीं है, मंत्री पर आरोप नहीं है... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : भीमसेन गर्ग ने आपको भी पैसे दिये हैं इस कागज को लाने के लिए यहां पर ...

श्री मानिक चन्द सुराना : पांच करोड़ के आरोप पर दस हजार पाउंड उधार लिये और उसका बेटा नौकरी करेगा तीन साल, यह आरोप, यह एग्रीमेंट है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुराना साहब, विराजिए।

डा. सी.पी. जोशी : यह आरोप नहीं है...

श्री मानिक चन्द सुराना : और यह उसका जवाब है...

श्री धर्मपाल चौधरी : एक भीमसेन गर्ग ने कागज दे दिया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धर्मपालजी, आप बैठिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : भीमसेन गर्ग से पैसा खाकर माननीय सदस्य यहां पर कागज लेकर आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : हां, सात लाख रुपये खाये हैं इन्होंने।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप पढ़ने दीजिये उनको।

श्री धर्मपाल चौधरी : भीमसेन गर्ग से पैसे लेकर और इनको पहले ही पता लग गया था कि कागज लेकर आये हैं यह।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए प्लीज। आप बैठिये। (व्यवधान) उनको पढ़ने दीजिये। आप बोल लेना बाद में। पहले उनको...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक एम्पलायर और एम्पलाई का क्या बीच में है, वह है, मुझे तो जो ध्यान में है, आप पढ़ दो इसे, क्या है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं बोल दूंगा अभी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक एम्पलायर और एक एम्पलाई के बीच में एग्रीमेंट है वह एग्रीमेंट में क्या गलती है।

श्री उपाध्यक्ष : आप पढ़ने दीजिये उनको। Let him read it.

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये मिसकोट कर रहे हैं। ये जिस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं वो एम्प्लायर और एम्प्लाई के बीच में एग्रीमेंट है, इसमें क्या है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जो एग्रीमेंट है एक नौकरी देने वाले और नौकरी करने वाले के बीच में एग्रीमेंट है। क्या है, कर सकते हैं हमको अगर पैसे की जरूरत है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वो जाएगा ट्रेनिंग करके आएगा वापस...(व्यवधान)...

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : नहीं, आप मानते तो हैं? है तो एग्रीमेंट भीमसेन गर्ग से? एग्रीमेंट भीमसेन गर्ग से है या नहीं है, यह बताइये, उसके बाद में हम आगे की बात शुरू करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये प्लीज। आपने कहा कि उसको पढ़िये। इर्रिलेवेंट होगी तो समाप्त हो जाएगी बात। What is the problem? Let it be there.

श्री धर्मपाल चौधरी : आपको भीमसेन ने कितने पैसे लेकर दिये हैं कागज ये?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। आपने स्वयं ने कहा कि उसको पढ़िये।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपके पास भीमसेन का कागज कहां से आ गया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, पढ़िये न।

श्री उपाध्यक्ष : तो पढ़ने दो न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे को एतराज कहां है।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप तो यह बताये कि आपके पास भीमसेन का कागज कहां से आ गया?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धारीवाल जी।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप पहले से ही फोटो स्टेट कराकर कहां से ले आये, इसको कहां से लाये साहब आप? इतना सा बता दो ईमानदारी से इस सदन को।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : ईमानदारी से बताओ धारीवाल जी, ये कितने पैसों में लेकर आये आप? ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : कहां से मिले साहब ये आपको?

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : ...(व्यवधान)... इस बात के कितने पैसे लिये आपने।

श्री धर्मपाल चौधरी : कितने पैसे लिये, बताओ आप।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये प्लीज आप।

श्री धर्मपाल चौधरी : ...भीमसेन गर्ग ने आपको...(व्यवधान) बोलो आप।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : करोड़ों में है कि लाखों में है, यह तो बता दो आप।

श्री मानिक चन्द सुराना : हम ऐसे बैठने वाले नहीं हैं। क्या उन्होंने कोई नोटिस दिया राजेन्द्र जी राठौड़ को?

श्री उपाध्यक्ष : किसने कहा कि पढ़ो?

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : पैसे करोड़ों में लिये कि लाखों? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नोटिस की जरूरत नहीं है। राजेन्द्र जी राठौड़ ने स्वयं ने कहा कि इसको पढ़ो इसलिए पढ़ रहे हैं वे तो।

श्री मानिक चन्द सुराना : राजेन्द्र राठौड़ की स्वीकृति कोई नियमों को सुपरसीड नहीं करेगी, नियमों के ऊपर नहीं जा सकते... (व्यवधान)...

श्री धर्मपाल चौधरी : ...(व्यवधान).... नियमों से बड़े नहीं हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप हाउस को नियमों से चलावें। नियमों को सुपरसीड करके न चलावें।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनने की क्षमता रखिये। बोलेंगे फिर तो दूसरे का सुनो। माननीय धारीवाल जी, बोलिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : हाउस के नियमों से हाउस को चलावें। हाउस के नियमों को सुपरसीड नहीं करें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर की विश्वास संस्था के बाबत जो बात आपने उठायी माननीय...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उसको पढ़िये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक मिनट में...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक मिनट नहीं। आपने गुमराह कर दिया एक एम्प्लाइज ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : धारीवाल जी। धारीवाल जी साहब।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : आपकी असत्य बोलने की आदत है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पढ़ो तो सही इसको।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट कटारिया साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह पढ़कर स्पष्ट करें ...(व्यवधान)...

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं–नहीं, पहले पढ़ो इसको।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पढ़कर सुनाऊंगा जभी तो करेंगे आप।

श्री मानिक चन्द सुराना : पहले पढ़िये इसको।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां तो मुझे पढ़ने तो दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं पढ़ाता हूं। आप विराजिये न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एम्प्लाई और एम्प्लायर के बीच में कांट्रेक्ट है। यह कांट्रेक्ट है इस कांट्रेक्ट में कहां तकलीफ है। मैं कर सकता हूं कांट्रेक्ट तो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुझे पढ़ने तो दीजिये। मुझे पढ़ने तो दीजिये, साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बोलने दीजिये न साहब इनको।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ा रहा हूं। आप रुको तो सही तो पढ़ाऊं, नहीं किसको पढ़ाऊं? माननीय धारीवाल जी साहब, पहले उसको पढ़ दीजिये आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पढ़ दो हां क्या है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह पहले दो लाइन हैं, साहब। यह विश्वास वाला खतम हो जाता...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहले उसको पढ़ो।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं आप पहले उसको पढ़ दीजिये न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या चीज है इसमें?

श्री धर्मपाल चौधरी : क्या है इसमें?...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री शांति कुमार धारीवाल : "INDEMNITY BOND. This bond of indemnity executed at Jaipur this 5th day of September, 1998.... " सबसे मुख्य बात तो 1998...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां–हां ठीक है। आगे चलो आप।

डा. सी.पी. जोशी : ये मंत्री थे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जब आप बिस्तर बांधकर रवाना हो ही गये थे।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : नहीं, नहीं हुए थे। मिनिस्टर थे ये।

डा. सी.पी. जोशी : नहीं हुए थे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : होने वाले थे और मिनिस्टर थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धारीवाल जी साहब, इधर देख कर पढ़िये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, मैं पढ़ कर सुना रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां पढ़ो आप। उधर मत देखो, इधर देखो आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं पढूं तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : हां, पढ़ो-पढ़ो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : "....... between M/s GARMENT CRAFT, having its office at F-46, MALVIYA INDUSTRIAL AREA, JAIPUR hereinafter called the EMPLOYER. .... AND .... MR. PARAKRAM SINGH son of Sh. Rajendra Singh Rathore, aged 17 years, residing at B-2, Bhagat Singh Marg, C-Scheme, ..." जो मंत्री महोदय का उस वक्त बंगला हुआ करता था... (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां ठीक है।

श्री सांवर लाल : ...(व्यवधान) इसकी जरूरत क्या है साहब? (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप। विराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : "..... hereinafter called the EMPLOYEE."

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एम्प्लायी यह है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : देखिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह एम्प्लायी और एम्प्लायर के बीच में एग्रीमेंट है और ऐसे कूद रहे हैं जाने क्या हो गया ...(व्यवधान)...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मुझे पढ़ तो लेने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना भी नहीं चाहते। पढ़ने दो उनको।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है उसके पीछे सिर्फ इतनी सी बात है कि भीमसेन गर्ग जिसको आप राजस्थान का सबसे बड़ा भूमाफिया मानते हैं उसके आपसे कैसे ताल्लुकात थे उसने क्या-क्या किया आपके लड़के की पढ़ाई के लिए यह है ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : थे ताल्लुकात। (व्यवधान)... इसमें क्या हुआ? (व्यवधान) ...

श्री धर्मपाल चौधरी : भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने +++

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...(व्यवधान)... ताल्लुकात करने वाले आदमी को लाइसेंस मिल गया कि वो कुछ भी करे....(व्यवधान)... वो बताओ न। (व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब आप विराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : जब उन्होंने पैसे आपसे वापस मांगे तो उसके बाद सम्बन्ध आपके बिगड़ गये। जब पैसे वापस मांगे तो सम्बन्ध बिगड़ गये आपके।

श्री मदन दिलावर : भीमसेन गर्ग भू माफिया है कि नहीं है?

श्री धर्मपाल चौधरी : आप भूमाफिया से पैसे खाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये प्लीज।

श्री मदन दिलावर : वो भूमाफिया है कि नहीं है आप इसका समर्थन करते हो कि नहीं... (व्यवधान)....

श्री धर्मपाल चौधरी : भूमाफिया से पैसे खाकर भूमाफिया ने कागज दिया है।

श्री मदन दिलावर : भू माफिया के सरगना हो धारीवाल जी, आप भू माफिया के सरगना हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने यहां तक किया कि 18 साल पर एम्प्लायमेंट मिलता है, 17 साल के लड़के को एम्प्लायमेंट दिलवा दिया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये प्लीज। धारीवाल जी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको पढ़िये। डोंट आर्ग्यु। प्लीज आप इसको पढ़ दीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं पढ़ ही रहा हूं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : हां, पढ़ो आप। पढ़ो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं पढ़ने के अलावा एक शब्द नहीं बोल रहा हूं, साहब।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : और उसमें है ही नहीं कुछ ...(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है तो बंद हो जाएगा। पढ़ने दो न उसमें क्या है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : "WHEREAS the Employee is working with the Employer since April, 1998 as an Executive Trainee. Whereas the Employer is engaged in the business of manufacturing and exporting garments. Whereas the Employer desires to send the Employee for further

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

studies to the CARDIFF UNIVERSITY, U.K. New this bond of Indemnity witnessth as under :-

(A) That the Employer agrees to bear the cost of education of the Employee in CARDIFF UNIVERSITY, U.K. for a period of three years....."

लन्दन में पढ़ाई का खर्चा आंक लें, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : वो सब अंग्रेजी समझते हैं आप तो पढ़ जाइये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ".....That the Employer will reimburse the tution fee, cost of books and boarding and lodging expenses of the Employee." सारा खर्चा मुफ्त में।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : साल का 7 लाख रुपये।

श्री शांति कुमार धारीवाल : "(B) That the travelling expenses to U.K. and back will be borne by the Employee.

"(C) That the Employee will take studies in the field of Business Management and Economics." ऊंची पढ़ाई।

"(D) That the Employee agrees to devote himself for studie in such a manner so as to prove an asset for the Employer on his return.

(E) That the Employee undertakes to serve the Employer after completion of his education for a minimum period of 3 years. The Employee will be placed in a suitable position in the organisation and will be paid suitable remuneration.

(F) That the Employee will be bound by way of this agreement to serve the Employer after completion of his education and will not leave the job.

(G) That the period of this education will be treated by the Employer as leave without salary.

(H) That, if the Employee leaves the service before completion of the period mentioned above, he will pay a sum of Rs. 20 Lacs, as compensation to the Employer.

(I) That, if the Employer fails to pay this amount, the Employer will have the right to legally proceed against the Employee for its recovery.

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

"In witness......" जिस पर ये आदरणीय चूरू से आने वाले माननीय सदस्य राजेन्द्र जी राठौड़ साहब के भी सिग्नेचर हैं...(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : हां तो क्या हो गया?

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप सुनिये। आप पूरा का पूरा कागज पढ़ने दीजिये मुझे अभी और भी कई कागज हैं।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : क्या है उसमें? क्या कागज हैं। क्या है पढ़ दो शायद कुछ मिल जाए आपको। लेकिन वो पांच करोड़ नहीं मिलेंगे इसमें।

श्री शांति कुमार धारीवाल : उसके बाद में यह भीमसेन गर्ग का एक एफीडेविट...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उससे क्या लेना देना है?

श्री शांति कुमार धारीवाल : "Bhim Sain Garg S/o Sh. Mohan Lal Agarwal resident B-98, Gyan Marg, Tilak Nagar, Jaipur....."

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इससे क्या मतलब है? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : सुनिये-सुनिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह कौन सा एग्रीमेंट है? कौन सा पढ़ रहे हैं ये? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनने का माद्दा रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...(व्यवधान)... यह जो...(व्यवधान)...बात थी सामने आ गयी। (व्यवधान)... जो एग्रीमेंट है वो सामने आ गया।

डा. सी.पी. जोशी : नहीं, इसका पार्ट है। यह इसका पार्ट है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : भीमसेन गर्ग का एफीडेविट।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह पांच करोड़ के एग्रीमेंट हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : और ये भीम से आने वाले माननीय सदस्य आये हैं बीस दिन में और बीस दिन में भीमसेन जी ने पैसा देकर भेज दिये कागज।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : xxx

श्री धर्मपाल चौधरी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज सुनने की क्षमता रखिये।

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री धर्मपाल चौधरी : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : xxx

श्री धर्मपाल चौधरी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : इनको पढ़ने दीजिये। माननीय धर्मपाल जी, आप विराजिये प्लीज।

श्री धर्मपाल चौधरी : xxx

श्री शांति कुमार धारीवाल : कहीं से भी आ गया आपको इससे क्या लेना-देना है कि कहां से आ गये कागज?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : xxx

श्री धर्मपाल चौधरी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धर्मपाल जी, प्लीज।

श्री शांति कुमार धारीवाल : "I, BHIM SAIN GARG S/o SH. MOHAN LAL AGARWAL RESIDENT OF B-98, GYAN MARG, TILAK NAGAR, JAIPUR DO HEREBY SOLEMNLY SWEAR AND DECLARE AS UNDER :-

1. That my citizenship/Nationality is Indian. My Passport Number is.......

2. That I am doing business in the name & style of M/s GARMENT CRAFT, JAIPUR since 1976 and my annual income is Rs. 2,37,71,000/- (Rupees Two Crores Thirty Seven Lacs Seventy One Thousand Only).

3. That my firm M/s GARMENT CRAFT, JAIPUR is sponsoring trainee Mr. PARAKRAM SINGH resident of B-2, Bhagat Singh Marg, C-Scheme, Jaipur who is undertaking Higher studies in Business Management & Economics at Cardiff University in U.K. for 3 years.

4. That I undertake to provide full financial support during his stay in U.K. including his Tution of 6500 Pounds per annum and living expenses of upto 4000 Pounds per annum...." यह वही भूमाफिया है जो पहले आपके पास चला करते थे, नाइत्तफाकी इस बात पर हो गई तो आपने उनका रीपेमेंट नहीं किया।

श्री धर्मपाल चौधरी : अब आप तो चला रहे हो ना उनको, यह मानते हो न कि उस भू माफिया को आप चला रहे हो।

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री जुगल काबरा : आप इसको भू माफिया मानते रहे हैं, आपके तो सम्बन्ध पुराने रहे हैं उनसे।

एक माननीय सदस्य : आप काबरा साहब बैठिए प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बहुत ही नम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि कई फर्में ऐसी होती हैं जो किसी न किसी टेलेंटेड लड़के को पढ़ने के लिए खर्चा देती हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मुझे विश्वास का जवाब देने दो। आप उस पर भी इनके विचार सुन लेना। पहले विश्वास संस्था का जवाब देने दीजिये आप। (व्यवधान) पहले यह नहीं, पहले वह बात थी, पहले मुझे इस बात का जवाब देने दीजिये। यह जरूरी नहीं होता कि प्रतिपक्ष के नेता चाहे जब खड़े हो जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धारीवाल साहब, मुझे बोलने दो ना, आप क्यों बोल रहे हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने यह फरमाया था कि पहले यह पढ़ दो। अब मैं यह पढ़ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता महोदय, क्वेश्चन यह नहीं है, क्वेश्चन यह है कि इन्होंने कहा कि इसको पढ़ो, इन्होंने पढ़ा, उसमें आउट ऑफ रेफरेंस कुछ पढ़ा हो तो आप बोल दो। If it is exactly the same, into then what is the argument? इन्होंने जो कुछ पढ़ा है उसमें तो कोई हिस ही नहीं है। नहीं, इस पर कोई आरग्यूमेंट नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, आरग्यूमेंट नहीं है, मैं यह कह रहा हूं कि कोई भी किसी के साथ रिटर्न एग्रीमेंट करता है और आने के बाद... (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह ड्राफ्ट भी है, ड्राफ्ट की फोटो कापीज है, यह भी है... (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : यह जो एग्रीमेंट करता है प्रतिपक्ष के नेता महोदय, वह तो ले दे कर ही करते हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : भू माफिया के एजेंट हैं यहां पर और हम जानते हैं कि कौन-कौन हैं वह।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एग्रीमेंट करना कोई गलत है, इस एग्रीमेंट में क्या ऐसी चीज है जिसमें आपको कोई संदेह होता है। आन रिकार्ड है, डाक्यूमेंट है, रिटर्न है, एग्रीमेंट है, एम्प्लाई और एम्प्लायर के बीच है और जिस कांट्रेक्ट के आधार पर....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, इसको न तो कोई गलत बताया है और न ही सही बता रहे हैं। वाट इज द इश्यू।

श्री शांति कुमार धारीवाल : सभी है लेकिन राजस्थान का सबसे बड़ा भू माफिया भीमसेन गर्ग क्यों है इसमें? सवाल इस बात का है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...(व्यवधान) सवाल यह नहीं है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : सवाल इस बात का है कि उसके ताल्लुकात अगर हैं तो किससे हैं, किससे हैं उसके ताल्लुकात। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : भू माफिया... (व्यवधान) उसके मामले हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आज तो इनके लिये भू माफिया हो गये और पांच साल पहले वह बिलकुल शरीफ थे जब इनके साथ मित्रता थी, जब 7 लाख रुपये इन्होंने लिये थे, उस वक्त वह बिलकुल ठीक थे।

श्री धर्मपाल चौधरी : अब तो आपने कर ली करंट में, ताजा माल तो आपने खा लिया, अब तो करंट लेकर आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धर्मपाल जी। एक मिनट आप सुनिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह एग्रीमेंट करना कोई गलत काम है क्या? आप बता दो, आसन से बता दो कि कोई एग्रीमेंट करना एम्पलाई और एम्प्लायर के बीच में गलत है क्या? आन रिकार्ड है, डाक्यूमेंट है फिर किस बात के लिये...(व्यवधान) क्या चीज छिपी हुई है।

डा. सी.पी. जोशी : एग्रीमेंट तीन साल के लिये था। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : कहां कहा कि गलत है, यह कहा ही नहीं कि गलत है। हम तो यह कह रहे हैं कि 7 लाख रुपये लिये थे। यह तो यह कह रहे हैं कि 7 लाख रुपये लड़के की पढ़ाई के लिये लिये थे, यह कहां कह रहे हैं कि गलत है।

डा. सी.पी. जोशी : तीन साल के लिये एग्रीमेंट है।

डा. के.सी. चौधरी : 17 साल का लड़का है, 17 साल के लड़के को आपने कर्मचारी कैसे बना दिया।

डा. सी.पी. जोशी : तीन साल के लिए एग्रीमेंट है, यह तीन साल कब होते हैं, 2001 में और इससे पहले इनके झगड़े हो गये थे, यह इश्यू बना, यह मामला है।

श्री जुगल काबरा : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने नाबालिग से एग्रीमेंट करवाया और अब कह रहे हैं कि वह नाबालिग था इसलिए पैसे नहीं देगा, इस बात का झगड़ा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, आप इसे गलत मानते हैं क्या? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कोई एग्रीमेंट

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपके और मेरे बीच में अगर हो सकता है तो एक एम्प्लाई और एम्प्लायर के बीच में अगर एग्रीमेंट है तो क्या गलत है, मैं यह जानना चाहता हूं।

डा. सी.पी. जोशी : एग्रीमेंट बिलकुल ठीक है, तीन साल के लिए खर्चा बियर करेगा, एग्रीमेंट का पार्ट है तीन साल के लिए खर्चा बियर करेगा। 1998 से 2001 तक, 2001 के बीच इनके झगड़े हो गये इसलिए यह आरोप लग रहा है, यह इसका इश्यू है और कोई इश्यू नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको क्लाज करो ना, क्यों ओपन करना चाहते हो, कोई इश्यू ही नहीं है। उन्होंने कह दिया एग्रीमेंट था, इसमें क्या है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं दो मिनट में ही खतम कर रहा हूं। मैं आपकी आज्ञा से बोलता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस एग्रीमेंट का जिक्र माननीय मंत्रीजी ने किया है वह एग्रीमेंट बिलकुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे लड़के को जो टेलेंटेड लड़का था उसके यहां नौकरी करता था, उसने ट्रेनिंग देने के लिए बाहर भेजा। अब सवाल यह है कि अगर किसी आदमी से यह करता है तो...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : 17 साल के लड़के को नौकरी पर कैसे लगा दिया। आपने खुद ने गैर कानूनी काम किया है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : 17 साल का लड़का नौकरी करने लग गया?

श्री हीरालाल विश्नोई : ...(व्यवधान) समझदार इसलिए था इसलिए वह एग्रीमेंट था, इसलिए नहीं कहा कि आपका लड़का बहुत होशियार था।

श्री उपाध्यक्ष : हीरालाल जी, आप विराजिए।

श्री हीरालाल विश्नोई : आप राजस्थान के मंत्री थे और आपने उनका सहयोग किया इसलिए था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब तो नहीं है ना, अब आप कर लो कार्यवाही। अब तो हम नहीं है, अब कर लो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : क्या कर लें, कर लेंगे हम तो...(व्यवधान) अब कर लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान को लूट लिया आपने।

श्री धर्मपाल चौधरी : ...(व्यवधान) सारी जमीन उसको दे दी पैसा खाकर, 7 करोड़ रुपया आपने गुजरात में चंदे में दिया।

श्री मदन दिलावर : कोटा की तो 50 करोड़ की जमीन खा गये, धारीवाल जी, इधर बात करो। पूरे भू माफिया आपसे मिलकर 50 करोड़ की जमीन खा गये।

श्री धर्मपाल चौधरी : ...(व्यवधान) जो यहां पर भू माफिया के कागज लेकर घूमते हैं ...

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह शराब माफिया जो बेकार की बाते करते हैं, अनर्गल बाते करते हैं इसको निकलवाइये, एक्सपंज करवाइये, यह शराब माफिया जो अनर्गल बाते कर रहे हैं इसको निकलवाइये। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : भीम से जो पैसा खाकर आये हैं, भीम से जो एम.एल.ए. हैं भीम गर्ग से पैसा खाकर आये हैं।

श्री मदन दिलावर : सारा राजस्थान खा गये। मेरे विधान सभा क्षेत्र की गौशाला खा गये यह लोग। डिस्ट्रिक्ट सेंटर खा गये, और किस किसको खायेंगे...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री धर्मपाल चौधरी : कांग्रेस से तो इस्तीफा देकर चले गये थे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, विश्वास संस्था के बाबत लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य सुराना साहब ने जो बात उठाई, विश्वास संस्था उन लोगों के द्वारा चलाई जाती है, जो कि या तो वर्किंग प्रोफेसर हैं या रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। यह मेरे पास आये, आकर उन्होंने कहा कि 10 हजार वर्ग गज के बजाय हमें 20 हजार जमीन चाहिये। मैंने इनके सारे कागजात देखे, इनके द्वारा किये गये कामों को देखा। और देखने के बाद इनको 20 हजार दे दी जो कि मेरी शक्ति में था रूल्स के तहत। आप रूल्स पढ़ लीजिये, इसको दिया है। और भी कई संस्थाओं को दिया है और जिन-जिन संस्थाओं को दिया है उनमें अगर एक भी चैलेंज कर दे तो मैं उसकी इंक्वायरी कराने को तैयार हूं।

श्री मदन दिलावर : करो, करो, कोटा के डिस्ट्रिक्ट सेंटर की करो, गौशाला की करो।

अनेक माननीय सदस्य : करो, इंक्वायरी करो। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : किसको चैलेंज कर रहे हैं। इस संस्था का भवन बनाने के लिये कोई राशि नहीं दी...(व्यवधान) 5 करोड़ रुपये का भवन बनाया...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आप इंक्वायरी करवाइये।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपका शासन था तो आपने कोड़ियों में जमीनें दी हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी खुद कह रहे हैं इंक्वायरी कराने के लिये। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी खुद कह रहे हैं इंक्वायरी कराने के लिये और आप ज्युडिशियली इंक्वायरी करवा दो इसकी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। इंक्वायरी करायेंगे तो सब कुछ सामने आ जायेगा।

श्री मदन दिलावर : उन्होंने कहा है कि इंक्वायरी करायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि इंक्वायरी कराएं। कोटा डिस्ट्रिक्ट सेंटर की और मेरे जिले की गौशाला की इंक्वायरी कराएं और इंक्वायरी कराएं 57 बीघा जमीन की जो आपने हड़पी है देवस्थान विभाग की। काला तालाब कोटा में 57 बीघा जमीन की इंक्वायरी करवाएं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : अब तो मंत्रालय आपके पास नहीं है, इंक्वायरी की बात तकीउद्दीन जी कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं। आप कोई इंक्वायरी आज की तारीख में कांस्टीट्यूट नहीं कर सकते, आप मंत्री ही नहीं हैं और यह हमें स्वायत्त शासन मंत्री कहे कि हम इंक्वायरी कराने को तैयार हैं तो उसका मतलब है। आपको वैधानिक अधिकार नहीं है, आपके पास में डिपार्टमेंट ही नहीं है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : वर्तमान मंत्री जी से मैं दरखास्त कर सकता हूं कि कोई भी गड़बड़ी की शिकायत आती है तो वह इंक्वायरी कांस्टीट्यूट कर सकते हैं, यह मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, क्या दिक्कत है उसमें।

श्री उपाध्यक्ष : धारीवाल साहब, एक मिनट। आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रही है बात। इनको बोलने भी नहीं देना चाहते आप।

श्री मानिक चन्द सुराना : उत्तेजित यह हो रहे हैं, इनको मतलब क्या है विश्वास संस्था से। जो भी बात कहेंगे माननीय मंत्री जी कहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने तो उल्टे आपके फायदे की बात की है। आप सुनना ही नहीं चाहते। इन्होंने तो आपके फायदे की बात कही है, इन्होंने कहा कि इंक्वायरी करा लीजिये, इसमें अपको क्या आपत्ति हुई। समझ में नहीं आ रही है मेरे बात, आप यूं ही उठ रहे हो।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, इंक्वायरी की नीयत से नहीं कह रहे हैं, इंक्वायरी को अवाइड करने की नीयत से कह रहे हैं कि इंक्वायरी करवाओ।

श्री उपाध्यक्ष : He has offered. आप नहीं चाहो तो मत कराओ इंक्वायरी।

श्री मानिक चन्द सुराना : अब तो सरकार में विभाग का जो मंत्री है वह करायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह नहीं चाहते।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) **:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की मांग पारित होने तक के लिये बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या अनुदान की मांग पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या-29 पर विचार

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जमीनों के आबंटन बाबत आपने निवेदन किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आपने जमीनें बांटी। राम कथा आयोजन समिति...

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते, आप बोल रहे थे तो यह सुन रहे थे, आप सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान) आप बैठिए।

श्री शांति कुमार धारीवाल : जमीन कितनी दी, 12600 स्क्वायर फीट, कीमत क्या है, एक रुपया। यह आपके जमाने में बांटी हुई है।

श्री मदन दिलावर : राम कथा में भी आपको आपत्ति है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : जिस जमीन पर आज तक एक ईंट भी नहीं रखी गई। उपाध्यक्ष महोदय, यह जमीन दी गई है 1995 में और इस जमीन पर आज तक एक ईंट भी नहीं रखी गई।

श्री मदन दिलावर : डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोटा का बताइये, गौशाला का बताइये, नहीं तो शिवनारायण जी को कहिए वह बता देंगे। शिवनारायण जी को अनुमति तो दीजिए वह बता देंगे।

श्री शांति कुमार धारीवाल : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा।

(17.00 बजे)

श्री मानिक चन्द सुराना : अपने कार्यकाल में इसको रद्द किया। आज कह रहे हैं कि गलत अलाट किया, तो रद्द करने की कार्यवाही की और आपने रद्द आज तक नहीं किया। आप किस मुंह से कह रहे हैं यह आबंटन रद्द... (व्यवधान) आप विभाग के मंत्री रहे हो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मुझे कहने दीजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : आज रद्द कहा है इसको...(व्यवधान) आप में हिम्मत है तो आज रद्द करो इसको।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुझे कहने तो दीजिए।

डा. सी.पी. जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) **:** सुनिए, सुनिए आप। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) **:** राजस्थान में... (व्यवधान) कितनी डकैतियां हो रही हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मुझे कहने तो दीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : इन्होंने गलत किया इसलिए आपको गलत करने का लाइसेंस मिल गया, यही कहना चाहते हैं ना आप।

एक माननीय सदस्य : ऐसा है, पहले वालों की भी जांच करा दीजिए, इनकी भी जांच करा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय...

डा. सी.पी. जोशी : आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : और क्या बहस हो रही है, बहस यही है कि इन्होंने गलत किया हमने भी...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : आप आरोप क्यों लगा रहे हैं?

डा. सी.पी. जोशी : आरोप क्या अच्छी बात है, बीच में...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप आरोप मत लगाइये।

डा. सी.पी. जोशी : आरोप क्यों लगा रहे हैं?

श्री मदन दिलावर : आरोप नहीं है, सच बात है।

श्री मानिक चन्द सुराना : गलत आबंटन किया। (व्यवधान) रद्द किया गया था। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आरोप लगा रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आरोप लगाने की हिम्मत करते हो तो सुनने की भी हिम्मत रखो।

श्री मदन दिलावर : गौशालाओं को नहीं खाया...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : उपाध्यक्ष महोदय, जांच करा लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए।

श्री शांति कुमार धारीवाल : प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। एक प्राइमरी स्कूल, एक प्राथमिक स्कूल जो कोटा में है, कुल मिलाकर 200 वर्ग गज में बना हुआ है उसकी अभिवाजन समिति को कितनी जमीन दी गई 30,700 स्क्वायर फुट निःशुल्क। इस अभिवाजन समिति का अता पता नहीं है। पता नहीं आज की तारीख में कौन भू माफिया उसमें काबिज है।

श्री मदन दिलावर : नाम बताइये।

श्री शांति कुमार धारीवाल : और यह कब दी गई, 1996 में।

श्री मदन दिलावर : आप नाम बताइये। नाम बताइये। (व्यवधान)

श्रीशांति कुमार धारीवाल : ऐसे कई प्रकरण हैं।

श्री मदन दिलावर : नाम बताइये। धारीवाल जी, नाम बताइये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपकी सरकार के द्वारा किये गये...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : नाम बताइये।

श्री धर्मपाल चौधरी : गबन किया है (व्यवधान) आपकी तरह है क्या।

श्री शांति कुमार धारीवाल : हमारी सरकार के द्वारा अगर जमीन दी गई है और अगर उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो शिकायत कीजिए, जांच कराएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए।

श्री धर्मपाल चौधरी : भ्रष्टाचार ब्यूरो में क्या लाइसेंस देना....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इस प्रकार की चर्चा में शर्म नहीं आती क्या? +++ राजस्थान खा रहे हो और बोल रहे हो...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ प्रकरण में जमीन के गलत आबंटन थे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : +++ हम लोगों ने भी कुछ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप हाउस की कमेटी बना दीजिए, आप समिति बना दीजिए। (व्यवधान) हमारे समय में गलत आबंटन हुआ वह भी सामने आ जाएगा और इनके समय में हुआ वह भी सामने आ जाएगा। सदन की समिति बना दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी : समिति बना दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जुडीशियल इंक्वायरी करा लीजिये। सरकार में दम है तो जुडीशियल इंक्वायरी करा लीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी कह रहे हैं एक समिति हो जाए।

श्री मदन दिलावर : इनके कारनामों की जांच करा लीजिए।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी) **:** अभी चूरू से आने वाले...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : 10 साल की एक कमेटी बना दीजिए। पिछले 10 सालों में जो काम हुए हैं उनकी...(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : जब एग्रीमेंट को पढ़ने से...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, अभी

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जसवंत सिंह गुर्जर)

आपने चूरू से आने वाले सदस्य को कोई एतराज नहीं है लैटर पढ़ने में...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : इन्होंने जो किया है उसकी भी जांच हो जाएगी और इधर की भी जांच हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : उनको भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। कह रहे है ना वह, इंक्वायरी की कह रहे हैं, इंक्वायरी करवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए माननीय सदस्य, आप कमेटी-कमेटी कर रहे हैं उन्होंने स्वयं ने आफर किया है।

श्री धर्मपाल चौधरी : कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप देख रहे हैं वह क्या-क्या करेंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : वह स्वयं आफर कर रहे हैं, आप सदन की कमेटी बना दीजिए।

श्री मदन दिलावर : मंत्री महोदय द्वारा कही गई बातों पर...(व्यवधान) सदन की कमेटी बनाई जावे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : सदन की कमेटी बनाई जावे। इन कामों की जांच, पूरे प्रकरण की जांच कराइये।

श्री धर्मपाल चौधरी : पूरे प्रकरण की जांच करवाइये।

श्री मानिक चन्द सुराना : और आज बनाइये, आज सदन का प्रस्ताव लेकर बनाइये।

एक माननीय सदस्य : धारीवाल साहब, नींद आ गई क्या, नींद आ गई।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपको अधिकार है कमेटी बनाकर जांच कराइये। अगर हमारा दोष है तो हमको दण्डित कीजिए कोई चिंता की बात नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : हाउस कमेटी बनाइये और...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम तैयार हैं आप किसी भी कमेटी से...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं और मेरा दल जांच के लिए तैयार हैं, आप किसी भी कमेटी से जांच कराइये।

डा. महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : कोबाल्ट मशीन कोटा की, उसका भी जिक्र होगा। कोटा की कोबाल्ट मशीन के बारे में भी जांच होनी चाहिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट से कराना चाहते हैं करा दे, जिससे कराना चाहते हैं करा दीजिए, हम तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी मंत्री के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह अपने कार्यकाल में किसी गलत आबंटन को निरस्त तो करे नहीं और आज उसका जिक्र करे कि यह-यह आबंटन गलत हुआ।

श्री शांति कुमार धारीवाल : सिर्फ आपकी निगाह में है। आपकी निगाह में है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप आरोप लगा रहे हैं तो नियमों के...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : हमने आरोप सटीक लगाए हैं और....(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : हिम्मत है तो जांच करा लीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जांच करा लीजिए ना।

एक माननीय सदस्य : कुछ फैसला जनता ने...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : आपका फैसला जनता ने कर दिया है 30 सीट आई थी, इसीलिए आई थी।

श्री धर्मपाल चौधरी : हिम्मत है तो जांच कराओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या दिक्कत है?

श्री श्रवण कुमार : आपका फैसला जनता ने कर दिया। 30 सीट आई थी, इसीलिए आई थी।

डा. सी.पी. जोशी : नियम में लगा दो आपने...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : यह फैसला जनता ने किया था, 30 सीट आई थी आपकी।

डा. सी.पी. जोशी : आपने किया नियम में, अच्छी बात है, करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : यह फैसला जनता ने किया, 30 सीट आई थी इनकी। यह गलती करने का फैसला था 30 सीट आई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जांच करा लीजिए।

श्री श्रवण कुमार : दुबारा गलती करेंगे तो 12 आयेगी फिर।

श्री मदन दिलावर : आयेगी तो आयेगी। अपनी-अपनी सीटें बचाएंगे 8 महीने बाद में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जांच करवाइये ना।

डा. सी.पी. जोशी : किस बात की? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम तैयार हैं।

डा. सी.पी. जोशी : जांच किस बात की? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : समाज कल्याण में कितनी गलतियां हुई थी, खा गए ना आप। (व्यवधान) यह फैसला गलत हुआ तभी तो 30 सीट आई। दुबारा गलती...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जांच कराइये ना।

डा. सी.पी. जोशी : एग्रीमेंट किया उसकी जांच करवाइये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : जांच करवाइये।

श्री सांवर लाल : सन् 1952 से कराओ ना।

डा. सी.पी. जोशी : जांच किस बात की?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जांच कराइये ना दिक्कत क्या है?

डा. सी.पी. जोशी : आरोप लगाने का सारा...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक मामले में और निवेदन कर रहा हूं....

श्री सांवर लाल : 1952 से जांच कराइये ना मंत्री महोदय जमीनें...(व्यवधान) सन् 1952 से ही जांच करा दीजिए ना।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक मामले में और निवेदन करूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह तो करा रहे हैं पैट्रोल पम्प की भी जांच।

डा. सी.पी. जोशी : नियम और कानून बदलने की बात करो समझ में आता है, नियम औरा कानून की बात समझ में...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, शायद आपने खुली छूट दे दी कि कोई भी मंत्रीगण कभी भी इंटरवीन करें।

डा. सी.पी. जोशी : हम पर आरोप लगा रहे हो। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपको दे दे छूट...(व्यवधान) आपको दे दे छूट...आरोप लगा दे असत्य...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप बोले, हमें बोलने का मौका नहीं दे। आप आरोप लगाओ राजेन्द्र राठौड़ यह ... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : जब हम चाहते हैं तो सदन की एक कमेटी बना दीजिए।

डा. सी.पी. जोशी : राजेन्द्र राठौड़ मंत्री थे। साइन किये राजेन्द्र राठौड़ ने। मैंने तो साइन नहीं किए।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : ईमानदारी से जांच कराने के मूड में हो गया?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : हाई कोर्ट का जज...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन की समिति से जांच करा लीजिए।

श्री धर्मपाल चौधरी : जांच कराइये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : जांच कराइये।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : धारीवाल साहब, ईमानदारी से जांच कराने के पक्ष में हो क्या?

डा. सी.पी. जोशी : किसकी जांच करवाएं। ...(व्यवधान) राजेन्द्र राठौड़ मिनिस्टर थे 5 सितम्बर को। साइन किए राजेन्द्र राठौड़ के नाम से (व्यवधान) मंत्री की हैसियत से साइन नहीं किए। हिम्मत है तो उसकी जांच करवायें।

श्रीमती बीना काक (वन राज्य मंत्री) : राजेन्द्र राठौड़ के खिलाफ आज भी कोई बात होती है तो चारों...(व्यवधान) खड़े हो जाते हैं।

डा. सी.पी. जोशी : हिम्मत है तो... (व्यवधान) इससे ज्यादा, उपाध्यक्ष महोदय और क्या बात होगी?

श्रीमती बीना काक : आज भी कोई बात होती है तो चारों खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े होते हैं?

डा. सी.पी. जोशी : इससे बड़ी और क्या बात होगी कि राजेन्द्र राठौड़ मंत्री थे और मंत्री के रूप में साइन नहीं किये। इससे बड़ी चीज और क्या होगी।

श्रीमती बीना काक : क्यों खड़े हो जाते हैं हमें आपत्ति है।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : हम तो आपके खिलाफ भी खड़े होते हैं।

डा. सी.पी. जोशी : अपना बच्चा मिनिस्टर का लड़का है। इसलिए साइन नहीं किए, आपने राजेन्द्र राठौड़ के नाम से साइन किए। आप साइन करते राजेन्द्र राठौड़ हैल्थ मिनिस्टर, यह साइन करते ना उसमें। उस एग्रीमेंट में, 5 सितम्बर को मंत्री थे। (व्यवधान) अभी तो आरोप लगा रहे थे और खुद मंत्री के रूप में एग्रीमेंट करें इसमें कुछ नहीं ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसमें गलत क्या है?

डा. सी.पी. जोशी : उस समय मंत्री थे। हम गलती करें तो गलती है और यह गलती करें तो गलती नहीं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसमें गलत क्या है बता दो।

डा. सी.पी. जोशी : आप साइन करें मंत्री के रूप में...(व्यवधान) पैसा ले वह तो ठीक है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति टेलेंटेड स्टूडेंट को ही ले जाएगा सी.पी. जोशी जी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री स्वायत्त शासन मंत्री जी।

श्री सांवर लाल : आपको चार साल हो गए आपके किसी मंत्री के पास एग्रीमेंट के लिए आया क्या कोई?

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलने ही नहीं देते क्या करें। (व्यवधान)

श्री तकीउद्दीन अहमद (नगरीय विकास राज्य मंत्री) वर्ष 1979 से सभी शहरों में कृषि भूमि पर बनी आवासीय योजनाओं के नियमन का एक व्यापक अभियान प्रारम्भ किया गया। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : किसकी जांच। किसकी जांच?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : भीमसेन गर्ग के पैसे के...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आरोप लगा रहे हैं, चोरी और सीना जोरी। आरोप लगा दो 5 करोड़ रुपये का और यहां हल्ला करने आ जाओ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : भीमसेन गर्ग के पैसे ले गए।

मांग संख्या-29 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,41,81,46000/- (नौ अरब, इकतालीस करोड़, इक्यासी लाख छियालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च, 2003 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.09 बजे शुक्रवार, 21 मार्च, 2003 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट-''क''

(तारांकित प्रश्न संख्या-346 की संस्थाओं का विवरण)

स्पिनफैड साधारण सदस्यों की सूची

क्र.	सदस्य समिति/संस्था का नाम	सदस्यता दिनांक
1	2	3
1.	गंगानगर किसान क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. श्री गंगानगर	07.03.92
2.	गजसिंहपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., गजसिंहपुरा, जिला श्रीगंगानगर	07.03.92
3.	रायसिंहनगर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।	07.03.92
4.	देवरिया ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., देवरिया, जिला भीलवाड़ा	07.03.92
5.	साधुवाली ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., साधुवाली, जिला श्रीगंगानगर।	07.03.92
6.	पदमपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., मण्डी पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर।	07.03.92
7.	हरिपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., हरिपुरा जिला श्री गंगानगर	18.03.92
8.	श्रीकरणपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।	07.03.92
9.	गंगापुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., गंगापुर जिला भीलवाड़ा।	07.03.92
10.	सार्दुल शहर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., सार्दुल शहर, जिला श्रीगंगानगर।	07.03.92
11.	5 के एस डी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., सुखचैनपुरा. श्रीगंगानगर।	17.12.94
12.	संगरिया क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., संगरिया जिला श्रीगंगानगर।	31.12.74

1	2	3
13.	सूरतगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर	28.01.75
14.	27 जी जी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., 27 जी जी, जिला श्रीगंगानगर	16.02.95
15.	पोटलां ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., पोटला, तहसील-सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा	15.05.95
16.	हनुमानगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., हनुमानगढ़	8.06.95
17.	घड़साना क्रय-विक्रय स. स. लि., तह. अनूपगढ़ घड़साना, जिला श्रीगंगानगर	07.03.92
18.	मम्मड़खेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., मम्मड़खेड़ा, जिला श्रीगंगानगर	01.05.97
19.	रामपुरिया ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., रामपुरिया जिला श्रीगंगानगर	30.09.97
20.	नेतेवाला ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., नेतेवाला जिला श्रीगंगानगर	30.09.97
21.	गदरखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., गदरखेड़ा, जिला श्रीगंगानगर	01.05.97
22.	गणेशगढ़ ग्राम से. सह. स. लि., गणेशगढ़ तहसील एवं जिला-हनुमानगढ़	30.09.97
23.	ढाबा ग्राम सेवा सह. लि., ढाबा तहसील जिला श्रीगंगानगर	23.10.97
24.	भाणा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., भाणा प. स. व जिला राजसमन्द	09.03.98

1	2	3
25.	मानकसर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., मानकसर, जिला गंगानगर	01.05.97
26.	केसरीसिंहपुरा क्रय-विक्रय सह. स. लि., केसरीसिंहपुरा, जिला श्रीगंगानगर	04.10.97
27.	नोहर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., नोहर, जिला श्रीगंगानगर	07.03.92
28.	अनूपगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., अनुपगढ़, जिला श्रीगंगानगर	27.06.97
29.	पीलीबंगा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., पीलीबंगा, जिला श्रीगंगानगर	07.03.92
30.	रावतसर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., रावतसर जिला गंगानगर	12.09.95
31.	विजयनगर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., विजयनगर, गंगानगर	07.03.92
32.	गोलूवाला क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., गोलूवाला, जिला श्रीगंगानगर	07.03.92
33.	रावतसर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., रावतसर, जिला श्रीगंगानगर	07.03.92
34.	सरदारपुरा बीका ग्राम स. स. समिति लि., पो श्यामगढ़, तह. रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर	01.04.97
35.	बिलाड़ा मार्केटिंग काआपरेटिव सोसायटी लि., सुभाष मार्ग, बिलाड़ा, जिला जोधपुर	01.04.97
36.	आमली ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., आमली जिला भीलवाड़ा	29.11.99
37.	राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. (राजफैड), जयपुर	07.03.92

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-350 का विवरण)

परिशिष्ट-'क'

जयपुर पिंक सिटी प्रेस क्लब के नजदीक नारायण निवास से संचालित निजी बसों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

क्रमांक	वर्ष	जब्त बसों की संख्या	चालानों की संख्या
1.	2001	24	361
2.	2002	09	360
3.	2003(फरवरी, 03 तक)	02	16

परिशिष्ट-3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके प्रश्न एवं उत्तर

जिला जैसलमेर के उपनिवेशन क्षेत्र में मूल सुविधाएं

351. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर के नहरी उपनिवेशन क्षेत्र में 208 चक आबादियां प्रस्तावित हैं जिसमें 36 राजस्व ग्राम घोषित हो चुके हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि जन सुविधाएं न होने से काश्तकार अपनी काश्त भूमि में ही आवास बना रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि वर्ल्ड फूड कार्यक्रम बन्द होने के बाद विभाग ने कोई आयोजन का प्रस्ताव विभिन्न विभागों को नहीं भेजा ?

(4) क्या यह भी सही है कि सड़क, शिक्षा, चिकित्सा एवं पेयजल जैसी मूल आवश्यकताओं हेतु नाबार्ड ऋण व अनुदान देती है ?

(5) क्या सरकार नाबार्ड एवं अन्य एजेंसी से उक्त 208 गांवों को बसाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला जैसलमेर के नहरी उपनिवेशन क्षेत्र में 208 चक आबादियां प्रस्तावित है, जिनमें से 36 डीम्ड ग्रामों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया जा चुका है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं। सरकार के पास अभी ऐसी कोई योजना विचाराधीन नही है।

विद्युत छीजत की रोकथाम

352. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य की तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों ने वर्ष 2002-03 की अवधि में कितनी-कितनी यूनिट बिजली वितरण हेतु कितनी-कितनी राशि की खरीदी है ?

(2) उपभोक्ताओं को कुल कितनी कितनी यूनिटों के बिल जारी किये तथा कितनी राशि की वसूली उपभोक्ताओं से हुई ?

(3) उक्त खरीदी गई यूनिटों तथा बिल जारी किये गये यूनिटों में कितना कितना अन्तर रहा तथा छीजत कितने प्रतिशत रही ?

(4) उक्त छीजत किन कारणों से रही ?

उत्तर

(1) माह अप्रैल, 2002 से जनवरी, 2003 तक अजमेर डिस्काम द्वारा 62085.35 लाख (छह सौ बीस करोड़ पिचासी लाख पैंतीस हजार) यूनिट/132241.80 लाख (तेरह सौ बाइस करोड़ इकतालीस लाख अस्सी हजार) रुपये की जोधपुर डिस्काम द्वारा 56910.58 लाख (पांच सौ उनहत्तर करोड़ दस लाख अठावन हजार) यूनिट/121218.30 लाख (बारह सौ बारह करोड़ अठारह लाख तीस हजार) रुपये की, तथा जयपुर डिस्काम ने 72478.50 लाख (सात सौ चौबीस करोड़ अठहत्तर लाख पचास हजार) यूनिट बिजली रुपये 154416.25 लाख (पन्दह सौ चौवालीस करोड़ सोलह लाख पच्चीस हजार रुपये) की वितरण हेतु खरीदी।

(2) उक्त अवधि में अजमेर डिस्काम ने 39253.31 लाख (तीन सौ बानवे करोड़ तिरेपन लाख इकतीस हजार) यूनिट के बिजली के बिल उपभोक्ताओं को जारी किये तथा 129335.38 लाख (बारह सौ तिरानवे करोड़ पैंतीस लाख अठतीस हजार) रुपये की वसूली की। जोधपुर डिस्काम ने 34141.66 लाख (तीन सौ इकतालीस करोड़ इकतालीस लाख छियासठ हजार) यूनिट बिजली के बिल जारी किये तथा 107702.57 लाख (दस सौ सत्तत्र करोड़ दो लाख सतावन हजार) रुपये का राजस्व प्राप्त किया। जयपुर डिस्काम ने 44791.10 लाख (चार सौ सैंतालीस करोड़ इकानवे लाख दस हजार) यूनिट के बिल जारी किये एवं रुपये 155967.25 लाख (पन्द्रह सौ उनसठ करोड़ सढ़सठ लाख पच्चीस हजार) रुपये का राजस्व प्राप्त किया।

(3) अजमेर डिस्काम में खरीदी गई तथा बिल जारी यूनिटों का अन्तर 22832.04 लाख (दो सौ अठाइस करोड़ बत्तीस लाख चार हजार) यूनिटों का रहा तथा छीजत 36.78 प्रतिशत रही। जोधपुर डिस्काम में माह जनवरी, 2003 तक यह अन्तर 12768.92 लाख (एक सौ सत्ताइस करोड़ अढ़सठ लाख बानवे हजार) यूनिट रहा व छीजत 40.01 प्रतिशत रही। जयपुर डिस्काम द्वारा खरीदी गई यूनिटों तथा बिल जारी किये गये यूनिटों में 27687.40 लाख (दो सौ छियत्तर करोड़ सतासी लाख चालीस हजार) यूनिट का अन्तर रहा तथा 38.20 प्रतिशत छीजत रही।

(4) सब ट्रांसमिशन एवं वितरण में होने वाली हानि, विद्युत चोरी एवं फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ताओं द्वारा की गई खपत का सही आकलन न होना आदि छीजत के मुख्य कारण हैं।

चिकित्सक के अभाव में पशु शल्य चिकित्सा

353. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् नियम, 1984 के मुताबिक पशु चिकित्सक की देख-रेख में ही अधीनस्थ कर्मचारी चिकित्सा सम्बन्धी कार्य सम्पादित कर सकते हैं ? यदि हां तो क्या उक्त नियम की अवहेलना नहीं की जा रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत पशु की गम्भीर शल्य चिकित्सा में बिना निश्चेतन इलाज गम्भीर अपराध है ? यदि हां, तो चिकित्सक का पद रिक्त होने पर निश्चेतन किसके द्वारा किया जाता है ? यदि नहीं, तो अधिनियम की अवहेलना रोकने के लिए क्या उपाय किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। हीस नियम की अवहेलना नहीं की जा रही है।

(2) जी हां। पशु चिकित्सक का पद रिक्त होन पर निश्चेतन एवं शल्य क्रिया का कार्य निकटतम पशु चिकित्सालय में कार्यरत पशु चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र शिव (बाड़मेर) की लम्बित पेयजल योजनाएं

354. श्री अमीन खान (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बाड़मेर की तहसील शिव के ग्राम डलानाड़ा-बोरासर-उटल फतेपुर लक्ष्मीपुरा, मीरवानी हेतु पेयजल योजना कब तक बनाई जायेगी और कब तक ग्रामों को कमीशन किया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि तहसील शिव के ग्राम लंगो की ढाणी, रोणकदेव हेतु 6 वर्ष पूर्व योजना स्वीकृत है और पाइप लाइनों से जुड़े हैं ? क्या उक्त में आज तक पानी नहीं जाता है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक उक्त गांवों में रोज पानी पहुंचाने का इन्तजाम होगा ?

(3) क्या यह सही है कि बायतू तहसील के ग्राम जोरनियों की ढाणी, कसूम्बला फांटा में 5 वर्ष पूर्व पानी की टंकी बनाई थी ? क्या उक्त ग्रामों में पानी एक दिन भी नहीं गया ? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) उल्लिखित ग्राम की वित्तीय वर्ष 2003-04 में सर्वेक्षण कराने के उपरान्त योजना बनाई जायेगी। धन संसाधन की उपलब्धि तथा प्राथमिकता को ध्यान में रखकर स्वीकृति व क्रियान्वयन सम्भव होगा।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) ग्राम लंगों की ढाणी की योजना वर्ष 1993-94 में स्वीकृत हुई थी एवं इस गांव हेतु पाइप लाइन बिछाई हुई है। लंगों की ढाणी क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना भीयाड मायलों की ढाणी के अंतिम छोर का गांव है। इसमें दो भूतल जलाशय बने हुए है। एक भूतल जलाशय में औसतन सप्ताह में दो बार पानी जाता है। स्रोत गांव भीयाड में जल उत्पादन में कमी एवं लंगों की ढाणी में दूसरा जी. एल. आर. अधिक ऊंचाई पर बने होने के कारण पानी नहीं पहुंचा है। वर्ष 1996 में मंगलियों की ढाणी (रणकदेव) को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना भीयाड माइलों की ढाणी के अन्तर्गत स्वीकृति दी गई है। उसके अन्तर्गत मंगलियों की ढाणी में जी. एल. आर. बनाकर पाइप लाइन से जोड़ दिया गया था तथा यह सही है कि उसमें आज तक पानी नहीं पहुंचा है।

बी. ए. डी. पी. कार्यक्रम के तहत ग्राम लंगों की ढाणी एवं मंगलियों की ढाणी में लगातार पेयजल उपलब्ध कराने हेतु संवर्धन प्रस्ताव स्वीकृत किये गये जिसे क्रियान्वित कर मार्च, 2004 तक पानी पहुंचाने के प्रयास किये जावेंगे।

(3) जी हां। यह सही है कि जोरोनियों की ढाणी एवं ग्राम कसूम्बला फांटा में जी. एल. आर. का निर्माण किया गया था।

जोरोनियों की ढाणी जीएलआर में माह सितम्बर, 2002 के बाद औसतन सप्ताह में दो बार पानी सप्लाई हो रहा है।

कसूम्बला फांटा राजस्व गांव की मुख्य आबादी (मैन हेबिटेशन) के लिए निर्मित जी. एल. आर. में निर्माण के बाद से ही प्रति सप्ताह दो बार पानी जा रहा है।

जिला पानी में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कें

355. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले के सार्वजनिक निर्माण उपखण्ड बर द्वारा वर्ष 2001-02 के अकाल में बर से धूलकोट, रेलड़ा से छापरिया, माताजी का बोर्ड बेलपना से श्मशान घाट बेलपना तथा बोपों की नाड़ी कोणूजा में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़क मार्गों की स्वीकृति जारी की गई थी ? यदि हां, तो उक्त सड़क मार्गों पर श्रम व सामग्री की कितनी कितनी राशि व्यय की गईं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस वर्ष पूर्व में ग्रेवल डाल कर पूर्ण बनी हुई

(श्री हीरासिंह चौहान)

सड़क मार्गों की पुनः इन सड़क मार्गों के लिए जिला अकाल राहत पाली से स्वीकृति प्राप्त की गई इसके लिए कौन दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? उक्त सड़क कार्यों पर इस वर्ष माह अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर व जनवरी, 2003 तक कितने-कितने श्रमिक कार्य पर लगाये गये ?

उत्तर

(1) जी हां। पाली जिले में वर्ष 2001-2002 में अकाल राहत कार्यों के तहत बर से धूलकोट, रेलड़ा से छापरिया, माताजी का बोर्ड बेलपना से श्मशान घाट बेलपना, तीन सड़क मार्गों के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। इन सड़क कार्यों पर व्यय की गई राशि का विवरण निम्नासुसार है:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	2001-2002 में व्यय की गई राशि (लाखों में)		
		श्रम	सामग्री	कुल
1.	बर से धूलकोट	2.94	0.71	3.65
2.	रेलड़ा से छापरिया	2.32	0.34	2.66
3.	माताजी के बोर्ड से बेलपना से श्मशान घाट बेलपना एक अन्य कार्य बोपो की नाड़ी काणूजा नाम से 2001-2002 में कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है।	3.21	-	3.21

(2) जी नहीं। वर्ष 2002-2003 में पूर्व में बनी ग्रेवल सड़कों का कार्य करवाने के लिए कुल लम्बाई से शेष रहे किलोमीटर अथवा मूल स्वीकृति के शेष रहे कार्यों के किलोमीटर की स्वीकृति जारी की गई है। सड़क कार्यों पर माह अगस्त, 02 से नवम्बर, 02 तक निम्नानुसार श्रमिक कार्यों पर लगाये गये है:

	कार्य का नाम	2002-03 में नियोजित श्रमिक				
		अग. 02	सित. 02	अक्टू. 02	नव. 02	दिस. 02
1.	बर से धूलकोट	-	-	150	150	सामग्री पर
2.	रेलड़ा से छापरिया	-	240	360	120	रोक
3.	माताजी वार्ड से श्मशान घाट बेलपना	-	280	420	140	के कारण कार्य बन्द है

माह दिसम्बर, 02 व जनवरी,03 में सामग्री व्यय के अभाव में ये कार्य नहीं चले। बोपो की नाड़ी कानूजा के नाम से वर्ष 2002-03- में कार्य स्वीकृत नहीं है।

नगर परिषद् ब्यावर द्वारा नियम विरुद्ध स्थानान्तरण

356. डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. के. सी. चौधरी)

(1) राज्य में नगरपालिका व नगर परिषदों में प्रशासनिक आदेश किस अधिकारी के नाम से जारी होते हैं ?

(2) क्या नगर परिषद् ब्यावर में हाल ही उक्त नियमों की अवहेलना की गई है ?

(3) क्या अनधिकृत व्यक्ति द्वारा नियम विरुद्ध किये गये स्थानान्तरण आदेशों पर सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में नगरपालिका व नगर परिषदों में प्रशासनिक आदेश अधिशासी अधिकारी/आयुक्त के नाम से जारी किये जाते हैं।

(2) ही हां।

(3) जी हां।

महिला विकास अभिकरण सवाई माधोपुर द्वारा वितरित ममता किट्स में अनियमितताएं

357. श्री रूपाराम (डीडवाना) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1998-99 में सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले महिला समूहों को ममता किट्स तैयार करने के आदेश दिये थे ?

(2) महिला विकास अभिकरण, सवाईमाधोपुर द्वारा किन-किन समूहों से कितने-कितने ममता किट्स तैयार कराये गये ? क्या उक्त समूहों को भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर में चयनित महिला समूहों से किट्स तैयार नहीं कराकर तत्कालीन परियोजना निदेशक की अध्यक्षता की संस्था जनजाति महिला विकास संस्थान (इदारा) से ममता किट्स तैयार कराये गये ?

(4) क्या यह भी सही है कि शिकायत पर सरकार द्वारा कराई जांच में तत्कालीन परियोजना निदेशक को दोषी पाया गया ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1998-99 में हाकरा समूहों को ममता किट्स तैयार करने के आदेश दिये थे।

(2) महिला विकास अभिकरण की सहयोगी संस्था जिला इदारा के माध्यम से ह्वाकरा समूह एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा निम्नानुसार ममता किट्स निर्णय कराये गये है:

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

क्र.सं.	नाम समूह	निर्मित ममता किट्स (हजारों में)
1.	भगवतगढ़ आकरा समूह	40,000
2.	श्यामोली	40,000
3.	चन्द्रपुरा	50,000
4.	महावीरजी	15,000
5.	अम्बेडकर बस्ती सवाई माधोपुर स्वयं सहायता समूह	21,704
	कुल योग	1,66,704

कुल आबंटित राशि 7.46.000 लाख रुपये में से राशि 3.75 लाख रुपये का भुगतान जिला महिला विकास अभिकरण, सवाईमाधोपुर को किया गया है, शेष भुगतान प्रकरण के विचाराधीन होने के कारण नहीं किया गया है।

(3) जिला महिला विकास अभिकरण सवाईमाधोपुर ने ममता किट्स इदारा के रूप में चयनित जनजाति महिला विकास संस्थान के माध्यम से तैयार करवाये थे।

(4) जिला महिला विकास अभिकरण सवाईमाधोपुर द्वारा निर्मित कराये गये ममता किट्स से सम्बन्धी कार्यों की जांच निदेशालय के जांच दल में कराई गई थी, जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(5) प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है, गुणावगुण के आधार पर उचित निर्णय लिया जायेगा।

(जांच रिपोर्ट की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत क्वाई (बारां) की सरपंच के विरुद्ध अनियमितता की जांच

358. श्री प्रभु लाल (नैनवां) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां की ग्राम पंचायत कवाई की सरपंच के विरुद्ध कब-कब, क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई या अनियमितताएं पाई गई ?

(2) उक्त शिकायतों व अनियमतताओं की जांच कब-कब, किस किस अधिकारी को दी गई तथा उसने कब से जांच प्रारम्भ की तथा कब जांच पूरी की गई ? यदि नहीं, तो क्यों और उक्त अनियमितताओं संबंधी जांच के निष्कर्ष क्या है।

(3) उक्त जांच प्रतिवेदनों/निष्कर्षों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बारां की ग्राम पंचायत, कवाई के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों एवं वर्णित अनियमितताओं का विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' के कालम संख्या-2, 3 एवं 5 में वर्णित है।

(2) उक्त बिन्दु का उत्तर परिशिष्ट-'ब' के कालम संख्या-2 से 7 पर वर्णित है।

(3) उक्त बिन्दु का उत्तर परिशिष्ट-'अ' के कालम संख्या-6 पर है।

परिशिष्ट-अ

सरपंच, ग्राम पंचायत कवाई, पंचायत समिति अटरू, जिला बारां

क्र.सं.	शिकायत प्राप्ति का दिनांक	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	जांच अधिकारी का नाम	जांच के निष्कर्ष	जांच प्रतिवेदनों व निष्कर्षों के आधार पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1.	21.12.01	सरपंच द्वारा नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में	श्री अनिरूद्ध शर्मा कार्यवाहक विकास अधिकारी, अटरू	विकास अधिकारी पंचायत समिति, अटरू की जांच रिपोर्ट के अनुसार नियम विरुद्ध पट्टे जारी करना पाया गया।	सरपंच, कवाई के विरुद्ध आरोप पत्र/आरोप विवरण पत्र मय जांच प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्भागीय आयुक्त को दिनांक 1.8.02 को भिजवाये गये। सम्भागीय आयुक्त द्वारा सरपंच को आरोप पत्र जारी कर सरपंच का लिखित अभिकथन प्राप्त किया गया तथा पंचायती राज नियम 1996 के नियम 22 के अन्तर्गत प्रकरण के अति. जिला कलक्टर, प्रशासन बारां को जांच पाया गया अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
2.	23.3.01	सालपुरा डाकघर की भूमि किसी अन्य को बेचने बाबत।	श्री तन कुमार, वि.अ. अटरू	वि.अ. अटरू से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर शिकायत निराधार पाई गई।	------
3.	25.5.01	श्रीमती कुसुमलता के घर के पास लगाए गए चकरी गेट प्रकरण	श्री चेतनकुमार वि.अ. अटरू	चकरी गेट अवैध पाया गया व आसपास की भूमि अतिक्रमण से बची रहनी चाहिए।	वि.अ., पं.स. अटरू को दिनांक 10.3.02 द्वारा चकरी गेट हटाने व भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखे जाने के निर्देश दिये। निर्देशों की पालना में गेट हटा दिया गया है तथा भूमि अतिक्रमण से मुक्त रखी गई है।

परिशिष्ट-ब

क्र.सं.	शिकायत प्राप्ति दिनांक	जांच कब-कब दी गई	जांच प्रारम्भ करने का दिनांक	जांच अधिकारी का नाम	जांच पूर्ण करने का दिनांक	जांच के निष्कर्ष
1.	21.12.01	5.4.02 से 5.7.02	5.4.02	श्री अनिरूद्ध शर्मा कार्यवाहक विकास अधिकारी, अटरू।	5.7.02	विकास अधिकारी पंचायत समिति अटरू की जांच रिपोर्ट के अनुसार नियम विरुद्ध पटटे जारी करना पाया गया।
2.	23.03.01	5.9.01	5.9.01	श्री तनकुमार विकास अधिकारी, पं.स., अटरू।	5.9.01	विकास अधिकारी अटरू से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर शिकायत निराधार पाई गई।
3.	25.05.01	25.10.01	25.10.01	श्री चेतनकुमार, विकास अधिकारी, अटरू।	25.10.01	चकरी गेट अवैध पाया गया व आसपास की भूमि अतिक्रमण से बची रहनी चाहिए।

ग्राम घामली (पाली) में मकानों पर से विद्युत लाइन से दुर्घटनाएं

359. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खारची के ग्राम घामली में आबादी बस्ती के लगभग 10 से 15 मकानों के ऊपर से विद्युत लाइन गुजर रही है ? यदि हां, तो उक्त ग्रामवासियों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा उक्त तारों को हटाने हेतु अधिकारियों को कितनी-कितनी बार लिखा ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त घरों के ऊपर से विद्युत तारों के निकल जाने के कारण वहां पर कई बार हादसे हो चुके हैं ? क्या उक्त की सूचना विद्युत विभाग को दिये जाने के पश्चात् भी उक्त तारों को हटाने के बाबत अब कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त तारों को अब भी हटाये जाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची के ग्राम घामली में पूर्व स्थापित 11 के. वी. लाइन के नीचे लोगों द्वारा 10-15 रिहायशी मकान बना लिये गये हैं। ग्रामवासियों द्वारा इन तारों को हटाने हेतु सहायक अभियन्ता खारची को एक बार आवेदन किया था।

(2) सहायक अभियन्ता, खारची को हादसे संबंधी किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। लाइन हटाने के लिये सहायक अभियन्ता, खारची द्वारा 1,01,804/ रुपये का तकमीना बनाया है तथा श्री अचलाराम, श्री केसाराम, श्री चिमनाराम आदि को दिनांक 17.2.03 के द्वारा मांग पत्र भेजा गया है। तकमीने की 50 प्रतिशत राशि जमा होने पर लाइन हटाने की कार्यवाही की जावेगी।

(3) स्थापित लाइन को स्थानान्तरित करवाने हेतु निगम नियमानुसार तकमीने की 50 प्रतिशत राशि सम्बन्धित आवेदकों द्वारा जमा करवाए जाने पर लाइन तुरन्त स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

तेंदू पत्तों के ठेके में लापरवाही

360. श्री अमराराम (धोद) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के किन-किन जिलों के वनों में तेंदूपत्ता कहां-कहां पैदा होता है?

(2) गत पांच वर्षों में तेंदू पत्ते का वार्षिक ठेका कितना-कितना किस जिले में हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री अमराराम)

(3) वर्तमान में राज्य में तेंदू पत्ते का ठेका नहीं होने के क्या कारण हैं और उक्त के लिए कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) तेंदू पत्ता पाये जाने वाले क्षेत्रों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'क' में दर्शाया गया है।

(2) वर्ष 1998-99 से 2002-2003 की अवधि में तेन्दू पत्ता के ठेकों से प्राप्त आय का जिलेवार एवं वर्षवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) वर्ष 2002-2003 में गठित 195 तेन्दू पत्ता इकाइयों में से 160 इकाइयों के ठेके हो चुके हैं। अवशेष इकाइयों का विक्रय प्रक्रियाधीन है।

इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 11.5.2001 एवं एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुसरण में राज्य के वन्य जीव अभ्यारण्यों सम्बन्धी 21 तेन्दू पत्ता इकाइयों के तेन्दू पत्ता के ठेके नहीं किये है।

तेन्दू पत्ता उत्पादन क्षेत्रों का जिलेवार विवरण

परिशिष्ट-क

क्रमांक	जिला	तेन्दूपत्ता उत्पादन क्षेत्र (रेंज) का नाम
1	2	3
1.	कोटा	भण्डाना, कनवास, मोडक, लाडपुरा।
2.	बूंदी	इन्द्रगढ़, डाबी, हिण्डौली, नैनवां।
3.	बारां	नाहरगढ़, किशनगंज, केलवाड़ा, शाहबाद, अटरू, छबड़ा, छीपाबड़ौद, शेरगढ़ वन अभ्यारण्य।
4.	झालावाड़	असनावर, बकानी, मनोहरथाना, खानपुर, झालावाड़, अकलेरा, डग, पिंडावा।
5.	सिरोही	पिण्डवाड़ा, आबूरोड।
6.	बांसवाड़ा	घाटोल, पीपलखूंट, गढ़ी, बागीदौरा, बांसवाड़ा, डूंगरा, कुशलगढ़।
7.	चित्तौड़गढ़	बेगूं, चित्तौड़गढ़, विजयपुर, बोराव, जावदा, रावतभाटा निम्बाहेड़ा जाखम, बड़ी सादड़ी, बस्सी।
8.	डूंगरपुर	डूंगरपुर, बिछीवाड़ा, सीमलवाड़ा, आंतरी, आसपुर।
9.	भीलवाड़ा	मांडलगढ़
10.	उदयपुर	कोटड़ा, देवला, ओगणा, परशाद, सलूम्बर, खैरवाड़ा, उदयपुर (पश्चिम) बांसी, धरियावद मामेर, कोटड़ा, पानरवा धरियावद वन्यजीव, जाखम वन्यजीव
11.	पाली	बाली।
12.	अलवर	अलवर, राजगढ़।
13.	धौलपुर	सरमथुरा।

परिशिष्ट-ख

वर्ष 1998-99 से 2002-2003 की अवधि में तेन्दू पत्ता के ठेकों से आय का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	तेन्दू पत्ता के ठेकों से प्राप्त आय (लाख रुपयों में) 1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	योग
1.	कोटा	10.79	14.43	15.91	16.40	19.60	77.13
2.	बून्दी	3.68	3.45	7.11	7.51	7.19	28.94
3.	बारां	154.83	147.26	161.00	211.66	162.33	837.08
4.	भीलवाड़ा	6.01	6.46	9.27	11.75	8.62	42.11
5.	चित्तौड़गढ़	149.76	203.39	267.99	334.11	226.07	1181.32
6.	बांसवाड़ा	59.36	93.39	119.89	133.04	99.79	585.47
7.	डूंगरपुर	21.55	37.59	43.46	40.53	30.08	173.21
8.	सिरोही	5.19	8.14	11.11	7.28	7.76	39.48
9.	सिरोही	133.98	197.18	287.60	291.15	177.39	1087.3
10.	पाली	3.70	6.20	7.49	1.78	7.36	26.53
11.	अलवर	1.01	1.55	2.52	3.38	1.58	10.04
12.	धौलपुर	0.13	0.13	0.14	0.17	0.15	0.72
13.	झालावाड़	102.36	104.24	112.52	130.97	127.96	578.05
	योग	652.35	823.41	1046.01	1189.73	875.88	4667.38

ग्राम चौपानकी (अलवर) में चेजा पत्थर निकासी की जांच

361. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) ग्राम चौपानकी पंचायत समिति तिजारा (अलवर) में चेजा पत्थर की कितनी खानें हैं एवं उनके माइनिंग लीज नम्बर क्या हैं और उक्त खानें किस-किस के नाम कब से है ?

(2) उक्त खानों में से अब तक कितने टन माल की निकासी मुताबिक रवन्ना हुई है ?

(3) क्या उक्त खानों की कोई संयुक्त जांच खनिज, वन एवं राजस्व विभाग ने की थी ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) ग्राम चौपानकी पंचायत समिति तिजारा (अलवर) में खनिज चेजा पत्थर की 4 खानें हैं जिनके एम.एल.नम्बर 126/97, 127/97, 128/97 एवं 129/97 हैं। ये खनन पट्टे ए1. एल. 126/97 एवं 127/97 सर्वश्री दिवा कंसट्रक्शन प्रोडक्ट एण्ड 128/97 व 129/97 सर्वश्री भिवाड़ी ग्रिट प्रा. लि. के पक्ष में पक्ष में संविदा पंजीयन तिथि दिनांक 15-6-99 से प्रभाव में है।

(2) उक्त खनन पट्टों में अविध दिनांक 15-6-99 से 31-1-2003 तक मुताबिक रवन्ना निम्नप्रकार खनिज की निकासी हुई हैं:-

1. एम.एल. नं. 126/97 39.481 टन
2. एम.एल. नं. 127/97 32.1650 टन
3. एम.एल. नं. 128/97 6216.0 टन
4. एम.एल. नं. 129/97 738.0 टन

(3) उक्त खनन पट्टों की संयुक्त जांच अतिरिक्त जिला कलक्टर, अलवर, खनिज अभियन्ता, अलवर, सहायक उपवन संरक्षक, अलवर, उप खण्ड अधिकारी तिजारा तथा अन्य कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा दिनांक 10-5-2001 को की गई थी।

जयपुर व कोटा बस स्टैण्ड से निजी वाहनों के संचालन पर रोक

362. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस का संचालन समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की पालना (निजी बसों व जीपों के संचालन बाबत) क्यों नहीं की जा रही है ?

(श्री हेमन्त कुमार)

(2) सरकार द्वारा जयपुर व कोटा बस स्टैण्डों से 100 मीटर दायरे के आदेश का उल्लंघन करने वाले किन-किन बस/जीपों के मालिकों के विरुद्ध वर्ष 2002 में क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय की पालना हेतु यथोचित कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त निजी बसों व परिवहन निगम के बस स्टैण्ड पास-पास होने से उत्पन्न समस्याओं के सम्बन्ध में विभाग पहले से सजग है। इन समस्याओं के निराकरण हेतु समय-समय पर सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश जारी कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। हाल ही में विभाग आदेश दिनांक 21.2.03 द्वारा प्रत्येक जिले में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला यातायात सलाहकार समिति को निगम के स्टैण्ड से निजी बस स्टैण्ड की दूरी स्थानीय आवश्यकताओं का आंकलन कर व्यवहारिकता के आधार पर किये जाने हेतु अधिकृत किया गया हैं।

(2) जयपुर व कोटा में निगम बस स्टैण्ड से 100 मीटर के दायरे सम्बन्धी आदेश की विषय वस्तु प्रश्न में स्पष्ट नहीं है, परन्तु विभाग द्वारा जयपुर एवं कोटा से निगम बस स्टैण्ड के आसपास अवैध रूप से संचालित एवं खड़े होने वाले वाहनों के विरुद्ध निम्नानुसार चालान बनाये जाकर कार्यवाही की गई हैं:

	जीप	बस
जयपुर	1862	428
कोटा	331	16
योग	2193	444

पुष्कर (अजमेर) के काश्तकारों को चारा योजना में जारी विद्युत कनेक्शन

363. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पुष्कर क्षेत्र (अजमेर) के काश्तकारों से 3 वर्ष पूर्व चारा योजना में तत्काल कनेक्शन देने हेतु 12000/- की राशि एक मुश्त विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में जमा कराई गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिन गांवों के काश्तकारों ने चारा योजना के तहत विद्युत कनेक्शन हेतु राशि जमा कराई थी उन्हें बी. आर. कम होने का बहाना बनाकर कनेक्शन नहीं दिया जाकर जनरल कृषि कनेक्शन में नम्बर आने वाले को तुरन्त कनेक्शन दिये जा रहे हैं ? यदि हां तो, क्यों ? क्या सरकार उक्त भेद भाव समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 8 प्रतिशत से बी. आर. कम होने पर किसी का कनेक्शन रोका नहीं जा रहा है परन्तु 8 प्रतिशत से अधिक वी. आर. होने पर कनेक्शन देने पर रोक है। पुष्कर विधान सभा क्षेत्र (अजमेर) के अन्तर्गत इस योजना में प्राप्त कुल 307 आवेदनों में से 40 आवेदकों को बी. आर. 8 प्रतिशत से अधिक होने के कारण उन्हें मांग पत्र जारी नहीं किये गये हैं। चूंकि सामान्य श्रेणी के आवेदनों की ''कट आफ डेट'' की वरीयता आने में 10-12 साल का समय लग जाता है तथा वरीयता आने के बाद भी बी. आर. 8 प्रतिशत से अधिक होने के कारण कनेक्शन नहीं हो पा रहे थे। इसलिये ऐसे आवेदकों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये वर्ष 2002-2003 तक कट आफ डेट में आने वाले साधारण श्रेणी के आवेदकों को (पूर्व में अस्थाई पैंडिंग रखे आवेदकों सहित) 8 प्रतिशत से अधिक बी. आर. की लाइनों पर मांग पत्र जारी करने की सुविधा अकाल की परिस्थितियों के कारण प्रदान की गई है। अन्य श्रेणियों में भी इसी प्रकार की सुविधा देना राज्य सरकार का नीतिगत मामला है। वर्तमान में इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कोटा, सम्भाग में स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित गौशालाएं

364. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गौशालाओं में रह रहे पशुओं के लिए अनुदान देने हेतु सरकार द्वारा कब-कब परिपत्र जारी कर किस-किस उम्र के पशु हेतु कितना-कितना अनुदान देने हेतु आदेश जारी किये हैं ? उक्त आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला कोटा, बूंदी बारां व झालावाड़ में कितनी गौशालाएं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित की जा रही हैं तथा कौन-कौनसी गौशालाओं में कितने-कितने पशु हैं और कौन-कौनसी गौशाला हेतु चालू वित्तीय वर्ष में कितना-कितना अनुदान गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गौशालाओं में रह रहे पशुओं के लिए सहायता विभाग द्वारा अपने परिपत्र संख्या एफ. 5 (5) सआ/चारा/2002/174090-535 दिनांक 16.8.02 द्वारा प्रति बड़े पशु 10/-रुपये प्रति छोटे पशु हेतु 5/-रुपये एवं प्रति सांड़ हेतु 8/-रुपये प्रतिदिन अनुदान दिये जाने के आदेश जारी किये गये।

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

विभाग द्वारा समसंख्या आदेश क्रमांक 35977-36804 दिनांक 6.11.02 द्वारा इसे संशोधित कर दिनांक 1.11.02 से प्रति बड़े पशु 12/-रुपये प्रति छोटे पशु 6/-रुपये एवं प्रति सांड 12/-रुपये प्रतिदिन अनुदान दिये जाने के आदेश जारी किये गये। आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिला कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ में क्रमशः 7, 12, 6 एवं 10 गौशालाएं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित की जा रही है। गौशालाओं में रखे जा रहे पशुओं एवं चालू वित्तीय वर्ष में दिये गये अनुदान का विवरण सूची-'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

केन्द्र सरकार से पेयजल योजना हेतु आबंटित राशि का उपयोग

365. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत चार वर्षों में राजस्थान को पेयजल हेतु वर्षवार कितनी-कितनी राशि भारत सरकार से प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि में से वर्षवार कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ?

(3) क्या यह सही है कि किसी वर्ष में पूर्ण राशि का उपयोग नहीं किये जाने के कारण केन्द्र द्वारा कुछ राशि में कटौती की गई या उपयोग नहीं किये जाने के कारण लैप्स हो गई ? यदि हां, तो कब-कब किस-किस वर्ष में कितनी कितनी राशि की कटौती की गई या राशि लैप्स हो गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट- 'अ' पर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(3) निम्नप्रकार राशि की कटौती हुई :

वर्ष	कटी राशि	(लाख रु.)
	ए.आर.पी. सामान्य	ए.आर.पी. मरुस्थल
1998-1999	0.00	0.00
1999-2000	673.72	912.97
2000-2001	0.00	0.00
2001-2002	3785.95	0.00

1999-2000 में कटौती का कारण अस्पष्ट है।

परिशिष्ट-अ

लाख रुपये में

वर्ष	ओपनिंग बैलेंस	प्राप्त राशि	कुल उपलब्ध राशि	व्यय	क्लोजिंग बैलेंस
1	2	3	4	5	6
ए.आर.पी. सामान्य					
1998-1999	188.40	11941.83	12120.03	9985.24	2142.79
1999-2000	2142.79	12002.50	14145.29	8651.98	5493.31
2000-2001	5493.31	16361.00	21854.31	13958.47	7895.84
2001-2002	7895.84	14919.08	22814.92	16599.57	6215.35
ए.आर.पी. मरुस्थल					
1998-1999	1031.63	4564.84	3596.47	4131.23	1465.24
1999-2000	1465.24	3651.87	5117.11	2443.41	2673.70
2000-2001	2673.70	4151.00	6824.70	5261.53	1563.17
2001-2002	1563.17	5794.65	7357.82	5206.63	2151.19
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना					
2000-2001	0.00	2158.00	2158.00	1297.17	860.83
2001-2002	860.83	1620.00	2480.83	2373.26	107.57
त्वरित शहरी पेयजल आपूर्ति योजना					
1998-1999	144.76	324.81	469.57	168.26	301.31
1999-2000	301.31	0.00	301.31	17.87	283.44
2000-2001	283.44	306.74	590.18	161.43	428.75
2001-2002	428.75	539.73	968.48	371.33	597.15

1	2	3	4	5	6
चूरू बिसाऊ योजना					
1998-1999	250.00	0.00	250.00	0.50	249.50
1999-2000	249.50	0.00	249.50	216.76	32.74
2000-2001	32.74	2000.00	2032.74	33.24	1999.50
2001-2002	1999.50	0.00	1999.50	151.41	1848.09
राइजेप					
1998-1999	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
1999-2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य—राइजेप, सेलेरी, कम्प्यूटराइजेशन मय ट्रेनिंग, डीफलोरीडेशन सयंत्र आदि					
1998-1999	751.98	345.49	1097.41	255.48	841.93
1999-2000	841.93	26.25	868.18	550.79	317.39
2000-2001	317.39	1292.52	1609.91	1260.05	349.86
2001-2002	349.86	56.64	405.50	102.42	303.08

शहरी क्षेत्रों में अकाल राहत कार्यों की स्वीकृति

366. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं): क्या सहायता मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में राज्य में अकाल राहत की विभिन्न योजनाओं में कुल कितने श्रमिक लगे हुये हैं ?

(2) क्या अकाल की विभीषिका को देखते हुये सरकार इस संख्या को पर्याप्त समझती है ? यदि नहीं, तो फिर अधिक संख्या क्यों नहीं की जा रही है?

(3) क्या बड़े नगरों और शहरों में अकाल राहत कार्य नहीं चलाये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि ग्रामों के मुकाबले शहरों में अधिक गरीब लोग नहीं रहते हैं जिनके जीविकोपार्जन का मजदूरी के अलावा कोई साधन नहीं, होता? यदि हां, तो फिर नगरों और शहरों में सरकार अकाल राहत कार्य कब शुरू करेगी?

उत्तर

(1) वर्तमान में अकाल राहत की विभिन्न योजनाओं में कार्यरत श्रमिकों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी हां।

(3) जी हां। सीमित संसाधनों के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ सी व डी श्रेणी की नगरपालिकाओं में रहने वालों को भी राहत कार्यों पर नियोजित किया जा रहा है।

PROGRESS OF RELIF WORKS (SAMVAT 2059)

S. No.	District	SGRY No. of works started	SGRY Labour Celling	SGRY Labour Engnged	RIDF + RD + CSS/SP No. of works started	RIDF + RD + CSS/SP Labour Celling	RIDF + RD + CSS/SP Labour Engnged	RELIEF No. of works started	RELIEF Labour Celling	RELIEF Labour Engnged	TOTAL No. of works started	TOTAL Labour Celling	TOTAL Labour Engnged	Labour Engnged under Plan/ CSS works
1	2	3a	3b	3c	4a	4b	4c	5a	5b	5c	6a	6b	6c	7
1	Ajmer	408	5040	5426	1704	22000	28640	1081	30700	29700	3193	57740	63766	1400
2	Alwar	556	7000	7047	1053	10700	12771	341	8350	6760	1950	26050	26578	-
3	Baswara	913	8100	3960	1794	26900	15354	735	40750	35812	3442	75750	55126	-
4	Barna	172	4000	4537	257	14200	27368	1506	44500	44875	1935	62700	76780	-
5	Barmer	305	6000	3527	1387	32400	41579	2060	88000	97524	3752	126400	142630	4180
6	Bharatpur	375	5000	972	1724	6100	22405	115	6800	3569	2214	17900	26946	-
7	Bhilwara	499	5000	7215	558	15300	11471	2338	42500	40998	3395	62800	59684	895
8	Bikaner	855	5000	8184	5105	21200	21874	1275	67100	67341	7235	93300	97399	30
9	Bundi	301	3100	2860	466	10100	5546	907	16950	23870	1674.	30150	32276	910
10	Chittorgarh	415	5000	4472	2046	24500	26838	1714	36450	43200	4175	65950	74510	2375
11	Churu	762	5100	9662	2549	26100	37994	1555	46050	44612	4866	77250	92268	-
12	Dausa	232	4000	1418	785	6700	7393	293	11100	9150	1310	21800	17969	459
13	Dholpur	434	4000	1379	631	3600	3530	94	6400	4407	1159	14000	9316	-
14	Dungarpur	684	6000	7811	1549	14000	7860	1547	55550	55412	3780	75550	71083	2314
15	Ganganagar	510	4000	2501	99	2800	4532	154	10300	7767	763	17100	14800	1355
16	Hanumangarh	227	4000	2039	536	12400	26802	338	17950	11645	1101	34350	40486	972
17	Jaipur	476	8000	6843	1327	25900	17347	1778	37000	35139	3581	70900	59329	-
18	Jaisalmer	824	5000	6055	577	11800	6432	1573	43050	46409	2974	59850	58896	-

1	2	3a	3b	3c	4a	4b	4c	5a	5b	5c	6a	6b	6c	7
19	Jalore	575	4200	4265	261	9300	6021	934	32600	31630	1770	46100	41916	1185
20	Jhalawar	610	4000	7500	567	15600	22897	1131	18300	17300	2308	37900	47697	953
21	Jhunjhunu	273	4000	2007	1153	12200	6133	571	22700	19060	1997	38900	27200	1265
22	Jodhpur	833	6000	8272	1134	19300	32697	1595	56650	63617	3562	81950	104586	1410
23	Karoli	258	6000	2604	1465	15900	21603	1004	28250	28198	2727	50150	52405	3830
24	Kota	187	4000	1357	1026	25000	8953	700	9650	15053	1913	38650	25363	-
25	Nagaur	476	6000	6278	2022	26800	23283	770	32400	30695	3268	65200	60256	866
26	Pali	237	5000	2982	577	20300	10027	1308	56350	53141	2122	81650	66150	665
27	Rajsmand	409	3000	3095	458	13300	7493	1405	33000	31345	2272	49300	41933	2217
28	S. Madhopur	230	5000	5500	780	12900	16456	610	27400	27400	1620	45300	49356	-
29	Sikar	327	5000	1878	1483	17900	23206	1131	26750	29586	2941	49650	54670	2790
30	Sirohi	339	5200	2843	1035	7400	11426	838	32600	31361	2212	45200	45630	450
31	Tonk	245	300	2709	390	6200	10381	1149	40300	39369	1784	49500	52459	4561
32	Udaipur	757	800	7343	372	11200	8670	3277	76000	60012	4406	95200	106025	-
	Total	14704	161740	144541	36870	500000	534982	35827	1102450	1115965	87401	1764190	1795488	35082

नगर सुधार न्यास भरतपुर की स्कीम नम्बर–10 की विभिन्न योजनाएं

367. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर नगर सुधार न्यास द्वारा स्कीम संख्या–10 पूर्णतया नगर नियोजन विभाग से स्वीकृत होने के उपरान्त भी न्यास की बैठक दिनांक 14.12.2002 में स्कीम को निरस्त कर दिया गया है और स्कीम संख्या–11, 12 व 13 में प्रस्तावित योजनाओं में से कुछ की भूमि छोड़ दी गई ? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमियों का दुरुपयोग भू–माफियाओं द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

(1) जी नहीं। नगर सुधार न्यास भरतपुर की स्कीम नम्बर–10 नगर नियोजन विभाग से स्वीकृत नहीं है। न्यास की बैठक दिनांक 24.12.2002 में स्कीम नम्बर 10 को निरस्त नहीं किया गया है बल्कि आंशिक संशोधन किसा गया है। न्यास बैठक दिनांक 24.12.02 के बिन्दु संख्या–3 पर न्यास द्वारा प्रस्तावित नवीन योजना नम्बर–10 पर विचार विमर्श कर इस प्रस्तावित योजना के क्षेत्र में पूर्व में दी गई स्वीकृतियों, पूर्व में नगर नियोजन विभाग द्वारा भूमि रूपान्तरण हेतु अनुमोदित ले–आउट प्लानों एवं इस क्षेत्र में कई भूखण्डधारियों द्वारा रूपान्तरण हेतु प्रस्तुत पत्रावलियों को ध्यान में रखते हुये कुछ भाग को छोड़ते हुये इस प्रस्तावित योजना नम्बर–10 को संशोधित कर इस योजना को दीनदयाल नगर विस्तार फैज प्रथम व व दीनदयाल नगर विस्तार फैज द्वितीय के नाम से प्रस्तावित करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार न्यास द्वारा प्रस्तावित नवीन योजना नम्बर 11, 12, व 13 पर भी न्यास बैठक दिनांक 24.12.02 में पुनर्विचार कर इन योजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बाईपास सड़क के साथ लगती हुई 2002 से 300 मीटर की पट्टी योजना में प्रस्तावित करने का नीतिगत निर्णय लेते हुये तदानुसार इनमें संशोधन कर इन नवीन योजनाओं को प्रस्तावित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजनाएं राज्य सरकार को प्रस्तावित करते समय निर्विवाद थी। उक्त नीतिगत निर्णय अनुसार योजनाओं को न्यास द्वारा संशोधित किया गया है। न्यास बैठक दिनांक 24–12–02 की प्रतिलिपि अवलोकनार्थ संलग्न है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार की जानकारी में ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया है। महत्त्वपूर्ण सड़कों पर अनधिकृत एवं अनियोजित विकास की योजनाबद्ध करने

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन) हेतु न्यास द्वारा उक्त योजनाएं प्रस्तावित की गई है।

(न्यास बैठक दिनांक 24.12.02 की प्रतिलिपि विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत करनावर (दौसा) के सरपंच के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

368. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बांदीकुई जिला दौसा की ग्राम पंचायतों के सरपंचों के विरुद्ध अनियमितता किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कितनी एवं किन-किन के विरुद्ध ? प्राप्त शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत करनावर की सरपंच के विरुद्ध भी भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? क्या उक्त शिकायतों की जांच करवाई गई है ? यदि हां, तो जांच किस स्तर के अधिकारी से करवाई गई ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जांच में उक्त शिकायतें सही पायी गई हैं ? यदि हां, तो दोषी सरपंच के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो अब तक कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच के विरुद्ध जांच के आदेश माननीय मुख्य मंत्री द्वारा भी दिये गये हैं ? क्या उक्त की पालना कर दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति बांदीकुई जिला दौसा की 6 ग्राम पंचायतों के सरपंचों के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। प्राप्त शिकायतों का विवरण एवं शिकायतों की प्रति परिशिष्ट-'अ' व 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्राप्त शिकायतों के क्रम में की गयी जांच एवं पाए गए तथ्यों का विवरण निम्नप्रकार है:

(क) शिकायत नम्बर-1 : ग्राम पंचायत करनावर के सरपंच के विरुद्ध अकाल राहत कार्यों में अनियमितताओं की शिकायत करनावर के निवासियों द्वारा प्रस्तुत हुई थी। उक्त शिकायत की जांच हेतु जिला कलक्टर दौसा द्वारा निम्नांकित 3 सदस्यीय टीम गठित कर जांच करायी गयी :

(पंचायती राज मंत्री)

1. उप जिला कलक्टर, बांदीकुई।

2. विकास अधिकारी पंचायत समिति बांदीकुई।

3. सहायक अभियन्ता जिला परिषद् दौसा।

जांच के परिणामस्वरूप निम्न तथ्य स्पष्ट हुए है:

1. राजकीय माध्यमिक पाठशाला झंडू की ढाणी ग्राम पंचायत करनावर का निर्माण कार्य तकमीने से कम पाया गया। गुणवत्ता व अन्य कमियां पायी गयी। सरंपच द्वारा सहायक अभियन्ता जिला परिषद् दौसा से कनिष्ठ अभियन्ता के निर्देशन में कार्य सुधार कर दिया गया है।

2. बावड़ी मरम्मत कार्य सांवरियाजी के कार्य में अनियमितता की जांच करने पर कार्य की गुणवत्ता में कमी पायी गयी। इस क्रम में वसूली योग्य राशि रुपये 5085/- सरपंच द्वारा रसीद संख्या-73 दिनांक 25.2.02 द्वारा जमा करा दी गयी है।

3. सीसी रोड मुख्य गांव करनावर के कार्य में अनियमितता की जांच करने पर निर्माण कार्य में कमी पायी गई। निकाली गयी वसूल योग्य राशि 25,390/-रुपये रसीद संख्या-75 दिनांक 5.4.02 द्वारा जमा करा दी गयी है।

इस सन्दर्भ में पाई गई अन्य कमियों एवं अनियमितताओं के क्रम में कार्यवाही सम्भागीय आयुक्त जयपुर के जहां विचाराधीन है।

शिकायत संख्या-2 : ग्राम पंचायत की मीटिंग नहीं होने से सम्बन्धित प्रकरण की जांच पंचायत प्रसार अधिकारी दौसा द्वारा की गयी। जांच प्रविवेदन जिला परिषद् दौसा के पत्रांक 3814 दिनांक 24.11.01 द्वारा सरपंच के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं होने से विचाराधीन प्रकरण समाप्त करने के आदेश जारी किये हैं।

शिकायत नम्बर-3 : वार्ड पंच श्री खैरातीलाल मीणा द्वारा राहत कार्यों के निर्माण कार्यों की शिकायत जिला कलक्टर, दौसा को दिनांक 25.2.03 को की गयी। शिकायत की प्रति परिशिष्ट-'स' संलग्न है।

प्राप्त शिकायत की जांच विकास अधिकारी पंचायत समिति बांदीकुई से करवायी जा रही है। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।

उक्त सरपंच के विरुद्ध उक्त वर्णित क्रम संख्या-1 व 2 पर वर्णित जांच से सम्बन्धि प्रतिवेदन परिशिष्ट-'द' एवं 'ध' पर संलग्न है।

(3) उक्त सरपंच के विरुद्ध निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की

(पंचायती राज मंत्री)

जांच किये जाने पर गुणवत्ता से सम्बन्धित कमियां पायी गयी। इस सम्बन्ध में सरपंच से वसूली योग्य राशि जमा करायी जा चुकी है, जिसका विवरण प्रश्न के बिन्दु संख्या-2 के उत्तर क्रम संख्या-2 व 3 में अंकित है। कार्य तकमीने के अनुसार नहीं कराये जाने व अन्य पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में कार्यवाही सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के यहां प्रकरण विचाराधीन है। ग्राम पंचायत की मीटिंग समय पर आयोजित नहीं करने से सम्बन्धित प्रकरण में आरोप सिद्ध नहीं होने पर सम्भागीय आयुक्त द्वारा विचाराधीन प्रकरण समाप्त करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(4) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय से उक्त सरपंच के विरुद्ध जांच हेतु एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था। सन्दर्भ शिकायत प्रश्न के भाग संख्या-2 में वर्णित तथ्यों से सम्बन्धित है जिसका प्रति उत्तर बिन्दु संख्या-2 (क) में वर्णित है। मुख्य मंत्री सचिवालय से प्राप्त आदेशों की पालना की जा चुकी है। प्राप्त शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्यवाही कर ली गयी है। जैसा कि बिन्दु संख्या-2 (क) में वर्णित है।

(शिकायतों की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति द्वारा निकासी पत्र जारी किये जाने के बाद भी उड़नदस्ता कुम्भलगढ़ द्वारा अनियमित चालान

369. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत को उनके अधीनस्थ क्षेत्र की बिलानाम, चरागाह एवं आबादी भूमि पर पैदा होने वाली प्राकृतिक पैदावार रतन जोत, सीताफल, जामुन आदि को नीलाम कर पंचायत की निजी आय बढ़ाने के अधिकार प्राप्त हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत क्षेत्र की प्राकृतिक पैदावार के निकासी पत्र ग्राम पंचायत, पंचायत समिति से जारी किये जाने के बावजूद वन विभाग कुम्भलगढ़ के उड़नदस्ता द्वारा माह जनवरी में चालान बनाये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त उड़नदस्ता द्वारा अब तक ऐसे कितने चालान बनाये गये और कितनी राशि बतौर जुर्माना वसूल की गई तथा किन आदेशों के अन्तर्गत उक्त कार्यवाही की गई ? विवरण मय आदेश/ नियमों के प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत को उनके अधीन चरागाह भूमि पर उगे वृक्षों एवं अन्य प्राकृतिक ऊपज को नीलाम कर निजी आय बढ़ाने का अधिकार प्राप्त है।

(2) जी हां। कुम्भलगढ़ के उड़नदस्ते द्वारा 10 जनवरी, 2003 में रात्रि गश्त के दौरान सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी पारपत्र (टी. पी.) के बिना वन ऊपज परिवहन करने के एक प्रकरण दर्ज कर राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 41 एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन कार्यवाही की गई।

की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार तथा अधिनियम के प्रावधान एवं नियमों की प्रतियां परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) कार्यवाही नियमानुसार होने से एवं किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोष नहीं होने से किसी भी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पाषाण उत्पादक सहकारी समिति रूपवास (भरतपुर) द्वारा अवैध खनन

370. श्री जसवंत सिंह (बाड़ी) एवं **श्री धर्मपाल चौधरी** (मण्डावर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार को भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में गांव महलपुरचुड़ा व बंसीपहाड़पुर में अवैध खनन की कोई जानकारी प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो अवैध खनन बन्द करने हेतु सरकार क्या-क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या रूपवास तहसील की पाषाण उत्पादक सहकारी समिति के पास खनन का कोई वैध लाइसेंस या लीज है? यदि हां, तो वैध लाइसेंस/लीज की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में रूपसास तहसील के गांव महलपुरचुड़ा व बंसीपहाड़पुर में अवैध खनन बाबत जानकारी होने पर समय-समय पर जांच की गई तथा अवैध खनन को रुकवाने हेतु संयुक्त जांच दल वन विभाग/राजस्व विभाग की मदद से कार्यवाही की गई। दिनांक 1.1.01 में दिसम्बर, 2002 तक महलपुरचुड़ा एवं बंसीपहाड़पुर में अवैध खनन के 16 मामले

(खनिज मंत्री)

बनाये गये तथा काम में प्रयुक्त 119 औजर जब्त किये तथा अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध 7 प्रकरणों में एम. जे. एम. कोर्ट रूपवास में इस्तगासा दायर किये गये तथा थाना रूपवास में 2 मामलों में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई 4 प्रकरणों में नियमानुसार नोटिस जारी किये गये। बंसीपहाड़पुर क्षेत्र में अधिकांश रिक्त क्षेत्र वन सीमा में आता है। जहां अवैध खनन होने पर वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व इस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध खनन रुकवाने की कार्यवाही की जाती है। इनके अतिरिक्त दिनांक 23.02.03 से जिला कलक्टर, भरतपुर की अध्यक्षता में एक सप्ताह तक अवैध खनन की जांच वन विभाग, राजस्व विभाग, खान विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कराई गई।

(2) जी हां। समिति के पक्ष में चतुर्थ नवीनीकरण दिनांक 14.3.91 से 13.3.01 तक के लिये स्वीकृत किया गया था। (प्रति संलग्न है) पंचम नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 30.1.01 को प्राप्त हुआ है, जिसके निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है परन्तु वर्तमान में न्यायालय सिविल न्याशधीश (कनिष्ठ खण्ड), रूपवास के यहां दो वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किये हुए हैं। जिनमें निर्णय दिनांक 29.11.02 से यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये हुए है। जिसमें आगामी तारीख 26.3.03 नियत की गई है। अप्रधान खनिज रियात नियमावली, 1986 के नियम 8 (2) के तहत नवीनीकरण हेतु नियमानुसार प्राप्त आवेदन पत्र के निस्तारण तक खनन पट्टे की अवधि स्वतः ही बढ़ जाती है एवं इसी निर्णय के तहत यह खनन पट्टा बढ़ी हुई अवधि में चल रहा है।

राजस्थान सरकार

खान (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक-प.31 (117) खान/ग्रुप-2/81 जयपुर, दिनांक-14 दिसम्बर, 1992

आदेश

चूंकि मैसर्स पाषाण उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड ने अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 5 के अन्तर्गत खनिज सैण्ड स्टोन व खण्डा के चतुर्थ नवीनीकरण खनन पट्टा क्षेत्र ग्रुप नम्बर 8 निकट ग्राम महलपुरचूड़ा तहसील रूपवास जिला भरतपुर के लिए आवेदन किया है, और चूंकि राज्य सरकार सन्तुष्ट है कि आवेदक राज्य में प्रवर्तमान सम्बद्ध नियमों के उक्त रियायत के अनुदान के लिए उपर्युक्त पक्ष (पार्टी)है और चूंकि यह क्षेत्र जिसके लिए आवेदक रियायत चाही गई है, अनुदान के लिए मुक्त है।

अतः अब राज्य सरकार अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 जो कि समय सयम पर संशोधित हुए हैं, में उल्लिखित निबन्धनों और प्रतिबन्धों के अतिरिक्त निम्नलिखित निबन्धनों/प्रतिबन्धनों पर आवेदक को खनन पट्टा का चतुर्थ नवीनीकरण स्वीकार करती है:

1. खनिजः सैण्ड स्टोन व उससे बनने वाला खण्डा।

2. क्षेत्रः 1260 एकड़ दो प्लाटों में ग्रुप नम्बर-8 निकट ग्राम महलपुरचूड़ा तहसील रूपवास जिला भरतपुर में पूर्व स्वीकृत क्षेत्र।

3. अवधिः दनांक 14.3.91 से 13.3.01 तक 10 वर्ष तक।

4. स्थिरभाटकः रुपया 1,76,057/- (अक्षरे रुपया एक लाख छियत्तर हजार सतावन मात्र) वार्षिक किन्तु पांच वर्ष पश्चात् स्थिरभाटक का पुनः निर्धारण किया जायेगा।

5. अधिशुल्कः नियमानुसार।

6. प्रतिभूति राशिः वार्षिक स्थिरभाटक की चौथाई राशि।

7. भूतल भाटकः जैसा कि राजस्व अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जावे।

8. भूमि व अन्य करः खनन पट्टे की संविदा एवं राज, अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1986,

तथा समय-समय पर उसमें होने वाले संशोधनानुसार।

10. विशेष शर्तः पट्टेधारी समिति शासन के पत्र दिनांक 18-1-86 व 3-6-87 में दिये गये निर्देशानुसार वन क्षेत्र में पड़ने वाले क्षेत्र में से 67.50 हैक्टेयर क्षेत्र में जहां खनन पट्टे की अवधि दिनांक 13-3-91 तक की अवधि में 107 खड्डे खोदकर खनन कार्य किया है, इस 67.50 हैक्टेयर क्षेत्र में ही खनन कार्य करेगा उसके बाहर शेष वन क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेंगी। जब तक कि भारत सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं कर लेती।

नोटः यदि अनुदान इस आदेश की तिथि 3 माह की अवधि में समुचित इकरारनामा निष्पादित नहीं कर दे तो यह आदेश बिना सूचना के ही प्रतिसंहृत कर दिया जावेगा।

आज्ञा से,

हस्ताक्षर

शासन उप सचिव

कृषकों से ट्रेक्टर व कम्प्रेशर टैक्स

371. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या कृषकों को ट्रेक्टर एवं कम्प्रेशर का अलग-अलग या संयुक्त टैक्स एक बार या प्रतिवर्ष देना होता है ? यदि हां, तो कितना-कितना और क्यों ?

उत्तर

कृषि के उपयोग में लाये जाने वाले ट्रेक्टरों पर एक बारीय कर देय है। इन वाहनों पर ट्रेक्टर की कीमत का 0.3 प्रतिशत राशि के बराबर एक बारीय कर लेने का प्रावधान है। कम्प्रेशर अपने आप में अलग से मोटर वाहन नहीं है। अत: इस पर कोई कर देय नहीं है। कम्प्रेशर का ट्रेक्टर पर लगे होने (mount) पर ऐसे ट्रेक्टर से वार्षिक दर से मोटर वाहन कर देय है जो ट्रेक्टर की कीमत का एक प्रतिशत है।

तहसील टिब्बी व रावतसर में प्रस्तावित 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन

372. श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र टिब्बी की तहसील टिब्बी व रावतसर में 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन कहां-कहां कार्यरत हैं ? क्या उक्त ग्रिड सब स्टेशन क्षेत्र की विद्युत आवश्यकता को देखते हुए पर्याप्त हैं ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

(2) क्या उक्त क्षेत्र में विद्युत आवश्यकता की मांग को देखते हुए सरकार उक्त क्षेत्र में 132 के. वी. ग्रिड सबस्टेशन नये और बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टिब्बी की तहसील टिब्बी व रावतसर में वर्तमान में 132 के. वी. का कोई ग्रिड सबस्टेशन कार्यरत नहीं है।

(2) इस क्षेत्र के विद्युत आपूर्ति हेतु 131 के. वी. के तीन ग्रिड सबस्टेशन हनुमानगढ़, अमरपुरथेड़ी एवं सांगरिया में कार्यरत है जो वर्तमान विधान सभा क्षेत्र टिब्बी की मांग के लिये पर्याप्त है।

तहसील राजगढ़ (चूरू) की प्रस्तावित ग्रामीण पेयजल योजनाएं

373. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(1) तहसील राजगढ़ (चूरू) के किन-किन गांवों को कौन-कौन सी योजनाओं से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ?

(2) उक्त में से कौन-कौन से गांवों में पानी नहीं पहुंचता है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त गांवों में पेयजल पहुंचाने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) तहसील राजगढ़ के अन्तर्गत 205 ग्राम में पेयजल सप्लाई निम्नलिखित योजनाओं से की जा रही है :

1. आपणी योजना से लाभान्वित ग्राम	37
2. क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बूधावास कालोड़ी	23
3. क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना किरतान खेरू बड़ी	16
4. क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना ददरेवा खूड़ी पाबासी	21
5. क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना चांदगाठी सुलखनिया	19
6. क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना चांदगोठी राजगढ़	29
7. क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना ददरेवा खूड़ी कलाल कोटड़ा	17
8. क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना ढूढ़ालखेता ग्वालीसर	31
9. टी. एस. एस. योजना	11
10. पाइप्ड स्कीम ददरेवा	01
योग :	205 ग्राम

(2) ऐसे 16 गांव है, जिसकी सूची परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(3) उक्त ग्रामों में पेयजल पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने तीन आगुमेंटेशन क्षेत्रीय जल योजनाएं स्वीकृत की हैं जिनका विवरण निम्नप्रकार है :

1. आगुमेंटशन प्रस्ताव इंडिपेंडेंट पावर फीडर बुधावास कालोड़ी।

2. आगुमेंटेशन प्रस्ताव क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना किरतान खेरु बड़ी।

3. आगुमेंटेशन प्रस्ताव क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना ढंढाल खेता ग्वालीसर।

उपरोक्त योजनाओं का कार्य पूर्ण कर ग्रीष्म ऋतु से पूर्व वर्णित 16 गांवों में पानी पहुंचाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट 'अ'

गांवों की सूची, समस्याग्रस्त सोलह ग्राम की स्थिति

क्र.सं.	योजना का नाम	गांव का नाम	कोड नं.	जनसंख्या 1991
1.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बूधावास कालोड़ी	रबूड़ी	193	523
2.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बूधावास कालोड़ी	नया बास	194	456
3.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बूधावास कालोड़ी	विजयपुरा	134	535
4.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बूधावास कालोड़ी	केरली बारा	139	374
5.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बूधावास कालोड़ी	डाबली ढाणी	135	214
6.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बूधावास कालोड़ी	खारीया बास	137	824
7.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बूधावास कालोड़ी	बेजवा	142	1135
8.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बूधावास कालोड़ी	राऊ-ताल	132	380
9.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बूधावास कालोड़ी	राऊ-टिबा	131	832
10.	क्षेत्रीय जलप्रदाया योजना बूधावास कालोड़ी	कालोड़ी	121	678
11.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बूधावास कालोड़ी	ढाणी जीवणगीरी	140	283
12.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बूधावास कालोड़ी	ढाणी खींवा	141	165
13.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बूधावास कालोड़ी	कलाना	130	1025
14.	क्षत्रीय जलप्रदाय योजना किरतान खेरू बड़ी	ढाणी खूडाणी	155	513
15.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना किरतान खेरू बड़ी	खेरू छोटी	94	335
16.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना ढंढाल खेता ग्वालीसर	भाकरा	96	1085

सीमलवाड़ा (डूंगरपुर) में प्रस्तावित पुलिसथाना

374. श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सीमलवाड़ा (डूंगरपुर) में उपखण्ड अधिकारी एवं तहसील मुख्यालय है और गुजरात बोर्डर पर आये दिन छुट-पुट घटनाएं घटित होती रहती हैं ?

(2) क्या सरकार सीमलवाड़ा कस्बे में नया थाना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर में उपखण्ड अधिकारी एवं तहसील मुख्यालय स्थापित है। गुजरात से सटी राजस्थान सीमा पर गोधरा काण्ड के पश्चात् हुई घटनाओं के सम्बन्ध में अभियोग संख्या 47/2002 धारा 457, 379 भा. द. स. 58/02 धारा 457, 379 भा. द. स., 48/02 धारा 147, 148, 305, 436, 332, 353 भा. द. स. पुलिस थाना धम्बोला जिला डूंगरपुर में दर्ज किये गये। उक्त घटनाओं के अलावा कोई घटना घटित नहीं हुई।

(2) जी नहीं। समिति वित्तीय संसाधनों के कारण इन प्रस्तावों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

माउन्ट आबू में आयोजित सम्मेलन पर व्यय

375. श्री रोहिताश्व (बानसूर): एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि माउन्ट आबू में हुये मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की व्यवस्था का खर्चा वहन करने के निर्देश नगरपालिका माउन्ट आबू को दिये गये हैं?

(2) क्या उक्त बाबत उक्त नगरपालिका वित्त समिति में प्रस्ताव रखा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। प्रस्ताव नगरपालिका वित्त समिति में इसलिये रखा गया था कि उक्त प्रकरण में यह विचार विमर्श किया जा सके कि यदि व्यवस्थाएं नगरपालिका द्वारा की गई थी, तो क्या व्यय भी नगर पालिका द्वारा किया जावे ?

अरांई व भिनाय (अजमेर) के क्षतिग्रस्त तालाब

376. श्री सांवर लाल (भिनाय): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या पंचायत समिति अरांई व

(पंचायती राज मंत्री)

भिनाय (अजमेर), की समस्त पंचायतों के तालाब क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो कौन कौनसी पंचायत के कौन-कौनसे तालाब क्षतिग्रस्त हैं ?

(2) क्या सरकार क्षतिग्रस्त तालाबों को बरसात का मौसम आने से पहले ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति भिनाय में 26 व पंचायत समिति अरांई में 2 तालाब क्षतिग्रस्त है। ग्राम पंचायतवार क्षतिग्रस्त 28 तालाबों की सूची संलग्न हैं।

(2) जी नहीं। इन तालाबों के मरम्मत हेतु कोई वित्तीय प्रावधान नहीं रखा गया है।

क्षतिग्रस्त तालाबों की सूची

क्र. सं. 1	तालाब का नाम 2	ग्राम 3	ग्राम पंचायत 4	पं. समिति 5
1.	धर्मी नाड़ी	छछुन्दरा	छछुन्दरा	भिनाय
2.	नया तालाब,	रिंगरोट	डबरेला	" "
3.	नया तालाब,	केरोट	कैरोट	" "
4.	पनगटिया तालाब	जैतपुरा	कैरोट	" "
5.	देवसागर	जैतपुरा	कैरोट	" "
6.	कालासागर तालाब	जैतपुरा	कैरोट	" "
7.	पिवणिया तालाब	कैरियाखुर्द	बड़गांव	" "
8.	नया तालाब	रघुनाथपुरा	बड़गांव	" "
9.	आथुना तालाब	बड़गांव	बड़गांव	" "
10.	बड़ा तालाब	पाड़लिया	पाड़लिया	" "
11.	बिलिया तालाब	बिलिया	पाड़लिया	" "

1	2	3	4	5
12.	बड़ा तालाब,	चापानेरी	चापानेरी	भिनाय
13.	नया तालाब	चापानेरी	चापानेरी	" "
14.	देवीसागर तालाब	लामगरा	लामगरा	" "
15.	विजयसागर तालाब	लामगरा	लामगरा	" "
16.	बड़ा तालाब	तेलड़ा	सोमड़ी	" "
17.	देवासागर तालाब	गणा	सोबड़ी	" "
18.	कालासागर तालाब	कनईकला	कनईकला	" "
19.	श्यामसागर तालाब	कनईकला	कनईकला	" "
20.	रामसागर तालाब	जौताया	जौताया	" "
21.	बलर्वतसागर	कुशलपुरा	जोताया	" "
22.	नया तालाब	चांदणा	जोताया	" "
23.	लोड़िया तालाब	नागोला	नागौला	" "
24.	सपनी खेड़ा तालाब	सपनी खेड़ा	नागोला	" "
25.	रणजीत सागर तालाब	कुरथल	नांदसी	" "
26.	नांदसी तालाब	नांदसी	नांदसी	" "
27.	सूरासूरी तालाब	फतहगढ़	फतहगढ़	अरांई
28.	आनासागर तालाब	फतहगढ़	फतहगढ़	अरांई

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, अजमेर।

वन क्षेत्रों में अवैध खनन पर रोक

377. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के वन क्षेत्रों में कितनी खानें चल रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार को वन क्षेत्रों मे अवैध खानें चलने की कितनी शिकायते प्राप्त हुई तथा उक्त में से कितनी अवैध खानों को चलते पकड़ा और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राज्य के वन क्षेत्रों में चल रही खानों का जिलेवार विवरण संलग्न **परिशिष्ट 'क'** के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वर्ष 2001, 2002 एवं 2002-2003 में वन क्षेत्रों में अवैध खनन की 60 शिकायतें प्राप्त हुई। अवैध खनन होना पाये जाने पर 159 प्रकरण दर्ज किये गये। इनमें से 150 प्रकरणों में 5.96 लाख रुपये का मुआवजा वसूल किया गया। तीन प्रकरणों में न्यायालय में चालान किया गया जिनमें से एक में न्यायालय ने 1000/- रुपये अर्थ दण्ड तथा 31 नग चीरी जप्ती का आदेश दिया। 6 प्रकरणों की जांच की जा रही है।

परिशिष्ट-क

वन क्षेत्र में चल रही खनन लीजों का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	लीजधारक का नाम	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृत लीजों की संख्या	वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के उल्लंझरल में चल रही खानों की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
अलवर				
	कलस्टर	2		
	लक्ष्मीचन्द गुप्ता	1		
	राजीवमोहन गुप्ता	1		
	शंकर इंडस्ट्रीज	2		
	कलस्टर (उलाहेड़ी)	6		
बांसवाड़ा जिला				
	कलस्टर	8		
	कलस्टर	6		
	कलस्टर	50		
	कलस्टर	17		
भीलवाड़ा जिला				
	कलस्टर (भटकला)	5		
	मांगीलाल डीडवानिया	1		
	ओझा एण्ड कम्पनी	1		
	यू.एम.डी.एस., भीलवाड़ा	1		
बून्दी जिला				
	कलस्टर	10		

1	2	3	4	5
	कलस्टर	4		
	कलस्टर	5		
	कलस्टर	5		
	सुशील देवी	1		
	एसीसी लि.(चमावाली)	1		
	के.एल. घाटीवाला	1		
	के.एल. घाटीवाला	1		
दौसा जिला				
	नानगराम मीणा	1		
	सुभाषघई एण्ड सिंघल	2		
	पदमचन्द प्रकाशचन्द	2		
	कलस्टर	3		
डूंगरपुर जिला				
	आर.एस.एम.डी.सी.	1		
	आर.एस.एम.डी.सी.	1		
	आर.एस.एम.डी.सी.	1		
	नलवाया मिनरल्स	1		
	कलस्टर (पगारा)	19		
	नलवाया मिनरल्स	1		
जयपुर जिला				
	रघुनाथ मीणा	2	31	1. 11 न्यायालय प्रकरणों में स्थगन के कारण
	महालक्ष्मी मिनरल्स	1		
	रामसहाय मीणा	1		
	नन्दलाल अग्रवाल	1		2. 19 विवादित

1	2	3	4	5
	मोदी लेवीगेटेड	1		वन क्षेत्र प्रकरणों के कारण
	मोदी लेवीगेटेड एण्ड काओलिन प्रा.लि.	1		3. एक प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगन के कारण। स्थगन आदेश निरस्त कराने की कार्यवाही जारी है।
जालौर जिला				
	जे.के. स्टोन्स	1		
	कलस्टर	5		
	कलस्टर	2		
	कलस्टर	2		
	इब्राहिम खान	1		
	कालूराम	1		
	लादूराम	1		
	मोहम्मद कासम	1		
	कलस्टर	4		
करौली जिला				
	दुर्गाप्रसाद अग्रवाल	1	2	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वार स्थगन आदेश के कारण ये दो खानें
	दुर्गाप्रसाद अग्रवाल	1		
	हरिचरण अग्रवाल	1		
	इन्दिरा अग्रवाल	1		

1	2	3	4	5
	निर्मलकुमार पाटनी	1		वन क्षेत्र में चल
	ओमप्रकाश सर्राफ	1		रही है। स्थगन
	शाह कस्तूरमल	1		आदेश निरस्त
				कराने की
				कार्यवाही जारी है।
उदयपुर जिला				
	एसोसिएटेड सोप स्टोन (डिवीजन प्रतापगढ़)	1	7	7 प्रकरण न्यायालय में
	एसोसिएटेड सोप स्टोन (डिवीजन प्रतापगढ़)	1		विचाराधीन होने के कारण।
	सोहन सिंह (डिवीजन प्रतापगढ़)	1		
	अमरीक सिंह इंडस्ट्रीज	1		
	एसोसिएटेड सोप स्टोन (डिवीजन प्रतापगढ़)	1		
	धरतीधन प्रा.लि.	1		
	महावीर ट्रेडिंग कम्पनी	1		
	महावीर ट्रेडिंग कम्पनी	1		
	कलस्टर	10		
	श्रीमती समरथ देवी	1		
	एसोसिएटेड सोप स्टोन	1		
	हिन्दुस्तान जिंक लि.	1		
	ओरियेंट टाल्क प्रोडक्ट प्रा.लि.	1		
	कृष्णा मिनरल्स	1		

1	2	3	4	5
	राजस्थान बैराइट्स	1		
	कलस्टर (ऋषभदेव)	136		
	एसोसिएटेड सोप स्टोन	1		
	एसोसियेटेड सोप स्टोन	1		
	आर.एस.एम.एम. लि.	1		
	एसोसिएटेड सोप स्टोन	1		
सिरोही जिला				
	वोल्केम इण्डिया लि.	1		
टौंक जिला				
	छीतरगिरी	1		
	हरीश व्यास	1		
	मांगीलाल	1		
	रामजीलाल नाथ	1		
	कलस्टर	3		
चित्तौड़गढ़ जिला				
	बिरला सीमेंट वर्क्स	1		
सीकर जिला				
	कलस्टर	55		
	कलस्टर	4		
	सत्यनारायण चमार	2		
	लक्की मिनीमेट	1		
	गणेशकुमार अग्रवाल	1		
झुंझुनूं जिला				
	हिन्दुस्तान कापर लि.	1		
	हिन्दुस्तान कापर लि.	1		
	हिन्दुस्तान कापर लि.	1		

1	2	3	4	5
चूरू जिला				
	कलस्टर	42		
	कलस्टर	20		
पाली जिला				
	पीआई इंडस्ट्रीज	1		
बाड़मेर जिला				
	भंवर सिंह	1		
	कलस्टर	3		
	कलस्टर	8		
	कलस्टर	3		
	देवीलाल	1		
	कलस्टर (मोलकसर)	5		
	मूलचन्द	1		
	नागरेन ग्रेनाइट	1		
झालावाड़ जिला				
	कलस्टर	3		
	कलस्टर	3		
कोटा जिला				
	राजेन्द्र कुमार जैन	1		
बीकानेर जिला				
	आर.एस.एम.डी.सी. लि.	1		
	योग :		526	40

वन क्षेत्र में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कुल 526 खाने स्वीकृत होकर कार्यरत है तथा विभिन्न कारणों से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन में 40 खाने कार्यरत है। इस तरह वन क्षेत्र में कुल 566 खाने चालू हैं।

विद्युत कर्मियों के विद्युत भत्ते में वृद्धि

378. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या व्यवसाय कर की कटौती में राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के अराजपत्रित, अधीनस्थ मंत्रालयिक व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छूट है ? क्या उक्त छूट विद्युत निगमों में कार्यरत उक्त वर्णित संवर्गों में कार्यरत कर्मचारियों को भी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार विद्युत निगमों में कार्यरत कर्मचारियों को दिया जा रहा दस रुपये प्रतिमाह विद्युत भत्ता बढ़ाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-4 (1) एफ. डी./टैक्स/डीवी-/2000/ प्रे 0315 दिनांक 30-3-2000 के अनुसार व्यवसाय कर की छूट केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के अराजपत्रित, अधीनस्थ मंत्रालयिक व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ही देय है। यह छूट निगमों एवं मण्डलों में कार्यरत कर्मचारियों को नहीं है।

(2) जी नहीं। विद्युत निगमों में कार्यरत कर्मचारियों को विद्युत भत्ते के रूप में दस रुपये प्रतिमाह दिये जा रहे हैं। वर्तमान में विद्युत निगम घाटे में चल रहे हैं और विद्युत भत्ते में वृद्धि से घाटा और बढ़ने की सम्भावना के कारण विद्युत भत्ते में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है।

उप खण्ड गन्धेली (चूरू) का स्थानान्तरण

379. श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उप खण्ड गन्धेली (चूरू) में सेम का पानी आने के कारण उक्त खण्ड नोहर में कार्य कर रहा है ? क्या उक्त उप खण्ड को यहां से हटाने की योजना है ? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त उप खण्ड को नोहर में ही कार्यरत रखने का विचार रखती है ? क्या उक्त उप खण्ड का नाम परिवर्तन कर अब नोहर ग्रामीण उप खण्ड करने पर सरकार विचार कर रही है ? क्या नोहर के स्थान परिवर्तन से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा ? यदि हां, तो उक्त समस्या का समाधान किस प्रकार किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। उपखण्ड गन्धेली में वर्तमान में सेम का पानी आने के कारण नोहर मुख्यालय पर उपखण्ड कार्यालय

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

अस्थाई रूप से कार्य कर रहा है। उपरोक्त स्थिति में कोई परिवर्तन वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

(2) उपरोक्तानुसार

जिला हनुमानगढ़ में आश्रितों को हथियारों का लाइसेंस

380. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला हनुमानगढ़ में मृतक के आश्रितों को हथियारों का लाइसेंस जारी करने के अनेक मामले लम्बित हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से और किन-किन लोगों के ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सम्बन्ध में सरकार ने कोई स्पष्ट नियम/प्रक्रिया तय कर रखी है ? यदि हां, तो उक्त की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त लम्बित मामलों में मृतक के आश्रितों को शीघ्र लाइसेंस जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। मृतक आश्रितों को हथियारों के लाइसेंस जारी करने के 73 प्रकरण लम्बित है। सूची कारण सहित संलग्न है।

(2) राज्य में हथियारों के लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को शस्त्र अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करने पर पुलिस विभाग से उस व्यक्ति का चरित्र सत्यापन, उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी, जहां आवश्यक हो राज्य विशेष शाखा की जांच रिपोर्ट, आवश्यकता अनुसार वन्य जीव संरक्षण की सहमति, स्वास्थ्य परीक्षण, शस्त्र संचालन योग्यता आदि का परीक्षण कर, जिले की कानून व्यवस्था को मध्यनजर रखते हुए गुणावगुण के आधार पर आवेदक के लाइसेंस की आवश्यकता एवं औचित्य की पुष्टि उपरान्त लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बनाया जाता है।

राज्य के पांच सीमावर्ती जिले (1) गंगानगर (2) बाड़मेर (3) बीकानेर (4) जैसलमेर (5) हनुमानगढ़ जिलो का सीमान्त क्षेत्र होने के कारण एवं इसके अतिरिक्त 6 जिले (1) जालौर (2) जोधपुर (3) जयपुर (4) कोटा (5) अजमेर (6) टौंक अतिसंवेदशील जिले होने के कारण लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में कुछ भिन्नता है। उक्त 11 जिलों मे शस्त्रों के लाइसेंस हेतु

(गृह मंत्री)

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के साथ-साथ राज्य विशेष शाखा (इन्टे.) की रिपोर्ट प्राप्त के पश्चात् ही लाइसेंस जारी किये जाते है। प्रति संलग्न है। जबकि राज्य के शेष 21 जिलों में हथियारों के लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार जारी किये जाते है। साथ ही किसी पशु विहार या राष्ट्रीय पार्क के 10 किलोमीटर क्षेत्र के अन्दर रहने वाले व्यक्ति को शस्त्र लाइसेंस जारी करने से पूर्व वन विभाग की सहमति प्राप्त की जाती है। अतः शस्त्र लाइसेंस शस्त्र अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अन्तर्गत ही जारी किये जाते हैं।

(3) जी हां। आयुध नियमों के अन्तर्गत आवश्यक औपचारिकताओं तथा पुलिस जांच/सी. आई. डी. जांच पूर्ण किये जाने पर आवेदन पत्रों का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाता है। लम्बित उक्त 73 प्रकरणों में आवश्यक कमी पूर्ति पूर्ण होने पर आवेदन पत्रों का निस्तारण कर दिया जायेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तारांकित प्रश्न संख्या-381

(स्थगित)

ग्राम पंचायतों में आवासीय मकानों का पट्टा

382. श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य की ग्राम पंयायतों में आबादी भूमि के अन्तर्गत 50 वर्ष से अधिक आवासीय मकानों का पट्टा रुपये 200/- में ग्राम पंचायतों द्वारा दिये जाते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि 50 वर्ष से कम अवधि वाले आवासीय छप्पर, चारदीवारी कब्जा शुदा मकानों के पट्टे डी. एल. सी. दर पर जारी करने का पंचायत नियमों के प्रावधान हैं ?

(3) क्या डी. एल. सी. दर अधिक नहीं है ? यदि हां, तो क्या उक्त में परिवर्तन करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (क) में 50 वर्ष से अधिक पूर्व निर्मित मकानों का पट्टा 100/ में दिये जाने का प्रावधान है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रत्येक जिले में डी. एल. सी. की दर अलग-अलग निर्धारित हैं एवं दरों को बढ़ाने का अधिकार भी डी. एल. सी. को है।

खेड़ली (अलवर) में पेयजल विस्तार योजना की स्वीकृति

383. श्री रमेश खींची (कठूमर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कस्बा खेड़ली (अलवर) में पेयजल विस्तार की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब से ? क्या सरकार उक्त योजना को स्वीकृत करने का विचार रखती है ?

(2) क्या उक्त योजना केन्द्र सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? क्या सरकार नगरपालिका खेड़ली की उक्त पेयजल योजना को राज्य मद से स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। कस्बा खेड़ली, जिला अलवर की पेयजल विस्तार हेतु रुपये 70.85 लाख की एक योजना माह नवम्बर, 2002 को केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई थी। उक्त योजना की शीघ्र स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार से प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) बिन्दु संख्या 1 के उत्तर के अनुसार।

थाना कोटपूतली (जयपुर) में दहेज हत्या प्रकरण की जांच

384. श्री कय्यूम खान (मसूदा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) दहेज हत्या प्रकरण की जांच किस स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है? क्या उक्त जांच की कोई समय सीमा भी निर्धारित की हुई है ? क्या उक्त निर्धारित समय सीमा में जांच पूर्ण नहीं करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है ? यदि हां, तो गत दो वर्षों में उक्त सम्बन्ध में कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि थाना कोटपूतली में दिनांक 11-10-2002 को प्रकरण संख्या-553/02 दहेज हत्या के सम्बन्ध में दर्ज हुआ है ? उक्त प्रकरण में परिवादी द्वारा किस-किस के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाया गया था ? उक्त जांच किस स्तर के अधिकारी द्वारा की गई एवं नामजद मुलजिमों में किस-किसको कब गिरफ्तार किया गया और किस-किस को किस कारण से गिरफ्तार नहीं किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरण में जांच अधिकारी द्वारा कब-कब, किस-किस तिथि को क्या क्या बयान लिये गये ? जांच अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही मय बयानों की एवं

(श्री कय्यूम खान)

रोजनामचे में दर्ज तफतीश कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि मेडिकल बोर्ड के चिकित्सकों को स्पष्ट राय है कि श्रीमती मुन्नी देवी की गला घोटकर हत्या की गई है ? यदि हां, तो उक्त के बावजूद भी जांच अधिकारी द्वारा मुलजिमों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

(5) क्या सरकार अब शेष मुलजिमों को गिरफ्तार करने हेतु जांच अधिकरी को पाबन्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(6) क्या सरकार जांच अधिकारी द्वारा जांच में अनावश्यक विलम्ब करने के कारण उक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(7) उक्त जांच अधिकारी द्वारा पूर्व में किन-किन प्रकरणों की जांच कितने कितने समय में की गई तथा सरकार द्वारा उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दहेज हत्या की जांच उप अधीक्षक पुलिस एवं उनसे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है तथा ऐसे प्रकरण में जांच की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। समय सीमा निर्धारित नहीं होने के कारण जांच पूर्ण नहीं करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

(2) उक्त दहेज हत्या का मुकदमा दिनांक 11-10-2002 को दर्ज न होकर पुलिस थाना कोटपूतली पर दिनांक 4-10-02 को दहेज हत्या का प्रकरण संख्या 553/02 धारा 498ए. 304बी भादस में पंजीबद्ध हुआ है। उक्त प्रकरण में परिवादी द्वारा मृतका के पति भगवान सहाय, सास श्रीमति शांति देवी, जेठ योगेश, जिठानी मन्जू देवी, देवर मुकेश कुमार, सतीश कुमार तथा देवरानी के विरुद्ध दर्ज कराया गया, जिसका अनुसंधान पुलिस उप अधीक्षक, वृत्त कोटपूतली द्वारा किया गया। अनुसंधान से प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद मुलजिमानों में पति श्री भगवान सहाय, देवर श्री मुकेश कुमार व सतीश कुमार के विरुद्ध जुर्म धारा 498ए, 304बी, 201 ता. हि. का प्रमाणित पाया जाने पर दिनांक 18-10-2002 को गिरफ्तार किया जाकर पेश न्यायालय कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। शेष नामजद मुलजिमान श्रीमती शांति देवी सास जेठ योगेश, जिठांणी श्रीमति मन्जू देवी, देवराणी के विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने व घटना में

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

शरीक नहीं होना पाये जाने के कारण गिरफ्तार नहीं किया गया है। राय ए. पी. पी. प्रथम से प्राप्त की गई जिन्होंने धारा 498ए, 302, 201 ता. हि. में उक्त मुलजिमों के विरुद्ध चालान पेश करने की अनुशंसा की जिस पर प्रकरण के जरिये चार्जशीट नम्बर 375/02 दिनांक 31-10-2002 को पेश किया गया।

(3) चूंकि मुकदमे का चालान दिनांक 2-11-2002 को न्यायलय में पेश किया जा चुका है तथा न्यायालय में विचाराधीन है। अत: किसी भी प्रकार के दस्तावेज आदि की प्रति न्यायालय से ही प्राप्त की जा सकती है।

(4) मेडिकल बोर्ड के चिकित्सकों की राय के अनुसार श्रीमती मुन्नी देवी की गला दबाने से मृत्यु हुई है। अनुसंधान के दौरान मृतका के प्रति भगवान सहाय एवं देवर सतीश, मुकेश के विरुद्ध उक्त घटना पारित किये जाने के साक्ष्य मिलने पर तीनों को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। शेष नामजद मुलजिमानों का घटना में शरीक होना नहीं पाये जाने पर गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(5) जी नहीं। शेष नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कोई जुर्म साबित होना नहीं पाया गया।

(6) जी नहीं। प्रकरण की जांच में अनावश्यक विलम्ब नहीं होने के कारण जांच अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

(7) उक्त प्रकरण के अलावा वृताधिकारी कोटपूतली द्वारा 10 मामलों में की गई तफतीशों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। राज्य सरकार द्वारा वृताधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना प्रस्तावित नहीं है।

परिशिष्ट ''क''

श्री नरेन्द्र कुमार ओला वृताधिकारी कोटपूतली द्वारा की गई तफतीशों का विवरण

(1) मु. नं. 510/02 घारा-498ए, 304बी भा.दं.सं. दिनांक 9-9-2002 को पंजीबद्ध हुआ जिसका निस्तारण 26-9-2002 को किया गया। उपरोक्त के अलावा उक्त वृताधिकारी वृत दूदू पर भी पदस्थापित रहे हैं। जिनके द्वारा निम्न अभियोगो में अनुसंधान किया गया है।

(2) मु.नं. 75/99 धरा-498ए, 304बी भा दं सं. दिनांक-3-7-1999 को दर्ज हुआ जिसका अनुसंधान वृताधिकारी तत्पश्चात् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूदू द्वारा किया गया जिसका निस्तारण 4-8-1999 को किया गया।

(3) मु. नं. 58/99 धरा-498ए, 304बी भादंसं. दिनांक-24-4-1999 को दर्ज हुआ जिसका निस्तारण 9-8-1999 को किया गया।

(4) मु. नं. 67/01 धारा-498ए, 302बी भादंसं. दिनांक-26-4-1999 को दर्ज हुआ, जिसका निस्तारण 17-8-01 को किया गया।

(5) मु. नं. 247/2000 धारा-304बी, भादंसं. थाना कालवाड़ पर थाना फागी पर दिनांक 5-9-2000 को दर्ज हुआ, जिसका निस्तारण 24-10-2000 को किया गया।

(6) मु. नं. 261/2000 धारा-498ए, 304बी भादंसं. थाना फागी पर दिनांक 15-9-2000 को दर्ज हुआ, जिसका निस्तारण 4-11-2000 को किया गया।

(7) मु. नं. 237/99 धारा-498ए, 304बी, 201 भादंसं. थाना बगरू पर दिनांक 2-6-1999 को दर्ज हुआ, जिसका निस्तारण कर जरिये चार्जशीट 232/99 चालान पेश अदालत में किया गया।

(8) मुं नं. 148/2000 धारा-498ए, 304बी भादंसं. थाना बगरू पर दिनांक 15-5-2000 को दर्ज हुआ, जिसका निस्तारण 9-6-2000 को किया गया।

(9) मु. नं. 283/2000 धारा-498ए, 201, 304बी भादंसं. में थाना बगरू पर दिनांक 2-8-2000 को दर्ज हुआ, जिसका निस्तारण दिनांक-31-8-2000 का किया गया।

(10) मु.न. 296/2000 धारा 498 ए, 406, 306 बी भादसं. थाना बगरू पर दिनांक 7-8-2000 को दर्ज हुआ, जिसका निस्तारण दिनांक 6-11-2000 को किया गया।

हरिओम नगर (कोटा) कच्ची बस्तियों का सर्वे

385. श्रीमती पूनम गोयल (लाडपुरा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा में हरिओम नगर कच्ची बस्ती बन्दा धर्मपुरा पंचायत में वर्षों से बसी हुई है ? यदि हां, तो उक्त का सर्वे विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार की घोषित नीति के अनुसार कच्ची बस्तियों का नियमन कर कच्ची बस्ती को पट्टे दिये जायेंगे ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में जारी आदेशों के प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कच्ची बस्तियों को अभी तक पट्टे जारी नहीं किए जाने के क्या कारण हैं और अब उक्त को कब तक पट्टे जारी कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त बस्ती का सर्वे नहीं हुआ है। यह बस्ती बन्दा धर्मपुरा पंचायत के अन्तर्गत आती है।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रतियां संलग्न है।

(3) भाग संख्या एक में इसका उत्तर निहित है।

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प. 9 (1) नविवि/3/95 जयपुर दिनांक : 18.5.1999

परिपत्र

विषय : शहरी क्षेत्रों की कच्ची बस्तियों में 15 अगस्त, 1998 तक के अनधिकृत रूप से राजकीय भूमि पर बनाये गये आवासीय निर्माणों के नियमन के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों की कच्ची बस्तियों में सिवाय चक/स्थानीय निकायों की भूमि पर अनधिकृत रूप से किये गये आवासीय निर्माणों के नियमन हेतु समय-सयम पर विस्तार से दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

कच्ची बस्तियों के नियमन हेतु अब तक जारी सभी परिपत्रों के अतिक्रमण में दिनांक 15.8.1998 तक राजकीय भूमि व स्थानीय निकायों, नगर सुधार न्यासों व जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि पर किये गये अवैध आवासीय निर्माणों के नियमन हेतु निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. कच्ची बस्तियां उन बस्तियों को माना जावेगा, जो राज्य के नगरीय क्षेत्रों में दिनांक 15.8.1998 तक नगर निगम, नगर परिषद्, पालिका, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर सुधार न्यासों के क्षेत्रों में राजकीय भूमियां इन संस्थाओं की भूमि पर अनियोजित एवं अनियमित रूप से बसी हुई है एवं जिनमें मूलभूत जन सुविधाओं का अभाव हो।

2. नियमन योग्य कच्ची बस्तियां

1. दिनांक 15.8.1998 तक के अनधिकृत रूप से राजकीय भूमि/स्थानीय निकायों को भूमि पर बने आवासीय निर्माणों का नियमन किया जावेगा।
2. दिनांक 15.8.1998 तक बसी कच्ची बस्तियों में आवासीय निर्माण के साथ ही यदि नियमन योग्य क्षेत्रफल में व्यावसायिक निर्माण भी किया हुआ है, तो उसे भी नियमन किया जा सकेगा।

3. बस्तियां जो नियमित नहीं की जा सकेंगी

1. स्थानीय निकायों/न्यासों/जयपुर विकास प्राधिकरण की किसी योजना अथवा मास्टर प्लान में किसी विशेष कार्य के लिए आरक्षित भूमियों तथा व्यावसायिक/संस्थागत

भूमि, सड़क आदि के लिए आरक्षित की गई भूमि पर किये गये निर्माणों का नियमन नहीं किया जावेगा।

2. अस्पताल, स्कूल, उद्यान, सड़क मार्ग, कब्रिस्तान, गिरजाघर की भूमि, श्मशान, देवस्थान की भूमि, वक्फ की भूमि, वन विभाग की भूमि एवं ज़नोपयोग हेतु आरक्षित रखी गई भूमियों पर बसी कच्ची बस्तियों का नियमन नहीं किया जावेगा।

3. सड़कों के दोनों और सड़क सीमा एवं रेलवे लाइन सीमा क्षेत्र में किये गये अतिक्रमणों का नियमन नहीं किया जावेगा।

4. ऐसी भूमि जो निवास के योग्य सुरक्षित न हो, पर किये गये अतिक्रमणों का नियमन नहीं किया जावेगा।

5. राजस्थान आवास मण्डल की भूमि पर किये गये अतिक्रमणों का नियमन नहीं किया जावेगा।

6. माउन्ट आबू, जैसेलमेर, पुष्कर तथा नाथद्वारा में बसी कच्ची बस्तियों का नियमन नहीं किया जावेगा।

4. नियमन हेतु सामान्य निर्देश

1. परिवार में स्वयं कर्त्ता के नाम या उसके आश्रितों में अवयस्क पुत्र व पुत्रियों, पत्नी, पति, वृद्ध माता-पिता के नाम स्वयं का आवासीय भू-खण्ड या मकान नहीं होने पर ही केवल एक अतिक्रमण नियमन किया जावेगा। यदि वयस्क पुत्र जो पिता पर आश्रित है एवं उसके नाम भूखण्ड या मकान है, तो पिता के नाम से नियमन नहीं होगा।

2. इस परिपत्र में निर्धारित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र का नियमन नहीं किया जावेगा।

3. जिन व्यक्तियों का सी. आई. डी. द्वारा विदेशियों की जो सूची तैयार की है, उसमें नाम होने पर उसके नाम नियमन नहीं किया जावेगा।

4. केवल निर्मित क्षेत्र का ही नियमन किया जावेगा। रिक्त भूमि का नियमन नहीं किया जावेगा। यदि भू-खण्ड पर केवल चारदीवारी बनी हुई है, तो उसे भी रिक्त भूखण्ड माना जावेगा।

5. यदि कोई अतिक्रमण की भूमि आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्रों में आती है तो उस अतिक्रमण को हटाया जावेगा तथा यथासम्भव उसी क्षेत्र में 50 वर्गगज का

भू-खण्ड इस परिपत्र में निर्धारित दरों व शर्तों पर दिया जावेगा। कच्ची बस्तियों के सुव्यवस्थित विकास हेतु यथासम्भव 15 फीट की सड़कों के लिए भूमि आरक्षित रखी जावेगी, जिससे एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड एवं वाटर टैंक पहुंच सके।

6. यदि निर्माण किराये पर दिया गया हो, तो वास्तविक कब्जेधारी की ही पात्रता मान्य होगी।

7. पुलिस रिकार्ड में दर्ज हिस्ट्रीशीटर एवं आपराधिक प्रकरणों में सजायाप्ता व्यक्तियों के नाम नियमन नहीं होगा।

8. जो व्यक्ति पट्टे नहीं लेगा, उसे हटाया जावेगा।

9. जिसके पक्ष में नियमन किया गया है, उसका भूमि एवं निर्माण को हस्तान्तरण का अधिकार नहीं होगा।

10. दिनांक 15 अगस्त, 1998 तक के आवासीय निर्माणों के सबूत में राशनकार्ड या 1998 की लोक सभा या इसके पूर्व की निर्वाचन सूची में नाम होने पर सबूत पेश करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त निम्न सबूतों में से एक सबूत और पेश करना होगा। पत्राचार जैसे बिजली पानी का बिल, किसी लाइसेंस में दर्ज नाम व पता, यदि कोई कर्मचारी हो, तो उसके नियोजक कार्यालय में दर्ज पता या अन्य कोई दस्तावेज।

11. 15 अगस्त, 1998 के बाद के अतिक्रमणों को किसी भी स्थिति में नियमन नहीं किया जावेगा। इसके बाद यदि राजकीय भूमि/संस्थाओं की भूमि पर कोई अतिक्रमण होता है, तो उसके लिए सम्बन्धित संस्था का प्रशासनिक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

12. जिस संस्था के क्षेत्र की कच्ची बस्ती होगी, उसका नियमन उसी संस्था यथा नगर निगम, परिषद्, पालिका, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास द्वारा नियमन किया जावेगा।

5. नियमन प्रक्रिया

1. नियमन की कार्यवाही सम्बन्धित कच्ची बस्ती का सर्वे कर किया जावेगा। सर्वे के लिए सर्वे दलों के गठन की प्रक्रिया जिला कलक्टर द्वारा तय की जावेगी। सर्वे दल में सम्बन्धित संस्था जिसके क्षेत्र की कच्ची बस्ती है, उसके दो कर्मचारी

अन्य विभागों के दो कर्मचारी तथा जिला कलक्टर कार्यालय या उपखण्ड कार्यालय का एक कर्मचारी शामिल होगा। सर्वे दल का इंचार्ज जिला कलक्टर कार्यालय या उपखण्ड कार्यालय का कर्मचारी होगा, जो गिरदावर से नीचे के स्तर का नहीं होगा। सर्वे की कार्यवाही दिनांक 20.5.1999 से 30.5.1999 तक पूर्ण की जावेगी। सर्वे में परिवार के मुखिया का नाम व पता निर्माण से सम्बन्धित प्रमुख विवरण सर्वे सीट में अंकित किये जावेंगे।

2. किये गये सर्वे का बस्तीवार विवरण जिला कलक्टर द्वारा दो प्रतियों में स्थानीय संस्था को भेजा जावेगा तथा एक प्रति जिला कलक्टर कार्यालय में सुरक्षित रखी जावेगी 30.5.1999.

3. सर्वे दल द्वारा किये गये सर्वे की सूची सम्बन्धित संस्था उस बस्ती में कुल सर्वेधारियों की इकजाई सूची तैयार कर बस्ती में तथा संस्था के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी। जिसमें सभी सर्वेधारियों/गैर सर्वेधारी सूची का अवलोकन कर सके। जहां तक सम्भव हो सके, सर्वे की सूची को कम्प्यूटराइज की जा सकेगी दिनांक 1.5.1999 तक

4. जारी सर्वे सूची के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति आपत्ति सम्बन्धित संस्था को पेश कर सकेगा। 7.6.1999 तक

5. प्राप्त आपत्तियों पर विचार कर उन पर अंतिम निर्णय जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित नियमन समिति द्वारा लिया जावे। नियमन समिति द्वारा जारी अंतिम सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी 14.6.1999.

6. अंतिम सर्वे सूची में शामिल सर्वेधारियों को बस्तीवार पट्टा कैम्प आयोजित कर वितरित किये जावेंगे।

6. नियमन समिति

कच्ची बस्तियों के नियमन हेतु नियमन समितियों का गठन निम्नप्रकार से होगा:

नियमन समिति (प्रथम)

1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2.	महापौर/उपमहापौर/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभापति/उपसभापति	सदस्य
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी	सदस्य

4.	संबंधित क्षेत्र के विधायक	सदस्य
5.	क्षेत्र के दो सामाजिक कार्यकर्त्ता	सदस्य

नियमन समिति (द्वितीय)

1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2.	न्यास अध्यक्ष	सदस्य
3.	सचिव, ज.वि.प्रा./नगर सुधार न्यास	सदस्य
4.	क्षेत्र के विधायक	सदस्य
5.	क्षेत्र के दो सामाजिक कार्यकर्त्ता	सदस्य

6. नियमन दरें व नियमन क्षेत्रफल बाद में सूचित किया जावेगा।

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प. 9(1) नविआ/3/95 जयपुर, दिनांक : 9.6.1999

समस्त जिला कलक्टर,

राजस्थान।

जिला कलक्टर्स की मिटिंग के दौरान कच्ची बस्तियों के नियमन के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण चाहे गये थे, जिन पर निम्न निर्देश दिये जाते हैं:

1. कच्ची बस्तियों की परिभाषा

कच्ची बस्तियों की परिभाषा राज्य सरकार द्वारा भेजे गये 18.5.1999 के परिपत्र में दी हुई है। अगर कोई संशय है तो कृपया ध्यान रखें कि कच्ची बस्ती हर उस बस्ती को माना जावे जिसमें गरीब लोग आवास करते हों, जिसमें अधिकतर आवासों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव हो, जिसमें कच्चे मकानात गैर नियोजित तरीके से बसे हुए हो और जिनका अभी तक नियमन नहीं हुआ हो।

2. जहां तक स्कीम एरिया का सम्बन्ध है जिला कलक्टर को कच्ची बस्तियां अन्यत्र बसाने की पूरी कोशिश करनी है। अगर यह प्रयास किसी प्रकार सफल नहीं होते हों तो अपेक्षित कानूनी प्रक्रिया हर प्रकार से पूर्ण करके ही वहां पर पट्टे दिये जाएं। जैसा कि अगर मास्टर प्लान में कोई बदलाव की आवश्यकता हो तो निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही कार्य किया जाए। अगर स्कीम एरिया सम्बन्धित यू. आई. टी, जे. डी. ए., नगर सुधार न्यास या नगर निगम का हो तो उनकी सहमति अवश्य प्राप्त की जावे।

3. ऐसी किसी भी कच्ची बस्ती का नियमन नहीं किया जावे जहां पर बरसात के पानी से किसी प्रकार के कटाव या भराव का खतारा हो। नालों के बैड पर बसी हुई बस्तियों का या बस्तियों के किसी हिस्से का किसी भी स्थिति में नियमन नहीं किया जाये।

4. माउन्ट आबू में किसी भी हालत में किसी भी कच्ची बस्ती का नियमन नहीं किया जाए। जैसलमेर में सर्वे के बाद की कार्यवाही राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही की जावेगी। पुष्कर तथा नाथद्वारा में मन्दिरों के चारों तरफ की

कुछ निश्चित परिधि को छोड़ कर अन्यत्र बसी बस्तियों का नियमन किया जा सकता है। यह परिधि जिला कलक्टर तय करेंगे तथा उन्हें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि पुष्कर तथा नाथद्वारा के धार्मिक तथा पर्यटक महत्व को देखते हुए ही परिधि निश्चित करें जिससे उसकी विशिष्ट स्थिति पर कोई आंच न आवे।

5. 1971 तथा 1981 में बसी हुई कच्ची बस्तियों में अगर कुछ और कच्चे मकान बन गये हैं तो उनका भी नियमन किया जा सकता है। अगर पहले किये हुए सर्वे के समय कुछ के परिवारों को पट्टे नहीं मिले हों तो उन्हें भी पट्टे दिये जा सकते हैं।

6. पट्टा पति-पत्नी संयुक्त नाम से जारी होगा तथा उस पर पति-पत्नी दोनों का फोटो लगाया जायेगा इसी प्रकार आवेदन पत्र में भी पति-पत्नी दोनों का फोटो लगाना आवश्यक है।

7. पट्टे में हस्तान्तरण नहीं करने की शर्त लगाना आवश्यक है।

8. पट्टे में यह भी लिखना होगा कि आबंटन पत्र अस्थाई है। राज्य सरकार उसे अपने आदेश से निरस्त कर सकती है तथा आबंटित पट्टे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

9. 1 से 50 व.ग. तथा 51 से 110 वर्ग गज तक की भूमि सीमा को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का अधिकार नियमन समिति को होगा।

10. नियमन समिति में दो सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम जिला कलक्टर को दिये जायेंगे। अगर किसी स्थान के लिये नियमन समिति में सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम उनके पास नहीं पहुंचे हो तो सम्बन्धित विधायक की राय लेकर जिला कलक्टर ऐसे दो सामाजिक कार्यकर्ताओं को मनोनीत कर सकेंगे।

11. जहां कच्ची बस्तियां अधिक हैं और नियत समय में जिलाधीश हर नियमन समिति का कार्य नहीं देख सकते हैं उस स्थिति में वह अतिरिक्त कलेक्टर स्तर तक के अधिकारी को नियुक्त कर सकेंगे। जिला कलक्टर की यह जिम्मेदारी होगी कि किसी भी व्यक्ति को जो उस कच्ची बस्ती का निवासी न हो पट्टा नहीं मिले।

12. जिला कलक्टर यह भी देख कि कच्ची बस्तियों में अगर कोई महिला अपना परिवार चला रही हो तो उसे पट्टा अवश्य मिले। ऐसी महिला का पट्टा किसी भी हालत में उसके पुत्र या किसी अन्य सम्बन्धि के नाम नहीं किया जाए।

13. अलवर के नेशनल कैपिटल रीजन में अगर मास्टर प्लान के बदलाव में कोई कार्यवाही करनी हो तो इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का जिला कलक्टर पूरी तरह से पालन करेंगे।

14. नियमितिकरण की राशि एकमुश्त में जमा होगी।

15. जिन कच्ची बस्तियों में पाठशालाएं नहीं है वहां पर स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं बनायी जायेगी जिसके लिए अभी से स्थान निश्चित किये जाएं। यह पाठशालाएं बस्ती में रहने वाले व्यक्तियों के आपसी सहयोग से ही बनेगी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार किसी प्रकार की राशि नहीं देगी।

16. मण्डियों में बसी कच्ची बस्तियों का नियमन नहीं किया जायेगा।

यह आदेश पूर्व प्रसारित आदेश दिनांक 18.5.1999, 24.5.1999, 1.6.1999 की निरन्तरता में होंगे।

17. कच्ची बस्तियों के सम्बन्ध में सारी सूचना श्रीराम मीना शासन उप सचिव, प्रथम नगरीय विकास विभाग को नामजद फैक्स संख्या 380782 पर भेजी जावे।

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प. 9 (9) नविवि/3/95 जयपुर, दिनांक : 21.10.1999

जिला कलक्टर (समस्त)

राजस्थान

परिपत्र

विषय : शहरी क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों में 15 अगस्त, 1998 तक के अनधिकृत रूप से राजकीय भूमि पर बनाये गये आवासीय/व्यवसायिक निर्माणों के नियमन के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार द्वारा कच्ची बस्तियों में 15 अगस्त, 1998 तक राजकीय भूमि पर बसी कच्ची बस्तियों के नियमन के सम्बन्ध में इन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 9 (1) नविवि/3/95 दिनांक 18.5.1999 के आंशिक अतिक्रमण में मंत्रिमण्डल की आज्ञा दिनांक 21 अक्टूबर, 1999 के अनुसरण में कच्ची बस्तियों के नियमन के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. जयपुर शहर के मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन के प्रावधान जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ज. वि. प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है। जयपुर शहर के मास्टर प्लान में गैर आवासीय उपयोग की भूमि पर बसी हुई कच्ची बस्तियों के क्षेत्र में भू-उपयोग परिवर्तन के लिए धारा 25 (2) की राज्य सरकार में निहित शक्तियां आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रत्यायोजित की जाती है। इस समिति में निम्न सदस्य होंगे:

   1. जिला कलक्टर, जयपुर
   2. उपशासन सचिव (प्रथम), नगरीय विकास विभाग
   3. मुख्य नगर नियोजन, राज, जयपुर
   4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज., जयपुर, सदस्य सचिव

   राज्य सरकार की उक्त शक्तियों का प्रत्यायोजन केवल इसी प्रयोजन हेतु अधिनियम की धारा 93 (1) के तहत किया जावेगा।

2. (i) कच्ची बस्तियों की परिभाषा में ''कच्चे'' मकानात के स्थान पर 'कच्चे व पक्के मकान'' पढ़ा जावे।

(ii) नाले के पेटे में तथा नाले के ढलानों पर बसे हुए मकानों का नियमन नहीं किया जावे। जहां पर नाले के किनारों पर बसी हुई कच्ची बस्तियों का प्रश्न है ऐसी कच्ची बस्तियों के सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता/सहा, अभियंता, सा.नि.वि., अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता, नगर सुधार न्यास/नगर परिषद् एवं सम्बन्धित नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी की एक कमेटी गठित की जावे जो नियमन समिति को रिपोर्ट करेगी कि सुरक्षा की दृष्टि से उस कच्ची बस्ती में किन-किन मकानों का नियमन किया जा सकता है।

(iii) कच्ची बस्तियों में 110 वर्ग गज तक के कब्जों के नियमन के लिए प्रथम 110 वर्ग गज तक इस विभाग के परिपत्र दिनांक 24-5-1999 में उल्लिखित दर से भी राशि वसूल की जावे। 111 वर्ग गज से 200 वर्ग गज तक के कब्जे उक्त परिपत्र में उल्लिखित दर से 5 गुना राशि वसूल कर नियमित किया जावे। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि 200 वर्ग गज से अधिक के कब्जे किसी भी अवस्था में नियमित नहीं किये जाये। यदि कोई निर्माण 200 वर्ग गज से अधिक है तो नियमितिकरण उस कुल निर्माण का सिर्फ 200 वर्ग गज तक का ही हो सकेगा। आवासीय दर या व्यवसायिक दर जैसा भी प्रकरण हो उसकी 5 गुना राशि 111 वर्ग गज से अधिक तथा 200 वर्ग गज तक की वसूली की जावे।

इस विभाग के परिपत्र दिनांक 18.5.1999 के अनुसार कच्ची बस्तियों के नियमन में शर्त लगाई गई थी कि नियमन की जाने वाली कच्ची बस्ती में कम से कम 15 फुट की सड़क होना आवश्यक है। यह शर्त विलोपित की जाती है। यदि किसी कच्ची बस्ती में सड़क की चौड़ाई कम हो तो भी उसका नियमन किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में सड़क की चौड़ाई नियमन में किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी।

(iv) आवासीय/व्यवसायिक तामीरों के बाबत लेख है कि अगर सर्वे में तामीर निर्माणकर्ता अर्थात मलिका का नाम आया हो तो भी कब्जाधारी या किरायेदार को ही पट्टे की पात्रता रहेगी।

(v) किसी स्थानीय निकाय, जयपुर विकास प्राधिकरण/न्यास की स्कीम एरिया क्षेत्र या सुविधा क्षेत्र में यदि कोई कच्ची बस्ती नहीं है तो उसका स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/न्यास द्वारा अन्यत्र स्थानान्तरण करना उचित एवं सम्भव समझती है तो उसका भरसक प्रयास किया जायेगा। यदि प्रयासों के बावजूद भी स्थानान्तरण सम्भव न हो तो जिला कलक्टर परिपत्र जारी होने के बाद स्थानीय निकाय को उसी स्थान पर कब्जे के क्षेत्रफल का बिना साइट प्लान का नक्शा देकर पट्टा जारी करने के निर्देश देंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि परिपत्र के जारी होने के दो महीने के अन्दर-अन्दर ऐसे स्थानों पर पट्टे वितरित कर दिये जाये। जिन स्थानों पर कच्ची बस्तियों को नियमित किया जाना है, उन्हें साइट प्लान सहित पट्टा जारी किया जावे।

(vi) कच्ची बस्तियों में सार्वजनिक सुविधाओं यथा बिजली, पानी, सड़कों आदि की सुविधा पहले से ही उपलब्ध होने के बावजूद भी उन कच्ची बस्तियों को सामान्य रूप से पात्र माना जायेगा जो सम्बन्धित शहरी क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों के नाम से जानी जाती है, फिर चाहे ऐसी अतिक्रमण कच्चे अथवा पक्के या आंशिक कच्चे/पक्के हों।

(vii) नियमन हेतु सामान्य निर्देशों में उल्लिखित सबूतों में कच्ची बस्तियों में निकास के सबूत के लिए राशन कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम, बिजली-पानी के बिलों, बच्चों के स्कूल में दर्ज घर के पते, किसी लाइसेंस में दर्ज पता, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, नियोजन कार्यालयों, सरकारी अस्पतालों में दर्ज पते अथवा अन्य दस्तावेजी प्रमाणों के सबूत जो 15 अगस्त, 98 के पूर्व के हों, के आधार पर अतिक्रमी के निवास के सबूत के लिए किसी एक सबूत को पर्याप्त माना जावेगा।

(viii) आबंटन में अन्तरिम आबंटन व आबंटन पत्र की शर्त संख्या-3 में नगरीय कर आबंटी को देने का उल्लेख है, उनके कब्जेधारियों द्वारा विरोध किया गया है। अतः आबंटन पत्र में अन्तरिम वाक्यांश को हटाया जावे।

(ix) वन विभाग की भूमि पर बसी हुई कच्ची बस्तियों को यदि अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना सम्भव न हो तो इस सम्बन्ध में वन विभाग/भारत सरकार की स्वीकृति के उपरान्त ही नियमानुसार नियमन किया जावे।

जिला कलक्टर इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने को प्राथमिकता देंगे।

(x) गैर मुमकिन पहाड़ी/राजकीय भूमि/सिवाय चक पर बसी हुई कच्ची बस्तियों का नियमन यथा स्थान किया जावे।

(xi) कच्ची बस्तियों के नियमन में आय का कोई मापदण्ड नहीं होगा।

(xii) किसी भी राज्य कर्मचारी/केन्द्रीय कर्मचारी/निगम/मण्डल/स्वायत्तशासी संस्था के कर्मचारियों के कब्जों का नियमन नहीं किया जावेगा।

कच्ची बस्तियों में नियमन द्वारा आबंटन नगर सुधार अधिनियम, 1959 एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के तहत बने शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974 के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है। परन्तु इस नियम द्वारा आबंटन में नियमन-15 व 17 के प्रावधानों में शिथिलता देने पर ही होगा। अतः भूमि निस्तारण नियम-15 व 17 में शिथिलता दिये जाने की स्वीकृति दी जाती है। कच्ची बस्तियों में जारी किये जाने वाले लीज होल्ड पट्टों पर नियमानुसार लीज रेंट के बतौर एक प्रतिशत लीज रेन्ट एकमुश्त वसूल किया जाकर पट्टे जारी किये जायें। यह राशि नियमन के समय ही भूमि की कीमत के साथ एक मुश्त वसूल की जावेगी।

(श्रीराम मीणा)

शासन उप सचिव

परिशिष्ट-4

सूची-'अ'

(अतारांकित प्रश्न संख्या-525 की सूची)

क्र. सं.	नगर निकाय का नाम	वर्ष 1995 से किस-किस नगरपालिका में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्यरत है ? प्राप्त नगरपालिकावार सूची
1	2	3
1.	किशनगढ़	1
2.	भीलवाड़ा	1
3.	जहाजपुर	12
4.	चूरू	1
5.	रतनगढ़	1
6.	सूरतगढ़	1
7.	राजगढ़ (अलवर)	1
8.	तिजारा	1
9.	धोलपुर	1
10.	दौसा	5
11.	जैसलमेर	9
12.	तख्तगढ़	10
13.	सुमेरपुर	11
14.	रानी	22
15.	पिंडवाड़ा	27
16.	कोटा	12
17.	मांगरोल	3

1	2	3
18.	बून्दी	3
19.	लाखेरी	7
20.	नैनवां	1
21.	भवानीमण्डी	2
22.	हिण्डौन सिटी	1
23.	टोडाभीम	1
24.	निम्बाहेड़ा	3
25.	छोटी सादड़ी	1
26.	बड़ी सादड़ी	1
27.	गजसिंहपुर	1
	योग	140

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-531 का विवरण)

परिशिष्ट-'ब' व 'स'

नगर निगम द्वारा वार्ड 41 में पक्की कराई गई गन्दी गलियों की सूची

क्र.सं.	कार्य स्थल
1.	सोंखियों का रास्ता मकान नम्बर, 240-241 के मध्य की गली पहला चौराहे से पहले किशनपोल बाजार,
2.	सोंखियों का का रास्ता (नाईयों की तलाई) की गली दूसरे चौराहे से पहले,
3.	डाक्टर बनर्जी के मकान के पीछे की गली दूसरा चौराहे से पहले खूटेटों का रास्ता,
4.	शिव नारायण जी मिश्र की गली बाबा हरिशचन्द्र मार्ग दरबार स्कूल के सामने चांदपोल बाजार, जयपुर।

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-533 का विवरण)

परिशिष्ट-'क'

वर्ष 1999 से 2002 तक समायोजित/नियुक्त कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	नियुक्ति क्र./दि. (कब)	पद नाम	जिस अनुभाग में नियुक्ति दी गई	विशेष
	1	2	3	4	5
1.	नन्दकुमार अग्रवाल	384/05.03.2000	कनिष्ठ अभियंता	सांगानेर जोन (निर्माण)	
2.	तरुण कुमार सिन्हा	384/05.03.2000	कनिष्ठ अभियंता	सिविल लाइन जोन (निर्माण)	
3.	आईजक जोन	1429/29.04.2002	ड्राफ्टमैन	प्लानिंग सैल	
4.	राजपाल चौधरी	1429/29.04.2002	ड्राफ्टमैन	प्लानिंग सैल	
5.	सुरेश कुमार शर्मा	1429/29.04.2002	ड्राफ्टमैन	प्लानिंग सैल	
6.	मानसिंह/गोपाल सिंह	1437/02.05.2002	वाहन चालक	गैराज आवास विकास संस्थान में प्रतिनियुक्ति	
7.	राजू लाल रैगर	1437/02.05.2002	कनिष्ठ लिपिक	मोतीडूंगरी जोन (कार्मिक)	
8.	पवन कुमार सिन्हा	1437/02.05.2002	कनिष्ठ लिपिक	सांगानेर जोन (कार्मिक)	
9.	अब्दुल्ला खलील	1437/02.05.2002	कनिष्ठ लिपिक	विद्याधरनगर जोन (कार्मिक)	
10.	शिव कुमार यादव	1437/02.05.2002	कनिष्ठ लिपिक	विद्याधरनगर जोन (कार्मिक)	
11.	सत्य नारायण विमल	1437/02.05.2002	कनिष्ठ लिपिक	सांगानेर जोन (कार्मिक)	
12.	भंवरगोविन्द सिंह	1437/02.05.2002	कनिष्ठ लिपिक	सांगानेर जोन (कार्मिक)	

1	2	3	4	5
13. सुश्री शाहीना परवीन	1437/02.05.2002	कनिष्ठ लिपिक	विद्याधरनगर जोन (कार्मिक)	
14. सुश्री सुषमा वर्मा	1437/02.05.2002	कनिष्ठ लिपिक	हवामहल पश्चिम (कार्मिक)	
15. श्रीमती ललिता शर्मा	3225/12.01.2001	कनिष्ठ लिपिक	महिला छात्रावास (कार्मिक)	
16. इन्द्र कुमार टहलानी	3225/12.01.2001	कनिष्ठ लिपिक	आयुक्त सतर्कता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
17. राजेन्द्र कुमार	3225/12.01.2001	कनिष्ठ लिपिक	तहसीलदार कार्यालय, लालकोठी गैराज	
18. शिव सारस्वत	2568/19.10.2000	चतुर्थ श्रेणी	विद्युत शाखा सिविल लाइन कार्मिक	
19. श्रीमती सुनीता शर्मा	2568/19.10.2000	चतुर्थ श्रेणी	राजस्व शाखा कार्मिक	
20. श्री प्रेम राजस्वाल	2568/19.10.2000	चतुर्थ श्रेणी	आयोजना प्रकोष्ठ कार्मिक	
21. श्री रामकिशोर/लादू	2568/19.10.2000	चतुर्थ श्रेणी	आयुक्त कार्मिक	
22. श्री विनोद कुमार पारीक	2568/19.10.2000	चतुर्थ श्रेणी	हवामहल पश्चिम कार्मिक	
23. मो. सहीद	2568/19.10.2000	चतुर्थ श्रेणी	प्लानिंग सैल कार्मिक	
24. किशन सिंह/शिखाराम	2568/19.10.2000	चतुर्थ श्रेणी	कार्मिक ए.पी.ओ	
25. रामकिशोर/रामनारायण	2568/19.10.2000	चतुर्थ श्रेणी	विद्युत सिविल लाइन	

1	2	3	4	5
26. ईमानसिंह	2722/06.11.2002	चतुर्थ श्रेणी	न्यायिक मजिस्ट्रेट कोठी	
27. सुरेश कुमार पारीक	2722/06.11.2002	चतुर्थ श्रेणी	विद्याधरनगर जोन कार्मिक	
28. जगदीश शर्मा	2954/08.12.2002	चतुर्थ श्रेणी	महापौर कार्यालय कार्मिक	
29. राजू/कन्हैया	1328/24.09.2002	चतुर्थ श्रेणी	सचिव कार्यालय कार्मिक	
30. भंवरलाल/घासीलाल	1548/06.09.95	चतुर्थ श्रेणी	सिविल लाइन जोन कार्मिक	पंचायतों दैनिक/
31. जुम्मा खां/निवाश्या खां	1548/06.09.95	चतुर्थ श्रेणी	सिविल लाइन जोन कार्मिक	फिक्स वेतन के कर्मचारी
32. देवनारायण/ नान्हीलाल	1548/06.09.95	चतुर्थ श्रेणी	सिविल लाइन जोन कार्मिक	"
33. गपो लाल/ कल्याण सहाय	1548/06.09.95	चतुर्थ श्रेणी	सांगानेर जोन कार्मिक	"
34. हनुमान दास /किशनदास	1548/06.09.95	चतुर्थ श्रेणी	सांगानेर जोन कार्मिक	"
35. बद्रीनारायण/नारायण	1548/06.09.95	चतुर्थ श्रेणी	सांगानेर जोन कार्मिक	"
36. छाजूराम मीणा	16/25.12-96	पम्प ड्राइवर	मुख्यालय बागावत	"
37. गोपाल हरिजन/ छोटूराम		सफाई कर्मचारी	बागावत शाखा	"

परिशिष्ट–'ख'

वर्ष 1999 से 2002 तक समायोजित/नियुक्ति कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	नियुक्ति क्र./दि. (कब)	पद नाम	जिस अनुभाग में नियुक्ति दी गई	विशेष
1		2	3	4	5
नई नियुक्तियां					
1.	राजेन्द्र खूंटेटा	2486/29.09.2000	अध्यापक	हरिजन विद्यालय	निगम द्वारा संचालित प्राथमिक पाठशाला, ब्रह्मपुरी विकलांग कोटे से
2.	अनिल कुमार पारीक	1401/30.09.2002	कनिष्ठ लिपिक	महापौर कार्यालय कार्मिक	कोर्ट निर्णय से कार्मिक
3.	श्री विनीत किशोर	1401/30.09.2002	कनिष्ठ लिपिक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	"
4.	राजेश जोशी	1401/30.09.2002	कनिष्ठ लिपिक	"	
5.	विजय कृष्ण शर्मा	1401/30.09.2002	कनिष्ठ लिपिक	"	
6.	कौशल सैनी	2750/14.11.2000	अध्यापक	हरिजन विद्यालय	

परिशिष्ट – 7
(अतारांकित प्रश्न संख्या–537 की सूची)

परिशिष्ट–'क'

नगर नियोजन विभाग में नगर नियोजकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	पदनाम	मुख्यालय जयपुर		जोधपुर		उदयपुर		कोटा		बीकानेर		अजमेर		अलवर		भरतपुर	
		स्वीकृत पद	रिक्तपद/ रिक्ति की तिथि	स्वीकृत पद	रिक्त पद/ रिक्ति की तिथि	स्वीकृत पद	रिक्त पद/ रिक्ति की तिथि	स्वीकृत पद	रिक्त पद/ रिक्ति की तिथि	स्वीकृत पद	रिक्त पद/ रिक्ति की तिथि	स्वीकृत पद	रिक्त पद/ रिक्ति की तिथि	स्वीकृत पद	रिक्त पद/ रिक्ति की तिथि	स्वीकृत पद	रिक्त पद/ रिक्ति की तिथि
1.	मुख्य नगर नियोजक	2	2 (*) 1.1.01 1.9.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	अति. मुख्य नगर नियोजक	2	2 (*) 16.8.2000 1.10.2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	वरिष्ठ नगर नियोजक	4	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
4.	उप नगर नियोजक	7	-	1	-	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
5.	सहायक नगर नियोजक	10	4 10.6.99 5.11.01 1.1.03	3	2 1.11.96 5.11.01	3	2 (*) 16.4.98 18.4.98	3	3(1*) 1.4.97 19.10.99 30.10.01	3	3(1*) 1.4.99 (2) 10.6.99	3	3 21.4.98 23.10.99 20.12.02	2	2 1.4.99 1.8.02	1	-

(*) द्वारा अंकित रिक्त पदों के विरुद्ध निम्न पदों के अधिकारियों का पदस्थापन किया हुआ है।

उप नगर नियोजक (मुख्यालय)
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-541 की सूचना)

परिशिष्ट-'क'

विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के अन्तर्गत सम्पादित करवाये गये कालोनीवाइज कार्यों का विवरण

क्र.सं.	कालोनी का नाम	पाइप लाइन की लम्बाई (मीटर)	नलकूपों की सं.	हैण्डपम्प की सं.	स्वच्छ जलाशय	उच्च जलाशय
1	2	3	4	5	6	7
1.	चौकड़ी तोपखाना देश	2105	12	12	–	–
2.	पेन्टर कालोनी, नाहरी का नाका	1080	–	–	–	–
3.	रामनगर, नाहरी का नाका	370	–	02	–	–
4.	बस्ती सीतारामपुरा, झोटवाड़ा रोड	3825	10	05	1	–
5.	व्यास कालोनी, शास्त्रीनगर	600	–	–	–	1
6.	शैतानसिंह कालोनी नाहरी का नाका	600	–	–	–	–
7.	महात्मा गांधी कालोनी, शास्त्रीनगर	1000	01	–	–	–
8.	जे.पी. कालोनी	470	01	–	–	–
9.	राणा कालोनी, शास्त्रीनगर	200	02	–	–	–
10.	तुलसीनगर, शास्त्रीनगर	200	02	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
11.	ललिता शास्त्री कालोनी, शास्त्रीनगर	–	–	02	–	–
12.	हरिनगर, शास्त्रीनगर	–	–	02	–	–
13.	किशन बाग	2900	–	–	–	–
14.	टाटा नगर भट्टा बस्ती	730	02	02	–	1
15.	नाहरी का नाका, हाउसिंग बोर्ड	750	08	02	–	–
16.	बडोदिया बस्ती, स्टेशन रोड	650	02	–	–	–
17.	कांतीनगर, बनीपार्क	810	–	02	–	–
18.	बनीपार्क	2770	07	01	–	1
19.	चांदपोल क्षेत्र	800	03	08	–	–
20.	एल.एस. नगर	1700	–	03	–	–
21.	जेम्स कालोनी	100	–	–	–	–
22.	विद्याधरनगर	300	07	25	–	–
23.	नया खेड़ा	450	–	08	–	–
24.	जमना कालोनी, सीकर रोड	250	–	–	–	–
25.	महाराजा कालोनी, सीकर रोड	500	–	–	–	–
26.	बन्धुनगर	1800	01	–	–	–
27.	विजय बाड़ी पथ नं. 7	350	03	–	–	–
28.	जालूपुरा	695	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
29.	ढहर के बालाजी	–	01	05	–	–
30.	विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र	–	01	–	–	–
31.	अम्बाबाड़ी	–	04	–	–	–
32.	सिन्धुनगर	–	01	–	–	–
33.	जे.पी. कालोनी	–	–	01	–	–
	कुल	26005	68	80	01	03

परिशिष्ट-'ख'

वर्ष 2003-2004 में किशनपोल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं में करवाये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों का विवरण

क्र.सं.	कालोनी का नाम	पाइप लाइन की लम्बाई (मीटर)	नलकूपों की सं.	हैण्डपम्प की सं.	स्वच्छ जलाशय	उच्च जलाशय
1.	चौकड़ी तोपखाना देश	670	02	03	-	-
2.	संजय कालोनी, नेहरू नगर	300	01	01	-	-
3.	कुरैशी कालोनी चांदपोल	-	01	-	-	-
4.	कब्रिस्तान के पास, शास्त्रीनगर	300	01	-	-	-
5.	बसंत मार्ग,बनीपार्क	500	01	-	-	-
6.	किशनबाग	2000	04	-	01	-
7.	भट्टा बस्ती शास्त्रीनगर	500	-	01	-	-
8.	तुलसी नगर नाहरी का नाका	-	-	01	-	-
9.	अमानीशाह बाउण्डरी परिसर	-	-	-	-	01
	कुल	4270	10	06	01	01

उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किशनपोल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सीकर रोड पर स्थित विभिन्न कालोनियां यथा ढेहर के बालाजी, भवानी नगर, सिन्धु नगर, विजय बाड़ी पथ नम्बर 7, जय चामुण्डा कालोनी, शिव विहार इत्यादि में एशियन विकास बैंक पोषित नगरीय मूलभूत विकास परियोजना के अन्तर्गत वितरण प्रणाली डालने एवं जोड़ने का कार्य करवाया जाना प्रस्तातिव है। उक्त कार्य वर्ष 2003-04 में पूर्ण होने का लक्ष्य है।

अधिशासी अभियन्ता

नगर खण्ड उ. एवं. वि.

(उत्तर)

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-542 का विवरण)

परिशिष्ट-'अ'

श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में विधायक/सांसद मद से निर्मित नलकूप

क्र. सं.	नलकूप स्थान	सांसद/ विधायक मद	कार्यकारी एजेन्सी	नलकूप चालू किया अथवा नहीं	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	बिग्गा	सांसद मद	जन स्वा. अभि. विभाग	चालू	
2.	अमरसर	विधायक मद	पंचायत समिति, सुजानगढ़	चालू	
3.	कातरछांटी	विधायक मद	पंचायत समिति सुजानगढ़	चालू	
4.	जोगलसर (रामनगर बास)	विधायक मद	पंचायत समिति सुजानगढ़	चालू	
5.	मालासर	विधायक मद	पंचायत समिति सुजानगढ़	चालू	
6.	ईयारा (मेघवालों का मौहल्ला)	विधायक मद	पंचायत समिति सुजानगढ़	चालू	
7.	ईयारा (ब्राह्मणों का मौहल्ला)	विधायक मद	पंचायंत समिति सुजानगढ़	चालू	
8.	ऊटालड	विधायक मद	पंचायत समिति सुजानगढ़	चालू	
9.	तेहनदेसर	विधायक मद	पंचायत समिति सुजानगढ़	चालू	
10.	लालगढ़	विधायक मद	पंचायत समिति	चालू	

सुजानगढ़

1	2	3	4	5	6
11.	आसरासर	विधायक मद	पंचायत समिति सुजानगढ़	चालू नहीं	योजना स्वीकृत। नलकूप को चालू करने का कार्य प्रगति पर है।
12.	ज्याक	विधायक मद	पंचायत समिति सुजानगढ़	चालू नहीं	"
13.	ढाणी झाडेला की (नब्बासर)	विधायक मद	पंचायत समिति सुजानगढ़	प्रश्न के भाग 1 कं. उत्तर के अनुसार	
				' '	
14.	ढाणी मोलासी (गोन्दूसर)	विधायक मद	पंचायत समिति सुजानगढ़	' '	
15.	सडू बड़ी	विधायक मद	पंचायत समिति सुजानगढ़	' '	
16.	बेरासर	विधायक मद	पंचायत समिति सुजानगढ़	' '	
17.	कल्याणसर	विधायक मद	पंचायत समिति सुजानगढ़	' '	
18.	रा. शिक्षा कर्मी विद्यालय करनाडी ढाणी लालगढ़	विधायक मद	पंचायत समिति सुजानगढ़	' '	
19.	गिरवरसर	विधायक मद	पंचायत समिति सुजानगढ़	' '	

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-553 के पत्र की प्रति)

परिशिष्ट-'क'

कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस (अप. शाखा) राज, जयपुर

क्रमांक-सं-9 (1) अप/अन्वे/म.अ./उदय/02/874-79 दिनांक 24-9-2002

पुलिस अधीक्षक

जिला-उदयपुर

विषय : अ.सं. 1/02 धारा 304 बी, 498-ए भा.द.स. महिला थाना उदयपुर

महोदय,

ऊपर वर्णित अभियोग की मूल अनुसंधान पत्रावली वापस प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में निम्नलिखित अभियुक्तों के विरुद्ध उनके सामने अंकित धाराओं में चालान प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है।

क्रम. सं.	**नाम अभियुक्त**
1.	मोहन लाल s/o प्रतापलाल (ससुर) धारा 498A, 304B, भा.द.सं.
2.	राजेश कुमार s/o मोहन लाल (पति) ....do..........
3.	संजय कुमार s/o मोहन लाल (जेठ)..............do.........
4.	श्रीमती भानुमती w/o मोहन लाल (सास)...........do.........
5.	मनिषा w/o संजय कुमार (जिठानी)................do.........

उपरोक्त वर्णित अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत करावे व चार्जशीट की एक प्रति इस कार्यालय में भिजवाने का श्रम करावें।

संलग्नः-मूल पत्रावली अं सं.1/02

महिला थाना उदयपुर

ह.

पुलिस अधिक्षक

(महिला अत्याचार)

सी.आई.डी. (अपराध शाखा)

राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-554 की प्रथम सूचना रिपोर्ट)

परिशिष्ट-'अ'

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नम्बर : 6198

1. जिला : प्र.आ.के., भ्र.नि.ब्यू. जयपुर   थाना : चौकी भ्र.नि.ब्यू. टोंक   वर्ष : 2003
   प.इ.रि.सं. : 31/2003   दिनांक : 5-2-2003
2. (I) अधिनियम : पी.सी. एक्ट 1998 धाराएं : 13(1) डी, 13 (2)
   (II) अधिनियम : भारतीय दण्ड संहिता धाराएं : 420, 467, 468, 471 व 120-बी
   (III) अधिनियम :   धाराएं :
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धाराएं
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 118 समय : 7.30 पी.एम.
   (ब) अपराध के घटने का दिन वर्ष 1983 दिनांक..............समय................
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक .... समय..................
4. सूचना की किस्म : लिखित/मौखिक
5. घटनास्थल
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी : बजानिब पश्चिम दिशा चौकी से दूरी 70 कि.मी.
   (ब) पता..
   ....बीट संख्या................जरायमदेरी सं..........
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना................................जिला...................................
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :
   (अ) नाम : जरिये राज्य सरकार
   (ब) पिता/पति का नाम : ....
   (स) जन्म तिथि/वर्ष : ....
   (द) राष्ट्रीयता : ....

(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ....
जारी होने की जगह...

(र) व्यवसाय : ....

(ल) पता : ....

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :-

1. श्री घीसूसिंह तत्कालीन तहसीलदार, तह. टोडारायसिंह, जिला टौंक, राज.
2. श्री सीताराम जोशी, तत्कालीन सरपंच, ग्रा.पं. खरेडा, तह. टोडारायसिंह, जिला टौंक
3. श्री शिवराज सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, भूतपूर्व सरपंच, ग्रा.पं. गेंदिया, तह. टोडारायसिंह, जिला टौंक।

8. परिवारी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण.............................
....
....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पता लगाये)
....
....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य...

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)...

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :

महोदय,

वाक्यात हालात इस प्रकार है कि, ग्राम गेंदिया तहसील टोडारायसिंह जि. टोंक के आराजी खसरा नम्बर 799, 1462, 1393, 1400, 1184, 1099, 11853, 1571 व 1186 तथा 1194 रकबा 47 बीधा भूमि वर्ष 1983 से पूर्व (सिवाय चक) सिंचाई विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड में थी। परन्तु श्री धीसूसिंह राठौड़ तत्कालीन तहसीलदार टोडारायसिंह ने श्री शिवराज सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह राजपूत भूतपूर्व सरपंच ग्राम गोंदिया तहसील टोडारायसिंह से सांठ गांठ कर दिनांक 16-9-1983 को असत्य तरीका अपनाते हुये उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर श्री शिवराज सिंह राजपूत भूतपूर्व सरपंच का कब्जा बताते हुये श्री शिवराज सिंह के हक में निर्णय कर दिया।

दिनांक 16–9–1983 को असत्य निर्णय कर दिनांक 30–12–1983 को तहसील टोडारायसिंह जिला टौंक से आदेश क्रमांक 1926 दिनांक 30–12–1983 को हल्का पटवारी ग्राम गेंदिया के नाम यह आदेश जारी कर यह अंकित किया गया कि उक्त आराजी खसरा नम्बरान का श्री शिवराज सिंह राजपूत निवासी ग्राम गेंदिया के नाम गैर खातेदारी व हक काश्त माना जाना हेतु आवश्यक इन्द्राजात करे।

दिनांक 30–12–1983 को तहसीलदार टोडारायसिंह के आदेश की पालना में हल्का पटवारी गेंदिया ने नामान्तरण संख्या 602 तैयार कर सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा टिप्पणी अंकित कर दी। परन्तु तत्कालीन तहसीलदार श्री धीसूसिंह राठौड़ ने उक्त नामांतकरण संख्या 602 को स्वीकार नहीं किया और दिनांक 31–3–1984 को हल्का पटवारी गेंदिया को आदेश दिया कि नामान्तरण खोल कर पंचायत खरेड़ा के कौरम के समक्ष नियमानुसार निर्णय करावे। आदेश की पालना में दिनांक 30–5–1984 को तत्कालीन सरपंच खरेड़ा श्री सीताराम जोशी ने तहसीलदार टोडारायसिंह के आदेश का हवाला अंकित करते हुये, नामान्तरण सं. 602 को श्री शिवराज सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह राजपूत के हक में गैर खातेदारी के (गैर खातेदार) के रूप में स्वीकार कर दिया।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 799, 1462, 1408, 1184, 1079, 1183, 1571, 1186 1194 रकबा करीब 47 बीधा ग्राम गेंदिया का श्री शिवराज सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह राजपूत के नाम गैर खातेदारी के रूप में दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी सम्वत 2054 से 2057 रिकार्ड पर है एवं हल्का पटवारी ग्राम गेंदिया द्वारा भी अपने पत्र दिनांक 8–4–2002 के द्वारा लिखित में बताया कि उक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमि पर श्री शिवराज सिंह राजपूत का कब्जा है, एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तहसीलदार टोडारायसिंह जिला टौंक ने दिनांक 14–3–2002 को रेफरेंस प्रकरण तैयार कर न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, टौंक को इस आशय का पत्र प्रेषित किया कि नामान्तरण संख्या 602 दिनांक 30–5–1984 को श्री शिवराज सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह राजपूत निवासी ग्राम गेंदिया के नाम स्वीकार किया गया है, वह निरस्त योग्य है। तहसीलदार टोडारायसिंह ने स्पष्ट रूप से अपने रेफरेंस केश में अंकित किया है कि सिंचाई विभाग, तालाबी पेटे की जमीन सिवाय चक भूमि को भू-राजस्व आबंटन नियम 1961 के अन्तर्गत निरस्त योग्य माना जावें एवं अपने निर्णय में यह भी अंकित किया गया है कि नामान्तरण संख्या 602 न्यायालय के आदेश दिनांक 16–9–1983 की अनुपालना में दर्ज किया गया था,

जिसको स्वीकार करने का काम मात्र राजस्व अधिकारियों का था, अतः ग्राम पंचायत खरेड़ा **के सरपंच द्वारा दिनांक 30-5-1984 को किया गया, नामान्तरण स्वीकार योग्य नहीं है।**

खसरा नम्बर 799, 1462, 1393, 1408, 1079, 1183, 1571, 1186, 1194 की भूमि को जो श्री शिवराज सिंह के हक में नामान्तरण संख्या 602 स्वीकार किया गया है, वह तहसीलदार टोडाराय सिंह ने भी असत्य मानते हुये रेफरेंस प्रकरण कानूनी कार्यवाही हेतु श्रीमान् अतिरिक्त कलक्टर, टौंक को दिनांक 14-3-2002 को पेश किया जा चुका है।

अतः तत्कालीन तहसीलदार श्री धीसूसिंह राठौड़, तहसील टोडाराय सिंह जिला टौंक, व श्री सीताराम जोशी तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत खरेड़ा तहसील टोडाराय सिंह, टौंक ने सिवाय चक सिंचाई विभाग की करीब 47 बीधा भूमि को अपने पद का दुरुपयोग कर श्री शिवराज सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह भूतपूर्व सरपंच ग्राम गेंदिया जिला टौंक को व स्वयं को अनुचित फायदा पहुंचाया व राज्य सरकार को अनुचित हानि पहुंचाई है, जो जुर्म धारा 13 (1) डी, 13 (2) पी. सी. एक्ट 1988 व सपठित धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120 बी. भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध है।

पुलिस निरीक्षक

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाइप शुदा बिना नम्बरी, प्रथम सूचना रिपोर्ट उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टौंक ने प्रेषित की। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1) (डी) 13 (2) पी. सी. एक्ट 1988 तथा 420, 467, 468, 471 एवं 120 बी भादसं. में वर्णित अभियुक्त सर्वश्री धीसूसिंह तत्कालीन तहसीलदार, तहसील टोडाराय सिंह, जिला टौंक, सीताराम जोशी तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंयायत खरेड़ा, शिवराज सिंह भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत गेंदिया, तह, टोडाराय सिंह जिला टौंक के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 3/2003 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियां एफ. आई. आर. नियमानुसार करवाकर तफतीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक (द्वितीय),

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या–556 की प्रथम सूचना रिपोर्ट)

परिशिष्ट–'क'

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नम्बर : 7211

1. जिला : सीकर		थाना : सदर सीकर		वर्ष : 1999

   प्र.इ.रि.सं. : 24/99		दिनांक : 25.1.99

2. (I) अधिनियम : आई.पी.सी.		धाराएं : 365, 385, भा.द.सं.

   (II) अधिनियम :		धाराएं :

   (III) अधिनियम :		धाराएं :

   (IV) अन्य अधिनियम एवं धाराएं

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 856 समय : 7 ए.एम.

   (ब) अपराध के घटने का दिन मंगलवार दिनांक 19.1.99 समय 6 पी.एम.

   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 25.1.99 समय 7 ए.एम.

4. सूचना की किस्म : लिखित/मौखिक : लिखित

5. घटनास्थल : मौजा चन्दपुरा

   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी : बजानिब दक्षिण 6 किलोमीटर

   (ब) पता...

   ....बीट संख्या. 3 जरायमदेरी सं. 29/1

   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

   पुलिस थाना...................................जिला.......................................

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :

   (अ) नाम : श्री रविन्द्र प्रताप उ.मि. (प्रो.) थाना सदर सीकर

   (ब) पिता/पति का नाम : ....

   (स) जन्म तिथि/वर्ष : ....

(द) राष्ट्रीयता : ....

(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि .... जारी होने की जगह..

(र) व्यवसाय : नौकरी

(ल) पता : हाल उ.नि. (प्रो.) थाना सदर सीकर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्ति का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :

1. मंशा , 2. डून्सा, 3. रामेश्वर, 4. ओमा, 5. शिवभगवान, 6. रामनाथ, 7. जवारा 8. गणेश, जाति जाटान, निवासीगण चन्दपुरा

मुलजिमान ने नागरमल शर्मा, नि. चन्दपुरा को उठाकर कहीं ले गये।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण............................

देरी मिनजानिब मुश्तगीस हुई

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पता लगाये)

....

....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य...

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)...

12. नियम वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :

सेवामें, श्रीमान् थानाधिकारी पुलिस थाना सदर सीकर विषयः गुमशुदा नागरमल शर्मा की जांच रिपोर्ट व एफ.आई. आर दर्ज करने बाबत् महोदय, निवेदन है कि दिनांक 20-1-99 को श्री पन्नाराम पुत्र जवाहरा राम जाति ब्राह्मण निवासी चन्दपुरा ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई की दिनांक 19-1-99 को शाम के करीब 6 बजे मेरा लड़का नागरमल शर्मा उम्र 25 वर्ष घर से नीमड़ी के बालाजी के यहां नारियल ध्वजा अगरबत्ती, बाल्टी व अन्य पूजा का सामान ले करके बालाजी के चढ़ाने गया था। आज सुबह 6 बजे मैं घर से खेत में आया तो मेरी पत्नी ने कहा कि नागरमल नहीं आया था आपके पास था तो मैंने कहा मेरे पास नहीं आया। तब मैंने आस पड़ोस से पूछताछ की तथा बालाजी के यहां भी देखा परन्तु नहीं मिला। श्रीमान्जी, मेरा पुत्र कहीं गुम हो गया, मेरे पुत्र की तलाश कराई जावे इत्यादि रिपोर्ट पर रोजनामचा

आम में रपट गुमशुदगी अंकित की जाकर जांच एस. आई (प्रो.) रविन्द्र प्रताप के जिमे की। मन एस. आई (प्रो.) ने जांच की वह बयान श्रीमती शोभावती व श्रीमती सुमित्रा लिये गये तो जांच से पाया गया कि नागरमल शर्मा को उनके बाड़ा के विवाद व बाडा खाली कराने के लिय मन्शा, डुन्गा, रामेश्वर ओमा, शिवभगवान, रामनाथ जवारा, गणेशजाटान निवासी चन्दपुरा कहीं ले गये जांच से मामला धारा 365, 385 भा. द. स. का होना पाया गया। अत: रिपोर्ट पेश कर निवेदन है कि मुकदमा कायम किया जाकर कार्यवाही की जो रिपोर्ट सेवामें पेश है प्रार्थी एस. डी. रविन्द्रप्रताप उ. नि. (प्रो.) थाना सदर सीकर दिनांक 25-1-99.

कार्यवाही पुलिस

उपरोक्त जांच रिपोर्ट श्री रविन्द्रप्रताप एस आई (प्रो.) ने पेश की पढ़कर सुनाई सुन समझ सही मानकर हस्ताक्षर किये मजमून जांच रिपोर्ट से मामला जुर्म धारा 365, 385 भा.द.स. का में आना पाया गया। अत: मु. नं. 24/99 धारा उपरोक्त में दर्ज कर तफतीश श्री रामधन है का 660 जिमे की गई। प्रतियां एफ. आई. आर. नियमानुसार जारी की गई।

SD रविन्द्र प्रताप SI (P)

SD SHO
सदर सीकर

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-565 की सूची)

परिशिष्ट-अ

डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 1998-1999 से 2002-2003 तक 33/11 के.वी. सब स्टेशन स्वीकृत सूची

क्र.सं.	33/11 के.वी. सब स्टेशन का नाम	स्वीकृति का वर्ष	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	आडसर	22.09.1998	1998-2000 में कार्य पूर्ण कर चालू कर दिया गया।
2.	अमृतवासी	22.09.1998	1999-2000 में कार्य पूर्ण कर चालू कर दिया गया।
3.	बापेऊ	30.05.2000	27.11.2001 को कार्य पूर्ण कर चालू कर दिया गया।
4.	बजरंगसर	13.07.2000	मार्च, 2000 में कार्य पूर्ण कर चालू कर दिया गया।
5.	लिखमीदेसर उतरादा	17.07.2000	कार्य प्रगति पर है।
6.	ठुकरियासर	09.01.2002	अगस्त, 2002 में कार्य पूर्ण कर चालू कर दिया गया।
7.	सेरूणा	01.05.2002	07.02.2003 को कार्य पूर्ण कर चालू कर दिया गया।
8.	धीरदेसर चोटियान	जुलाई, 2002	आवश्यकतानुसार सामान उपलब्ध करवाकर यथा सम्भव वर्ष 2003-2004 में उक्त ग्रिड सब स्टेशनों को पूर्ण कर चालू करना सम्भावित है।

1	2	3	4
9.	दुसारणा	जुलाई, 2002	आवश्यकतानुसार सामान उपलब्ध करवाकर यथा सम्भव वर्ष 2003-2004 में उक्त ग्रिड सब स्टेशनों को पूर्ण कर चालू करना सम्भावित है।
10.	बीजासर	जुलाई, 2002	आवश्यकतानुसार सामान उपलब्ध करवाकर यथा सम्भव वर्ष 2003-2004 में उक्त ग्रिड सब स्टेशनों को पूर्ण कर चालू करना सम्भावित है।

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-566 का विवरण)

परिशिष्ट-'अ'

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

(Department of Commercial Operations)

Statement indicating Prerevised and Revised Rates Applicable on Various Categories of Consumers

S.No.	Category	Prerevised rates		Revised rates
		upto biliing months oct., 99	w.e.f. b/m Nov, 99 to April, 2001	w.e.f. b/m May 2001 onwards
1	2	3	4	5
1.	Domestic Service : (Rural & Urban)			
(i)	First 50 Units/Month	112	155	170
(ii)	Above 50 Units/Month	133 to 165	220	275
2.	Non Domestic Service			
(1)	LT supply			
(a)	SCL upto 5 KW			
(i)	First 100 Units/Month	301	410	450
(ii)	Above 100 Units/Month	331 to 351	450	490
(b)	SCL above 5 KW			
(i)	First 100 Units/Month	356	410	450
(ii)	Above 100 Units/Month	356	450	490
(II)	HT Supply			
(i)	First 100 Units/Month	376	410	450
(ii)	Above 100 Units/Month	376	450	490
3.	Public Street Lighting :			
(i)	In panchayats/Municipal areas having population beiow 1 Lakh	216	300	300

1	2	3	4	5
(ii)	In Municipal areas having population of 1 Lakh and abvoe	216	330	330
4.	Agriculture			
(I)	Merered Supply			
(i)	General	50	70	90
(ii)	Agriculture connections in Farm Houses	112 to 165	220	275
(iii)	All others ont covered under (i) & (ii) above including Nurserytill conversionurban area wells, 24 hours supply areas and poultry farms	120	140	165
(II)	Flat Rate Supply (In Rs Per HP/Month)			
(i)	General and Special General category	32 to 43	60	85
(ii)	Special Scheme Fodder scheme	32 to 43	120	145
(iii)	All others not covered under (i) & (ii) abvoe Urban area wells and 24 hours supply areas	32 to 43	120	175
5.	Small Industry	280 to 290	349	344
6	Medium Industry	320	382	372
7.	Bulk Supply for mixed Load	331	382	372
8.	Large Industry	341	405	401

Note : In Revised rates apart from above Fixed charges have been also introducted in place of meter rent and fixed service charges.

परिशिष्ट–15

'अ'

(अतारांकित प्रश्न संख्या–573 का विवरण)

ग्राम पंचायत बेकरिया में वर्ष 1995 से 22-2-2003 तक कराये गये कार्यों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	योजना	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	सड़क पीपला से बेकरिया	JRY	1995–96	1.00	1.00	पूर्ण
2.	मरम्मत प्रा.वि. सेईबांध	JRY	1995–96	0.15	0.14	पूर्ण
3.	मरम्मत प्रा.वि. पीपला	JRY	1995–96	0.15	0.15	पूर्ण
4.	चबुतरा बिचली नेवरी बेकरिया	JRY	1995–96	0.10	0.09	पूर्ण
5.	चबुतरा सेईबांध	JRY	1995–96	0.10	0.09	पूर्ण
6.	आंगनबाड़ी पीलका	JRY	1996–97	0.80	0.88	पूर्ण
7.	बस स्टैण्ड पीपला	JRY	1996–97	0.80	0.79	पूर्ण
8.	चबुतरा शिवडिया	JRY	1996–97	0.20	0.19	पूर्ण
9.	उचित मूल्य की दूकान पीपला मीठीमहुड़ी	JRY	1997–98	0.96	0.98	पूर्ण
10.	चबुतरा आमली चौराया	JRY	1997–98	0.30	0.28	पूर्ण
11.	चबुतरा महादेव का स्थान	JRY	1998–99	0.30	0.07	पूर्ण
12.	चबुतरा हनुमान जी बेकरिया	JGSY	1998–99	0.30	0.18	पूर्ण
13.	रा.गा.पा. शिवलियों का फला	JGSY	1999–2K	2.25	2.12	पूर्ण
14.	सीमा सूचना बोर्ड	JGSY	2K–2001	0.03	0.03	पूर्ण
15.	चबुतरा निर्माण पीलका	JGSY	2K–2001	0.35	0.35	पूर्ण
16.	चबुतरा निर्माण कुका के घर के पास	JGSY	2K–2001	0.45	0.45	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
17.	निजी कूप गहरा कराया डूगा/ मावा	JGSY	2K-2001	0.08	0.08	पूर्ण
18.	निजी कूप गहरा कराया लाला/ चांदा	JGSY	2K-2001	0.08	0.08	पूर्ण
19.	सार्व. कूप कालीबोर	20%EAS	2K-2001	0.60	0.42	अपूर्ण
20.	सार्व. कूप गहरा कराना पीपला	MPLAD	2K-2001	0.10	0.10	पूर्ण
21.	प्रा.वि. पीलका	MPLAD	2K-2001	0.36	1.31	पूर्ण
22.	हैण्ड पम्प निर्माण काला/कांगा के घर के पास भुड़ाखेत	MPLAD	2K-2001	0.31	0.24	पूर्ण
23.	हैण्ड पम्प निर्माण नाना/धीरा के घर के पास नाथाबेरा	MPLAD	2K-2001	0.31	0.31	पूर्ण
24.	प्रा.वि. पीपला मरम्मत	JGSY	2K-2001	1.20	0.19	पूर्ण
25.	निजी कूप गहरा कराना रोड़ा पीलका	JGSY	2K-2001	1.08	0.08	पूर्ण
26.	निजी कूप गहरा कराना समसा/खुमा पीलका	JGSY	01-02	0.08	0.08	पूर्ण
27.	निजी कूप गहरा कराना मोती/ माना पीलका	JGSY	01-02	0.08	0.08	पूर्ण
28.	निजी कूप गहरा कराना पूजा/ जामा पीलका	JGSY	01-02	0.08	0.08	पूर्ण
29.	निजी कूप गहरा कराना मादू/ राजा पीलका	JGSY	01-02	0.08	0.08	पूर्ण
30.	आंगनबाड़ी पाण्डीबोर अपूर्ण को पूर्ण	70% EAS	01-02	1.00	-	अपूर्ण
31.	उ.प्रा. वि. बेकरिया	MPLAD	01-02	1.36	1.36	पूर्ण
32.	प्रा.वि. पीपला	MPLAD	01-02	1.36	1.29	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
33.	सार्वजनिक कूप नाथावेरा	MPLAD	01-02	0.50	0.25	प्रगति पर
34.	सार्वजनिक कूप हिरावतों का फला	MPLAD	01-02	0.50	0.25	प्रगति पर
35.	हैण्ड पम्प निर्माण सोहन/जोगा के घर के पास	MPLAD	01-02	0.29	0.29	पूर्ण
36.	ग्रेवल सड़क टाकरी घाटी से पाण्डीबोर	SRGY 50%	02-03	1.00	0.98	पूर्ण
37.	नाडी निर्माण सेईबांध	SRGY 50%	02-03	0.50	0.45	पूर्ण
38.	सम्पर्क सड़क मीनीमवड़ी से वानरावेरी	SRGY 50%	02-03	1.00	1.00	पूर्ण
39.	नाड़ी निर्माण शिवड़िया	SRGY 50%	02-03	0.80	0.65	पूर्ण
40.	सम्पर्क सडक भवड़िया से ब्रुज तक	SRGY 30%	02-03	0.50	0.32	पूर्ण
41.	प्रा.वि. पीलका चेला/रोड़ा पीलका	EFC	02-03	1.36	1.25	प्रगति पर

विकास अधिकारी
पंचायत समिति-कोटड़ा,
जिला-उदयपुर (राज.)

1	2	3
18.	भीलवाड़ा-विजयनगर वाया रायला	2
19.	भीलवाड़ा-काछोला वाया त्रिवेणी	4
20.	गुलाबपुरा-भीलवाड़ा वाया रायला	1
21.	भीलवाड़ा-गेगाखोड़ा वाया सवाईपुर	2
22.	भीलवाड़ा-सुरत वाया मॉगसम	2
23.	भीलवाड़ा-बडलीयकस वाया सवाईपुर	2
24.	भीलवाड़ा-कोटड़ी	40
25.	भीलवाड़ा-सकरगढ़ वाया शाहपुरा	2
26.	भीलवाड़ा-देवली वाया कोटड़ी पारोल	2
27.	भीलवाड़ा-मांडलगढ़ वाया त्रिवेणी	2
28.	भीलवाड़ा-ब्यावर वाया मसूदा	2

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या-585 के आदेश की प्रति)

परिशिष्ट-'1'

राजस्थान सरकार

विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रुप-1)

क्रमांक - एफ 16 (5) वियो/ग्रुप-1/95 जयपुर, दिनांक-14-1-1999

1. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष,
   जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
   (समस्त जिले)

2. परियोजना निदेशक,
   जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
   (समस्त जिले)

विषय- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पुनर्गठन का निर्णय लिया है। चूंकि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एक पंजीकृत संस्था है। अत: इस संस्था के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए (शासकीय परिषद् में पारित कर) अपने जिले के पंजीयक (संस्थाएं) से स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। यह प्रक्रिया फरवरी, 1999 के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से पूरी की जानी है। अत: निम्न परिशिष्टों को ध्यान में रखकर कार्यवाही करें:-

1. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पुनर्गठन के सम्बन्ध में पारित शासन आदेश की प्रतिलिपि एवं संशोधित मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन का प्रारूप संलग्न हैं (परिशिष्ट-1)

2. जिला प्रमुख, जिला परिषद् के द्वारा अध्यक्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के दायित्व का निर्वहन दिनांक 6-2-99 से किया जाएगा। अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में वर्तमान में निहित कर्त्तव्यों एवं अधिकारों में संशोधन किया गया है। संशोधित निर्देश संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

3. जिला कलक्टर जो कि अब तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अध्यक्ष है इस अभिकरण के कार्यपालक निदेशक होंगे। उन्हें वर्तमान में अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की हैसियत से प्राप्त सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार अब उनमें कार्यपालक निदेशक की हैसियत से होंगे। कार्यपालक निदेशक, जिला ग्रामीण विकास के अभिकरण के कर्त्तव्य एवं दायित्वों का निर्धारण सम्बन्धि निर्देश संलग्न है। (परिशिष्ट-3)

4. कार्यपालक निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की कार्यपालक समिति (Executive Committce) के अध्यक्ष भी होंगे। शासकीय परिषद् की बैठक जनवरी, 1999 में बुलाकर उपरोक्त संशोधनों का अनुमोदन प्राप्त कर लें। शासकीय परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् जिले के पंजीयक (संस्थाओं) से स्वीकृति फरवरी, 1999 के प्रथम सप्ताह से पूर्व प्राप्त कर लें।

ओ. पी. बिहारी

विकास आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव

परिशिष्ट–2

सुसंगठित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण

अध्यक्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्तव्य एवं दायित्व

1. अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शासकीय परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
2. अभिकरण द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के मापदण्ड, अर्हताओं तथा विशेषताओं सम्बन्धी जानकारी के प्रचार एवं प्रसार में समन्वय का कार्य करना।
3. विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से कराये जा रहे कार्यों में गुणवत्ता लाने हेतु आवश्यक सुझाव एवं परामर्श देना।
4. अभिकरण द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों के सम्बन्ध में त्रिस्तरीय पंचायतों की यथोचित जानकारी देना ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार के लिये विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्त हो सके।
5. कार्यक्रमों का क्रियान्वय करने वाली विभिन्न कार्यान्वयन एजेन्सियों के मध्य समन्वय करना तथा कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का नेतृत्व करना।
6. कार्यक्रमों/योजनाओं के सफल कियान्वयन हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा जिला परिषद् के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करना।